

भारतीय शिक्षा
तथा
आधुनिक विचारधाराएँ

विद्यावती पर्लेया



राजकांड

राजपत्रगाल प्रकाशन

मूल्य ५५०

प्रथम संस्करण, सितंबर १९६१

© १९६१, राजसमल प्रकाशन, प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली
प्रसादक : राजसमल प्रकाशन, प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली

मुद्रक : ओमप्रसाद कगूर, रानभट्टल लिमिटेड, घाराणगी (यनारम) ५०८

विपय-सूची

भाग १

भारतीय-शिक्षा

१ : : पूर्व-प्रायमिक-शिक्षा १-१६

अथ—आवश्यकता—महत्त्व—पूर्व-प्रायमिक शिक्षा का विस्तार—
भारत में पूर्व-प्रायमिक शिक्षा के विकास के बाधक कारण—पूर्व-
प्रायमिक शिक्षा-प्रभार के उत्पाद—मध्यप्रदेश में पूर्व-प्रायमिक शिक्षा।

२ : : प्रायमिक-शिक्षा १७-३७

प्राचीन भारत में प्रायमिक शिक्षा—सल्लकाल में भारतीय प्रायमिक
शिक्षा—अंग्रेजी शासन-काल में भारतीय प्रायमिक शिक्षा—पूर्णोत्तम
फलानियों तक प्रिदानरियों के प्रदान—१८१३ का एक—१८३०
का नीति यत्र—लॉट्ट मेडाने वी अन्याधार नीति—१९३१ सदी के
प्रथम ५० वर्षों में प्रायमिक शिक्षा का विकास न होने के कारण—
१८५४ का दुड़ शिक्षा-मदाविद्यान—जन् १८८२ का भारतीय शिक्षा
आयोग—१८८२ से १९०८ तक—लॉट्ट कर्डन—१९०२ से
१९२१-२२ तक—१९२१ से १९४७ तक—हार्टांग मिसिं—
प्रायमिक शिक्षा के प्रभार में बढ़िनारियों—मुख्य के मुद्दाएँ।

स्वर्तन भारत में प्राथमिक शिक्षा (१९४७ ते बर्तमान तक) —
मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षा—अधिकारी—पाठ्यक्रम—शालाओं तथा
विद्यार्थियों की संख्या—प्राथमिक शिक्षकों का वेतन-मान तथा अन्य
व्यवस्थाएँ—यालक-शिक्षक-अनुपात—प्रशासन ।

३ : : पूर्व-माध्यमिक शिक्षा

३८-४२.

पूर्व-माध्यमिक शालाओं के उद्देश्य—भारत में पूर्व-माध्यमिक शिक्षा ।

४ : : माध्यमिक शिक्षा

४३-७३

प्रारम्भ—माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य—चरित्र-शठन—व्यावसायिक
क्षमता का विकास—चक्कित्व-विकास—नेतृत्व—भारतीय माध्यमिक
शिक्षा का संगठन—भारतीय माध्यमिक शिक्षा का विकास—१८५४
का महाविधान—१८८२ का हंटर कमीशन—१९०२ का विश्व-
विद्यालय आयोग—कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग १९१७—
ट्रिविय शासन तथा माध्यमिक शिक्षा—हार्टीग समिति—पेन्नीय
शिक्षा सलाहकार परिषद—सप्त्रू समिति—१९३५ का एविधान—
बुड तथा ऐवट रिपोर्ट—सार्जेण्ट रिपोर्ट—पेन्नीय शिक्षा सलाहकार
परिषद तथा डा० लाराचन्द समिति—विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग
(१९४८)—माध्यमिक शिक्षा आयोग (१९५२)—माध्यमिक शिक्षा
के दोष—माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य—माध्यमिक शिक्षा का
संगठन—शिक्षा का माध्यम तथा भाषाओं की शिक्षा—पाठ्यक्रम—
पाठ्य-पुस्तक—शिक्षण की गतिशील विधियाँ—चरित्र निर्माण—
शिक्षा-निर्देश तथा परामर्श—शारीरिक स्वास्थ्य-शिक्षा—शिक्षक तथा
शिक्षक-प्रशिक्षण—परीक्षा—प्रशासन — अर्थ-व्यवस्था — समीक्षा—

मन्दिरदेश में मार्यानिक शिला—गंगाटन—शिला-विकास—मार्यानिक शिला परिषद् या बोड—पाटपत्रम्—शिवक-प्रशिवाग तथा चुनाव ।

५ : : औद्योगिक, व्यावसायिक तथा तात्त्विक शिला ७४-१७

महत्त्व—उद्देश्य—भारत में औद्योगिक व्यावसायिक तथा तात्त्विक शिला वा विकास—प्राचीनकाल में व्यावसायिक, औद्योगिक तथा तात्त्विक शिला—अंप्रेजी शासन-काल में औद्योगिक, व्यावसायिक तथा तात्त्विक शिला—१८८२ का हज़र आयोग—जॉर्ड कर्डन—१९११ का संविधान—१९३६ का शासन-विधान—मार्जोट रिपोर्ट—स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् प्रायिधिक, औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिला—राधाहरण् विविदिकाल्य आयोग (१९४८-१९४९)—मार्यानिक शिला आयोग (मुदालिल आयोग १९५६-१९५७)—प्रथमत था द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएँ—मन्दिरदेश में व्यावसायिक, औद्योगिक तथा तात्त्विक शिला—उच्च तात्त्विक शिला—गव्य-मरीज प्राविधिक शिला बोड

६ : : वश शिला ९८-१३१

प्राचीन भारत में उच्च शिला—मन्त्रुग में उच्च शिला—र्तमान यात्र में उच्च शिला—अंप्रेजी शासन-काल में उच्च शिला : कलकत्ता, मद्दगार तथा दनारम संस्कृत कोलेज की न्यायमा—अंप्रेजी पारिसामेन्ट वी यैल : १७९३—गालौं प्राइवेट था ऐन—इंसार्ड मिहन—अंप्रेजी मार्यान दनारे तथा विविदिकाल्य सोने के द्रव्याव—विविन्ग, बालू तथा ईंजीनियरिंग शिला—१८५४ का कुट शिला संशोधना—नवे विवारिशान्तरों वी न्यायमा—१८८२ का हंडर आयोग—जॉर्ड

कर्जन—१९०४ का विश्वविद्यालय एकट—सन् १९१३ का प्रस्ताव—कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग—नये विश्वविद्यालयों की स्थापना—अन्तर-विश्वविद्यालय योड़—१९१९ तथा १९३५ के संविधान—सार्वेण्ट रिपोर्ट—स्वतन्त्र भारत में उच्च शिक्षा—विश्वविद्यालयीन शिक्षा के दोष—विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग (१९४८)—सन्दर्भित निर्देश (terms of reference)—विश्वविद्यालयीन शिक्षक वर्ग—शिक्षण का सर—पाठ्यक्रम—स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा नये शोध का कार्य—प्राविधिक तथा चावसारिक शिक्षा—धार्मिक शिक्षा—शिक्षा का माध्यम—परीज्ञा—विद्यार्थी—स्त्री-शिक्षा—विधान तथा अधिकार—अर्थ—बनारस, अलीगढ़ तथा दिल्ली विश्वविद्यालय—नये विश्वविद्यालय—ग्रामीण विश्वविद्यालय—आयोग की सिफारियों की समीक्षा—केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद (१९५०)—विश्वविद्यालय विधेयक (१९६२)—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—प्रथम तथा द्वितीय पचवर्षीय योजनाओं में उच्च शिक्षा—मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा—नये विश्वविद्यालयों की स्थापना—नये महाविद्यालयों की स्थापना—नये विश्वविद्यालयों के दिक्षण की मुविधाओं की शृदि—विवरणीय स्नातक पाठ्यक्रम की वार्यान्विति—गैर-सरकारी महाविद्यालयों में विज्ञन-शिक्षण की मुविधाएँ।

७ : : शिक्षक-प्रशिक्षण

१३२-१४७

विश्व के विभिन्न देशों में शिक्षकों का प्रशिक्षण—प्राचीन काल में—मध्यकाल में—धर्मान काल में शिक्षकों का विधिवत प्रशिक्षण—भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण—मध्यप्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षण—प्रायमिक तथा पूर्व-माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों का प्रशिक्षण—उच्चतर

माध्यमिक शालाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था—उच्चतर तथा उच्च माध्यमिक एवं प्रशिक्षण विद्यालयों के शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था—गिरकां के शैक्षणिक मार्गदर्शन के हेतु विस्तार-कार्यों की व्यवस्था—शिक्षकों घो राष्ट्रीय पुस्तकार की व्यवस्था—शिक्षकों की नियुक्ति में मनोवैज्ञानिक ढंग आयोजित करने के हेतु जिला सभा सम्मान स्तर पर तुनाव समितियों की स्थापना आदि—अल्प-कालीन बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना—शिक्षा-संगोष्ठियों की व्यवस्था—भारत में निश्चल-प्रशिक्षण की समस्याएँ—भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण-समस्याओं के समाधान के उपाय ।

८ : : अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

१४८-१७५

सन् १८१३ से १८८२ तक—बुड डिस्पैच (१८५४)—भारतीय शिक्षा आयोग १८८२—सन् १८८२ से १९१० तक—सन् १९१० से १९१८ तक—सन् १९१८ से १९३० तक—सन् १९३० से १९५० तक—१९५० से वर्तमान तक—अनिवार्य शिक्षा के विकास के याधर कारण—भौतिक यारण—सामाजिक यारण—सास्कृतिक यारण—आर्थिक यारण—राजनीतिक यारण—प्रशासनात्मक यारण—अनिवार्य शिक्षा के विकास के लिए सुझाव—सरकार द्वारा इन सुझानों के उपाय—भौतिक, सामाजिक, गास्कृतिक रूप सार-नीतिक कठिनाइयों पा हल—प्रशासन तथा मंगटन-मध्यन्दी कठिनाइयों पा हल—मध्यप्रदेश में अनिवार्य शिक्षा ।

९ : : बुनियादी शिक्षा का स्वरूप तथा प्रगति

१७६-२०४

बुनियादी शिक्षा पा व्यवस्था—बुनियादी शिक्षा जीवन की तथा जीवन द्वारा द्वारा द्वारा है—उत्तरादक उपयोग शिक्षा का माध्यम—उत्तरादक

(६)

मूलोद्योग की बुनियादी शाल में स्थिति—उत्पादक मूलोद्योग का चुनाव—समवाय—पुस्तकों का स्थान—शाल तथा समाज का सम्बन्ध—शालों का स्वायत्त शासन—बुनियादी शिक्षा के बहुत ग्रामों के लिए ही नहीं—बुनियादी शिक्षा का विकास तथा प्रगति—वेन्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् के अन्तर्गत समितियाँ—सॉलेंट रिपोर्ट (१९४४)—अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन—बुनियादी शिक्षा की नई परिमाण—स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद बुनियादी शिक्षा—बुनियादी शिक्षा मूल्यांकन समिति (१९५५-५६)—अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा प्रदर्शनी तथा परिषद्—प्रथम पञ्चवर्षीय योजना—द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना—मध्यप्रदेश में बुनियादी शिक्षा—नई बुनियादी शालएँ खोलना—प्रचलित प्रायामिक शालों को बुनियादी में परिवर्तित करना—शिक्षकों तथा कार्यकर्ताओं का बुनियादी शिक्षा में प्रधानकाम ।

१० : बुनियादी शिक्षा के विभिन्न प्रयोगों में विश्वभारती, हिन्दु-स्तानी तालीमी संघ, गांधीग्राम तथा जामिया मिलिया का योगदान २०५-२१५
विश्वभारती—जामिया मिलिया दिल्ली—स्तानी के लिए उच्च पाठ्य-प्रम—मैट्रिक उत्तीर्ण के लिए निम्न पाठ्यस्तम—हिन्दुस्तानी तालीमी संघ—गांधी-ग्राम । २१६-२२५

११ : प्रीड तथा समाज-शिक्षा २१६-२२५
अर्थ—प्रीड तथा समाज-शिक्षा की आवश्यकता—प्रीड तथा समाज शिक्षा के उद्देश्य—विष्व में प्रीड तथा समाज-शिक्षा—भारत की

समस्या—ग्रीष्म तथा समाज-शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा विधियाँ—भारत में ग्रीष्म तथा समाज शिक्षा—प्राचीन काल—मध्यकाल—वर्तमान-काल—मध्यप्रदेश में ग्रीष्म और समाज-शिक्षा—समाज-शिक्षा तथा घूसेस्तो ।

१२ : : प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा २३०-२४१

प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा—प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा-योजना के लक्ष्य—शिक्षा-योजना के सम्बन्ध में बेंट्री उरकार के कार्यक्रम—प्रथम पंचवर्षीय योजना में उच्च-स्तर पर शिक्षा-योजना कार्यक्रम—प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रमों की विवेचना—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा-योजना के लक्ष्य—द्वितीय योजना-काल में शिक्षा-योजना पर व्यवहार—द्वितीय योजना-काल में शिक्षा-योजना-सम्बन्धी कार्यक्रम—प्राथमिक शिक्षा—युनियादी शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा—उच्च शिक्षा—शिक्षा के अन्य कार्यक्रम—द्वितीय योजना-काल की शिक्षा-योजना पर विवेचना ।

भाग २

आधुनिक विचारधाराएँ

१३ : : कर्मानियम का शिक्षा-दर्शन	२४१-२४३
१४ : : रूपो का शिक्षा-दर्शन	२४८-२५१
१५ : : पेट्रालाजी का शिक्षा-दर्शन	२५२-२५५

(८)

१६ : : काव्येल का शिक्षा-दर्शन	२५६-२५९
१७ : : मैडम मांटेसरी का शिक्षा-दर्शन	२६०-२६३
१८ : : ड्युई का शिक्षा-दर्शन	२६४-२७३
१९ : : गाँधीजी का शिक्षा-दर्शन	२७४-२७९
२० : : ट्रैगोर का शिक्षा-दर्शन	२८०-२८७
प्रहृतिवाद—मानवतावाद—विश्वव्युत्त्व—ट्रैगोर आदर्शवादी— शिक्षा जीवन से सम्बन्धित—बालक पूर्ण जीवन व्यतीत करें— बालक विभिन्न तथा पूर्ण स्वतंत्र—सत्यका एकत्व—शिक्षा स्वाभाविक होनी चाहिए—मन को स्वतंत्रता—शिक्षक कैसे हों ?	२८८-२९४
२१ : : विनोदाजी का शिक्षा-दर्शन	
जीवन ही शिक्षा—शिक्षक—शिक्षा का आधार—शिक्षण-पद्धति— छुटियाँ, दण्ड आदि—परीक्षा-पद्धति—मूलायोग अभ्यास—युनियादी शिक्षा का तत्त्व तथा आदर्श—युनियादी शाल ।	

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

अर्थ

सामान्यतः पूर्व-प्राथमिक बालक से अभियाय १८ महीने या २ वर्ष से ६ वर्ष की आयुवाले यात्रक से रहता है। इस दृष्टि से पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत नवंगी तथा किंटरगार्डन, दोनों प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनेवाले बालकों का समावेश हो जाता है। नवंगी शालाओं में छोटे बालक उपर किंटरगार्डन शालाओं में ४ या ५ वर्ष तक की आयु के बालक भरती होते हैं। परन्तु बाज़कल यह अन्तर कम होता जा रहा है, क्योंकि किंटरगार्डन शालाओं में २ से ३ वर्ष की आयुवाले बालक भरती होने लगे हैं। साथ ही नवंगी शालाओं में भी ५ वर्ष तक की आयु के बालक-सार्कार्स रहने लगी हैं। अतः अब प्राथमिक शिखा की आयु के पूर्व के बालकों की शिक्षा को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कहना ही उचित होगा। भारत में तो इन दोनों प्रकार की शालाओं वा अभी आरम्भ वा ही है। भारतीय परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं कि यहाँ यहूँ छोटे बच्चों की शालाओं की अलग ही आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो प्रारम्भी शालाओं में ही यहीं की पड़ावें, जोहने से काम चल एकहा है। इससे एक तो शिक्षा का स्वयं क्षम हो जायेगा तथा छोटे बच्चों को अपने यहूँ भार्द-यहाँ से अलग पढ़ने भी न जाना पड़ेगा। वे उन्हीं के लाग उपर किंवदन्ति में शिखा पा सकते हैं। दूसरे देश में गाँवों की सेहता भी यहूँ अधिक है। अनेक गाँव इतने छोटे हैं कि अन्य से छोटे बच्चों की शाला के लिए काफी सेहता में बच्चे भी नहीं मिल सकते। कर्द गाँवों को मिशनर छोटे बच्चों की शाला स्थापित करने में भी यहीं कठिनाई है, क्योंकि छोटे बच्चे दैल जलर शाला नहीं जा सकते। अतः पूर्व-प्राथमिक शालाएँ यहाँ में तो अलग ही रागित की जा सकती हैं परं गाँवों में हरदै अलग से स्थापित न करके प्राथमिक पा बुनियादी शालाओं में यहीं की

कक्षाएँ जोड़कर चलाना ही अधिक उपयुक्त होगा। इन कक्षाओं में तीन या इससे अधिक आयु से लेकर ६ वर्ष तक के बच्चे भरती किये जा सकते हैं।

आवश्यकता

पूर्व-प्रायमिक शिक्षा को यूरोप, इंग्लैण्ड तथा अमेरिका में सो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस में किडरगार्टन, केड़ा तथा नर्सरी शालाओं की बहुत अच्छी तथा प्रचुर व्यवस्था है। पर भारत में अभी इसे इतना अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता है। इधर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद ही इसे उपयोगी तथा आवश्यक माना जाने लगा है। वास्तव में यह भारतीय जनता का दुर्भाग्य है कि बालक की सबसे महत्वपूर्ण आयु, जिसमें सहलता से छाप अकित की जा सकती है, प्रायः अज्ञान के कारण उपेक्षित रह जाती है।

पूर्व-प्रायमिक शिक्षा का संसार के सभ्य देशों में प्रचार होने के निम्न कारण हैं :

१. इह आयु के बालकों की संख्या का अधिक होना।

२. एक बालकयाले कुटुम्बों की संख्या में वृद्धि।

३. कुटुम्बों में माँ का प्रमुख होकर काम में अधिक व्यस्त रहना।

४. माँ का दिन के अधिक समय तक घर के बाहर काम पर रहना।

५. मनोविज्ञानिक तथा शारीर-विज्ञानवेत्ताओं की सोचों से इह आयु का बहुत अधिक महत्वपूर्ण निरूपित होना।

६. नर्सरी तथा किडरगार्टन शालाओं की अच्छी व्यवस्था से समाज को इनके महत्व तथा उपयोगिता का ज्ञान होना। इससे समाज अभी बालकों को इससे लाभान्वित करने की बात सोचने लगा।

महत्व

संसार के सभ्य देशों में भी पूर्व-प्रायमिक शिक्षा का महत्व बहुत देर से मान्य किया गया। इसी लिए इनका इतिहास २०० या ३०० वर्षों से अधिक पुराना नहीं है। यैसे तो १६वीं शताब्दी में ही कमीनियत ने धौं की शाला की उपयोगिता बतलाई थी। पर इसी प्रगति पिछले १०० वर्षों में ही अधिक हुई है।

च्युंकि के जीवन में, उसके सर्वांगीण विकास की इस्ती है, आरम्भ के ६

वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये प्रथम ६ वर्षों न केवल उसके शारीरिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं बरन् उसके मानसिक, सभेगात्मक तथा माचात्मक विकास की दृष्टि से भी यहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। शारीर-विज्ञान-शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों के शोध-कार्यों से भी इन तथ्यों की सफलता का प्रतिपादन होता है। ब्रेफनरिल तथा बिसेंट ने इसी लिए लिखा है कि बच्चे प्रथम पाँच वर्षों में अपने शेष सम्पूर्ण जीवन की अपेक्षा अधिक सीखते हैं। गेसेल (Gesell) का भी कथन है कि त्यक्ति के विकास के अपूर्य, अनोखे तथा महत्वपूर्ण पश्च उग्रके जीवन के प्रथम पाँच वर्षों में केन्द्रित रहते हैं। जर्मील्ड मदोदय तथा उनके द्वारा भी मानते हैं कि छ: वर्ष की आयु तक बालक मानव के जीवनकाल में होनेवाले अधिकांश महत्वपूर्ण अनुभवों से परिचित हो जाता है। मानव-विकास-सम्बन्धी प्रयोगों तथा शोध-कार्यों से भी यह किंद हो चुका है कि बालक के प्रथम पाँच वर्ष छ: वर्ष उग्रके व्यक्तित्व के विकास में बड़े प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण होते हैं। इनके कारण ही यह मुनमित (adjusted) या विघटित (अलंगांकित) जीवन व्यक्तित बनता है।

एगर के ग्रावः कभी विद्वान् ऐस मत से सहमत हैं। इसी लिए इस आयु के बालकों को उचित विकास-व्यवस्था की ओर अर अधिक प्रयत्न दिया जाने चाहा है।

पूर्ण-प्रायमिक शिक्षा का विकास

देशे ही प्लेटो ने सामुदायिक नर्सरी की स्थापना बालकों के उचित विकास के लिए उपयोगी यत्कार्त्त थी तथा आदर्श राज्य के लिए इसे आवश्यक माना था पर कमीनियष्ट (१५९२-१६७०) ही दोठे बच्चों की शान्त व्योत्तने के विवार या प्रारम्भकालीन समझ जाता है। कमीनियष्ट के पाद लाके (१६३३-१७०४) ने बालकों की आदर्श टालने के लिए प्रारम्भ से ही उग्रुक प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण यत्कार्ता बताया। हसो (१७१२-१७८८) ने बालक की स्वतन्त्रता तथा उम्मुक्ष विकास-कलाप को महत्वपूर्ण माना तथा पेरटोलाल्डी (१७५६-१८२७) ने विद्वान्-विधि में मुशार किया।

ब्रिटेन प्रथम नर्सरी स्कूल १७६१ में बोवरमीन ने प्राच दे बालदेव

१२ :::: भारतीय शिक्षा तथा भाषुनिक विचारधाराएँ

(Walbach) नगर में खोला। इसके लगभग ४७ वर्ष बाद ईकाटलैंड में नईरी शाला खोली गई। फोवेल (१७८२-१८५२) ने किंडरगार्टन शालाएँ खोली तथा इसके बाद तो यूरोप, इंग्लैण्ड तथा अमेरिका में, १९वीं सदी के अन्तिम चरण में, नईरी तथा किंडरगार्टन शालाओं का प्रचलन हुआ। स्स में अधिक समाज अधिक होने तथा अधिक संख्या में महिलाओं के बाहर काम पर जाने के कारण किंडरगार्टन, क्रेट तथा नईरी शालाओं का बहुत अधिक विकास हुआ है।

प्रारम्भ में नईरी तथा किंडरगार्टन शालाएँ समाज के उच्च वर्ग के घरों के लिए ही खोली जाती थीं तथा यह समझा जाता था कि ये शालाएँ उच्चवर्ग के बच्चों के लिए ही हैं। अमेरिका में तो सन् १९३३ तक यह विचार प्रचलित रहा। वहाँ १९३३ में फेडरल इम्प्रेली रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन ने समाज के निम्न-वर्ग के लोगों के लिए भी नईरी शालाएँ खोलने के नियम बनाये। द्वितीय महायुद्ध में नईरी तथा किंडरगार्टन शालाओं की संख्या अधिक बढ़ी। और जब माटेसी शालाएँ भी खुलीं तो सारके अनेक देशों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में एक कड़ी और जुड़ गई। परन्तु माटेसी शालाएँ महंगी होने के कारण इनका प्रचार अनी देशों में ही अधिक हुआ।

भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का इतिहास बहुत अर्वाचीन है। ग्रामीन तथा मध्यकाल में कुटुम्ब तथा मन्दिर या मस्जिद आदि ही इस जिम्मेदारी को पूर्ण करते थे। आज भी अनेक कारणों से भारतीय कुटुम्ब ही इस शिक्षा की जिम्मेदारी बहन बर रहा है। भारत में सन् १९५०-५१ तक पूर्व-प्राथमिक शालाओं की संख्या, जिनमें पूर्व-बुनियादी शालाएँ भी सम्मिलित हैं, २७ ही थीं। सन् १९५१-५२ में यह संख्या ३३ ही गई। पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी यहुत नगण्य थी। ऐसी प्रशिक्षण स्थायाएँ पर्वर्द्ध, मद्रास, उत्तर प्रदेश और मेग्ने में ही थीं। माटेसी विधि का ४ महीने का प्रशिक्षण माटेसी इन्टरनेशनल अगोमियेशन की ओर से हैदराबाद में होता था। इसके बाद पूर्व-प्राथमिक तथा पूर्व-बुनियादी शालाओं की अच्छी प्रगति हुई। सन् १९५३-५४ में इनकी संख्या ४२६ ही गई। इनमें से ११ प्रतिशत शालाएँ गरकारी, ३१ प्रतिशत गैर-गरकारी स्वायत्त संसाधनों थीं, तथा ये ८५% प्रतिशत शालाएँ स्वायत्त प्राप्त निजों संसाधनों द्वारा चलाई जाती थीं। इन सभी में छात्रों

की कुल दर्जें संख्या ४२,७५१ (२२,९१९ शालक तथा १०,८३२ वालिकाएँ) थी। इन शालाओं पर कुल व्यय १६,८९,३०० रुपये था।

सन् १९५३ में केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय शिखा संवाहकार परिषद् की शिक्षारियों के आधार पर बच्चों की शिखा की एक असिल मारठीय समिति का गठन किया। इस समिति की प्रथम बैठक २८ तथा २९ अक्टूबर सन् १९५३ को दिल्ली में हुई। इसकी सिफारियों केन्द्रीय शिखा संवाहकार परिषद् के समझ अमाली बैठक में रखी गई।

सन् १९५४-५५ में पूर्व-प्रायमिक शालाओं की संख्या ५१३ हो गई तथा ५५-५६ में बढ़कर ६३०। पुराने मध्यप्रदेश में भी जबलपुर तथा नागपुर में महिलाओं के लिए पूर्व-प्रायमिक मटिसी प्रशिक्षण संस्थाएँ अक्टूबर १९५४-५५ में स्थापित गईं। हन् १९५३-५४ में पुराने मध्यप्रदेश के बबतमाल में मटेसी अध्यापन मन्दिर पूर्व-प्रायमिक शिखिकाओं के प्रशिक्षण के लिए सोला गया था। इसके बाय-माय बम्बई तथा बद्रास में भी एक-दो प्रशिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ। पर सामान्यतः लिंगमें कोई विशेष परिवर्तन न हुआ।

भारत में पूर्व-प्रायमिक शिखा के विकास के वायरक व्यापक व्यापक

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व पूर्व-प्रायमिक शिखा के विवरित न हो सहने का लकड़े बहा यापक कारण अप्रेजी शालन को इस ओर उत्तेजा रहा है। अप्रेजी शालन की उत्तेजाएँ जीति के राय-माय भारठीय जनता की गर्हीयी भी इष्टका दृष्टि व्यापक रहा है। गर्हीयी के कारण जनता अपने लोटे घोड़ों को ही शालाओं में नहीं भेज सकती थी तो लोटे बच्चों को भेजने का प्रयत्न कहाँ उठाता था।

इसका दौसह व्यापक भारत भारठीय जनता का अडान दया अधिकार होना भी था। अग्रन तथा अशिखा के कारण वे शालक के लीजन के इन प्रथम छोटों के माल से परिवर्तन न थे तथा शालहों की शिखा के प्रति उन्हें कोई रुचि न थी।

भारठीय पूर्व-प्रायमिक शिखा का जीवा वायरक व्यापक भारत के गोंदों की अविकल है। गोंद लंदरा में अधिक दोने के राय-माय इन्हें लोटे हैं इस स्वतन्त्र शाल इनमें पाय ही नहीं रहती है।

इसका पाँचवां व्यापक भारठीय माँ का अपने बच्चों के प्रति अद्विक

१४ :::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

लग्न-प्यार भी है। इस लाड-प्यार के कारण वे यह सहन नहीं कर सकतीं कि उनके इस उत्तरदायित को कोई और बहन करे। इतना ही नहीं, वे ऐसा मानती हैं कि उनके अधिक अच्छी तरह अन्य कोई इस कार्य को कर नहीं सकता।

छठवाँ कारण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का मरेंगा होना है। प्राथमिक-शिक्षा से भी अधिक खरचीली पूर्व-प्राथमिक शिक्षा आभी तक रही है। अतः इसे केवल उच्च-वर्ग के बच्चों के बोग्य ही समझा गया है। वाय भी यदि इसे, पूर्व-नुनियादी के समान, सहता नहीं किया जायेगा तो भारत में माटेसरी, किंडरगार्टन आदि विधियों का प्रचार देश के उच्च वर्ग तक ही सीमित रहेगा।

पूर्व-प्राथमिक दिक्षा-प्रसार के उपाय

१. इसे सहता बनाया जाये। सहता बनाने के लिए इसे मटिसरी या किंडरगार्टन विधियों के पदचरणों पर चलाने की विधेया पूर्व-नुनियादी के दौर्चे में टाला जाये।
२. जनता को शिखित करके यालक के प्रथम पाँच या छः गाँवों के महत्व को समझाया जाये।
३. गाँवों में तथा आस-पास के शावागमन के साधनों को सुधारकर गाँवों के जीवन को सख्त, मधुर तथा उत्तम बनाया जाये। इसे पूर्व-प्राथमिक शालाओं की शिक्षिकाएँ गाँवों में रहना पसन्द करेंगी।
४. पूर्व-प्राथमिक शिक्षिकाओं को गाँवों में रहने के लिए आवाय आदि की सुविधाएँ दी जायें। उनका बेतन तथा सेवा की शर्तें भी आकर्षक बनाइं जायें।
५. स्वापन शाशन संस्थाओं को शाल-मन्दिर खोलने के लिए प्रेरित किया जाये।
६. शाल-मन्दिरों को प्राथमिक शाला तथा गाँव के शिशु-कल्याण-केन्द्र से गुलबज्जन किया जाये। ये तीनों प्रायः एक ही जगह स्थापित होना चाहिए। ऐसा करने से पाच भी कम पड़ेगा।
७. प्रशिक्षण के लिए शहरों की अरेशा गाँवों की पट्टी-लिंगी महिलाओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाये, जिससे वे जाफ़र आपने गाँवों में शाल-मन्दिरों का कार्य कर सकें।

८. पहिले शहरों तथा याद में गाँवों में इसका अधिक प्रसार किया जाये।
९. महिलाओं की शिक्षा की सुविधा-व्यवस्था अच्छी तथा अधिक की जाये। इससे उनकी दशा सुधरेगी। महिलाओं की दशा सुधारना पूर्व-प्राथमिक शिक्षा-विकास के लिए आवश्यक है।
१०. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पूर्ण निःशुल्क हो।
११. लिखने पढ़ने की ओर अधिक ज्ञान न देकर सामाजिक अनुभव, भोजन करने, खोने, स्वच्छ दशा में घूमने-रेहने आदि की स्वस्थ आदतों के विकास एवं और विशेष ज्ञान दिया जाना चाहिए।

मध्यप्रदेश में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

मध्यप्रदेश में छः बर्द से कम आयु के बालक-बालिकाओं को सामाजिक शिक्षा तथा खेल-कूद के साध्यम से उपयोगी और स्वस्थ आदतों के निर्माण के लिए पूर्व-प्राथमिक शाराओं की स्थापना को प्रोत्तात्तिक किया जा रहा है।

ग्रन् १९५६ तक राज्य में केवल १६ पूर्व-प्राथमिक शालाएँ थीं। अब इनकी संख्या १६९ हो गई है। इस शिक्षा के प्रसार के लिए कम शुल्क हेने की श्यवस्था भी थी गई है। राज्य में इस शिक्षा के लिए महिलाएँ ही उपयुक्त समझी गई हैं। अतः इन्हीं को शिक्षिका का कार्य करने के लिए प्रोत्तात्तिक किया जाता है। इनके उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए जबलपुर में एक शासकीय पूर्व-प्राथमिक माटोपारी प्रशिक्षण संस्था ग्रन् १९५५-५६ से चल रही है। इनके शिक्षाय इन्दौर में भी एक शासकीय प्रशिक्षण संस्था बाल-निर्देशन चल रही है।

राज्य की पूर्व-प्राथमिक शालाओं का निरीक्षण तथा निर्देशन सहायक जिला शाला निरीक्षिकाओं द्वारा होता है। राज्य की विभिन्न इकाइयों द्वी पूर्व-प्राथमिक शालाओं में जो विभिन्न पाठ्यक्रम चल रहे थे उनका एकीकरण १९६०-६१ मा से विया जा रहा है। इसी प्रसार पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम के एकीकरण वा सुधार देने के लिए एक विदेशी समिति गठित की गई थी। इसे लेकर पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है। परीक्षा-प्रशाली का एकीकरण भी हो गया है।

राज्य ने निवी प्रशाली से पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का विकास करने की नीति

१६ :::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचास्थान से
अपनाई है। इस हेतु आपिंक अनुदान देने के नियम भी बनाये गए हैं, जिनकी
प्रमुख बातें निम्न हैं :

१. प्रशिक्षित शिक्षिकाओं पर किये गए व्यय का ९० प्रतिशत तथा
अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं पर किये गए व्यय का ३३ प्रतिशत;
२. आकस्मिक व्यय के हेतु प्रत्येक शाला के लिए दो सौ रुपए; और
३. शाला के लिए उपकरण आदि पर किये गए व्यय का ७५ प्रतिशत
शासन की ओर से अनुदान के रूप में दिया जाता है।

बास्तव्य २

प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा से साधारणतः शिक्षा-काल के प्रथम ५, ६ या ७ वर्षों की शिक्षा का तात्पर्य ही समझा जाता है। विभिन्न देशों में आवश्यकता, तथा सुविधानुसार इसकी अवधि मिश्र-भिन्न रहती है। एक ही देश में विभिन्न समयों में प्राथमिक शिक्षा की अवधि भी मिश्र-भिन्न रहती है। इस अवधि में शासक-शालिका को प्रारम्भिक आवश्यक ज्ञान देने की व्यवस्था रहती है।

प्राचीन भारत में प्राथमिक शिक्षा

भारत को प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप के सम्बन्ध में औपनीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वैदिक-वादित के अतिरिक्त खूब-ग्रन्थों आदि में भी ग्राहण विद्यालयों का ही उल्लेख मिलता है। भारतीय समाज-संगठन का आचार मनु की समाज व्यवस्था ही है, जिसके अनुसार घोगों की व्यवस्था की गई थी। इसमें देशों के लिए व्यापार, जाप-ज्ञोति आदि कार्य निर्दिष्ट रिये गए थे। इन शर्तों का ज्ञान विधिवत शिक्षा द्वारा दिया जाता था या कुदूम्य में ही, यह निरन्तरपूर्वक नहीं कहा जा सकता है। पर 'के' महोदय ने अपनी पुस्तक 'Indian Education in Ancient and Later Times' में लिखा है कि "मनु के यदुत पूर्व भी भारत में लिग्नाना-ददना प्रचलित था।" भारत में लिग्नाना तो प्रार्द्ध-लिहिक वाल में प्रचलित रहा है, क्योंकि प्राचीनतम् शिरीके बहनों शादि पर लाली लिहि की लितावट मिलती है। मोहन-ज्ञो-दशो में भी लिग्नुक रामाणी मिलते हैं। ऐसा पूर्व ५५० के लगभग वी एक बीड़ मुद्रा में भी शान्तों के रीरों का शिवलङ्घणालय दिया गया है। इनमें एक रीर "अकारिका" है जो शाद् या गायी की पीठ पर अश्रों की पगाचर परिचालने की विधि द्वारा संचय जाता था। इसमें दद पता नहिंता है कि उस काल में भी लिग्नाना-ददना भारत में प्रचलित था। भारत का अन्य देशों से एकारिक गम्भीर दग्धुत प्राचीन काल

१८ :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

से रहा है। हिंसात्-किताब तथा लिखना-पढ़ना व्यापार का अवश्यक अंग है। मेहमानस्थनीय आदि विदेशी यात्रियों के विवरण से भी यह पता चलता है कि भारत में बहुत प्राचीन काल में भी लिखने-पढ़ने की शिक्षा व्यवस्था रही है। पर यह शिक्षा किस विधि से दी जाती थी इसके सम्बन्ध में स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। ही सकता है कि यह शिक्षा व्यापार से सम्बद्ध होकर अनीयतात्त्विक रूप से दी जाती रही हो या इसके लिए व्यापारियों द्वारा अलग से प्राथमिक शाल्याद्य स्थापित की गई हों।

ब्राह्मण-शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा को स्वतन्त्र सत्ता प्राप्त न थी, क्योंकि यह उच्च धार्मिक शिक्षा से ही संलग्न रही है। साथ ही ब्राह्मण-शिक्षा मौखिक ही रहती थी। अतः ब्राह्मण उच्च धार्मिक शिक्षा से संलग्न प्राथमिक शिक्षा भी मौखिक ही रही होगी। इस काल में प्राथमिक-शिक्षा के रूप में वैदिक मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण, स्वर, मात्रा संधि आदि मौखिक उच्चारण के विभिन्न अवयवों का समुचित ज्ञान कराया जाता था।

वैसे तो इस के १००० वर्ष पूर्व ही भारत में लेलन-कला का प्रचार हो चुका था, पर चूंकि वैदिक मंत्र ईश्वरीय वाक्य कहे जाते थे, अतः इनके लिपिबद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया गया। फलस्वरूप ब्राह्मण-काल में वैदमन्त्री, व्याकरण, छन्द आदि की शिक्षा मौखिक ही रही।

उपनिषद् काल में व्यक्तिवाद का प्रभाव अधिक रहा। अतः प्राथमिक शिक्षा का इस काल में समुचित विकास हुआ। शादीप्य उपनिषद् में एक रामा के कथन का उल्लेख है, “मेरे राज्य में फोड़ भी जिरहर नहीं है।” इससे पता चलता है कि उपनिषद्-काल में प्राथमिक शिक्षा का समुचित प्रयार रहा होगा।

दा० अलेक्सर के अनुग्रार तो सूत्र काल में ८० प्रतिशत भारतीय यात्रक रहे होते। सूत्र-काल में वैश्य, ब्राह्मण तथा धर्मियों के लिए उपनिषदन संस्कार अनियन्त्रिय किया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्राथमिक शिक्षा वा बहुत अधिक प्रयार इस काल में अप्रयुक्त हुआ होगा।

वीद्-काल में प्राथमिक शिक्षा का विकास और भी अधिक हुआ, क्योंकि इस काल में सोशलन्यास्त्रमक भावनाओं का प्रावल्य रहा। वीद्धप्रमेयोल्चाल की

मापा तथा मुद्रजनों के विकास को प्रभव देता था। अतः स्वामादिक ही था कि इस काल के विद्वार और मठ शिक्षा-केन्द्री में परिणत हों। अशोक के शिला-खेतों से भवता चलता है कि ईशा पूर्व शोधी सदी में जनता कान्ती संस्कार में शिक्षित रही होगी। मौर्य-काल में देश में शान्ति तथा उन्नति रही। अतः शिक्षा की ओर जनता का ध्यान भी अवश्य जाना चाहिए। ध्यापार आदि से भी शिक्षा को प्रभव मिला होगा। डा० अलेक्टर महोदय का कथन है कि मारत में ईशापूर्व दूसरी सदी में प्रायमिक शिक्षा ने स्वतन्त्र रूप से लिया था तथा अझर-जान की शिक्षा बालकों को दी जाती थी।

पर जैशा कि डा० अलेक्टर महोदय ने कहा है पाँचवीं सदी के लगभग उपनयन सत्कार की अनियादता न रही तथा जिसी पर अनेक सामाजिक प्रतिशब्द लगते लगे। शूद्रों को तो खुदे रूप से शिक्षा-प्राप्ति की स्वतन्त्रता रही ही नहीं थी। अतः इस काल में मारत में प्रायमिक शिक्षा का हास होने लगा। डा० अलेक्टर महोदय के अनुसार इस काल में सासरना लगभग ५० प्रतिशत रही होगी जर कि गूर्ज-काल में यह लगभग ८० प्रतिशत थी।

भारतीय प्रायमिक शिक्षा का यह हास-कम चक्कता ही रहा तथा ८०० से १२०० ई० की अवधि में तो इसकी दशा बहुत ही शोधनीय हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि बारहवीं सदी के अन्त में मारत में देवल १० प्रतिशत में अधिक प्रायमिक शिक्षा का प्रकार न रहा।

इस प्रकार इस देखते हैं कि प्राचीन काल में प्रायमिक शिक्षा की स्वतन्त्रता उत्तरनियर्दकाल में ही स्पष्टित हुई होगी। बौद्ध-काल में इसमें सांख्यारिक तथा भौतिक विद्यों का समावेश होने लगा था। वैदिक-काल में प्रायमिक शिक्षा का स्वतन्त्र व्यावर्यारिक तथा धार्मिक ही रहा होगा। पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि ग्रन् ५०० तक शिक्षा की अवस्था यज्ञ की ओर से नहीं की जाती थी। वैष्णिक रूप से ही शिक्षक शिक्षा दिया करने ये देश समाज इन शिक्षकों का भरण-शोध करता था। पाँचवीं सदी के पाद कुछ शास्त्रीय संग्रहालय अवश्य स्थापित हुए पर इनमें उच्च शिक्षा की अवस्था ही अधिक होती थी। कहीं-वहीं शनी-मानी शक्ति भी पाठ्यालाले स्थापित करते थे। कहीं-वहीं शाश्वत आदि के गांव के लिए कर लगाने की अपराध भी थी। इन प्राचीन पठाड़ालालों

२० : : : भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

में गैंव के पुरोहित ही शिक्षक का काम करते थे।) ये प्राथमिक शालाएँ बहुधा मन्दिर आदि से संलग्न होती थीं। इन शिक्षकों के निर्धार के लिए मन्दिर से संलग्न जमीन आदि की आमदनी का उपयोग भी किया जाता था। श्री जान मणाई ने अपनी पुस्तक 'Village Government in British India' में लिखा है कि "इन ग्रामीण शालाओं का इतिहास प्राम-समुदाय से संलग्न है तथा इन पाठशालाओं का उद्देश्य उतना ही प्राचीन है, जितना कि प्राम-समुदाय का!" पर अनेक विद्वानों का विचार है कि प्राथमिक शालाओं का विकास प्राम-समुदाय के विकास के बाद में हुआ। भारतीय प्राम-समुदाय के विकास के विभिन्न कारण हैं पर यह तो निर्दिष्ट ही कहा जा सकता है कि भारतीय प्राथमिक शालाएँ अधिकांशतः निजी तथा गैर-सरकारी होती थीं, इनके सच्च आदि की घबरथा समाज करता था तथा ये लोकतन्त्रात्मक होती थीं; साथ ही ये व्यावसायिक ही अधिक होती थीं, धार्मिक कम।

मध्यकाल में भारतीय प्राथमिक शिक्षा

मध्यकाल में भारतीय प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप प्राचीन काल के समान ही रहा। हाँ, भारत में मुहलमानों के बा जाने से मुख्लमान बच्चे मस्जिदों से संलग्न मकानों में पढ़ने जाते थे तथा इन्हु बच्चे मन्दिरों से संलग्न पाठशालाओं में शिक्षा प्राप्त करते थे। इस काल में भारतीय शिक्षा सप्ताद्य राजाओं की व्यक्तिगत विशेषताओं से पूर्णतः प्रभावित रही तथा राज्य की ओर से आधिक सहायता पर निर्भर करती थी। जमीदार तथा घनी व्यक्ति भी शिक्षा के लिए आधिक सहायता देते थे। पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस काल में सर्वसाधारण की प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। पलस्त्रूप शिक्षित व्यक्तियों की संख्या दिन-पर-दिन पटली जाती थी।

मध्यकाल में संसार के प्रायः सभी देशों में धर्म तथा चर्च या मन्दिर का प्रभाव कम होने लगा था। मधीनों का आविष्कार होने लगा था। पत्त: भौतिक दृष्टिकोण शिक्षा में भी आने लगा था। भारतीय शिक्षा में भी इस भौतिक शिक्षा के महत्व के बारे वैज्ञानिक विषयों की ओर अधिक प्यान दिया जाने लगा था। पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी नये-नये विषयों का समावेश होने लगा था। प्राथमिक शिक्षा में मानीयोरियल विधि का भी उपयोग होने लगा था।

इसकी कथा में यात्रकों की संख्या बहुत होने लगी थी तथा लौकिक विद्यों के ज्ञान पर अधिक महत्व दिये जाने के कारण मुह-शिव्य सम्पर्क धार्मिक शिक्षा के समान इतना अधिक तथा घनिष्ठ होना आवश्यक नहीं था। देश में राजनीतिक तथा धार्मिक दृचल के कारण शिक्षालयों की व्यवस्था भी गड़बड़ाने लगी थी जिससे अनुशासन की समस्याएँ उत्पन्न होने लगी। फलस्वरूप मार-बीट को अविक प्रोत्साहन दिया जाने लगा। परं फिर भी यह कहा जा सकता है कि शिक्षा संवेद्य निष्ठाण नहीं हुई थी, उसमें जीवन था जो राजनीतिक, धार्मिक, तथा आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप भी शिक्षा-व्यवस्था को प्राप्त: ज्ञो-न्का-स्यो रहे था। इसलिए 'के' महोदय ने लिखा है कि "एकार के बहुत कम राष्ट्रों ने, तथा परिचय के लो किसी भी राष्ट्र ने, ऐसी शिक्षा-व्यवस्था का विकास नहीं किया था जैसी कि मारतीय शिक्षा-व्यवस्था थी और जिसका इतना लम्बा इतिहास ही तथा जो इतने सभ्य तक, इतने कम परिवर्तनों के साथ जीवित ही। इतनी लाली उदियों के जीवन से यह प्रतीत होता है कि इस शिक्षा में बहुत मूल्यवान सत्त्व अश्रद्ध ये तथा ये उस समाज की आवश्यकताओं के उपयुक ये जिसने उनका विकास हिला था।"

अंग्रेजी शासन-काल में भारतीय प्राथमिक शिक्षा

मुग्ध-काल से ही यूरोपियों का आगमन भारत में व्यापार के लिए होने लगा था। १८वीं शताब्दी में फ्रांसीसियों, पुरंगालियों, डचों, शॉर्टेंड की ईस्ट इंडिया कंपनी तथा फ्रेंच लोगों ने अपनी यूरोपीय कंपनी कंपनियों में कार्य करनेवाले वर्मन्चारियों के बच्चों की शिक्षा नियों तथा मिशन-के लिए शालाएँ स्थापित की थीं। इनके शाय-शाय मिशनरियों नरियों के प्रयत्न ने भी भारतीयों के बच्चों के लिए प्राथमिक शालाएँ लोड़ी।

इन मिशनरियों की प्रेला से ईर्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो धरो-धरि आजना प्रभाय बढ़ाती जा रही थी, भारतीयों की शिक्षा के लिए शालाएँ लोड़ी। यन् १७८४ में तंजीर के रेडोटेन्ट खालीबार ने उच्छ खाति के बच्चों की शिक्षा के लिए एक योजना प्रारूपित की। इसे यन् १७८७ में बोर्ड ऑफ इंस्पेक्टर्स ने मंजूर किया तथा अंग्रेजी, गणित, दार्शन, हिन्दी और इंग्लैंड गवर्नर की शिक्षा के लिए १०० पैस्त्र प्रति दासा प्रति वर्ष रुपय के लिए

मंजुर किया। इस काल में कुछ निजी प्रस्तरों के अतिरिक्त अन्य जो भी प्रश्न किये गए थे उच्च शिक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण थे।

इसके बाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में १८१३ का प्रकट ही महत्वपूर्ण है, जिसके अनुसार कम्पनी को भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व देने करने

तथा उनकी शिक्षा पर एक लाख रुपये द्वय देने का आदेश १८१३ का प्रकट दिया गया। पर सन् १८२३ तक इस दिशा में कोई कार्य

न हो एक बर्योंकि एक लाख रुपयों की घनराशि को द्वय करने के लिए जो लोक शिक्षा-समिति बनी थी उसमें दो दल हो गये। एक दल प्राच्य शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहता था तथा दूसरा दल पाद्यास्य शिक्षा की।

१८३० में कम्पनी के सचालकों ने गवर्नर जनरल के नाम एक नीति-पत्र भेजा। इसके अनुसार भारतीयों को अप्रेजी शिक्षा देना तथा

पाश्चात्य विज्ञान का शान देना हितकर माना गया। इसके १८३० का नीति-अनुसार परिमित भारतीयों को शिक्षा देने का मुशाव पत्र

भी था। इसका फल यह हुआ कि सार्वजनिक शिक्षा का प्रश्न टूटा ही गया।

एक लाख रुपयों के द्वय के लिए का निपटारा करने तथा जाँच करके

उस धन-राशि का उचित द्वय करने के लिए सुझाव देने के लिए लाई मैकाने को इस लोक शिक्षा-समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

लाई मैकाने की सन् १८३५ में इस विवाद को शान्त करने के लिए लाई मैकाने भवाधार नीति ने एक नई शिक्षा नीति का शीरण दिया। इस नीति के

फलस्वरूप पाद्यास्य ज्ञान-विज्ञान के प्रमार तथा परिमित संख्या में भारतीयों को शिक्षित करने की अल्पाधार की नीति दी मान्य किया

गया। भारतीयों ने इसका विरोध किया पर कोई लाभ न हुआ तथा प्राप्तिक शिक्षा की कोई विदेश प्रशान्ति न हो सकी। ऐकिन अप्रेजी शिक्षा का विकास अवधार हुआ बर्योंकि १८३७ में अप्रेजी राज्य-भाषा प्रोत्साहनी दी गई तथा अप्रेजी पढ़-लिखे लोगों को अच्छी नीकरियों दी गई।

इस प्रकार अल्पाधार की नीति के अधार पर सन् १८५४ तक शिक्षा का कार्य चलता रहा। १८५४ तक के इस काल को इस प्राप्तिक शिक्षा की उत्तेजा का काल यह उत्तरते हैं।

इस काल में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार न हो सकने के निम्न कारण थे

१. कर्मनी का व्याप अप्रेजी की शिक्षा को प्रोत्साहन १९वीं सदी के देने की ओर ही रहा।

प्रथम ५० वर्षोंमें २. स्थानीय देशी शालाओं की उपेत्ता वी गई।

प्राथमिक शिक्षा ३. अत्याधार की नीति के कारण समाज के युठ उच्च वर्ग का विकास न के लोगों को ही शिखित करना थेवरहर समझा गया। होने के कारण ४. जनता की आधिक दशा गिरती ही गई तथा उसके मुधार के कोई प्रश्न न किये गए। पलतः जनता प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने में असमर्थ रही।

५. देश की आप का फ्रेवल ०८८ प्रतिशत ही शिक्षा पर व्यय किया जाता था। इतना ही नहीं, इसका अधिकांश भाग उच्च माध्यमिक शिक्षा पर व्यय ही जाता था।

६. अप्रेजी शाहन ने अपनी सत्ता को मुहृष्ट करने के लिए केन्द्रीकरण करना अधिक उपयोगी समझा। इसका स्वामानिक परिणाम यह हुआ कि प्रामीण शिक्षा के स्वरूप में प्राथमिक शिक्षा उपेत्तिर ही रह गई।

इन सब कारणों का परिणाम यह हुआ कि भारत, जो शिक्षा के लेख में अग्र राष्ट्रों की अरेशा आगे समझा जाता था, धीरे धीरे रिहटता गया तथा कालान्तर में यह एक छिद्र हुआ देश ही माना जाने लगा। इस नीति का उपरिणाम भारत भी भोग रहा है।

१८५४ के युठ शिक्षा महाविषयक में भी, जो कि उस काल का एक महत्वपूर्ण प्रत्यय पहलाता है, ऐसा बात का उल्लेख किया गया कि अभी तक भारतीयों की उपयोगी तथा व्यावहारिक शिक्षा की उत्तेजा १८५४ का युठ ही को गई है तथा इस और व्याप दिया जाना आवश्यक शिक्षा-महाविषयक है। इस महाविषयक में शिक्षा-विभाग की स्थापना, द्रमवार विषयान् राजकीय विद्यालयों की स्थापना, आधिक अनुदान की व्यवस्था आदि के द्वाया प्राथमिक शिक्षा के विकास के प्रदर्श दिये जाने के उल्लेख में। शिक्षाओं के प्रतिष्ठन की उपित्त व्यवस्था करने की

१८८१-८२ १९०२ १९१०-११

प्राथमिक शालाओं की सख्त्या ८२,११६ १३,६०४ १,१८,२६२

शालक-चालिकाओं की सख्त्या २०,६१,५४१ ३०,७६,६७१ ४८,०६,७३६

इस प्रकार हम देखते हैं कि १८८१-८२ से १९०२ तक के बीच से १९०२ से १९१०-११ तक की अवधि के बीच प्राथमिक शालाओं की सख्त्या ग्रापः दुगुनी हो गई।

प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए लाई कर्जन ने शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था, पाठ्यक्रम में सुधार करके कृषि, वस्तुपाठ, किडर-गार्डन प्रणाली का उपयोग, शारीरिक शिक्षा आदि जोड़ने तथा आर्थिक अनुदान परीक्षा-प्रल के आधार पर देने की प्रथा को बढ़ करने तथा इसके लिए एक सुट्ट वर्षा उपयोगी संगठन बनाने सम्बन्धी कार्य किये।

लाई कर्जन के सुधारों के प्रलक्ष्यकृप १९०५ से १९१२ तक की अवधि में प्राथमिक शिक्षा की काफी प्रगति हुई। पर इसके बाद सरकारी नीति प्राथमिक

शिक्षा के स्तर को सुधारने की ओर ही केंद्रित हो गई।

१९०२ से १९२१-२२ तक इसका परिणाम यह हुआ कि प्राथमिक शिक्षा की परिमाणा-

१९२१-२२ तक तमक प्रगति बहुत ही बढ़ हो गई। इस अवधि में दौदीदा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई तथा भी गोपनके और अन्य भारतीय नेताओं ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के अनुलनीय प्रयत्न किये। भी गोपनके का सन् १९१० में केन्द्रीय विधान सभा में अनिवार्य शिक्षा-सम्बन्धी प्रस्ताव तथा १९११ में पुनः उसका दुहराना और इसके लिए जो विचार उन्होंने व्यक्त किये थे तो देश के प्राथमिक तथा अनिवार्य शिक्षा के इविदाग में स्वार्गीयों से लिये जाने योग्य हैं।

ओ गोपनके तथा अन्य भारतीय नेताओं के अनुधिक दबाव दाखने के प्रलक्ष्यकृप १९११ का प्रस्ताव पास हिया गया, जिसके अनुगार प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के प्रयत्न ही अधिक किये गए हालाँकि प्रस्ताव में यह कहा गया था कि “भारत गरजार को यह आशाता तथा आशा है कि निकट भविष्य में नार्यजनिक प्राथमिक शालाओं की संख्या २,००,००० से बढ़कर २,५१,००० हो जायेगी तथा इन शालाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ५२,५०,०००

मेरे बहुत दुगुनी हो जायेगी।” पर यह आवाज़ा पर्याप्त न हो सकी। यह अवश्य किया गया कि इस प्रमाण के अनुगार वस्त्र, पंजाब, यू. पी. मराठान्त, आमाम, पश्चिमोन्हर गीमांगान्त में प्राथमिक शिक्षा लोडों के हाथ में नीच दी गई। इस कार्यकाल में अनेक ग्रामों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बाज़न भी पास किये गए। पर यह भी विनाश सदी के प्रथम वर्षण में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति बहुत ही कम हुई। गम्भीर तथा न्यूज़ीलैंड गोनों ही हाड़ों ने शिक्षों के बेतन तथा वाट्रकर्म में भी सुधार इस काल में न किया जा सका। हाँ, प्राथमिक ग्रामों के लिए यथन-निर्माण तथा अन्य गामान लिये जाने के सबध में कुछ प्रगति अवश्य हुई। गतिहीनता तथा वर्धता के आँकड़े भी प्रायः दिखे ही रहे।

भारत में इस बाद में निम्न सीन कानून उत्तरदायी शासन के द्वारा किये गए :

१९२१ में १९५० (१)	१९३९ का गवर्नरेंट ऑफ इंडिया एक्ट
का	(२) १९३५ का गवर्नरेंट ऑफ इंडिया एक्ट
	(३) शैक्षिक इंडियांडेंस एक्ट १९४७

प्रथम कानून ने भारत में उत्तरदायी शासन की विधीय में ग्रामीण शासन में पूर्ण स्वशासन दिया तथा तृतीय ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता दी।

१९३९ के एक्ट के अनुगार ग्रामों में दोहरा शासन प्रारम्भ हुआ। शिक्षा तथा कुछ अन्य विधि भारीपूर्वक लोगों को भी दिये गए। इसमें प्राथमिक शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा की भूमि अवधारणा, पर शिक्षा-विभाग में पुगने भारी. इ. एम. औरों के पालन शिक्षा-प्रगति में बड़ी अद्वितीय जरूरी थी। शैक्षिक १९४८ में आर. इ. एम. गोप्ता के अनुग्रह साली बद्द हो गई थी, पर यह भी अनेक पुगने आवश्यक थे जो मंत्रालय के द्वारा न्यूज़ीलैंड पर न्यूज़ीलैंड को अधिक सहत्याकृत गदराओं थे तथा भारीपूर्वक भेजी गई थीं। अनुग्रह वार्ष न होने देने थे। गोप्ता ने अपने अपने विभाग भेजी गई के हाथ में था, जिसमें आवश्यक धन नी शिक्षा रोड़नाओं थीं जो न भिल पाता था। इन गोप्ता अवधारणों ने शिक्षा द्वारा भारीपूर्वक ग्रामीण शिक्षा का अन्य विद्यालय हुआ, जिसका पाता निम्न भीरहों ने बत सकता है :

२८ :::: भारतीय शिक्षा तथा भाषुनिक विचारधाराएँ

	१९२१-२२	१९२६-२७
प्राथमिक शालाएँ	१,५५,०१७	१,८४,८२९
यात्रकों की संख्या	X	८०,१७,९२३

मन् १९२८ में भारतीय विकास आयोग ने शिक्षा-व्यवस्था के पुनःसंगठन के मुशाव देने के लिए एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की। इस सहायता समिति के अध्यक्ष सर किलिंग हार्डोंग थे, अतः इसे हार्डोंग हार्डोंग समिति कहते हैं। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन सन् १९२९ में ही दे दिया। इस समिति ने प्राथमिक शिक्षा के दोषों तथा कठिनाइयों को वर्तताया, गायत्री उन्हें दूर करने के उपाय भी सुझाये।

प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में निम्नलिखित कठिनाइयाँ थीं :

१. भारतीय जनता का ग्रामदासी होना।
२. भारतीय जनता का निरक्षर तथा रुढ़ियादी होना।
३. जनसंख्या के घनत्व की कमी, यातायात के साधनों का कठिनाइयाँ अभाव, प्राकृतिक कठिनाइयों आदि।
४. ऐसे देशों की अधिकता जहाँ के निवासी अत्यन्त पिछड़े हैं।
५. धर्म, जाति तथा भाषा आदि की विभिन्नताएँ।

समिति ने निम्नलिखित कठिनाइयों के होते हुए भी प्राथमिक शिक्षा का विकास हुआ है, पर इसमें अनेक दोष हैं। इसमें व्यर्थता तो प्राथमिक शिक्षालर पर बहुत ही अधिक है। इस व्यर्थता के निम्न वरण हैं :

१. प्राथमिक शिक्षा का गतिहीन तथा निपाल होना।
२. प्राथमिक शिक्षा-प्रात यात्रकों का पुनः निरक्षर हो जाना।
३. प्रीट-शिक्षा का अभाव।
४. प्राथमिक शालाओं वा अनियमित तथा असलीवैज्ञानिक वितरण।
५. एक विद्यार्थी शाश्वतों की अधिकता।
६. पाठ्यक्रम का अनुपयोगी तथा नमुनित होना।
७. शिक्षण का प्रभावहोन रहना।
८. नियोजनों की कमी।

इस गमिति ने प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए निम्न मुक्षाव दिये :

१. प्राथमिक शालाओं का छिट्ठपुट विनार न करके उनको सुधार के मुक्षाव मत्तिष्ठ किया जाये ।

२. प्राथमिक शिक्षा कम-से-कम ४ वर्ष की हो ।

३. प्राथमिक शिक्षा का स्तर उच्च किया जाये । इसके लिए शिक्षक-प्रशिक्षण को उन्नत बनाया जाये । समय-समय पर अल्परातिक दिशरु-प्रशिक्षण आयोजन किया जाये । साथ-ही साथ शिक्षकों का पद आकर्षक बनाया जाये जिसमें योग्य स्वाक्षर आड्डे हों ।

४. प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यनम में सुधार किये जाये ।

५. शाला लगाने के समय तथा छुट्टियों को स्थानीय आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाये ।

६. प्राथमिक शाला वी सब से निचली कक्षा पर सब में अधिक स्थान दिया जाये तथा प्राथमिक शालाओं में व्यर्थना तथा गतिहीनता वी सख्ता कम की जाये ।

७. प्राथमिक शालाओं को प्रामोत्यान का केन्द्र बनाया जाये ।

८. प्राथमिक शिक्षा का सारा अधिकार स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को न दिया जाये । निरीश्वर तथा प्रशासन के आवश्यक अधिकार सरकार स्वयं अपने पाग रहे ।

९. निरीश्वरों की गन्धा बढ़ाव जाये ।

१० अनियार्थ शिक्षा के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार को जाने तथा हमें टाग फरने में शीघ्रता न वी जाये ।

इस प्रसार हार्दिक गमिति ने प्राथमिक शिक्षा के गणठन, गोपोजन तथा सार-सुधार पर ही अधिक वार दिया । सरकारी वर्मनारियों को तो ये मुक्षाव अल्पे ल्यो, पर भारतीयों ने इनका विरोध किया । अनियार्थ शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा वी परिमाणाभूल प्रमति फों मौंग लुनः दग्धनी हो उठी । इनी गमन विनारारी गद्दी में भी गन्धर्ण देग प्रभावित रहा । परन्तु प्राथमिक शिक्षा वी प्रगति बहुत धीमी रही, जिनका पांच निम्न औरकांडे गे चला है :

१९२६-२७

१९३६-३७

प्राथमिक शालाएँ १,८४,८२९

१,९२,२४४

इसी प्रकार छात्रों की संख्या में भी बहुत कम हुड़ि हुई।

ग्रन् १९३७ से १९४७ के बीच भी प्राथमिक शिक्षा की बहुत कम प्रगति हुई। ग्रन् १९३७ में १९३५ का भारतीय विधान लागू हुआ। परम्परागत प्रान्तों को आन्तरिक शासन में स्वतंत्रता मिली। देश के सात प्रान्तों में कांग्रेस के मध्यमांडल भी बने। कांग्रेस भेंटिमांडलों ने प्राथमिक शिक्षा के सुधार तथा उने अनिवार्य बनाने के प्रयत्न किये। पर चूँकि अनिवार्य शिक्षा निजी साधनों पर ही आधारित थी तथा निजी साधन तथा प्रशासन प्राथमिक शिक्षा के प्रभार की अनियमितता सार्व कर रहे थे अतः सरकारी उद्ययना के अभाव में इस दिशा में कोई विदेश विकास न हो सका। केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ की जा सकी।

इस अवधि में, हाटीग समिति द्वारा लिखिशों के अनुसार स्थानीय स्वायत्त ग्राम्यों में प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी अनेक अधिकार सरकार ने शायिल के लिये। इसमें वर्षार्द्ध अप्रणी रहा।

इस अवधि में प्राथमिक शिक्षकों के वेतन में अवैश्य सुधार हुआ। द्वितीय महायुद्ध के कारण शिक्षकों की डड़ा बड़ी जानकारी हो गई थी। कई स्थानों में तो वेतन-हुड़ि तथा मैंहगार्द के लिए हड्डतालः आदि का गहरा भी लिया गया; ग्रन् १९४९ में वर्षार्द्ध प्रान्त में यह हड्डताल लगभग ४५ दिनों तक चली। परम्परागत दाराभग गर्भी प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षकों वा वेतन बढ़ा तथा मैंहगार्द भत्ता भी दिया जाने रहा। पर जिस अनुपात में मैंहगार्द बड़ी भी उस अनुपात में वेतन-हुड़ि नहीं हुई।

इस बाल में प्राथमिक शिक्षा के विवान्तों तथा निधियों में सुधार के हेतु अनेक नये प्रयोग तथा प्रयत्न किये गए, जिनमें महात्मा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा-प्रोजेक्ट अन्तर्गत महत्वपूर्ण है। इसरे गम्भीर में अन्यथा विगतार में नहीं थी गई है।

गम्भीर में "विद्या मन्दिर योजना" तथा वर्षार्द्ध में "स्व-गत्तात्त्व दृष्टों योजना" भी इसी दिशा में किये गए प्रयोग थे।

युद्ध के बाद भारत सरकार ने देश की शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए गरजान गांडेर की अधिकारी में एक गवर्नरी गठित की। इस गवर्नरी का प्रतिवेदन १९४८ में प्रकाशित हुआ। गांडेर रिपोर्ट भारतीय शिक्षा के महत्व में उन्नत बहुत रूप में बदल गई प्रथम महान् पूर्ण प्रतिवेदन है। इसने बुनियादी शिक्षा को कुछ मुख्यगुणों के नाम सान्ध्य दिया। इसमें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने तथा उत्तोग और किसा के माध्यम से शिक्षा देने के मिलानों को मान्य किया गया। ऐनब न्यायालालन के मिलानों को इसमें मान्यता नहीं दी गई है। इसने अनुगार प्राथमिक शिक्षा ६ में १४ वर्ष के बाटों को अनिवार्य रूप में की जानेगी तथा इसने दो भाग होने दिया गया।

६ में ११ वर्ष तक जूनियर बेगिक

११ में १४ वर्ष तक मॉनियर बेगिक

गांडेर रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में २०० करोड़ रुपयों का खरपत तथा ४० वर्ष की अवधि लगाने का अनुमान लगाया गया था। आज के मूर्चों के अनुगार तो यह खर्च लगभग नीचेगुने ने भी अधिक होगा। ४० वर्ष की अवधि भी बहुत अधिक होती है; जिसे बाद में, भारतीय मंत्रिभान में, गविधान लागू होने में १० वर्ष कर दिया गया।

स्वतन्त्र भारत में प्राथमिक शिक्षा (१९४७ से चर्नमान तक)

१५ अगस्त १९४७ भारतीय स्वतन्त्रता से अविन दिया जानेगा, वर्तोंपरि इस दिनांक को समझा २०० वर्षों की गुणामी तथा स्वाधीनता के बाद भारत पूर्ण स्वतन्त्र हुआ। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद गांडेर रिपोर्ट में अनेक लाइब्रेरी रिपोर्ट गए।

गत १९४८ में जनवरी में भारत सरकार ने मध्यी गुरुनों के शिक्षा-मंत्रियों, शिक्षा-राज्यपालों के उत्तराधीनतारों द्वारा तुने दूष-शिक्षा-वादिवरों वा एक मध्येत्रीय सुनाया। इसमें गवर्नर के मध्यी शास्त्रों के लिए बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था-मध्यमों निर्णय किया गया। गवर्नर गवर्नरी ने भी, जो १९४७ में गठित हुए थे, अनिवार्य बुनियादी शिक्षा का मुद्राव दिया। गवर्नर गवर्नरी ने १६ वर्षों की अवधि में बुनियादी शिक्षा को अनिवार्य बनाने का मुद्राव दिया। इसके लिए १६ वर्षों की अवधि को तीन चरणों में विभाजित किया गया। पहला तथा दूसरा चरण

३२ :::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

५-५ वर्ष का तथा तीसरा चरण ६ वर्ष का रखा गया। इस समिति ने यह भी सिसारिया की कि राज्य द्वाके लिए ७० प्रतिशत व्यव तथा केन्द्र ३० प्रतिशत व्यव का भार-वहन करे। इस समिति ने अनुमान लगाया कि अनिवार्य बुनियादी शिक्षा में लगभग ३६६ करोड़ रुपये व्यव होंगे।

इस प्रकार राष्ट्र ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में स्वीकार किया तथा इसे अनिवार्य करने के सक्रिय प्रयास किये गए।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा को निम्न दो उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय भवायता देना निश्चित किया गया :

१. जूने हुए छोटों में बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए चालक परियोजना (pilot project) प्रचलित करना।

२. अनुमान प्राथमिक शालाओं को इस रूप में विकसित करना कि अन्ततः वे बुनियादी शालाओं में परिवर्तित की जा सके।

इस योजना में बुनियादी शिक्षा को सभी के लिए शीघ्र-सेवीय सुलभ करने का उद्देश्य भी था। बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए यह आवश्यक था कि शिक्षण-विधियों आदि में भी रामुचित उन्नति की जाये। इस हेतु प्रत्येक 'अ' तथा 'ब' श्रेणी के राज्य में बुनियादी शालाओं के मध्ये धोत्र योजना के अन्तर्गत समृद्ध स्थापित किये गए। 'स' श्रेणी के लिए ऐसा रामृद्ध दिल्ली में स्थापित किये जाने का मुख्य था। इस धोत्र में पूर्व-बुनियादी, बुनियादी, उत्तर-बुनियादी, शिखर-प्रशिक्षण विभाग तथा कालेज स्थापित किये जाने की योजना थी। इसमें यह आमा की जाती थी कि इस धोत्र-विशेष में बुनियादी शिक्षा के साथ-साथ जन-समुदाय में भी स्वाच्छन्त्रन तथा सहयोग की भावनाओं का विकास होगा एवं आसाम की गैर-बुनियादी शालाएँ इनसे शामान्वित होंगी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ६ में ११ वर्ष के ६३ प्रतिशत, ११ से १४ वर्ष के २३ प्रतिशत शालाओं को शिक्षा देने का तय रखा गया। इसके लिए ५३,००० नये बुनियर प्राप्तमर्ग तथा ३,५०० (मिट्टि) गोनियर स्कूल शोलने की घटना रखी गई। इसके साथ-साथ प्राथमिक शालाओं की बुनियादी में परिवर्तित करने, महिला शिक्षकों की अधिक गरम्मा में प्रशिक्षित करने, शाला भवनों पा निर्माण, आश्रम मिलना को कम करने आदि पर यह देने पा प्राप्त-

धान भी है। साध-ही-साध प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का लक्ष्य भी रखा गया। प्राथमिक भर पर शिक्षा की दृष्टि के लिए मित्रत्वपता—गल्ले भवन-निर्माण, सहशिक्षा, दुर्घटी पाली आदि के द्वारा—बरने का विचार भी मात्र किया गया।

गरवारी साधनों में अधिकतम नाम उठाने के लिए इन साधनों को सामुदायिक प्रयागों द्वारा विस्तृत करने तथा सामुदायिक नंस्थाधों को शिक्षा उपकर लगाने का अधिकार देने की व्यवस्था भी है।

तृतीय योजना काल में ६ से १२ वर्ष के देश के लगभग ७० प्रतिशत योंगों जो अनियार्य प्राथमिक शिक्षा उपचय करने के हेतु शिक्षा पर किये जाने वाले वर्षों का लगभग ५५ प्रतिशत व्यय प्राथमिक शिक्षा पर ही किये जाने का प्राप्तान रखा गया हो।

इस प्रवार हम देखते हैं कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा का प्रमार मनुचित हुआ है तथा इसे अनिवार्य करने की दिशा में भी टोक बढ़म उठाये जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा के विसाम में वापर यारणों तथा उन्हें दूर करने के उपायों का विस्तृत विवेचन अनिवार्य शिक्षा के अन्यान में किया गया है अतः इस पर यहाँ विचार नहीं किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षा

गन् १९५८ के पूर्व महाकोशल धेर में प्राथमिक शिक्षा की अवधि ४ वर्ष थी थी। गज्ज के अन्य धेरों में यह अवधि ५ वर्ष थी थी। अतः राज्य के

प्राथमिक शिक्षा-भर की एकल्पना के लिए महाकोशल अवधि

धेर की प्राथमिक शालाओं में भी गन् १९५८ से ५ वर्षी

काला जोड़ दी गई। इस प्रवार गारे राज्य में प्राथमिक शिक्षा की अवधि पाँच वर्ष हो गई।

गन् १९५८ में राज्य युनिवर्सिटी के पूर्व राज्य के जागें धेरों में विभिन्न पाठ्य-प्रस्तुति लगाने थे। गन् १९५८-५९ गद में मामूली गर्व की प्राथमिक तथा दूर-

प्राथमिक शालाओं में एकल्पना जगा पाठ्यक्रम लागू किया

गया। यह पाठ्यक्रम दिनुकानी लारीमी गंवे और सीन पाठ्यक्रम में मेल गया हुआ कुनियादी शिक्षा के शिक्षान्वेत्र

३४ :: मार्गीय शिक्षा तथा भाषुनिक विचारधाराएँ

पर आधारित है। यह पाठ्यक्रम अन्तरिम काट के लिए ही है। इससे आगे चलकर गैर-बुनियादी शालाओं का बुनियादी में परिवर्तन सरल हो जायेगा। इस पाठ्यक्रम में शिक्षा की मुख्य योजना को गई है। इसमें कक्षा १ से ८ तक बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रमों को विशेषरूप से स्थान दिया गया है तथा आशा व्यक्त की गई है कि यह पाठ्यक्रम लियाओं के आधार पर पूर्ण किया जायेगा। पाठ्यक्रम में शिक्षकों के मार्गदर्शन के हेतु आवश्यक निर्देश तथा गैर-बुनियादी शालाओं में बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी ऐसे कार्य-क्रमाएँ दिये गए हैं जो यिनी कठिनाई तथा विस्तृत शाखन-व्यवस्था के एकदम प्रारम्भ किये जा सकते हैं। राज्य में २३ राष्ट्रीयवृत्त पुस्तकों भी प्रचलित हैं।

नवीन भव्यप्रदेश राज्य के निर्माण के समय सम्पूर्ण राज्य में प्राथमिक शालाओं तथा शालाओं की संख्या दरामरा २१,५५९ थी। प्राथमिक शिक्षा विधार्थियों की दो प्राथमिकता देने के कारण इसकी जो प्रगति हुई उसका संख्या पता निम्न आकड़ों से लगता है :

क्रमांक	शाला	१९५५-५६	१९५६-५७	५७-५८	५९-६०
१	प्राथमिक शालाएँ (बुनियादी)	१,१११	१,६४१	१,८३१	X
२	प्राथमिक शालाएँ (गैर-बुनियादी)	१९,८३६	२१,९२१	२३,७१७	X

२०,९४७ २२,७३२ २५,६४८, २९,६१५

इसी प्रसार प्राथमिक शालाओं में बालकों की भी अधिक हृदि हुई है। जिम्मा पता निम्न आकड़ों से लगता है :

क्रमांक	शाला	१९५५-५६	५६-५७	५७-५८	५९-६०
१	बुनियादी प्राथमिक शालाओं में	८६,५३२	१,३८,८९३	१,२७,८००	

२	गैर-बुनियादी प्राथ- मिक शालाओं में	१,१५,१११	११,८२४८३	१२,४२,४८८	
		१०,८२,५३१	१२,७१,३७६	१३,७०,८८८	१७,६३,३६८

इन प्रकार वाल्कन्यालिकाओं की संख्या सन् १९५६ की सख्ता में लगभग ७० प्रतिशत अधिक है।

राज्य के एकाकरण के समय राज्य के विभिन्न धोरों के प्राथमिक शिक्षकों के बेतन-मान में भिन्नता भी। अब विभिन्न श्रेणियों का अध्ययन प्राथमिक शिक्षकों करके शिक्षकों की अहंता (योग्यता) के आधार पर का बेतन-मान तथा एकीकृत बेतन-मान स्वीकार किया गया है। राज्य में अस्य इवस्थापै २ अप्रैल १९५८ से प्राथमिक शिक्षकों का बेतन-मान निम्न प्रकार है :

१. मिडल शिक्षा-प्राप्त प्रशिक्षित — रु ४०-२३-६० अर्हता रोध ५-१००
२. मिडल शिक्षा-प्राप्त अप्रशिक्षित — रु ४०-१-५०-२-३०
३. मेट्रिक पास प्रशिक्षित — रु ५०-२३-६० अर्हता रोध ४-१००-५-१२५
४. मेट्रिक पास अप्रशिक्षित — रु ४०-२३-६० अर्हता रोध ५-१००

इसके साथ-साथ शिक्षकों की मौहगार्द भत्ता भी मिलता है। १९५९ में ग्रामीण तथा न्यानीय नियमों द्वारा मन्चालित प्राथमिक शिक्षाओं के शिक्षकों को ५० अतिरिक्त भत्ता भी स्वीकृत किया गया है।

प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी आवश्यक नियम बनाये गए हैं जिसमें उनसे चुनाव योग्यता तथा अनुभव के आधार पर किया जा सके।

राज्य में प्राथमिक शिक्षकों की संख्यानुदि भी हुर्द है जिसके आकड़े निम्न हैं :

प्रमाण शाखा	१९५५-५६	५६-५७	५७-५८
१. शुनियादी प्राथमिक शिक्षक	२,८९९	४,३३६	४,८२६
२. ग्रम-शुनियादी प्राथमिक शिक्षक	३८,२४२	४०,१६३	४२,०८६
योग	४१,१४१	४४,५९९	४६,९११

इसके साथ-साथ ६०-६१ में बर्नेश्वर प्राथमिक शालाओं में १०० अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त करने के लिए एक ५ लाख रुपयों पा प्रावधान है। १९६०-६१ में बेरारी नियारण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की गदारता में १८५० शिक्षकों तथा ३० गदारह जिला शाला नियमितों की नियुक्ति की जायेगी।

१६ : : : भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारपाठ्य

राज्य में यह अनुभव किया जा रहा है कि मठिला शिक्षकों को गाँवों में स्थान न मिलने के कारण वे गाँवों में नौकरी करना या स्थानान्तर करना न स्वीकार नहीं करती हैं। अतः इनके लिए प्रार्थित लेट्री में भारत सरकार की सहायता में ₹,०५४ रुहों के बनाने की योजना १९६०-६१ तक पूर्ण होने की आशा है। एक ही भूमि में दो निवासगृह बनाने की योजना है जिसमें दोनों शिक्षिकाएँ पास-पास रह सकें।

सन् १९६७ में योजना आयोग के शिक्षाविद् अपनी पूर्ना की वेटक में इस निष्कार्य पर पहुँचे थे कि प्राथमिक शिक्षा के द्वात् विस्तार के लिए शिक्षक-

विद्यार्थी-अनुपात बढ़ाना आवश्यक होगा। उन्होंने शिक्षक-
वालक-शिक्षक-विद्यार्थी-अनुपात १ : ५० रखा था। अर्थात् एक शिक्षक पीछे ५० वालक। सरार के अन्य उत्तम देशों में भी एक शिक्षक

के पीछे ६० या ७० तक वालों का अनुपात स्वीकार किया गया था। अतः भारत में तो यह स्वीकार किया ही जा रखता है। पर यहाँ में स्थान आदि के कारण शिक्षक-विद्यार्थी-अनुपात १ : ४५ रखा गया है, पर २ कक्षाओं से अधिक वाली शात्रा में एक अनिवार्य शिक्षक देने की सुविधा स्वीकार गई है।

भोजात तथा विष्णुप्रदेश लेट्रों की अधिकार प्राथमिक तथा पूर्व-प्राथमिक शास्त्राएँ सरकार के अनुरोध हैं। मध्यभारत छेत्र में सरकार के अन्तर्गत शास्त्राओं

की रखना भी अधिक है, पर स्थानीय स्वराज्य गंडाओं द्वारा प्रशासन निजी प्रयोगों में भी शास्त्राएँ बहार्द जाती हैं। मणिकर्णन

छेत्र में गणराजी प्राथमिक जन्माएँ कम तथा स्थानीय स्वराज्य गंडाओं, मिशन, निजी संस्थाओं द्वारा ही अधिकार प्राथमिक शास्त्राएँ बहार्द जाती हैं। इसके लिए संस्थाओं को सरकारी आर्थिक सहायता या अनुदान दिया जाता है।

भरतार ने प्राथमिक शास्त्राओं के निरीक्षण, पर्यावरण, पाठ्यनगर तथा उनको छी मंडरी, शिखरों का प्रशिक्षण आदि अधिकार अपने हाथ में लगा है। निरीक्षण के लिए महाराज इन शास्त्राएँ निरीक्षित नियुक्त वाली

है। इनके पास लगभग ५० या ५५ शालाएँ होती हैं। शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के लिए खट्ट्य में समय-समय पर शिक्षा-संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।

अनियार्थ तथा वुनियार्थी शिक्षा-सम्बन्धी विवेचन इसी पुस्तक के अन्य सम्बन्धित अध्यायों में किया गया है।

पूर्व-माध्यमिक शिक्षा

पूर्व-माध्यमिक शिक्षा का विचार स्वतन्त्र रूप से कर से प्रारम्भ हुआ, यह निर्दिष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। पर यह २०वीं सदी की ही देन होनी चाहिए। समार के अन्य देशों में भी इस प्रकार की शालाएँ २०वीं सदी के प्रारम्भ में थों जो बाढ़ में जूनियर हाई स्कूल कहलाने लगी। इस प्रकार वी शास्त्राओं के प्रारम्भ करने के कारणों में प्राथमिक तथा माध्यमिक शास्त्राओं में स्थान की कमी ही प्रमुख रही है। पूर्व-माध्यमिक शालाओं से निम्न शास्त्र की अपेक्षा रही है:

१. प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के बीच सम्बन्ध की स्थापना।

२. प्राथमिक शास्त्र में माध्यमिक शास्त्र में जाना एकदम न होनेर बालक की आयु तथा विकास के अनुसार करने में सहायता।

३. शास्त्र में अधिक साक्ष्या में बालकों को दें और सर्वना।

प्रारम्भ में पूर्व-माध्यमिक शालाएँ केवल मंगठन तथा प्रश्नय की मुदिधा में थीं। पर अब शैक्षणिक महत्व पर ही अधिक बढ़ दिया जाने लगा है। मंगठन तथा प्रश्नय की अधिक महत्व देने के माध्यमिक वारण पूर्व-माध्यमिक शास्त्राओं में विषयवार शिक्षक समैन, शास्त्रों के उद्देश्य शाला में प्रायः एक-जी आयु के बालकों का गमूह बनाये रखने आदि या ही ज्ञान रखा जाता था। परन्तु रूप,

४. उनीं ताक हो एक-जी, नमनित शिक्षा की स्थापना करना।

५. शास्त्र-व्याख्याताओं की शालाएँ आवश्यकताओं का का लगाना तथा उनकी पूर्ति करना।

३. बालक-वानिकाओं की दिक्षा के प्रमुख भेदों की सम्बन्धाओं से परिचित करना ।
 ४. बालक-वानिकाओं की रचियों, प्रशुतियों तथा कामनाओं का पता लगाना ।
 ५. बालकों को प्राग्भिक सुनाय के आधार पर विषयों का चुनाव बरके ऐरे दिक्षा देना जिसे पाठ्यक तथा बालक अपने भविष्य के विशेष व्यापदायक ज्ञान-प्राप्ति में उपयोगी समझे ।
- अब धीरे-धीरे पूर्व-माध्यमिक शालाओं के उद्देश्यों तथा कायों में परिवर्तन होता जा रहा है। 'कृत' महोदय ने १९२० में एक ईश्वरिक गवेंडग दिया था, जिसमें उन्होंने पूर्व-माध्यमिक शाला तथा जनियर हाई स्कूलों के निम्न कायों तथा उद्देश्यों का पता लगाया :
१. बालक-वानिकाओं वो अधिक गंदगा में भर्ती रखना, समय की बचत बर के, बालकों के वैश्विक भेदों को मान्यता देकर, जाँच तथा निर्देशन बरके तथा व्यावरणिक दिक्षा वा प्रारम्भ बरके लोपतन्यामक शाला में लोपतन्यामक व्यवस्था आरम्भ करना ।
 २. उम्रत दिक्षा वो परिस्थितियों वी व्यवस्था बरना ।
 ३. शाला में सामाजिकना तथा अनुगामन-भवन्धी परिस्थितियों को सुधारना ।
 ४. पाठ्यक वो युरक अवस्था के स्वरूप में परिवर्तित होना ।
 ५. ज्ञान वो अधिक टोग प्राप्ति करना ।

मिशन नाम अन्त दिक्षाओं ने भी इस गमन्य में गवेंडग किये हैं तथा ये भी प्राप्तः इसों निर्माण पर पहुँचे हैं। कुछ दिक्षाओं ने अनियांत्र दिक्षा के साथ भी शालक-वानिकाओं वो शालाओं में भर्ती रखना इन पूर्व-माध्यमिक तथा जनियर हाई स्कूलों का उद्देश्य तथा वायं बताया है। कुछ दिक्षाओं का विचार है कि ये पूर्व-माध्यमिक शालाएं माध्यमिक शालाओं की अपेक्षा यान्त्रक-वानिकाओं के हिस्तोरजीवन के लिए अधिक उम्रत शालायरा प्रयुक्त परायी हैं।

भारत में पूर्व-माध्यमिक शालाएँ अंग्रेजी शिक्षा की ही देने हैं। आज

भारत में पूर्व-माध्यमिक शालाओं की निम्न तीन प्रकार की
भारत में पूर्व व्यवस्था है :

माध्यमिक शिक्षा १. स्वतन्त्र पूर्व-माध्यमिक शालाएँ।

२. प्राथमिक शालाओं में सलान-पूर्व-माध्यमिक शालाएँ।

३. माध्यमिक शालाओं से सलान पूर्व-माध्यमिक शालाएँ।

वीरगी सदी के प्रारम्भ में प्राथमिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा का प्रगार कम था। अतः उस समय स्वतन्त्र रूप में पूर्व-माध्यमिक-शालाओं की स्थापना आवश्यक थी। फलस्वरूप इन्हें स्वतन्त्र रूप में अनेक स्थानों में स्थापित किया गया। धीरे-धीरे, जब प्राथमिक शिक्षा का प्रसार अधिक हुआ तथा गाँवों में अधिक मंच्या में बालक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाली बड़ी-बड़ी प्राथमिक शालाओं से पूर्व-माध्यमिक कक्षाएँ सलान की जाने लगी। इसमें अनेक शासक अपने गाँव या आमनासु के गाँवों में रहवार और अधिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अंग्रेजी पढ़ने जाते थे। पर हर स्थान में तो माध्यमिक शाला नहीं ही स्थापित थी; अतः जहाँ भाँग अधिक होती थही माध्यमिक शाला प्रारम्भ की जाती तथा उसमें भीषे भरी कक्षा पास बालक-वालिकाओं को भरती किया जाता था। इस प्रकार ज़दों की माध्यमिक शालाओं में पूर्व-माध्यमिक कक्षाएँ गलम सहती। ग्रन् १९३७ में गांधीजी की बुनियादी शिक्षा-योजना में भी गात वर्ष की शिक्षा का स्वरूप था। बाद में इसे अध्यर्थीय बना दिया गया। अतः बुनियादी शिक्षा के प्रमाणों ने भी पूर्व-माध्यमिक शिक्षा का यात्री विश्वास किया।

आजकल स्वतन्त्र रूप में पूर्व-माध्यमिक शालाएँ स्थापित करने का बहुत हुठ फूम होता जा रहा है, क्योंकि यह मैट्रिक पढ़नी है। स्थान भी अधिक स्थगता है। अतः अब इसे प्राथमिक शिक्षा के साथ जोड़ने की प्रवृत्ति गंगार के थानेह देशों में परिवर्तित हो रही है। इसके अनेक बारण हैं :

१. प्राप्त : गांधी उन्नत तथा गम्भ देशों में अनियाय शिक्षा १४, १५, १६ वाँ वी आत्म तक रखी जाती है।

२. मार्यादिक शिक्षा की आवश्यकताएँ भिन्न हैं तथा इस शिक्षा को सभी तक पहुँचाना अभी उपयोगी नहीं गमना जा रहा है।
 ३. ग्राम्यमिक शिक्षा के ग्राम्य गतिकरण में यह सभी तक पिछा किसी अधिक व्यय के ग्राम्य पहुँचाना जा रहा है।
 ४. पूर्व-मार्यादिक स्वर तक की शिक्षा देश के सभी नागरिकों के लिए प्राप्त करना देशादित में विद्युत उपयोगी तथा आवश्यक माना जाने लगा है।
 मारुति में आर चुनियादी शिक्षा वो राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप दिया गया है। अतः आर पूर्व-मार्यादिक शिक्षा को चुनियादी शिक्षा से समन्वय वरने की प्रवृत्ति प्रगति कर रही है। देश के प्रायः प्रब्लेम राज्य में ऐसे पाठ्यक्रम नैयार द्विये गए हैं जो चुनियादी शिक्षा से मेल जाने हैं। यह तक पूर्ण रूप से चुनियादी शिक्षा सभी जगद् लागू नहीं हो जाती तब तक ऐसे पाठ्यक्रमों की उपयोगिता अधिक है। वर्तमान इनसे चुनियादी में परिवर्तन वा मार्ग घटाता होता है।

इसके ग्राम्य-ग्राम्य प्रायः प्रब्लेम राज्य में पूर्व-मार्यादिक स्वर तक का शिक्षा ग्राम्यन्धी पाठ्यक्रम बनाने, पुस्तकें मजूर करने, शिक्षियों के बेतन, गेशा-दर्शन आदि अनेक प्रशासनीय वातां पर शिक्षा-विभाग वा अधिकार रखने वी प्रवृत्ति परिवर्तित हो रही है। मार्यादिक शिक्षा प्रमाणन्दों वा एवल मार्यादिक स्वर के शिक्षा-ग्रन्थान्धी अधिकार दिये जाते हैं।

भारतीय पूर्व-मार्यादिक शिक्षा-स्वर पर प्रायः सभी शिक्षियों का जन अनियांग स्वर में प्राप्त दिये जाने पर यह दिया जाता है। एवल उच्चोगादि में चुनाव आदि का प्राक्कथान है। इससा कारण यह है कि इस आयु के यात्रीयों को आसान ग्रन्थी वालों वा जन मिल जाना चाहिए, जिनमें उनसा गमनित विकास हो सके उपर इसके आधार पर वे आगे आगे आसन्न आवश्यकता तथा दर्शनिक, यहि आदि के अनुगार शिक्षियों पा चुनाव पर सस्ते हैं। मनो-विज्ञानियों वा कथन है कि १३-१४ वर्ष की आयु के पूर्व तक यात्रक की शिक्षियों, प्रवृत्तिर्थी आदि के ग्रन्थन्ध में विभिन्न स्वर में निर्णय दिया जाना भी कठिन ही होता है। इस आयु में यात्रक वा अनेक प्रकार का विकास लेनी में होता रहता है। अतः इस आयु के यात्र दो चुनाव आदि और दीर्घ दिग्गंज दिया जा गवता है। इस दौरे में ग्रन्थी शिक्षियों वा आवश्यक जन शिक्षा जाना दोष ही है। इसके

राष्ट्र-स्थापना एक बात और है। हमारे देश में १३ या १४ वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात चल रही है। अतः इस आयु तक देश के बालक-बालिकाएँ शालाओं में रहेंगे। अतः इस आयु तक उन्हें कम-से-कम इतना आवश्यक ज्ञान तो मिल ही जाना चाहिए जो देश की लोकतान्त्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल तथा उसके लिए आवश्यक हो। ऐसा ज्ञान इसी स्तर पर दिया जा सकता है, क्योंकि मार्गभिक शिक्षा से देश के चुने हुए अच्छी बुद्धियाले बालक ही प्राप्त करेंगे।

पूर्व-मार्गभिक स्तर पर विषय के एण्ड-खण्ड बरके न पढ़ाकर उन्हें समन्वित करके पढ़ाने की प्रवृत्ति भी परिस्थिति हो रही है। ज्ञान तो एक ही है। बालक का भवित्व भी समुचित ज्ञान ही प्रदण करता है। अतः गणित, वीजगणित, रेखागणित; या नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल ऐसे अन्य-अलग विषयों में ज्ञान न देकर समन्वित करके ज्ञान दिया जाना अधिक उपयोगी होगा।

पूर्व-मार्गभिक नर की समानता तथा स्तर उच्चत करने की दृष्टि से राज्य, गणराज्य या जिला-स्तर पर परीक्षाओं के लिए समितियाँ भी गठित होती हैं। इससे नन्दगुप्त तथा उसे नमान करने में बड़ी सहायता प्राप्त हो रही है। पहले जब मार्गभिक शालाएँ कम भी तथ प्राप्त हर राज्य में पूर्व-मार्गभिक नर के आविष्ये वर्ष में योई द्वारा परीक्षा होती थी। पर बीन में इस पढ़ति का त्याग कर अधिग्राहनों को ही ये अधिकार दे दिये गए। पर अब देश के बहुत कम स्थानों में योई की परीक्षा ली जाती है। अब गो स्थानीय, जिला, सम्मार्गीय स्तर को सतत योट लेकर पूर्व-मार्गभिक नर के आविष्ये घरे की दरीशा देने का चलन है। अन्य कलाओं की परीक्षा प्रथानाम्यापक ही रहता है।

प्राप्त: प्रत्येक राज्य में पूर्व-मार्गभिक स्तर को तीन वर्षों का करने की प्रवृत्ति है। पहिले जब प्रार्थित गिरा ४ वर्ष की थी जाती थी तब पूर्व-मार्गभिक शिक्षा की अवधि ४ वर्ष होती थी। पर अब विद्यालय इगमो अवधि ३ वर्ष ही रखने के पक्ष में है। अपिल मालदीर मार्गभिक गिरा आरोग्य ने भी, जिसे मुद्राभिलार आयोग (१९५२) भी कहते हैं, पूर्व-मार्गभिक गिरा की अवधि ३ वर्ष ही मुकाबला है।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा वर्तमान काल की ही विशेषता है। प्राचीन काल में जब समाज का सुगठन खल लक्ष्य रोका था तब समाज के वर्ज्ञों को प्राथमिक शिक्षा देना ही उपरोक्ती गमका जाता था। उस काल में प्राथमिक प्रारम्भ

शिक्षा के स्तर सह के ज्ञान से जीवन के गमी आवश्यक कार्य कर जाते थे। पर विज्ञान के विकास तथा जीवन की जटिलता के कारण यह आवश्यक हो गया कि व्याकों की प्राथमिक शिक्षा के स्तर में आगे का ज्ञान भी दिया जाये। आजकल वास्तव में प्राथमिक स्तर टक का ज्ञान से बहुत कम गमका जाने लगा है। प्राचीन काल में शिक्षा का सम्बन्ध घर में था। जो इकाई प्राथमिक स्तर से अधिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे वे घरें-गमनीयी उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। यासी गमी प्राथमिक शिक्षा के स्तर में गाथारण शिक्षा प्राप्त करके अपना व्यवसाय करने लगते थे। पर आज यामाजिह गार्दन्य जीवन मनुष्यिता स्तर में दर्तीत करने लगा देख कि लोकसंघ-संघ जैकल में गरिम प्रेरण देने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि जन-गाथारण को और भी अधिक शिक्षा मिले।

पाठ्यानन्द देवी में मान्यमिक शास्त्रों का उल्लेख मूलानिंदे के “सिंगरिक” द्वारा “ऐकेडेमिक” हार्द लूप के रूप में मिलता है। मूलानिंदे ने जनर्जनन थो उद्दा तथा मनुष्य बनाने के लिए इन दों प्रकार की शास्त्रों को उपरोक्ती माना था। रेम ने भी इती के आधार पर अपनी मान्यकित शालाओं का गठन किया। गन् १८२१ में दोस्तन में “एकेडेमी” के मध्यान पर हार्द स्तर लापता हुआ गया। अनेकों में १७वीं शताब्दी के प्राचल में माध्यमिक शिक्षा की शास्त्राएँ गुरु। पर आज हार्द इनके पूर्व मी प्रोफेसन स्तर में माध्यमिक स्तर का जन विनियोग प्रकार थी शास्त्रों द्वारा दिया जाना रहा।

४४ : : : भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

इगलेंड की लेटिन ग्रामर शालाएँ भी मार्यमिक शालाओं का ही प्रारम्भिक रूप हैं। भारतीय बत्सान मार्यमिक शिक्षा का प्रारम्भ १९वीं सदी के प्रारम्भ से ही मानना चाहिए। १८१३ के एकट के अनुसार १ लाख यात्रा भारतीयों विद्यार्थियों के लिए कम्पनी को गर्व करने का आदेश दिया गया था। इस धन की व्यवस्था के लिए एक लोक-शिक्षा-समिति बनाई गई थी। अनेक कारणों से इस समिति में दो दल हो गए। एक दल प्राच्य शिक्षा तथा साहित्य को प्रोत्त्वादित करना चाहता था तो दूसरा दल पास्चात्य शिक्षा को। यह शागङ्गा अनेक बातों तक चलता रहा, जिसके परम्पराग्रन्थ इस समिति का कार्य ही ठप्प हो गया। अन्त में लार्ड बेकाले इसके अध्यक्ष बनाये गए। उन्होंने पास्चात्य शिक्षा तथा स्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बेटिंग ने एक आदेश जारी किया, जिसमें सरकार द्वारा अप्रेजी तथा यूरोपीय शिक्षा के प्रसार की नीति अपनाने के निर्णय की घोषणा थी। ऐसे इस आदेश में भारतीय देशी शालाओं तथा शिक्षा को चान्दू रसने-गमनन्वयी मुशाव भी था। पर लार्ड बेकाले के मुशाव, तथा उनके मुशाव के आधार पर १८३५ का सरकारी निर्णय ही यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान की शालाओं को भारत में प्रारम्भ करने में प्रमुख रूप से सहायक हुए। इस प्रकार बी शालाएँ राजा रामसोहन यह तथा अन्य भारतीयों के प्रमाण के बारण शीघ्र ही व्यापक हुए। इन शालाओं में अप्रेजी शिक्षा प्राप्त करने पर कम्पनी में अच्छी नौकरियाँ भी मिलती थीं, क्योंकि ग्रन् १८४४ में लार्ड लार्ड बेटिंग ने यह घोषित किया था कि अप्रेजी शिक्षा-प्राप्त लोगों द्वी यात्रारी नौकरियों में प्रार्थमिता दी जायगी। इसका परिणाम यह हुआ कि जो अप्रेजी शिक्षा, यूरोपीय ज्ञान और विज्ञान के प्रमार के लिए भारत में प्रारम्भ की गई थी, उनका उद्देश्य अब केवल नौकरी दिलाने तक ही सीमित तथा रांगुनिक नहीं रह गया। पास्चात्य शिक्षा के लिए जो मार्यमिक शालाएँ भी उनमें अप्रेजी तथा भास्त्रिय का अच्छा ज्ञान बराबर जाने पर बढ़ दिया जाता था, पर विज्ञान वी व्यावज़ारिक शिक्षा उत्तेजित ही रहती थी। इस प्रसार एक दूसिया तथा रांगुनित आधार पो नेतृत्व मार्यान में पास्चात्य शिक्षा दी मार्यमिक शालाओं द्वी गानाना हुए।

मार्गभिक शिक्षा के उद्देश्य

प्रारम्भ से ही मार्गभिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यातक को उपसंगीतपा सुनी नागरिक बनाना रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि मार्गभिक शिक्षा के द्वारा अकिं की सामाजिक धर्मता बढ़ाने का प्रयत्न ही किया जाता है। मुंगार के विभिन्न देशों में मार्गभिक शिक्षा के दंग में विभिन्नता होते हुए भी प्रायः गर्भी प्रशार की मार्गभिक शिक्षा का यही प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके साथ-साथ प्रशारितया या उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश पाने योग्य बनाना भी मार्गभिक शिक्षा का उद्देश्य रहा है। ऐसे लेटिन ग्रामर स्कूल या एकेडमीज तथा उच्च शिक्षा के महाविद्यालयों के विषयों में बहुत कम गमन्यम होता था; पर किर भी मार्गभिक शालाएँ उच्च शिक्षा से प्रमाणित होती रही हैं। मन्दिरकाल में ही उच्च शिक्षा के योग्य बनाना ही मार्गभिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। योग्यी गढ़ी के प्रथम तथा द्वितीय चरण में भी मार्गभिक शिक्षा उच्च शिक्षा से प्रभावित होती रही है।

भारतीय मार्गभिक शिक्षा अप्रेजी शिक्षा-पद्धति की शास्त्र-भी रही है तथा अप्रेजी शास्त्र के लिए अप्रेजी जन प्राप्त लोगों की आवश्यकता रही। अतः अप्रेजी शास्त्र-काल में मार्गभिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को नौकरी के लिए सेवार बरना तथा महाविद्यालय में प्रवेश करने योग्य बनाना ही रहा है। शास्त्रजिह धर्मता बढ़ाने वाले और कोई ध्यान नहीं दिया जाता था।

अब हमारा देश स्वतन्त्र हो गया है तथा आज को परिवर्तित पर्मिन्दतियों में यह आवश्यक है कि हमारी मार्गभिक शिक्षा गंभीर दायरे में निरन्तर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। अतः मार्गभिक शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन आवश्यक है। सुदामिर आरंग में (१९५२-५३) अख्ले प्रतिरोधन में मार्गभिक शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या की है। वर्तमान भारत की आवश्यकताओं की चरणों करने हुए सुदामिर आरंग ने लिया है कि मारत गजनीहित टटि में प्रक भवनिरदेश जनसारी गणतन्त्र बन गया है; अतः यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा यात्रों में उन्नित आठों, प्रहृतियों तथा चारिष का विकास करने योग्य हो, जिसमें देश के नागरिक लोकतन्त्र के उत्तराधीनों में पर्वतित ही तथा उन गुणी प्रहृतियों में अप्रभासित रहे जो

एक विस्तृत, स्वस्थ, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के विकास में वाधक हो राकी हों।

भारत प्राकृतिक साधनों से समृद्ध है पर इन साधनों के समुचित रूप से उपयोग न किये जा सकने के कारण भारतीय जनता गरीब है तथा देश के अधिकाश व्यक्ति निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करते हैं। अतः भारत की सशम्भवी समस्या देश की उत्थादन-क्षमता तथा कौशल को बढ़ाने की है। इससे देश में धन की वृद्धि होगी, जिससे भारतीयों का जीवन-मर्म उच्च होगा।

व्यापक दरिद्रता तथा शिक्षा-मुविधाओं की कमी के कारण देश की अधिकाश जनता अपना पेट भरने की समस्या हल करने में ही जुटी रहती है। पलस्त्रूप सासृतिक गतिविधियों तथा कारों की ओर ये ज्ञान नहीं दे पाते हैं।

देश की इन आवश्यकताओं की शृङ्खला में भारतीय माध्यमिक शिक्षा के निम्न उद्देश्य निश्चित किये जा सकते हैं :

देश के बालकों को धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र के उत्तरदायिलों को बढ़ान करने के योग्य बनाने तथा उनके नीतिक उत्थान के लिए चरित्र-गठन आवश्यक है।

लोकतन्त्र में जागरिकता की बढ़ी ओरेशाएँ होती हैं। जागरिक चरित्र-गठन में उचित विषेक, मानविक, सामाजिक तथा नीतिक विकास

अपने-आप नहीं आ सकता है। उचित विषेक, समझ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए यह आवश्यक है कि बालकों को स्वतन्त्रतापूर्वक गुण मनिषक से सोचने-विचारने का अभ्यास हो। ये पुणी परमार्थों में न एकदम अविश्वास रखें और न जो नया है उसमें अनास्था। विचारों की स्पष्टता से गम्भद धोलचाल तथा लिंगमें की स्पष्टता है। ये दोनों प्रकार को स्पष्टताएँ न येवल गामाजिक क्षमता की शृङ्खि बरती है वरन् व्यक्ति के जीवन को सुर्यी, सम्बन्ध तथा प्रभावशारी भी बनाती है।

लोकतन्त्र की आधारशिक्षा धम तथा सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व वा आदर है। यह तभी सम्भव है जब कि व्यक्ति का गुर्वार्गीण विकास हो। सर्वोर्गीण विकास गामाजिक जीवन के विभिन्न पहुँचों के परिचय तथा उनके जीवन-क्षमत के फौशल में ही सम्भव है। इसका लालर्य यह हुआ कि सभी गामाजिक जीवन में ही व्यक्ति वा मनुष्यित विकास हो सकता है। अतः हमारी माध्यमिक शिक्षा का ऐसा बालकों में, गामाजिक जीवन को सुर्यी, समृद्ध, उपयोगी तथा मनुष्यित

दंग से जीने के लिए आवश्यक गुणों, जैसे, अनुशासन, यद्यपारिता, धैर्य, नहन-दौलता आदि का विद्याल होना चाहिए। बालकों में सामाजिक न्याय की भावनाओं का उदय तथा उनके लिए एक तट्टपमी होनी चाहिए। सामाजिक न्याय ही अच्छे चरित्र का आधार है। सामाजिक न्याय के अभाव में हमारे चरित्र के गमी गुण या तो प्रभावी न होंगे या निम्न ध्येयों की ओर गतिरौप होंगे। अतः सामाजिक न्याय की भावना आवश्यक है।

राष्ट्रीयता की भावना का विद्याल भी हमारे माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। पर यह राष्ट्रीयता समुचित न हो। हमें हो, जैसा गार्डीन तथा विनोदा भावं का कथन है, “गवोदय” का इटिनेंश रखना चाहिए। इनमें विश्व-कल्याण होना तथा विश्व शान्ति स्थापित होगो।

भारत के अनुल गापनों के समुचित उत्तरोग तथा विद्याल के लिए अम-डीन होना अन्यत आवश्यक है। अमण्डल होने के लिए हमें अप के प्रति अपने इटिनेंश को बदलना चाहिए। हमारे लिए न पोर्ट काम व्यावसायिक

चांदा या निम्न राय न पोर्ट काम बढ़ा होना चाहिए। यही धर्मता का विकास वाम राजने योग्य है। इनके गाय-गाय हमें गिरी वाम की

हाथ में लेने के बाद चिनाइयों आदि के आने पर मौ उसे अच्छी तरह दूर दरने वी आदत ठालनी चाहिए। हमारी मार्पानिक शिक्षा के ये उद्देश्य हो दोना ही चाहिए। गाय ही इन शिक्षा के द्वाय यान्द-शारिकाओं की व्यावसायिक तथा प्रानिगिक धरणों का विद्याल भी बरना चाहिए। इनके लिए उत्तरोग उत्तरोग तथा विद्याल ची प्रिविता पर अधिक महत्व देना आवश्यक है।

शास्त्रों वी रननामह शक्ति या उपरित उत्तरोग बरें उगे अपनी भव्यति के तर्णों में पर्याप्ति करने राय उनमें गारिनिक, गामृतिक, रुलामृक और

रुड्सलमृक भावनाओं परं अप्साओं का विद्याल भी भारतीय अन्तिम विद्याल गाय-गाय का उद्देश्य होना चाहिए। इस्ये उनके इतिहास का एक विद्याल गम्भीर होना राय देश का गमृतिक उत्तरान भी। राय ग्राहिती गष्टोर गंहति के प्रादुर्भाव के लिए अन्त भावरक्षक है।

भारतीय माध्यमिक शिक्षा न तो राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा ने अलग और न उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार होना चाहिए। यह स्वयं

अपने में पूर्ण तथा सम्पन्न होनी चाहिए। लोकतन्त्र की नेतृत्व सफलता के लिए, यह आवश्यक है कि देश के सभी जागरिक

अपने उत्तरदायिलों का बद्दन करना जानते हों। इसके लिए

अनुशासन तथा नेतृत्व के गुणों का विकास आवश्यक है। विश्वविद्यालयों में तो देश के कुछ चुने हुए व्याख्या २० प्रतिशत छावं ही जायेंगे। 'अतः नेतृत्व तथा अनुशासन के गुणों का विकास माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर करने से ही भारतीय लोकतन्त्र की सफलता सम्भव है। नेतृत्व की भावना के उचित विकास के लिए अच्छी शिक्षा, विचारण की गहनता तथा साधना, विदेश, सामाजिक समस्याओं का स्पष्ट तथा समुचित ज्ञान, प्राविधिक अमता आदि आवश्यक है। अतः हमारी माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में ऊर्जा उत्पादित गुणों का विकास होना चाहिए, जिससे उचित क्षमता के व्यक्ति विकास परिस्थितियों तथा अवश्यं में गुणमत्ता तथा प्रमाणगाली दग मे कार्य कर सके।

भारतीय माध्यमिक शिक्षा का संगठन

माध्यमिक शिक्षा एक स्वयं-पूर्ण तथा सम्पन्न इकाई होनी चाहिए तथा इसे उच्च शिक्षा की सेवारी की इकाई ही न मानी जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा ४ या ५ वर्ष पी प्राथमिक शिक्षा के बाद तथा उच्च शिक्षा के वृत्त की इकाई है; अतः इसमें प्रायः ११ से १७ वर्ष की आयु के शालक-वालिकाएँ ही आती हैं। यदि माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था तथा नियंत्रण टीक संघ द्वारा हो तो ७ वर्ष की शिक्षा वालक-वालिकाओं में गमनित ज्ञान, विवेद, गमता का विकास कर गमती है। इसके आधार पर वे अपने जीवन को गमनित तथा प्रयोगी ढंग में वर्तीत कर गमते हैं। इस आयु के अन्त तक (१७ वर्ष) वे जीवन के उत्तरदायिनों को बद्दन करने के बोग्य बन गमते हैं जहाँ उन्हें विभिन्न उपयोग की गमनित शिक्षा दी जा सकती है।

अभी उक्त भारत में शिक्षा में गमनित गमी विद्वानों का यह विचार ऐसे है कि माध्यमिक शिक्षा अभी अच्छी योग्यता के बालक नहीं विकसित हर गमी

है। विश्वविद्यालयीन शिक्षा के लिए भी इनमें मनुचित ज्ञान, परिपक्षता, विचेत आदि का विज्ञान नहीं हो सकता है। इसका कारण यह है कि कम आयु के बालक दृग्मे निष्ठते हैं। मार्गभिक शिक्षा-नियर पर विविधता लाने के लिए भी मह आवश्यक होगा कि मार्गभिक शिक्षा की अवधि बढ़ाव लाय करोकि अनेक प्रकार के व्याख्यातिक तथा प्राचिनिक पाठ्यक्रमों को आवश्यकताओं को देखने हुए यह आवश्यक है। पर शिक्षा की मध्यर्जन अवधि को बढ़ाने से नष्ट तथा पालक दोनों को अधिक धन व्यय करना होगा। आज की परिस्थितियों में इतना अधिक धन व्यय करना सम्भव नहीं है। अतः मार्गभिक शिक्षा आयोग (मुद्रालियर आयोग १९५२-५३) ने मार्गभिक-शिक्षा का निम्न गणठन सुझाया है :

१. ४ या ५ वर्ष की मार्गभिक शिक्षा के बाद पूर्व-मार्गभिक या मीडियर चेमिस्ट नियर ३ वर्ष।
२. उच्चतर मार्गभिक नियर ५ वर्ष।

इस मुशाय के अनुगार चर्नमान मार्गभिक शास्त्रों को उच्चतर तथा बहुउद्दीय बनाने के लिए एक वर्ष की शिक्षा और जोटना आवश्यक होगा। इन्टरमीडिएट क्षमाएँ, अलग कर दी जानेगी तथा विश्वविद्यालयीन शिक्षा ३ वर्ष की होगी। इस प्रकार मार्गभिक शिक्षा आगे में पूर्ण होगी।

मार्गभिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित मार्गभिक शिक्षा के गणठन में सम्पन्नता का छठा छठा पर दी जा रही है।

चौथी अप्रैल देश में विभिन्न अवधि वाली मार्गभिक शालाएँ जल्द रही हैं जिनमें ६ या ७ वर्ष वी शिक्षा प्रार्थिमिक शिक्षा के बाद दी जाती है तथा इन मास्त्रों के लिए एक एक वर्ष की अधिक शिक्षा की दरवस्था करना सम्भव न होगा, मार्गभिक शिक्षा आयोग ने दो प्रकार की मार्गभिक शालाएँ कुछ गम्भीर तक बनाने का सुझाव दिया है :

१. मार्गभिक शालाएँ—जबान में प्रचलित शास्त्रान्तर मार्गभिक शालाएँ;
२. उच्चतर मार्गभिक शालाएँ, जिनमें एक वर्ष की शिक्षा की और दरवस्था की जायेगी।

दूसरी शिक्षा-प्राप्तादार-संसिद्ध ने अप्रैल १९५५ में १२ में ११ जनरले तक अपनी २५वीं बैठक में भारतीय मार्गभिक शिक्षा आयोग की इस निराकारी

भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारपरामर्श

भाष्यनिक विचारधारा०

माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित माध्यमिक शिक्षा का संगठन

સરકારી કાર્યક્રમ						
નાના નંબર નિયમ						
નાના નંબર નિયમ						
નાના નંબર નિયમ		નાના નંબર નિયમ			નાના નંબર નિયમ	
નાના નંબર નિયમ		નાના નંબર નિયમ			નાના નંબર નિયમ	

पर विभेद न्य से विचार किया तथा उन्होंने विचार-विमर्श के बाद यह निश्चय किया :

१. स्नातक डिप्लो पाठ्यक्रम ३ वर्ष का हो, जिसमें १७ वर्ष से अधिक आयु पर वालक भरती हो।
२. १७ वर्ष की आयु तक मार्गदर्शक विज्ञा पूर्ण हो जानी चाहिए। इस विज्ञा का स्तर ऐसा हो कि वालक तीन वर्ष के डिप्लो पाठ्यक्रम में अच्छी तरह जल गए।
३. १८ वर्ष को पूर्ण करने के उद्देश्य से स्कूल वी अनियम परीक्षा का गत्योगीण पाठ्यक्रम नैवार करने के लिए भारत गवर्नर मे एक नियमित चनाने की प्रारंभिक घोषणा दी जाये।
४. मार्गदर्शक न्यर वी विज्ञा की अवधि १० वर्ष हो तथा आग्रहित कथा २२वीं हो। मार्गदर्शक विज्ञा में लगाने वाले वर्गों का नियम प्रत्येक गत्त अपनी परिस्थिति के अनुसार बरंगे।

मार्गदर्शक विज्ञा आयोग ने यहाँ पर यह छोट दिया था कि वे अपनी सुनिश्चानुग्राह ११ वर्षों की पढ़ाई या १२ वर्षों की पढ़ाई मार्गदर्शक विज्ञा के लिए आवश्यक मानते। पर बेंगलुरु विज्ञा-मार्गदर्शक-परिषद ने इस अनिवार्यतापूर्वक दूर पर्याप्त १५ वर्षों की अवधि इसके लिए निश्चित की। इसमें गम्भीर देश में मार्गदर्शक विज्ञा का एक-जा दोनों गंणित हो गया।

भाग गवर्नर ने बुनियादी विज्ञा को यहाँपर विज्ञा का रूप दिया है। जूँकि बुनियादी विज्ञा १४ वर्षों की आयु तक चलनी है अठः यह स्वाभाविक है कि मार्गदर्शक विज्ञा वी कुछ अवधि उसमें जिसले-कुछ ही हो। यहाँपर बुनियादी विज्ञा तथा मार्गदर्शक विज्ञा में एक-समान उपर गुप्तसंघ लाने को दृष्टि में मार्गदर्शक विज्ञा आयोग ने यह निश्चय किया कि गोपनियक चेतिह, या पूर्ण-मार्गदर्शक तक पाठ्यक्रम का न्यर एक-जा रहना चाहिए।

इसके गायगाय मार्गदर्शक विज्ञा-आयोग ने मार्गदर्शक अन्द प्रशार की मार्गदर्शक विज्ञा के गंगड़न के गम्भीर में भी सुगम दिये, जो अंडे में नियम है :

१. मार्गदर्शक विज्ञा ५ या ६ वर्ष वी मार्गदर्शक विज्ञा के बाद प्रारम्भ

- हो तथा उम्में (अ) ३ वर्ष की गीनियर बेसिक या पूर्व-माध्यमिक शिक्षा तथा (ब) ४ वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा दी जायें।
२. गणिकाल में पुरानी माध्यमिक शास्त्राएँ चालू रखी जाये तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं का संगठन जैसा ऊपर बतलाया गया है उनके अनुसार हो।
३. घरेलान इन्टरमीडिएट कक्षाएँ अलग करके ४ वर्षीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा चालू दी जाये। घरेलान इन्टरमीडिएट कक्षाओं का एक वर्ष उच्चतर माध्यमिक शालाओं में जोड़ दिया गया है।
४. विद्यविद्यालयीन स्नातक पाठ्यक्रम ३ वर्ष का हो।
५. घरेलान माध्यमिक शालाओं से पास होनेवाले छात्रों के लिए ३ वर्षों प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स की व्यवस्था की जाये।
६. व्यावर्गायिक महाविद्यालयों में उच्चतर माध्यमिक शालाओं से पास या प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स पास छात्र भरती किये जायें।
७. व्यावर्गायिक महाविद्यालयों में एक वर्ष का प्री-प्रोफेशनल कोर्स चलाया जाये या यदि इनमें सुविधा न हो तो अन्य स्नातक महाविद्यालयों में गणिकाल तक इस प्रकार का एक वर्षीय शिखण दिया जाये।
८. जहाँ भी सम्भव हो यहुउद्दीय माध्यमिक शालाएँ स्थारित की जायें जिनमें छात्रों को उनकी विभिन्न रुचियों, क्षमताओं तथा उद्देश्यों के अनुसार विविधतापूर्ण शिक्षा प्रिल देने।
९. जो दात्र इस प्रकार की यहुउद्दीय माध्यमिक शालाओं की पर्याप्त पात्र कर सके हों उन्हें विद्यार्थीहृत अध्ययन के लिए पोलीटेक्निक या टेक्नोलॉजीकल संस्थाओं में भरती की सुविधाएँ प्रदान की जायें।
१०. गमी राज्य कृषि शिक्षा की व्यवस्था आमतौर पर्याप्त न होने में वरे।
११. यहुउद्दीय माध्यमिक या स्वतन्त्र शालाओं के रूप में दैर्घ्यरक्षण ग्राहिकी शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था की जाये।
१२. यदि शहरों में केन्द्रीय टेक्नोलॉजी इन्डस्ट्रीशूट गोप्ते जांगे, तो व्यानीय अनेक शालाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति वरे।
१३. जहाँ तक सुभव हो टेक्नोलॉजी गंतव्याएँ और्जागिरि केन्द्रों ने गतिहार

- ही स्थानित वो जाए। इनका कार्य भी उत्तोगों के सहयोग में चले।
१४. उत्तोग के मालिकों के लिए इन टेक्नीकल संस्थाओं के बालों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना कानून द्वारा अनिवार्य किया जाए।
१५. मर्सी भरती की व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा के नियोजन के समय व्यवसाय तथा उत्तोगों से प्रतिनिधि अवधारणे लिये जाएं।
१६. प्राविधिक शिक्षा के विकास के लिए उत्तोगों पर एक “आंशोगिक शिक्षा उपर्याप्ति” लगाया जाए।
१७. मार्यमिक भरत पर प्राविधिक शिक्षा के उपयुक्त गणठन के लिए एक अधिक भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की जाए।
१८. वर्तमान “पर्मिक सूक्ष्म” कायम रहे, पर इनसे पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा के सामान्य दौरे से गुमनित किया जाए। इहें व्रमणः स्वाव-राष्ट्री भी बनाया जाए।
१९. गृह तथा केन्द्र कुछ द्वावृत्तियाँ इन पर्मिक शालाओं के साम्य दौरों के लिए रखें।
२०. आकाशिक शालाएँ, नियोजनः आमोग छोड़ों में, अधिक भरतीय रोपी जाएं।
२१. धार्म, रित्याग, मत्तूर चालों के लिए अधिक गुव्या में शालाएँ रोपी जाएं।
२२. वाल्क तथा वालिकाओं की शिक्षा में बोर्ड ऐडन रखा जाए, पर वालिकाओं के लिए गृह-व्यापक की शिक्षा की व्यवस्था मह-शिक्षायाली नगर वालिकाओं वी शालाओं में वी जाए।
२३. आवश्यकतानुसार वालिकाओं के लिए अलग में शालाएँ भी रोपी जाएं।
२४. मह-शिक्षायाली शालाओं में वालिकाओं सभा मर्टिल विविदाओं की सिंच आवश्यकताओं का एक राष्ट्र गठनुगार मुश्किले चुयाई जाए।

भारतीय मार्यमिक शिक्षा का विकास

जो हि प्राप्ति में दागा जा सकता है, वार्ड मैट्रोने वी कौति के प्रभाव

५४ :::: भारतीय शिक्षा तथा भारुनिक विचारधाराएँ

१८३५ से भारत में अपेजी शालाओं की वृद्धि हुई। इन्होंने से इमारी वर्तमान माध्यमिक शालाओं का प्रारम्भ होता है। १८४४ में लार्ड हार्डिंग द्वारा सुरक्षारी नीकरी में अपेजी पेट्रोलिये लोगों की नियुक्ति को प्रारम्भिकता देने की नीति से भी इसे प्रोत्ताहन मिला।

१८५३ तक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएँ उठ रही हुई थीं। इसके लिए विस्तृत जाँच आवश्यक थी। अभी तक की प्रगति की जाँच के आधार पर १८५४ का

महाविधान १८५४ में बुड़े डिस्ट्रीक्या या शिक्षा-महाविधान के रूप में शिक्षा क्षेत्र में की गई प्रगति तथा वर्तमान समस्याओं के हल के मुद्दाय प्रस्तुत किये गए थे। १८५४ के शिक्षा-महाविधान की प्रमुख

उपायिणी शिक्षा-विभाग स्थापित करने, विश्वविद्यालय-स्थापना, मानवार राजीव विद्यालयों की स्थापना, निजी संस्थाओं को आर्थिक सहायता, शिक्षकों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि से सम्बन्धित थी। १८५४ के शिक्षा-महाविधान के पाठ्यस्वरूप वर्मन्ड, कलकत्ता आदि विश्वविद्यालय खुलने वाले कारण माध्यमिक शिक्षा स्वयं स्वतन्त्र तथा पूर्ण न रह सकी। १८५४ के बाद अगले २०-२५ वर्षों में भारतीय माध्यमिक शिक्षा के गमनघ में अपनाई गई नीति के कारण अनेक दोष परिवर्तित होने लगे थे, जिनमें निम्न प्रमुख थे :

१. शिक्षा का माध्यम अपेजी होना।

२. शिक्षा का जीवन की आवश्यकताओं द्वारा परिरक्षितियों से बिन्दा होना।

३. माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की ओर उनमें व्यवस्था न होना।

४. मेट्रिक परीक्षा का माध्यूर्ण माध्यमिक शिक्षा के गाय प्रारम्भिक शिक्षा पर मी अधिक प्रभाव होना।

इन १८८२ में भारतीय शिक्षा की प्रगति तथा गमन्याओं के हल के द्वारा दूर की गयी थी। माध्यमिक शिक्षा के गमन्य में इन योग्यताओं को स्वरूप तथा स्नाय-मन्दनीय जॉन और मुद्दाय देने १८८२ का दूर सा कार्य नहीं गया था। इन योग्यताओं ने मुद्दाय दिया हि गार्गमिति शिक्षा पी व्यवस्था आर्थिक अनुदान के आधार पर दी जाने वाली उक्त योग्य गरवार माध्यमिक शिक्षा पी

ध्यनस्था आमे हाथ मे न हे ।

भाष्यमिक शिक्षा को दृष्टि से हंठर कमीशन की कुछ गिराविंदी वटी महत्वपूर्ण थी, जैसे भाष्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम को बहुउद्देश्यीय बनाया जाये, भाष्यमिक स्तर पर व्यावर्याधिक शिक्षा दी जाये, शिक्षा का माप्यम अद्येत्री रखना आवश्यक नहीं है, शिक्षकों के प्रशिक्षण की उत्तम व्यवस्था की जाये आदि । पर इन सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । फलस्वरूप भाष्यमिक शिक्षा में अलेह दोष बने रहे । पर १९०२ तक भारत में भाष्यमिक शिक्षा का अधिक प्रगति हुआ, जो निम्न ऑफिसों से प्रतीत होता है :

	१८८१-८२	१९०१-०२
१. भाष्यमिक शालाएँ	३,९१६	५,३२६
२. भाष्यमिक शालाओं में छात्र	२,१४,०७३	५,९०,१२९

ग्रन्त १९०२ तक इस अभूतपूर्व प्रगति के द्वा कारण मुख्य थे—(१) निझी प्राचार्यों का उन्नाद एवं वृद्धि तथा (२) आर्यिक अनुदान प्रणाली वा अपनाया जाना ।

नार्द वर्जन ने भारत में आने पर शिक्षा में सुधार करने के अनेक प्रयत्न किए । विभिन्न शालायीन शिक्षा के सुधार के लिए उन्होंने १९०२ में विभिन्न शालायीन आयोग वा समापना की । इस आयोग ने विभिन्न शालायीन १९०२ का विषय- शिक्षा के विषयवस्तु तथा ग्रंथालय के लिए अनेक महत्वपूर्ण विषयालय आयोग सुशाय प्रमुख रिये । फलस्वरूप भाष्यमिक शिक्षा विषय-

शिक्षायीन शिक्षा मे और भी अधिक प्रभावित होने लगी, जिसके १९०४ वा जो विभिन्न शालायीन घानन सना उसके अनुगार भाष्यमिक शालाओं वा विभिन्न शालाओं में मानवा प्रात फर्ना आवश्यक हो गया । लाउं वर्जन ने भाष्यमिक शिक्षा के विषयवस्तु के लिए विभिन्न भावना पाने, आर्यिक तथा व्यावर्याधिक गृहियों देने, अमीर्यन शालाओं के दातों के स्वीकृत शालाओं में भर्ती रिये जाने पर प्रगतिशील रूपाने आदि वर्ड वाम दिये ।

५३ :::: मार्गीय शिक्षा तथा भाष्यमिक विचारधाराएँ

मार्गीमिक शिक्षा के स्तर के सुधार के लिए उन्हें प्रत्येक जिले में सरकारी मार्गीमिक शाला स्थापित की तथा गैर-सरकारी शालाओं को आर भी अधिक अधिक सहायता दी। शिक्षण के प्रशिक्षण की सुविधाएँ भी बढ़ाई। मिडिल कल्याणों तक मार्गीभाषा की माध्यम बनाया गया।

इस समय तक यह अनुभव किया जाने लगा था कि विद्यविद्यालय मार्गीमिक शिक्षा पर बहुत अधिक नियन्त्रण रखते हैं। अतः उन्हें इस नियन्त्रण से मुक्ति दिलाने तथा स्वतन्त्र करने के लिए मार्गीमिक शिक्षा प्रमण्डलों वी स्थापना भी कई प्रान्तों में की गई। ये प्रमण्डल मार्गीमिक शालाओं के लिए पाठ्यप्रयोग बनाते, अन्तिम परीक्षा देते तथा पुस्तकें निर्धारित करते थे।

सर सैटलर की अध्यक्षता में सन् १९१७ में कलकत्ता विद्यविद्यालय की शिक्षा-भाष्यमधी जैन तथा मुशावरे के हेतु कलकत्ता विद्यविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। इसे सैटलर आयोग भी कहते हैं। इस कलकत्ता विद्यविद्यालय आयोग ने मार्गीमिक शिक्षा पर भी विचार किया तथा यह मत पियालय आयोग घन्त किया कि मार्गीमिक शिक्षा में सुधार विद्यविद्यालयीन १९१८ शिक्षा के विकास तथा सुधार के लिए आवश्यक है। सैटलर आयोग ने इस मध्यम में निम्न मुशावर दिये :

१. मार्गीमिक शिक्षा तथा विद्यविद्यालयीन शिक्षा के बीच वी कठी मैट्रिक परीक्षा न होना इन्टरमीडिएट परीक्षा होती चाहिए।
२. अतः इन्टरमीडिएट ग्रस्थाएँ रोटी जायें। ये चारे स्वतन्त्र हों या मार्गीमिक शालाओं से छुटकन रहें।
३. मार्गीमिक तथा इन्टरमीडिएट शिक्षा योर्ड स्थापित किये जायें।
४. विद्यविद्यालयों में प्रबंध इन्टरमीडिएट के बाद दिया जायें।

सैटलर आयोग वी किसाल्य कलकत्ता विद्यविद्यालय के सम्बन्ध में ही भी पर अनेक भारतीय विद्यविद्यालयों ने इन मुशावरों के अनुसार यार्ड बनाए प्रारम्भ किया। इसके बाद तो मार्गीमिक शिक्षा का बहुत अधिक प्रगाहर हुआ। पर पाट्टाकम्ब में विविधता, व्याक्तिगतिक शिक्षा, शिक्षण का प्रशिक्षण, उनसा येतन साधा बेता की गये, मार्गीम आदि वी ग्रम्याएँ, दौर्यों की तो रही उन्हें इनमें बोर्ड सुधार न हो चुका।

द्वितीय शासन तथा मान्यमिक शिक्षा

१९२१ में भारतीय शासन में सुधार हुआ तथा शासनों में दुहरे शासन का आरम्भ हुआ। इसमें शिक्षा तथा कुछ अन्य विषय भारतीयों के हाथ में रहे। पर अर्थ-विमान अप्रेलों के हाथ में था तथा शिक्षा-विमान के अनेक उच्च अधिकारी शिक्षा के उच्चन स्तर के पात्र में थे। पर भारतीय बनवा तो शिक्षा-प्रशार चाहती थी। इस प्रशार एक दूल्ह चल पड़ा।

सन् १९२१ में भारतीय शिक्षा की जांच करने तथा सुधार के मुशाय देने के देश मर हार्टांग की अधिकारी में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने भी यह मत घटन किया कि अभी भी विद्यविद्यालयीन शिक्षा हार्टांग समिति या बहुत अधिक प्रभाव वान्यमिक शिक्षा पर है। इसके सुधार के लिए हार्टांग समिति ने पाठ्यक्रम की विविधता तथा अधिकाश बालों को पूर्व-वान्यमिक स्तर तक शिक्षा देने की निरापेक्षी दी। याप ही हार्टांग समिति ने बालों को औद्योगिक तथा व्याक्षायिक शिक्षा भी ओर उन्मुख बरने का मुशाय भी दिया। इस समिति ने शिक्षणों की दशा तथा प्रगतिशुल्क को अनुनापनक बताया। पर इसके सुधार के बोर्ड टीस उपाय नहीं मुशाये।

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद्

१९२३ में भारत गवर्नर को शिक्षा-समन्वयों भासनों में युलाद देने के देश एवं द्वितीय शिक्षा सलाहकार परिषद् की स्थापना की गई।

सन् १९२४ में गुरुक ग्रान्त थी गवर्नर ने अस्त्रे ग्रान्त के पालों की जानकारी प्राप्त करने तथा उसे दूर करने के उपाय सुझाने के देश ग्रूम्ह समिति शिक्षा थी अप्रभावों में एक समिति बनाई। इस समिति ने ग्रूम्ह समिति शिक्षा थी देश विभिन्न पाल करने वाली ही निर्मिति किया। इसके सुधार के लिए समिति ने निम्न मुशाय दिये:

१. वान्यमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षावादी पाठ्यक्रम बनाये जाए।
२. दर्जन इन्डस्ट्रीलिट गवर अन्य करके वान्यमिक स्तर में इन्हा एक दर्जे दिता जाए।

३. व्यावसायिक तथा प्राविधिक कोर्स मिहिल स्तर के बाद प्रारम्भ किये जायें।

४. विश्वविद्यालयीन छिप्री कोर्सें इच्छीय रहे।

सन् १९३७ तक माध्यमिक शिक्षा के दोष स्पष्ट हो गए थे। जहाँ-तहाँ बैकारी फैलने लगी थी। राष्ट्रीय आन्दोलन भी बल याने लगा था। जहाँ-तहाँ माध्यमिक शालाओं तथा विश्वविद्यालयों से निकलने वी आवाजें आने १९३५ का हार्गी थी। अनेक राष्ट्रीय संस्थाएँ भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि संविधान को बनाये रख दिखा के प्रयोग प्रारम्भ कर रही थी। अतः शिक्षा में आमूल परिवर्तन तथा सुधार आवश्यक हो गया था। इसी समय १९३५ के भारतीय संविधान के अनुचार देश के अनेक प्रान्तों में कांप्रेसी मंत्रिमंडल स्थापित हुए। फलस्वरूप शिक्षा में सुधार के प्रयत्न किये जाने लगे, पर शीघ्र ही युद्ध प्रारम्भ हो जाने के कारण तथा अनेक राजनीतिक कारणों से कांप्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। इससे इस दिग्गज में अधिक काम न हो सका।

सन् १९३६-३७ में भारत सरकार ने श्री शुड तथा श्री एवेट नाम के दो सज्जनों को शिक्षा के पुनर्गठन, विरोपतः औद्योगिक शिक्षा सुड तथा एवेट के पुनर्गठन, के लिए आमंत्रित किया। इन दो सज्जनों द्विपोर्ट की समिति वो निम्न कार्य संपीड़ित गए :

१. माध्यमिक तथा माध्यमिक स्तर पर औद्योगिक शिक्षा के स्थापन तथा उसे प्रारम्भ करने समर्थी सुविधा देना।

२. तात्कालिक व्यावसायिक तथा औद्योगिक संस्थाओं के पुनर्गठन तथा विकास के सुविधा देना।

इस समिति ने देश में माध्यमिक स्तर की औद्योगिक तथा व्यावसायिक शालाएँ खोलने पा सुविधा दिया। इस समिति के सुविधाओं के प्रलक्षण देश में औद्योगिक, इण्डियन व्यावसायिक शालाएँ तथा पोर्टिफिनिर्म संस्थाएँ स्थापित हुईं।

द्वितीय महायुद्ध के बाद गन् १९४८ में केन्द्रीय शिक्षा सनाहित फरिदद ने युद्धोत्तर काल में शिक्षा के विकास के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की।

इसे गोडेंग रिपोर्ट में कहते हैं। इस रिपोर्ट में अनिवार्य सार्वेण्ट रिपोर्ट निःशुल्क शुनियादी शिक्षा की व्यवस्था (६ से १४ वर्ष के यालक-चालिकाओं के लिए) तथा माध्यमिक शिक्षा को एक पूर्ण स्वतन्त्र अंग के रूप में रखा गया। माध्यमिक शिक्षा के लिए इसमें दो प्रकार की शालाएँ मुशार्द गईः (१) आदिवासी तथा (२) व्यावसायिक। इन दोनों प्रकार की शालाओं का उद्देश्य माध्यमिक सर पर सर्वोगीण शिक्षा की व्यवस्था करना तथा यालकों को शाला छोड़ने पर विची एक उत्तोग चुनने तथा करने में रहायक यिद्द होना है।

म्बलन्ता-प्रानि के बाद सन् १९४८ में अपनी १५वीं बैठक में बैन्ड्रीय शिक्षा उल्लासकार परिषद ने माध्यमिक शिक्षा-भूमध्यभी समस्याओं पर विचार किया। पलस्वरूप दा० शाराचन्द्र की अध्यक्षता में, जो उस बैन्ड्रीय शिक्षा रामन बैन्ड्रीय शिक्षा-विभाग के शिक्षा-सचिव थे, एक समिति सलाहकार परिषद गठित की गई। इस समिति ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन तथा दा० के लिए अनेक मुशाय दिये। इन मुशायों पर बैन्ड्रीय शिक्षा उल्लासकार परिषद ने १९४९ में इलाहाबाद में हुए आगामी १५वीं बैठक में विचार किया। इसमें अनेक महत्वार्थी निर्गम दिये गए, जैसे विधिविद्यालय में प्रोफेस के लिए ४ वर्षीय माध्यमिक शिक्षा आवश्यक हो। अंग्रेजी माध्यम शूलात करने का मानवाधार को माध्यम बनाया जाये तथा याहूमारा की शिक्षा अनिवार्य भी जाये, प्रान्तीय शिक्षा बोर्ड स्थापित किये जाये आदि के गाय-गाय माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए मुशाय देने के हेतु एक उपायीय माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की जाये। बैन्ड्रीय शिक्षा-उल्लासकार परिषद ने अपनी १९५१ वीं बैठक में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना के प्रमाण भी मुनःकुरुयात। पलस्वरूप बैन्ड्रीय उल्लासकार ने २३ जिल्हार १९४२ खो एक माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष दा० मुदानिर थे। अतः इसे मुदानिर आयोग भी कहते हैं।

इसी दीन में बैन्ड्रीय उल्लासकार ने विधिविद्यालयीन शिक्षा के पुनर्गठन-भूमध्यभी मुशाय देने के लिए अन् १९४८ में दा० राष्ट्राभान भी अध्यक्षता में एक विधिविद्यालयीन शिक्षा आयोग की स्थापना की। विधिविद्यालयीन शिक्षा-भूमध्यभी

विचार करते रहमय इस आयोग ने मार्यामिक शिक्षा पर भी विश्वविद्यालय विचार किया तथा मार्यामिक शिक्षा को इन्टरमीडिएट क्षेत्र गिरकर आयोग (१९४८) स्तर का बनाने का सुझाव दिया। इस आयोग ने स्पष्ट रूप से यह व्यक्त किया कि “भारतीय शिक्षा में मार्यामिक शिक्षा सबसे कमज़ोर कड़ी है। अतः इसमें तल्काल ही सुधार आवश्यक है।”

इस आयोग की स्थापना २३ फ़िताम्बर १९५२ को हुई। इसके अध्यक्ष डॉ. मुदालियर के अतिरिक्त निम्न सदस्य थे :

मार्यामिक शिक्षा

१. प्रिसिपल जॉन निस्ट, आक्यापोड़ आयोग (१९५२)
२. डॉ. वेनेष रास्ट विलियम (यू० एस० ८०)
३. श्रीमती हंसा मेहता

४. श्री तारापोरकाल्य
५. डॉ. कौ० एल० श्रीमाली
६. श्री टी० एम० व्याग
७. श्री के० जी० सेथदेन
८. प्रिसिपल ए० एन० बमु

इस आयोग का उद्घाटन भारत के तत्कालीन बैन्द्रीय शिक्षा मन्त्री भौत्तमा आचार ने ६ अक्टूबर १९५२ को किया। आयोग ने अपना विश्वृत प्रतिवेदन जून १९५३ को फैल्ड्रीन सरकार द्वारा अर्पित कर दिया। इस प्रतिवेदन में भारतीय मान्यताओं, आदर्शों तथा आवश्यकताओं वी पृष्ठभूमि में मार्यामिक शिक्षा के पुनर्गठन के सुझाव प्रस्तुत किये गए हैं।

आयोग ने मार्यामिक शिक्षा के निम्न दोष घटलाये हैं :

१. नहींमान मार्यामिक शिक्षा अरोग्य, इतिहास व लोकोनी भी नहीं है।

२. यह यान्त्र-वान्यान्त्रिकाओं की विभिन्न रचनाओं या एक ही यान्त्र-वान्यान्त्रिक की विभिन्न रचनाओं द्वारा आनशनिकाओं की दृष्टि नहीं करती।

३. यह छात्रों को सुनारारिक नहीं बनाती। यह उनमें सुनारारिक के

लिए आवश्यक गुणों, जैसे अनुशासन, विनय, गहयोग, स्वावलम्बन नेतृत्व आदि का विकास नहीं करती।

८. यह परीक्षा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानती है। परीक्षा-प्रणाली भी दूषित है क्योंकि इसके द्वारा छात्रों के ज्ञान की घास्तविक परीक्षा नहीं हो पाती है।

९. यह पुरुषकीय है। पलस्तरूप यह बालक-नालिकाओं को उत्त्योगी व्यवहार दिलाने में अग्रमर्थ रहती है।

१०. इसका पाठ्यनाम योशिल तथा पाठ्य-पुस्तक बालक-नालिकाओं की रुचि, योग्यता तथा आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं होती।

११. इसमें गिराव नीरस तथा भारस्तरूप होता है। इसमें गिराव के तथा बालक दोनों अपनी योग्यता का पूर्ण परिचय नहीं दे पाते।

१२. मार्यादिक शालाओं में बालकों की संख्या भी बहुत अधिक रहती है, जिसमें गिराव-विद्यार्थी-कुमार तथा गम्भन्य पनिष्ठ रूप में स्थापित नहीं हो पाता है।

१३. शिक्षा के अत्यधिक विकास के कारण योग्य तथा अनुभवी शिक्षकों की कमी है।

१४. मार्यादिक शालाओं में अनेक छात्र ऐसे भरती होते हैं जिनके घर वा यातायरण शाला की शिक्षा का पूरक तथा उसमें गहयोग नहीं होता। अतः मार्यादिक शालाओं को इस उत्तरदातित वा वहन भी बरना चाहिए। पर आज वे इस उत्तरदातित वा वहन नहीं कर रहे हैं।

१५. मार्यादिक शालाओं में ऐसी गह-पाठ्यसंग्रहालयी किताओं को व्यवस्था नहीं है जो बालक के गतिशील विकास में गहयोग हों। तात्पर्य यह है कि मस्तिष्ठ, गंडेग, शधियों, शारीरिक विकास तथा ग्रामाजिकता के गुणों का विकास वरनेशारी गह-पाठ्यसंग्रहालयी किताओं का वर्तमान मार्यादिक शालाओं में अभाव है।

१६. ऐसा उपरोक्त नामक शिक्षाओं की मुविक्षाओं की वज्री भी अनिवार्य है।

आपेक्षा ने इन उपरोक्त दण्डों को निम्न एः शास्त्रों में त्रिमात्र

६२ :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

किया है :

१. माध्यमिक शिक्षा का भावी जीवन से विलगाव ।
 २. माध्यमिक शिक्षा का एकाग्रीय तथा सक्तिशाली ।
 ३. शिक्षा का माध्यम अनेक स्थानों में अपेक्षी तथा अप्रेजी को महत्वपूर्ण स्थान की प्राप्ति ।
 ४. शिक्षण-पद्धतियाँ स्वतन्त्र चिन्तन वश कार्य करने की क्षमता के विकास में सहायक नहीं ।
 ५. शिक्षक-विद्यार्थी-सम्पर्क तथा सम्बन्ध की कमी ।
 ६. परीक्षा पर महत्व अधिक होने से चरित्र-निर्माण में सहायक न होना ।
- आयोग ने इन दोषों के दूर करने तथा माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए निम्न सुझाव दिये हैं :
- इनके सबंध में विस्तार से चर्चा इसी अव्याप में की जा चुकी है । अतः माध्यमिक यहाँ सुधैर में संकेत-मात्र ही किया जाता है । भारत एक शर्मनिरपेक्ष लोकतात्त्वक गणतंत्र है । भारत प्राकृतिक शिक्षा का उद्देश्य साधनों से समृद्ध है परं देशवासी इनके उपयोग न होने से गरीब हैं तथा उनका जीवन-स्तर निम्न है । गरीबी आदि के कारण देशवासियों का ज्ञान साकृतिक तथा धाराजिक गतिविधियों की ओर नहीं रहता ।
- इन परिस्थितियों तथा मानवाओं के आधार पर माध्यमिक शिक्षा के निम्न उद्देश्य होना चाहिए :

१. आदर्श नागरिकों का निर्माण करना, जिनसे वे भारतीय शर्मनिरपेक्ष गणतंत्र के उत्तरदायित्वा वा वहन कर सकें ।
२. छात्रों की व्यावहारिक तथा व्यावरणीय क्षमताओं का विकास करना,
३. जिससे देश का अधिक उत्थान सम्भव हो ।
४. मानवीय गुणों का विकास करना, जिससे देश का गोस्कृतिक उत्थान हो सके तथा एक प्रगतिशील राष्ट्रीय गंभीरता वा विराग सम्भव हो ।
५. नेतृत्व पी मानवा का विकास करना जिससे देश के नागरिक द्वारा मैं राजनीति के गुच्छे नेता यन रह सकें ।

इसके संबंध में भी हरी अज्ञाय में अन्यथ विस्तार से चर्चा की गई है।
संतोष में मार्यादिक शिक्षा का संगठन निष्प्र प्रकार मुक्ताया गया है :

(अ) ४ या ५ वर्ष की प्रार्थमिक शिक्षा ।

मार्यादिक शिक्षा (ब) पूर्व-मार्यादिक या शीनिवर वेसिक स्तर की शिक्षा ३
का संगठन दायं ।

(ग) उच्चर मार्यादिक स्तर की शिक्षा ५ वर्ष ।

आयोग ने मार्यादिक शिक्षा का मार्यम मानवाया या प्रादेशिक भाषा
रखने का मुक्ताय दिया । अप्रेजी पढ़ने के सम्बन्ध में बड़ा झल्मेद रहा ।

आयोग ने अप्रेजी को वैकल्पिक स्पष्ट में पढ़ाने की
शिक्षा का मार्यम यित्तारिया की । यद्य में विभिन्न भाषा बोलनेवाले व्यक्ति-
तया भाषाओं की संभवता के लिए आयोग ने पेट्रोप शिक्षा समाव्हकार
शिक्षा परिषद द्वारा १९४९ वी वैठक में दिये गए मुक्तायों के
अनुग्राम मुक्तिया देने की विस्तारिया की ।

मिट्टिया पूर्व-मार्यादिक स्तर पर प्रत्येक छात्र को कम-से-कम दो भाषाएँ
पढ़ाइ जायें पर एक ही वर्ष में दो भाषाएँ न कियाइ जाएं । अप्रेजी तथा दिन्दी
उत्तरायर वेसिक स्तर पे अनियती वर्ष ने प्रारम्भ की जाये ।

मार्यादिक तथा उच्चर मार्यादिक स्तर पर कम-से-कम दो भाषाओं का ज्ञान
दिया जाये, जिसमें एक मानवाया या प्रादेशिक भाषा हो ।

आयोग ने पाठ्यक्रम में निम्न गुण होना उपरोक्तों बताया :

१. पाठ्यक्रम जालसी भी विभिन्न प्रकृतियों का विस्तृत करने-
पाठ्यक्रम याल हो ।

२. परिवर्तन शीघ्र हो लियें जान्तों की आवश्यकतानुसार उम्में
परिवर्तन किया जा सके ।

३. सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल हो ।

४. शब्द का गुणों विवादों वाला हो ।

५. शिक्षा में ऐसा हुआ न होस्तर जन-सीरों में यद्य हुआ हो ।

इन उपरोक्त विद्यान्तों पर आधारित पाठ्यक्रम में निष्प्र निष्पांसित
दिये गए हैं :

६७ :::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

विचार करते समय इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा पर भी विचार किया तथा माध्यमिक शिक्षा को इंटरमीडिएट कक्षा शिक्षा आयोग सार का बनाने का सुझाव दिया। इस आयोग ने सप्ट (१९५०) रूप से यह व्यक्त किया कि “भारतीय शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा रूपसे कमज़ोर बड़ी है। अतः इसमें तत्काल ही मुश्वर आवश्यक है।”

इस आयोग की स्थापना २३ सितम्बर १९५२ को हुई। इसके अध्ययन दाता मुद्रालिपि के अतिरिक्त निम्न उद्देश्य थे :

माध्यमिक शिक्षा १. प्रिंसिपल जॉन गिल्ट, आकर्पोर्ड
 आयोग (१९५२) २. डा० केनेथ रास्ट विलियम (यू० एस० ए०)
 ३. श्रीमती हंगा मेहता

४. श्री तारापोरवाला
५. डा० के० ए० थीमाली
६. श्री दी० एम० लाला
७. श्री के० जी० सैण्डेन
८. प्रिंसिपल ए० एन० यमु

इस आयोग का उद्दान भारत के तत्कालीन बैंडीर शिक्षा मन्त्री मौलाना आगाद ने ६ अक्टूबर १९५२ बो किया। आयोग ने आपना विस्तृत प्रतिवेदन जून १९५३ को केंद्रीय गवर्नर बोर्ड अंतिम पर दिया। इस प्रतिवेदन में मार्तीर मान्यताओं, आदमी गण आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के सुझाव प्रस्तुत किये गए हैं।

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के निम्न दोष घटनाये हैं :

१. वर्तमान माध्यमिक शिक्षा अग्रेसर, इनिम है। यह माध्यमिक शिक्षा सचेती भी नहीं है।

२. दोष २. यह बालक-व्यालिकाओं की निमित्त रागियों या एक ही बालक-व्यालिका की निमित्त रागियों तथा आगरवासियों की गूंज नहीं पड़ती।

३. यह दात्रों को सुनार्थिक नहीं बनाती। यह उनमें गुजारातिक फ-

लिए आवश्यक गुणों, जैसे अनुशासन, विनय, सहयोग, स्वावलम्बन नेतृत्व आदि का विकास नहीं करती।

५. यह परीक्षा वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानती है। परीक्षा-प्रतार्थी भी दूरित है किंतु किं इनके द्वारा उठाए जाने के जान की वालाहिक पर्याप्त नहीं हो पाती है।

६. यह पुरुषधीर है। फलस्वरूप यह वालक-चालिकाओं वो उत्तरोगी घटनाकाव दिलाने में अग्रगत रहती है।

७. इसका पाठ्यक्रम योगिल तथा पाठ्य-गुन्तुके वालक-चालिकाओं को रुचि, योग्यता तथा आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं होती।

८. इसमें शिखण नीरस तथा भारस्वरूप होता है। इसमें शिखण तथा वालक दोनों असनी योग्यता का पूर्ण परिवर्त नहीं दे पाते।

९. मार्गभिक शालाओं में वालकों की मोग्ला भी बहुत अधिक रहती है, जिसमें शिखण-विश्वायो-उत्तरार्थ तथा गुप्तग्रन्थ एवं ग्रन्थानि नहीं हो पाता है।

१०. शिखा के अल्पधिक विकास के कारण योग तथा अनुभवी शिखों की कमी है।

११. मार्गभिक शालाओं में अनेक दात्र ऐसे भरती होते हैं जिनके पर वा यातावरण शाला की शिखा का पूर्ण तथा उनमें गहायक नहीं होता। अतः मार्गभिक शालाओं को इन उत्तरदातिक्य पा बदन भी बरजा जाएँ। पर आज वे इन उत्तरदातिक्य का बदन नहीं कर सकती हैं।

१२. मार्गभिक शालाओं मेंऐसी गह-वालकमसामाजिक शिखों की वर्तन्ता नहीं है जो वालक के चर्चागों विकास में गहायक हों। गहायक पर है हि भनिष्ठ, मंत्रेग, शब्दियों, शार्गेरिक विकास तथा गामादिक्षा के गुणों का विकास करनेवाली गह-वालकमसामाजिक शिखों का दर्तमान मार्गभिक शालाओं में अस्तव है।

१३. योग तथा मनोरेत्नालय विकासों की सुविधाओं की पर्याप्ति में अपरिहर है।

आपोग ने इन उपरोक्त दण्डोंवे दोनों पर नियम दृष्टि गति में तिक्त

६२ :::: भारतीय शिक्षा तथा भाषुनिक विचारधाराएँ

किया है :

१. मार्यमिक शिक्षा का भावी जीवन से विलगाय ।

२. मार्यमिक शिक्षा का एकाग्रीपन तथा सकौर्णता ।

३. शिक्षा का मार्यम अनेक स्थानों में अपेक्षी तथा अंग्रेजी को महत्वपूर्ण स्थान की प्राप्ति ।

४. शिक्षण-पद्धतियाँ स्वतन्त्र चिनान तथा कार्य करने की क्षमता के विकास में सहायक नहीं ।

५. शिक्षक-विद्यार्थी-संगठन के तथा सम्बन्ध की कमी ।

६. परीक्षा पर महत्व अधिक होने से चरित्र-निर्माण में सहायक न होना ।

आपोग ने इन दोषों के दूर चलने तथा मार्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए निम्न सुझाव दिये हैं :

इनके संबंध में विस्तार से चर्चा इसी अव्याय में की जा सकती है । अतः

यहाँ संक्षेप में संकेत-माझ ही किया जाता है । भारत एक

मार्यमिक धर्मनिरेत्त लोकतात्मक गणतन्त्र है । भारत प्राकृतिक शिक्षा का उद्देश्य लोभनों से छटूद है पर देशवासी इनके उपयोग न

होने से गरीब है तथा उनका जीवन-स्तर निम्न है ।

गरीब आदि के कारण देशवासियों का ज्ञान गालूतिक तथा जामाजिह गतिविधि की ओर नहीं रहता ।

इन परिस्थितियों तथा मानवताओं के आधार पर मार्यमिक शिक्षा के निम्न उद्देश दोना चाहिए :

१. आदर्श नामरिकों वा नियमों करना, जिनसे वे मार्यीय धर्मनिरेत्त गणतंत्र के उत्तरदातिन्यों वा यदन वर सहके ।

२. दार्शनी की व्यावहारिक तथा व्यावशायिक समताओं वा विकास करना, जिससे देश का अधिक उत्थान गम्भीर हो ।

३. मानवीय गुणों वा विकास करना, जिससे देश का गांधीजिह उत्थान हो गया । एक प्राकृतिकीय गांधीज गतिविधि का विकास गम्भीर हो ।

४. नेतृत्व की भावना का विकास करना, जिससे देश के नागरिक दीन में भारत के गव्ये नेता बन जाएं ।

इसके अंतर्गत में भी इसी अध्याय में अन्यत्र विस्तार से चर्चा की गई है।
हंगेज में मार्यादिक शिक्षा का उल्लङ्घन निम्न प्रकार मुक्ताया गया है :

(अ) ४ या ५ वर्ष की प्रार्थादिक शिक्षा ।

मार्यादिक शिक्षा (ब) पूर्ण-मार्यादिक या गीनियर वैज्ञानिक स्तर की शिक्षा ३
वर्ष का उल्लङ्घन वर्ष ।

(ग) उच्चतर मार्यादिक स्तर की शिक्षा ४ वर्ष ।

आपोग ने मार्यादिक शिक्षा का मार्यादिक मानृभाग या प्रार्थादिक भाग
उल्लङ्घन का मुक्ताय दिया । अंग्रेजी पढ़ने के सुन्दर्भ में यड़ा भलमेद रहा ।

आपोग ने अंग्रेजी को वैकल्पिक रूप में पढ़ाने की
शिक्षा का मार्यादिक दिया । राज्य में विभिन्न भाग बोलनेवाले अल्प-
तथा भाषाओं की संख्याओं के लिए आपोग ने वैकल्पिक शिक्षा सलाहकार
शिक्षा परिषद द्वारा १९४९ की बैठक में दिये गए मुक्तायों के
अनुमार मुविधा देने की उम्मीदिया की ।

मिट्टि या पूर्ण-मार्यादिक स्तर पर प्रत्येक छात्र को कम-से-कम दो भाषाएं
पढ़ाइए जाएं पर एक ही वर्ष में दो भाषाएं न सिखाइ जाएं । अंग्रेजी तथा हिन्दी
जूनियर वैज्ञानिक स्तर के अन्तर्गत वर्ष से प्रारम्भ की जाएं ।

मार्यादिक तथा उच्चतर मार्यादिक स्तर पर कम-से-कम दो भाषाओं का शान
दिया जाये, जिनमें से एक मानृभाग या प्रार्थादिक भाग हो ।

आपोग ने पाठ्यक्रम में निम्न गुण होना उपरोक्त बदलाया :

१. पाठ्यक्रम यालों की विभिन्न प्रवृत्तियों का विद्यालय करने-
पाठ्यक्रम याला हो ।

२. परिवर्तन दीप हो जिनमें यालों की आवश्यकतानुसार उनमें
परिवर्तन दिया जा सके ।

३. सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल हो ।

४. भगवान का शुद्धसोग गिरावनेवाला हो ।

५. रिसों में देया हुआ न होकर जन-सेवों में देया हुआ हो ।

इन उपरोक्त गिरावनों पर आधारित पाठ्यक्रम में निम्न विषय निर्धारित
किये गए हैं :

६४ :: : भारतीय दिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

मिडिल शास्त्रों के लिए (भवी अविद्यार्थ)

१. भाषा २. समाजिक-अध्ययन ३. सामाज्य विज्ञान ४. गणित ५. कला और संगीत ६. उच्चोग ७. शारीरिक विकास ।

माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए :

(अ) अविद्यार्थ विषय :

१. भाषा २. समाज्य विज्ञान ३. सामाजिक अध्ययन ४. उच्चोग ।

(ब) विशिष्टतावाले वेंडिंग क विषयों के समूह :

१. मानवीय विषय २. विज्ञान ३. टेक्नीकल ४. व्यापारिक ५. इंजीनियरिंग ६. लनिट-वर्कर्स ७. गृह-विज्ञान ।

ये विशिष्टतावाले विषय माध्यमिक स्तर के द्वितीय वर्ष से प्रारम्भ किये जायें।

पाटर-पुस्तकों का शिखा-न्तर पर अधिक प्रमाण पड़ता है। अतः आयोग ने पाटर-पुस्तकों के उच्चतर बनाये रखने के लिए एक “उच्च

(व) पाटर-पुस्तक शक्ति प्राप्त समिति” गठन करने पा गुशाव दिया। इस समिति में निम्न गदरस्य रहेंगे :

१. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ।

२. राज्य जन-सेवा-आयोग का गदरस्य ।

३. राज्य के दिग्गी एक विशिष्टविद्यालय का उपरूपति ।

४. राज्य पा एक प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका ।

५. शिक्षा-गवालक ।

इनके साथ-गाथ पुस्तक-चिकित्सा के विकास के लिए विशिष्ट संस्था गोलने, ऐन्ड्रू तथा राज्य गवालर के अच्छे चिक्को के ब्लाक के संग्रहालय गोलने तथा इनके प्रशासनी यो ब्लाक उभार देने, इग्नी विषय के लिए देवल एक ही पुस्तक निर्णयिता न परने आदि के गुशाव दिये।

इग्नी भी पाटरनम की गान्धारा के लिए उत्तम शिक्षा-विधियों का हीना आवश्यक है। अच्छी शिक्षण-विधि में निम्न गुण हीना

(क) निष्ठग वी चाहिए :

गतिवीत विधियों १. बायं के प्रति दृष्टि दृष्टि दृष्टि तथा उत्ते अच्छे-भें-अच्छे दृष्टि गे पूर्ण करने वी अक्षिणी जागृत करे ।

२. ज्ञान को सार्थक तथा यामविक बनाये ।
 ३. दीवन, शाला तथा समाज के वीच की दूरी को बहुत करे ।
 ४. स्वस्त्र चिन्तन की प्रेरणा दे ।
 ५. अभिदृष्टियों का मृत्त विस्तृत करे ।
- आज की दिल्ली-विधियों में उपरोक्त गुण नहीं होते हैं । अतः उनमें निम्न मुधार किये जाने चाहिए :

१. शब्दों द्वारा ज्ञान देने पर वह न देकर किया के आधार पर या योजना बनाकर ज्ञान दिया जाये ।
 २. शाला कार्यक्रम में “अभियक्षि-कार्य” को प्रोत्त्वादित किया जाये ।
 ३. छात्रों द्वारा स्वयं अच्युत करके भ्याष्याय द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की शीरियों में प्रशिक्षित किया जाये ।
 ४. छात्रों को “गमूढ़ में कार्य” परने के अवगत अधिक दिये जाये ।
 ५. अच्छे पुस्तकालयों की व्यवस्था की जाये ।
- आयोग ने चरित्र-निर्माण पर अधिक महसूल दिया है । चरित्र-निर्माण इस प्रधार होना चाहिए कि “विद्यार्थियों की सभी अन्तर्निहित (१) चरित्र-निर्माण शक्तियों अधिकतम मात्रा में विकसित हों तथा समाज पा यन्याज भी हो ।” इसके लिए आयोग ने निम्न गुरुताव दिये :

१. शालाओं द्वारा समाज के दोस्रे दो दूसरे उमड़े विनाम तथा उत्तमता पे प्रसरण परना चाहिए ।
२. चरित्र निर्माण में समाज, शिक्षा, पानक गम्भी वा गृहयोग प्राप्त करना चाहिए ।
३. चरित्र निर्माण की विद्या इनी पर्टें-विगोर तक भीमित नहीं होनी चाहिए ।
४. अनुगामनहीनता दूर होना आवश्यक है । इसके लिए सभी दो गुण-स्त्रिय प्राप्त करना चाहिए ।
५. सार्विक तथा नीतिक विद्या चारित्र निर्माण के लिए आवश्यक है । पर एवं निर्सेरेत गतांत्र देने से शालाओं में इनी एवं विद्याएँ भी विद्या-

६६ : : : भारतीय शिक्षा तथा अध्युनिक विचारपाठाएँ

नहीं दी जा सकती, पर नैतिक प्रशिक्षण अवसर्य दिया जा सकता है।

धर्म की शिक्षा लेख्या पर शाला के छायों के बाद दी जा सकती है।

६. यह-पाठ्यक्रमगामी नियाओं वा याहूल्य तथा उचित व्यवस्था की जाये।
इन्हें शाला पाठ्यक्रम का अंगागी गमनशा जाये।

७. १७ वर्ष से कम आयु के चालकों का उपयोग रजनीतिक प्रचार में न करने के लिए कानून बनाया जाये।

८. राज्य में कैम आदि का आयोजन किया जाये। पूर्व-प्रायमिक चिकित्सा, सेट जॉन एम्पुलेन्स आदि के प्रशिक्षण को समुचित व्यवस्था दी जाये।

९. राष्ट्रीय छात्र सेनिटदल को व्यवस्था (एन० सी० सी०) ऐन्ड्रीय गरकार द्वारा दी जाये।

अन्हों शिक्षा प्रणाली की सफलता के लिए छात्रों की विधियों तथा शमशाओं का समुचित ज्ञान हीना आवश्यक है। अतः प्रत्येक साम्यमिक शाला में छात्रों को उचित दीउगिक निर्देश तथा परामर्श मिलना चाहिए।

- (३) शिक्षा-विदेश शालरों को विभिन्न व्यवसायों तथा उद्योगों वी आवश्यकताओं, तथा परामर्श यामनाओं, कारों, महत्वों आदि से परिचित कराने के लिए निर्मां, औद्योगिक स्थानों के भ्रमण आदि की व्यवस्था बनानी चाहिए। शालरों में दीउगिक तथा व्यावसायिक परामर्शदाताओं की नियुक्तियाँ की जारी। इनके प्रशिक्षण वो व्यवस्था भी प्रत्येक राज्य में की जाये।

- छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य पर उमुचित ज्ञान दिया जाना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक राज्य में सुधारित शाला चिकित्सा ऐक्य दी जाये। छात्रों की पूर्ण जीव तथा वीमारियों की चिकित्सा

- (४) शारीरिक फी व्यवस्था की जाये। छात्रावागों में अच्छा लोटिंग भोजन स्वास्थ्य नियन्त्र दिया जाये। छात्रों के शारीरिक कारों वा ऐक्य राज्य जाये, शाला के आगामी गत्ताई राजी जाये तथा शालकों से इसमें गत्ताई भी जारी, शिक्षाओं वो शारीरिक दिया में प्रशिक्षित करने परी मुनिधार्द वडारं जारी, तिताई को पूर्ण प्रायमिक चिकित्सा वा प्रशिक्षण दिया जाये तथा शारीरिक शिक्षा की उचित व्यवस्था भी जारी।

आयोग ने इसे बहुत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि इसी भी शाल वा नाम शिक्षक की योग्यता, शाल तथा समाज में उनका स्थान, उनके व्यावरणात्मिक प्रशिक्षण आदि पर निर्भर करता है। आयोग ने शिक्षकों तथा

(१) शिक्षकता पर उनके प्रशिक्षण की स्थिति को अनुसूचित करने के लिए शिक्षक-प्रशिक्षण तथा इसमें पर्याप्त सुधार करना आवश्यक बताया। इसके लिए, उन्होंने निम्न सुझाव दिये :

१. माध्यमिक शालाओं में स्नातक तथा शिक्षक-प्रशिक्षण-प्रात शिक्षक रहें। प्राचीनिक विषयों को शिक्षा देनेवाले शिक्षक प्राचीनिक में स्नातक हों।
२. एक-सी योग्यता तथा सुमान श्रेणी के कार्य करनेवाले शिक्षकों का बेतन समान हो।
३. शिक्षकों को उचित बेतन देने की व्यवस्था की जाये।
४. शिक्षकों की आधिक व्यक्ति सुधारने के लिए विस्तृत योजना अधारान् पेनशन, प्रारिदेशक वर्ड तथा वीमा प्रारम्भ की जाये।
५. शिक्षकों सभी कठिनाइयों तथा प्राप्तनाओं को सुनने के लिए निर्गायक माटूल या समितियाँ बनाई जायें।
६. शिक्षकों के मारबुन होने की अवधि शिक्षा-निर्देशक के परामर्शदार ६० दर दर रखी जाये।
७. शिक्षकों के बच्चों पर निःशुल्क शिक्षा समूलं विद्यार्थी लीबन-पर दी जाये।
८. शिक्षकों तथा उनके आधिकों को निःशुल्क चिकित्सा भी उपलब्ध करायें जाये।
९. ट्यूनल-प्रथा रिस्तुरा बन्द कर दी जाये।
१०. माध्यमिक शालाओं के प्रधानाधारक वा पद महत्वपूर्ण समर्थन जाये तथा इसके लिए अच्छे बेतन वी वर्तन्या दी जाये।

शिक्षक प्रशिक्षा विभाग दो प्रकार के हों (१) न्यातरों के लिए एवं वर्ष के लिए प्रशिक्षितालयों में सम्पूर्ण और (२) माध्यमिक शिक्षा-प्राप्त शिक्षकों के लिए वी वर्ष के। शिक्षक प्रशिक्षा-संस्थाओं में प्रशिक्षणरत्न कोर्स आयोडिज छिपे वाले

१८ :: : भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

तथा सभी प्रगिक्षण विद्यालय आवास की मुश्खियों गहित हो, जिसमें मानुदायिक जीवन व्यक्तित्व किया जा सके।

आयोग ने परीक्षा तथा योग्यता-निर्धारण को प्रमुख तथा महत्वपूर्ण बताया। इससे अनेक लाभ है, जैसे :

(१०) परीक्षा १. छात्रों के माता-पिता तथा शिक्षकों को छात्रों की प्रगति का पता लगता रहता है।

२. छात्रों को स्थायं अपनी योग्यता तथा स्तर का ज्ञान हो जाता है।

३. समाज को शाला द्वारा बहन किये जा रहे उत्तरदायित का ज्ञान हो जाता है। इसके सन्तोषप्रद या असन्तोषप्रद होने का ज्ञान भी समाज को होता है। पर पर्याय-प्रणाली में सुधार आवश्यक है। इसके लिए आयोग ने निम्न सुझाव दिये :

१. बालक के वर्ष-मर के कार्य का विवरण रखा जाये तथा उस पर जाँच के समाप्त उचित ज्ञान दिया जाये।

२. अर्दे के बदले सारंतिक विद्या प्रयुक्त किये जायें।

३. आन्तरिक परीक्षाओं तथा रेंटों का गारानी भी अनिम्न पर्याय-फलों में अंतिम किया जाये।

४. रेंट-प्रणाली के दोगों को दूर करने के लिए यस्तुत्प्र प्रबन्ध-प्रणाली को अप्लाया जाये।

५. माध्यमिक रिक्त के अन्त में एक सार्वजनिक परीक्षा ही जायें।

रिक्त-ग्रन्थाओं के उन्नित मार्गदर्शन तथा गंगाटन के लिए उचित प्रगत्यन आवश्यक है। इसके लिए आयोग ने निम्न सुझाव दिये :

(११) प्रशासन १. गिरजा मन्त्री को लोक-शिक्षा-निदेशक या गंचालक ही प्रशासन दे तथा इसका पद गंयुत शिक्षा-नियम के अन्तर्थ गमराया जाये।

२. माध्यमिक रिक्त के लिए “माध्यमिक रिक्त प्रमाणल” गठित किये जायें। इसके अवधारणों लोक शिक्षा-गंचालक ही रहें।

३. गिरजों परीक्षा ग्रन्ति रिक्त प्रशिक्षा परीक्षा रिक्त रिक्त ग्रन्ति प्रशिक्षा सोहौं” की रकमना परीक्षा जाये।

५. गिज़ा-नंवंधी विषयों पर परामर्श के लिए केन्द्रीय गिज़ा सलाहकार परिषद घनी रहे तथा राज्यस्तर पर भी ऐसी परिषदें स्थापित की जाय।
 ६. शिक्षा-निर्देशनों को गिज़ा-गमस्ताओं का अध्ययन करना चाहिए तथा सुमन्यमय पर गिज़ों को उचित प्रामर्श देना चाहिए।
 ७. इन्ड्रेक शाला की प्रबन्धकारिणी समिति होनी चाहिए तथा उसे रजिस्टर्ड किया जाये। प्रधानाध्यापक इसके पदेन सदस्य रहें। विद्यालय के आन्तरिक मामलों का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक पर ही हो।
- माध्यमिक शिक्षा के लिए धन खुदाने तथा कभी-पूर्ति के हेतु आयोग ने निम्न सुझाव दिये :

- (१२) प्रथम-व्यवस्था १. केन्द्रीय सरकार व्यावर्गिक शिक्षा की व्यवस्था करे।
२. व्यावर्गिक तथा प्राक्षिधिक शिक्षा-व्यवस्था के लिए “ओण्डोगिक शिक्षा उपकर” लगाया जाये।
३. गिज़ा संस्थाओं वो दिये गए दान पर कोई कर न लगाया जाये।
४. गिज़ा संस्थाओं द्वाय लरीदी गई गामी पर कोई नुंगी न लगाई जाय।
५. केन्द्र माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता दे। इनके अतिरिक्त आयोग ने प्रत्येक सत्र में कार्य य अवसान के दिनों, विद्यालय भवन आदि के संबंध में भी सुझाव दिये हैं। आयोग के मुशायों में अनेक सुझाव मौजिक तथा रुच हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा के उद्देश, शिक्षा-विधि, चरित्र-निर्माण, ईश्वारिक निर्देशन तथा परामर्श, स्वारप्य-गिज़ा-शिक्षा, परिवारों में आन्तरिक सम्बंध संस्थार के द्वारा या महन आदि। गिज़ों द्वारा दमा मुखारने तथा विद्युत-प्रदान के उद्देश में आयोग के गुरुत्व महत्वपूर्ण है। परिवार-प्रकारी तथा पाठ्यरम-गुनन्धी मुशायों में अवश्य ही मौजिक या भास्तर है। इन मुशायों में माध्यमिक शिक्षा में चले आये

४० :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

परम्परागत दोणों का निरुक्तण सम्बन्ध नहीं दियाई देता। इस आयोग में महिला-शिक्षा पर विश्वास रूप से कोई विचार नहीं किया गया। किसी भी समाज की उभति उससी महिलाओं की स्थिति तथा शिक्षा पर ही निर्भर है। इस दृष्टि से इस महत्वपूर्ण पत्र की उपेक्षा-स्त्री की गई है। इस सम्बन्ध में केवल शृंग-विश्वास तथा कुछ मुविधाओं के देने-मात्र से कार्य नहीं चल सकता है। पाठ्य-पुस्तकों के चुनाव के लिए उच्च-शक्ति-प्राप्त समिति का गठन अच्छी बात है, पर इसमें योग्य शिक्षकों का प्रतिनिधित्व और भी अधिक होना चाहिए था। साध-ही-साध द्वारा, प्रशासन आदि से सम्बन्धित विदेशों का सम्मिलित किया जाना अनेक दृष्टिकोणों से लाभकारी होता।

मध्यप्रदेश में माध्यमिक शिक्षा

मध्यप्रदेश की माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन माध्यमिक शिक्षा आयोग के भुक्तानों के अनुगार किया गया है। इसके लिए कक्षा ५वीं संघटन प्राधिक शिक्षा-स्तर में जोड़ी गई है तथा शिक्षा-संगठन नियम प्रकार बनाया गया है :

(१) कक्षा ६ से ८ तक—पूर्व-माध्यमिक या सीनियर बेलिक

(२) कक्षा ९ से १० }

या	}
६ से १०	माध्यमिक शाला

(३) कक्षा १ से ११ }

या	}
कक्षा ६ से ११	उच्चतर माध्यमिक शाला

(४) कक्षा १ से १२ तक अन्तर महानियालय

विभिन्न शालाएँ स्तर पर इकाई पाठ्यक्रम लागू करने से राज्य के अन्तर-महानियालयों द्वारा महानियालयों में परिवर्तित कर दिया गया है।

इस ग्रामान्वय माध्यमिक शाला उच्चतर माध्यमिक शालाओं के अतिरिक्त यहाँ के महानोद्देश धेन के प्रत्येक जिला-ज़िले की माध्यमिक शाला द्वारा बहु-उद्देशीय उपचार माध्यमिक शाला बनाया गया है। यहाँ में कृषि हाई स्कूल,

गिनिधार सूल ग्वालियर, देली कालेज इन्डौर तथा राजकुमार कालेज रायपुर में विद्योर्हन माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध है।

शिक्षा-विकास

क्रमांक	संख्याएँ	५५-५६	५६-५७	५७-५८	६०-६१
१	मिट्टि शालाएँ	१,४३०	१,६०४	१,७९१	१,९७८
२	माध्यमिक शालाएँ	३५२	४१४	४०७	६५०

राज्य में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार तथा विकास के लिए प्रत्येक राज्य की राहगील में, जहाँ माध्यमिक शाला नहीं थी, माध्यमिक शालाएँ खोली गई हैं।

जो शिक्षा की प्रगति के लिए सीधी, अद्वितीय प्रगति राज्य में कन्या माध्यमिक शालाएँ खोली गई हैं। राज्य के प्रायः प्रत्येक जिले के केन्द्र में एक-एक कन्या माध्यमिक शालाएँ चल रही हैं। यन् १९५८-५९ में ६ कन्या मिट्टि शालाओं को उच्च माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित किया गया।

राज्य के नित्य देशों में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए चाष (धार), रटभीय (रीवो) तथा शाहनगर (पन्ना) में शालाएँ खोली गई हैं। १९६०-६१ में ५ नयी उच्च माध्यमिक शालाएँ खोली जायेंगी तथा १० कन्या मिट्टि शालाओं को माध्यमिक बनाया जायेगा।

माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए शासन ने माध्यमिक शालाओं को दिवारीर उच्चतर तथा बहुउद्देशीर माध्यमिक शालाओं में परिवर्तन करने की नीति अनादर है। इस नीति के अनुगार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ११६ माध्यमिक शालाओं को परिवर्तित करने की योजना थी। पर अमीं तक २१८ माध्यमिक शालाओं को उच्चतर माध्यमिक बनाया जा चुका है। यन् १९६७-६८ में केवल ६५ शालाएँ हा उच्चतर बनारं गई थीं। १९६०-६१ में १० जातरीर माध्यमिक शालाओं को उच्चतर बनाने का प्रायपान है।

माध्यमिक शालाओं को उच्चतर शालाओं में परिवर्तित करने से इनके प्रशान्नाधाराओं को प्राप्ति और उनके देशन-सान २० २५०-२६० माध्यमिक

कर दिया गया है तथा प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक शाला में ६ शिक्षार्थों के पद व्याख्याता के पदों में ₹०१५०-३५० के बेतन-मान में परिवर्तित किये गए हैं।

मध्यमार्त, विष्णुप्रदेश राजा भोराल थेरों की शासकीय उच्चतर माध्यमिक शालओं में शिश्वों के २-२ अनिरिक पद १९६०-६१ से बढ़ाने का निम्नलिखित किसागया है, जोकि इनमें ११वाँ कक्षा हो जाने से शिश्वों की कमी प्रतीत हो रही है।

इसे प्राचीर जिन माध्यमिक तथा उच्चतर शालाओं में विज्ञान-शिक्षण की सुविधाएँ नहीं थी, वहाँ इसकी लाभार्थी की गढ़ है।

गन् १९५१-६० सर में ४४ गैरन्सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को शासन ने अपने अधीन लिया है। प्रत्येक शाला ये १०,००० रु० जन-सदस्योग के रूप में प्राप्त हुआ है।

गरकार ने माध्यमिक शालाओं में छात्रों को प्रवेश देने को प्रोलाइट वरने के लिए से प्रदेश-मन्त्री (केवल लगातार दो वर्ष तक ४ विषयों में पेल होने को छान्दो) सभी प्रतिमन्त्र अलग कर दिये हैं। पलस्सम्प्र माध्यमिक शालाओं में छात्रों की गंखड़ा में कार्रा गुदि हुई है।

गण् १९६०-६१ चन्द्र से स्वो-शिक्षा के प्रगार तथा विकास के लिए शामल ने राज्य-स्तर पर प्रथम थेणी वी एक यस्ति महिला अधिकारी वी नियुक्ति करने का निश्चय किया है। इससे खीं शिक्षा का प्रगार होगा। साथ-टी-ग्राम शिक्षिकाओं के लिए आवागमनी वी बनाने तथा अधिक गंभीर में गहायक जिला-शाला-नियंत्रिताओं वी नियुक्तियाँ भी वी जा रही हैं। राज्य-स्तर पर खीं-शिक्षा के लिए एक विदेश गमिति गठित करने का प्रमाण भी चल रहा है।

अभी यह गृह के विनोदी हृषि धेशों में सार्वजनिक स्तर पर दिखा भी

ਥੀ ਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਾਸਾ ਗਿਆ ਪਾਲਿਗੇ ਦਾਰ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਥੀ :

માણસિક ગિયર ૧. મદ્દારોગુણ માણસિક ગિયર પરિષદ — મદ્દારોગુણ હેતુ
પરિષદ થા બોડે ૨. મણમારલ માણસિક ગિયર પરિષદ — મણમારલ હેતુ
૩. માણસિક રાષ્ટ્ર ઇન્ડસ્ટ્રીટિયર્સ

गिरा परिवार — गिरापदेश,
भोजन, गिरेज

नवे राज्य के पुनर्गठन के बाद परीक्षा-व्यवस्था तथा पाठ्यक्रम के एकीकरण के लिए रामी मार्गमिक शास्त्राओं का सम्बन्ध निम्न दो परिवर्तों से कर दिया गया था :

१. महारोड़ा मार्गमिक शिक्षा परिषद महाकोड़ा धेव के लिए ।

२. भव्यभारत मार्गमिक शिक्षा परिषद राज्य के द्वेष धर्मों के लिए ।

१. नवम्बर सन् १९५९ में गुग्गूरं राज्य के लिए एक मार्गमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई है । यह गुग्गूरं राज्य में मार्गमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकों, ग्रन्थालयों तथा परीक्षा-विषयक नियमों में एक स्फलता दाने की दृष्टि से रिया गया है ।

राज्य के विधिविज्ञानीयों ने तीन वर्षीय खातक पाठ्यक्रम स्वीकृत किया है ।

धर्म: जो द्वाष पुणे पाठ्यक्रम के अनुगार मॉट्रिक पास हुए पाठ्यक्रम है उनको उच्चतर मार्गमिक "वी" पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षा दी जाती है । अन्य दाश्रों के लिए विद्यार्थी उच्चतर मार्गमिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुगार व्यवस्था है ।

मार्गमिक शिक्षण के प्रशिक्षण के लिए राज्य में तीन स्नातकोत्तर बुनियादी प्रणिक्षण महाविद्यालय, तीन स्नातकोत्तर प्रणिक्षण महाविद्यालय तथा एक सी० टी० वार्त्तज (जावरा) है । इसके अतिरिक्त छत्त्वारु में एक विधक-विद्यालय ची-एड० दर्शा चल रही है । १९६१-६२ में ग्वालियर में एक तथा शुनाव स्नातकोत्तर बुनियादी प्रणिक्षण महाविद्यालय भी गोला जाने चाला है ।

प्रशिक्षण शिक्षणों की शिक्षा परीक्षा नवीन गतिविधियों से दर्जित दर्जने के लिए जस्तापुर के प्रान्तीय शिक्षण महाविद्यालय में सेमीनार में स्थग राज्य री प्रोविन्सियल एकेडमी गोला देता है ।

मार्गमिक शास्त्राओं के शिक्षणों के शुनाव के लिए नियम बनाये गए हैं जिनमें गोप्यारा राज्य अनुभार के आधार पर नियुक्तियों पर जा रहे हैं । इन्हें सन् १९५९-६० साल में गोप्य दिया गया है ।

ओरोगिक, व्यावसायिक तथा तांत्रिक शिक्षा

महत्व

(भारत में लोहा, कोयला, सोना, भूगर्भीज आदि अनेक धातुओं के वृक्ष भाग्यार परे पढ़े हैं। इन प्राकृतिक साधनों को प्रयुक्ता एवं बहुतायत से ही देश उभयन नहीं हो गया है। चुमार के अनेक देश, जैसे जापान, स्थिट्टलैट, जहाँ प्राकृतिक साधनों की इनी अधिक प्रयुक्ता नहीं है, अपनी ओरोगिक तथा व्यावसायिक धमता के बारण भारत-जैसे प्रयुक्ता याते देश से अधिक गमत हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि केवल प्राकृतिक साधनों की प्रयुक्ता या कमी के कारण कोई देश घनी, उच्चतमी या गरीब नहीं हो गया है। विही भी देश यी उन्नति वहाँ की जनता के बीचल तथा बाम करने की धमता पर निर्भर करती है। अमेरिका तथा इंडिया, जो सारा देश में घनी और उच्च देश माने जाते हैं, वहाँ की जनता के बीचल और बार्य करने की धमता के बारण ही हूठने उमड़ते हैं। अतः यह आवश्यक है कि देश की उन्नति तथा रानुचित विकास के लिए ओरोगिक तथा व्यावसायिक विकास की उन्नित ध्यानस्था की जाये।)

व्यावसायिक तथा ओरोगिक विकास के द्वारा उत्तोग और व्यवसायों की वृद्धि करना या पर्याप्ती देशों से प्रतिवर्गिता बरके आगे बढ़ने की वेदा-मार्ग से देश की उन्नति नहीं हो सकती। (रामेश्वरियन्न इतिहास का अपनी मानविक धमता तथा अमेरिका की यात्रा पर उम्में अव्यवस्था, स्थान और परिवार में असना पाम करने की अव्याधि आदतों का विकास करनी।) आख्यत द्वीप ! इसका लक्षण यह होगा कि ओरोगिक तथा व्यावसायिक विकास के अन्तर्गत विवाह, समाज, वासंनिति आदि के माध्यमां अपनी वृद्धि में वर्षां के दौरान प्रगति करते रहते हुए रहें। इन प्रसार ओरोगिक उत्तोग

व्याकुलगारिक गिभा व्यनि के मन्त्रिक, हाथ तथा हृदय का संकृचित विकास करने अपने परिव्रम तथा कीमत से कुछ प्राप्त बरने वा सुरक्षित होते हैं।

ओंगोमिति तथा व्याकुलगारिक गिभा प्रत्येक बालक और यात्रियों के लिए उपयोगी तथा आवश्यक है। इससे यात्रक-यात्रियों दोनों ही अपनी उन दण्डियों तथा प्रशुचियों का पहा दग्गा बढ़ते हैं, जो भविष्य में इसी उद्योग या काम करने में उनके लिए महायक हो सकें। यदि वे अपने जीवन में कोई उद्योग या व्यवसाय कर भी नहीं तो भी व्याकुलगारिक उथा ओंगोमिति गिभा उनको आत्मामित्रता की शमता का विकास बरने उन्हें आनन्दित करेगी तथा अवकाश के समझ में उपयोगी और आनन्ददायक कार्य करने वीं योग्यता का विकास करेगी। इससे उन्हें जीवन में अच्छी मुन्द्र वस्त्रों, बग्गों, बांगों करने की शमता आदि की गमनने तथा उनसे आनन्दित होने की योग्यता प्राप्त होती है। उनमें चरित्र वा उत्तम विकास गम्भीर हो गयेगा। उनमें दाम को गूरुयुक्ती तथा अच्छी तरह में बरने की आदतों का विकास होगा।

एग प्रारंभ ओंगोमिति तथा व्याकुलगारिक गिभा न पेवल सुष्ठु सुने हुए यानक-यात्रियों को दी जानी चाहिए यद्यकि रिमी-न-रिमी न्यू में यसी को उत्तमता कराउं जानी चाहिए, क्योंकि इससे वे अपने हाथों वा तुड़तामें उत्तरांग बरना तथा झुग्गाना गे शामिल भ्रम बरना चाहिए गईं।

इसारे देश में गविष्मान के अनुग्राह १४ वर्षों की आनु उक्त अनिवार्य गिभा वीं दरवरण बरना यहर वा बर्वन्द माना गया है। इससा महान् दह दुआ हि १४ वर्षों के यात्रक-यात्रियों को उनकी इन्द्रियों, प्रशुचियों आदि के अनुग्राह रिसिध प्रारंभ वीं गिभा वीं दरवरण वा बर्वन्द दिखा जा बरना है। यह वर्तमान गिभा-व्यवस्था करने दिखा जा बरना है। सीदे ऐसा न हिया गता हो एक-भी नीराम गिभा यात्रक तथा गृह दोनों को दौड़ि में अनुग्राही निष्ठ होती। जूँ जूँ लिने देने दोनों की ओंगोमिति की होती है।

इसारे देश के दिल्ली औंगोमिति देश गारिधर गिभा नियोन आनन्दपूर्ण है। ओंगोमिति, व्याकुलगारिक तथा दार्तिक गिभा ज्ञान की यात्रामें व्यापक दरवराह उपयोग देने वाले उपयोगों के लिए उमं और अधिक उपयोगी मानी है। इससे देश वीं उत्तमदान-यात्रा वीं गृह रोने उपर देशार्थी वीं

गुमला का मी कुछ-न-कुछ अर्थों में हल अवश्य होगा। देश की प्रशिक्षित लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकता भी पूर्ति भी इसमें उम्मीद हो सकती।)

उद्देश्य

हमारे देश में औद्योगिक, व्यावसायिक एवं तात्त्विक शिक्षा विरीन-हिन्दी रूप में अति प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 'व्यक्ति को किसी व्यवसाय के लोग्य बनाना' था। पर अब विज्ञान के विसाग तथा जीवन की जटिलता के प्रत्यक्षरूप चर्तमान काल की औद्योगिक, व्यावसायिक तथा तात्त्विक शिक्षा के उद्देश्यों में बड़ा परिवर्तन हो गया है। अब दो शिक्षा के, जैसा कि मानेंट रिपोर्ट में बताया गया है, प्रमुखतः दो उद्देश्य रह गए हैं :

१. उद्योग, व्यवसाय तथा शिक्षा के बीच की कड़ी के रूप में रहना; तथा
२. व्यक्ति-विशेष की सुदृढ़, समता आदि के अनुग्राह स्वयं एक विशेषी-तृत शिक्षा के रूप में रहना।

इस प्रकार आज हम व्यावसायिक तथा तात्त्विक शिक्षा दोनों होंगे में—एक विशिष्ट शिक्षा संघ ग्रामान्य शिक्षा के अंग के रूप में—आवश्यक समझी जाने वाली है।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुद्रानिवार आयोग १९५२-५३) ने व्यावसायिक तथा तात्त्विक शिक्षा के उद्देश्यों में निम्न बातें गमिष्ठित की हैं : (१) ग्रामान्य जन के ग्राम-ग्राम द्वारा हृदय की शिक्षा देना। (२) किसी व्यवसाय के लिए ग्रामान्य सोरक्ता की बढ़ाना। (३) अवसान के गम्भीर के गदुपरोग के लिए घाम देना। (४) जीवन के क्षेत्र में कला, सांगता और शीन्दर्य की अनुभूति बढ़ाने की शक्ति विकास करना। (५) अधिक देर तक लगान तथा व्यवसाय में कार्य करने की आदतों तथा युगों का विश्वास बरना।

भारत में औद्योगिक, व्यावसायिक तथा तात्त्विक शिक्षा का पिकाम

मार्गीय प्राचीन काल की शिक्षा भी में प्रणाली गंभीरी रही है, पर औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की दररक्ता भी ग्राम-ग्राम थी। यही काल

हे कि भारत और्यांगिक निपुणता तथा आधिक सम्बन्धता के प्राचीन काल तिरंप्राचीन काल में प्रमिद रहा है। प्राचीन भारत और्यांगिक उत्तराधिन में न बेहत अपने देश वरन् अब दूरदूर के देशों की आशःसरताओं की भी पुर्ण बरता था। श्री नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Discovery of India' में लिखा है कि 'उंगा पूर्व ऐसी सदी में मारतीय व्यावारियों का एक उत्तरवेश मिल के मौजिस जगर में विड्यालय था।' गिरजान के आक्रमण के बाद भारत का पवित्री देश में व्यावारिक गमनघ और आधिक टट हो गया था। दक्षिण एवं देशों ने भी भारत का दहुल श्रावीन काल में व्यावारिक गमनघ रखा है। प्राचीन काल में ग्रामी, उनी और मर्दीन युद्ध करते, अम्ब-शूष्म, सुगम्भित पदार्थ, हाथीदौत, अन, गोता आदि भारतीय व्यवगार की प्रतिष्ठ बन्नुएँ था। इसके बाय-बाय दहुलों के कामान जैसे पांग, बुगी, रथ, नाव, जगत्र आदि नैपार किये जाने थे। मिट्टी के करतन भी बहुत यड़पूर तथा मुन्दर बनाने थे। श्री जै. एम. गेन ने अपनी पुस्तक 'History of Elementary Education in India' में लिखा है कि "वारंगल का प्राचीन काल में मनुवित रूप में राज्याधर मिलता था। असंक ने शुश्वर कारोगयं दी शुभात्रा के लिए कहे निरम द्वनायं थे 'अन-शम तथा जहाज बनानेवाली वी राज्य की भार में निरमित पारिषदिक मिलता था। बदर, गोदार आदि व्यावायिकों के शायों के पर्वतेश्वर और निर्गुहित के लिए भी विशेष निरम निर्धारित थे।" यह काल में व्यावायिक शिक्षा में निर्देशक भी गिरि प्रतिष्ठित हो चुकी थी।

यज्ञगुमारं श्री शिला में नीतिर शिला, दाढ़नीरि, यज्ञनीरि, दाता आदि शिलों की शिला रही थी। शीटिर ने भी इमार उत्तेज दिया है। मनु ने भी गुप्त ईरिद यज्ञगुमारं वी अब दात्य, ये॒, गवनैतिर, दाता आदि शी शिला यों उत्तरोगी भाना है। पर भाजान नीतिर के लिए गवनैतिरि, दाढ़नीरि आदि आनन्दह थे थे। ईरितों के गुप्त शास्त्रः शास्त्रा दो होते थे। भाजान में पान्दरों तथा पौरों के गुप्त श्रोतानाम ही थे। मनु के अनुमान लग ईरितों के लिए शिला वायं करना शक्ति ही था। भी याद ने शिला है छ इन प्रथा पा द्वारा ईरितों की शिला पर अच्छा भ पड़ा था। पर ईरितों की शिला उत्तेज

८८ :::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारपाठ

न रह पाती थी, जिस कि श्री 'के' महोदय की पुस्तक 'Indian Education in Ancient and Later Times' से पढ़ा जबल्ता है। उन्होंने लिखा है कि "अवधारणा शास्त्र शिक्षक मुख्योग्र और कर्तव्यपरायण तथा राजरित्र होते थे। इनके संस्कृत में अधिकार्य धर्मिय-कुमार उत्तम शिक्षा पाते थे।"

संनिक शिक्षा के द्वारों के लिए एक विशेष प्रकार का उपचयन सल्कार होता था तथा शिक्षा की गमाति 'शुरिका चन्धन' सल्कार द्वारा होती थी। 'शुरिका चन्धन' की प्रथा 'पाहूँच-धार्द' के नाम से राजपूतों में १९वीं सदी तक प्रचलित रही है। श्री टाट भी वह मानते हैं कि इन प्रथाएँ के अनुगार राजपूत अध्यशास्त्र प्राप्तिकर गैनिक जीवन में प्रयोग करते थे। यह प्रथा मध्य युरोपीय 'नाइट' बनाने की प्रथा से साम्य सम्भवी है। शासियों की यह शिक्षा बहुत समय तक अपने उद्देश्य में सफल रही, पर कालान्तर में यह शिक्षित तथा दीनबद्ध हो गई।

प्राचीन भारत में चिकित्सा की शिक्षा भी बहुत उपर अवस्था में थी। उत्तरीशास्त्र प्राचीन काल ने चिकित्सा-शिक्षा का एक प्रगिद्ध केन्द्र था। भारत में इस पर्याप्त विद्या के बाद चिकित्सा-शिक्षा की यहाँ उन्नति हुई। चरक और मुभुत विद्या के निविल्या इतिहास में अपना विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चरक और भिर्ग-शास्त्र तथा मुभुत इत्य-चिकित्सा के लिए प्रगिद्ध हैं। ८वीं सदी में चरकाद के प्रगिद्ध 'संस्कृत शास्त्र-अन्तर्शीद' ने अपने देश के मुख्य तदों को औपरी शान दीर्घने के लिए उत्तराधिकार मेजा था। श्री महामदार ने 'Education in Ancient India' में भी इसके सम्बन्ध में लिखा है कि उस अनेक भारतीयों को उनके दरमार में विद्यानित किये जाने का भी उन्नेश्वर किया है।

सुन-निरिक्षा के लिए भी भारत प्राचीन काल से ही प्रगिद्ध रहा है। श्री नेहरू ने 'वर्ष इतिहास की सल्लू' में लिखा है कि ६० पूर्वी शीषी तथा पीड़ियों गदी में मात्रा में पात्र निरिक्षा के लिए अनेक औपाधार्य गुड़े फूणे में। नायन लगा गवादेव पात्र निरिक्षा में देखा जाने जाते थे। शालिष्ठोन भारतीय पात्र निरिक्षा के उत्तराधिकार जाने जाते हैं। जैन लगा बीड़ खंड के अदित्य निरिक्षा में पात्र निरिक्षा को बहुत शोभादान दिया। कौटिल्य ने अपने अध्याद में गवादीर मेजा विमान के साथे, अपने आदि की निरिक्षा के लिए पात्र निरिक्षा की नियुक्ति का गुणाव दिया है।

निरिक्षा-शान्त का शिक्षा-प्रारम्भ भी एक विशेष प्रकार के उपचयन गत्वार में होता था। इसमें काम, बोध, लोभ, मोह, दास्त आदि को ल्लाप्तकर छिना जाने, गादगी से रक्खर गुरु के आदेशों वो मानने, अमने कर्त्तव्यों का पालन बरने, शिक्षा-आनंद पर ब्राह्मण, सर्वेष, गुरु, मित्र आदि को जिना मूल्य के अंतर्गत देने वी प्रतिज्ञा देनी पड़ती थी। इस प्रतिज्ञा के दो मूल उद्देश्य सद्गिरार्द देने हैं : (१) छात्र जीवन आदर्श स्वरूप से वर्तीन करना, तथा (२) चीव-कामा, न कि धन कमाने की भावना रखना।

धैरिक शिक्षा के समान और्ध्वा वा आयुर्वेद की शिक्षा ग्राहकों के हाथ में न थी। धैरिक तथा दैर्घ्य शिक्षक अपने बांगों के छात्रों वो इनकी शिक्षा देते थे। यथातुनुद शुक्रजी ने 'Ancient Indian Education' में लिखा है, "आयुर्वेद की शिक्षा वा द्वार उभी बांगों के लिए गुला था।" इसमें पता चलता है कि शुद्ध भी आयुर्वेद वी शिक्षा देने रहे होंगे।

आयुर्वेद-शिक्षा वी ग्रामीन व्याकरण गत्वार के गाय होती थी। इसमें उन्हें अनेक उत्तरदेश दिये जाते थे। इन उत्तरदेशों में पक्षा चलता है कि मारत के प्राचीन निरिक्षक अपने व्यक्तिमात्र के उत्तरदारिक्य के दृष्टि निर्वाह का ज्ञान रखते थे। एक प्रकार ग्रामीन भारतीय व्याकरणादिक शिक्षा में शुद्ध का विशाल मैत्रिक विद्याग ये गम्भनिका होता था। उग काल में व्याकरणादिक नियुक्त्या को वभी उत्तरोगी तथा उत्तरदेश गमनते थे जब कि उगमें आण्डामिच्छा उपा मैत्रिका एवं गमारंग हो।

ग्रामीन भारत ओदीगिरि हटि में भी ददा गमृद्ध था। ग्रामीन भारत में ओदोगिरि शिक्षा प्रकृत्या सर में कुदुम्ब सा परिवार में ही ही लाठी थी। इग प्रकार ग्रामीन भारतीय ओदोगिरि शिक्षा का स्वरूप पारिकारिक तथा बग्राह था। ग्राममें ही पेन्नर कुदुम्ब के बड़ों वो ही बद शिक्षा ही जाती रही होगी, पर पालन्नर में मारत के अन्य शर्म्म भी इसमें शामिल होने होते। ओदोगिरि शिक्षा में शिक्षक तथा शिक्षक के विविध ग्रन्थ थे, जो मालात्यिका सा गुरु-तिर्थ के आदर्श के अनुरूप था। इसमें शिक्षक तथा शिक्षा दोनों ही कुछ प्रकार हैं, ऐनी दर्दी थी। शिक्षक प्रथमाः उगोग वी शिक्षा गमन में दूसी परने, गंदूः गमन देने, गतार्थ विद्व न दरने, उगोग शिक्षा के अठिरिक अन-

न रह पाती थी, जैकि कि श्री 'के' महोदय की पुस्तक 'Indian Education in Ancient and Later Times' से पढ़ा चलता है। उन्होंने लिया है कि "अधिकारी ग्रामण शिक्षक सुनेगर और कर्तव्यपणाकाग रुपा सच्चरित्र होते थे। इनके संज्ञन में अधिकारी धार्मिक-कुमार उत्तम शिक्षा पाते थे।"

सैनक शिक्षा के द्वारा के लिए एक विदेश प्रनार का उपनगर यंस्कार होता था तथा शिक्षा की समानि 'द्युरिका बन्धन' यस्कार द्वारा होती थी। 'द्युरिका बन्धन' दो प्रथा 'वड्ड-बैधार' के नाम से राजपृथकने में १९वीं सदी तक प्रचलित रही है। श्री टाट भी वह मानते हैं कि इन प्रथा के अनुगार राजपृथक अख-दान ग्रहणकर नैनिक जीवन में श्रद्धेय बनते थे। वह प्रथा मध्य मुरोपीर 'नारद' बनने की प्रथा से साम्य रखती है। शिखों की वह शिक्षा वहुत समय तक अपने उद्देश में साझ रही, पर कालान्तर में यह शिक्षित तथा तीक्ष्ण हो गई।

प्राचीन भारत में चिकित्सा की शिक्षा भी वहुत उल्लेख अवस्था में थी। उज्जिता प्राचीन काल से चिकित्सा-शिक्षण का एक प्रक्रिया बन गया। भारत में ईसा की पहिली सदी के बाद चिकित्सा-विद्या की बड़ी उन्नति हुई। चरक और मुश्वित शिष्य के चिकित्सा इतिहास में आमा विदिष्ट महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चरक और मुश्वित शिष्य के प्रक्रिया इतिहास तथा मुश्वित शिक्षा-चिकित्सा के लिए प्रमिल हैं। दर्वा सदी में वरदाद के प्रक्रिया तीनों हानन-अन्त-रसीद ने अपने देश के मुरागर तरफों को औराद-दान गोदने के लिए उज्जिता भेज दिया। श्री मन्महदार ने 'Education in Ancient India' में मी इमरे गमन्य में लिया है कि सुधा अनेक नार्लीरों को उनके दरवार में निर्मिति किये जाने का भी उल्लेख किया है।

पशु-चिकित्सा के लिए भी भारत ग्रामीण काल से ही प्रसिद्ध रहा है। भी नेदू ने 'देश इतिहास की इलक्ष' में लिया है कि ह० पूर्व चीमी तथा दीमर्ये गदी में भारत में पशु-चिकित्सा के लिए अनेक औरादान खुले हुए थे। नहुल द्वारा गह्वरे पशु-चिकित्सा में दप्त माने जाते थे। शालिदोष भारतीय पशु-चिकित्सा के उन्मदाता माने जाते हैं। जैन तथा चौद घर्म के बहिर्गम शिद्वान ने पशु-चिकित्सा को वहुत प्रोलाहन दिया। कौटिल्य ने अपने अर्थ-शास्त्र में ग्रजदीप गोपा-विभाग के नाम, अर्थों आदि की निर्मित्ता के लिए पशु-चिकित्सा की नियुक्ति का मुकाबल दिया है।

विदिव्या-शास्त्र का गिरा-प्रारम्भ मी एक विदेश प्रसार के उपनिषत् गत्वार में होता था। इसमें काम, वाणी, नौज, मीठ, दम्प आदि को स्वास्थ्यर गिरा देते, गादरी में रहकर गुह के आटेंगों को मानने, अमने घरेंगों का पालन करने, गिरा-गार्मि पर ब्राह्मण, गर्व, गुण, मित्र आदि को जिना भूत्य के ओर्गांष देने की प्रतिक्रिया देनी पड़ती थी। इस प्रतिक्रिया के दो मूल उद्देश्य सह दिखाई देते हैं : (१) आप जीवन आदर्श रूप से व्यर्थीत करना, तथा (२) खेत-कन्याग, न कि धन कमाने की भावना रखना।

धर्मिक शिक्षा के समान औरुधि वा आयुर्वेद की शिक्षा ब्राह्मणों के हाथ में न थी। धर्मिक विद्या वैश्व शिक्षक अपने दोतों के दात्रों को इत्यस्ती शिक्षा देते थे। यशादुनुद्र मुकुर्जी ने 'Ancient Indian Education' में लिखा है, "आयुर्वेद की शिक्षा का द्वार गर्भी वर्गों के लिए खुला था।" इसमें पता चलता है कि यह भी आयुर्वेद की शिक्षा देने रुट होते।

आयुर्वेद-शिक्षा की गमान्त्रि गमान्त्रित गत्वार के गाय होती थी। इसमें उन्हें अनेक उत्तरेण दिये जाने थे। इन उत्तरेणों में पता चलता है कि भारत के प्राचीन विदिव्या अपने व्यवसाय के उत्तरदायित्व के पूर्ण नियंत्रण का ज्ञान रखते थे। इस प्रसार प्राचीन भारतीय व्यावसायिक शिक्षा में कुछ वा विद्यालय नीतिक विद्याग से सम्बन्धित होता था। उन काल में व्यावसायिक जिजुलता को वभी उत्तरोगी तथा उत्तरदैर गमतों थे जब कि उसमें आप्सार्मिता तथा नीतिरता या गमतेगति थी।

प्राचीन भारत औरोगिरि रहित से भी दूर रहकर था। प्राचीन भारत में भी देवोराह शिक्षा प्रचलित रूप से कुदुम्ब का दर्शकार में ही ही दी जाती थी। इनदेशार प्राचीन भारतीय औरोगिरि शिक्षा का मूलप विद्यालय देश क्षयगत था। प्रत्यक्ष में तो ऐसा कुदुम्ब के दर्शकों को ही यह शिक्षा दी जाती रही होती, पर कालान्तर में शमाज के अन्य दर्शकों भी इसमें शामिल होने लगे। औरोगिरि शिक्षा में शिक्षक तथा शिक्षा वैरागिक अवकर्म था, जो माता-पिता या गुरु-गिरि के आदर्श के अनुसर था। इसमें विद्यार्थ दाया शिक्षा दीनों की कुछ दीक्षाएँ देनी पड़ती थीं। शिक्षा व्यवसाय के उद्देश यी शिक्षा समर में दूर रखने, योग्य ग्रन्थ लेने, साहस्रिति में बरने, उद्देश शिक्षा के अदिरिक अन्तर-

किसी कार्य में न लगाने आदि की प्रतिज्ञा लेते थे। शिव्य भी उद्योग-शिक्षा समय पर समाप्त करने, गुह का विना किसी कारण सोभवसा त्याग न करने, निदिचत अवधि से पूर्व शिक्षा पूर्ण होने पर भी गुरु का त्याग न करने आदि की प्रतिज्ञा लेता था।

गुह तथा शिव्य के पारस्परिक अच्छे सम्बन्ध तथा पान-पास रहकर शिक्षा की प्रक्रिया चलते रहने के कारण शिव्य गुह के व्यक्तित्व तथा अनुभवों से प्रभावित होता रहता था। फलतः शिक्षा पर गुह की कला की छाय पड़े बिना न रहती थी। यहाँ बालक को केवल सैद्धान्तिक ज्ञान को प्राप्ति ही नहीं होती थी बरन् वह उन सभी व्यावहारिक परिस्थितियों से भी परिचित हो जाता था जो ग्राम के औद्योगिक कार्यालय या कारखाने से सम्बन्धित होती थी। इसमें उद्योग तथा जीवन का सम्पूर्ण सम्बन्ध होता था। आज की औद्योगिक दशा व्यावसायिक शिक्षा में इसकी अत्यन्त कमी है।

प्राचीन भारत में उद्योगों को व्यवस्था तथा विशास के लिए स्थानीय गढ़पेश समितियाँ (guilds) भी थीं। ये उद्योग-सम्बन्धी गमी यातीं पर नियन्त्रण रखती थीं। ये समितियों 'ओणी' कहलाती थीं। प्रत्येक उद्योग के लिए अलग-अलग 'ओणी' होती थीं। ओणी के प्रबन्ध तथा अनुगामन में उद्योग की शिक्षा की व्यवस्था भी थी। वह शिक्षा उद्योग के कारीगर के घर पर ही दी जाती थी। ओणी की सदस्यता व्यापक होती थी। ओणी का अवयव 'ओटी' होता था तथा पुरोहित के दाद राजा की दृष्टि में ओटी का ही स्थान आता था। श्री नेहरू ने 'The Discovery of India' में लिखा है कि "कारोगरों की नियुक्ति, कार्य की अवधि, श्रम का मूल्य या पारिश्रमिक या रूप, उत्तादन की वस्तु तथा परिमाण गमी वाले 'ओणी' के द्वारा ही निर्धारित होती थी।" ओणी का उन्नेश जातक तथा बौद्धिक के अर्थशास्त्र में मिलता है। अतः यह तो निदिचत रूप से यहा जा सकता है कि इनका दृष्टिकोण यहीं से आरम्भ होता है। गम्भीरतः ये औंग भी प्राचीन हों। इन ओणियों की मुख्यवस्था में भारतीय औद्योगिक शिक्षा भी मुमंगाद्वित तथा व्यवस्थित थी।

अनेक विद्वानों वा विचार है कि भारतीय प्राचीन औद्योगिक तथा गांद्धारिक शिक्षा में कोई सम्बन्ध नहीं होता था एवं वे एक-दूसरे से गम्भीर भिन्न होती

थी। पर ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन भारतीय कलाकार गम्भीरतम् विद्याओं की जानकारी रखते थे। पर वही तथा १२वीं सदी की भारतीय ब्रौदोगिरु विद्या पृथकः व्यावसायिक ही ही कर्दं थी, क्योंकि इस बाब में गान्धर्वा की कल्पी हो गई थी तथा औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु या निम्न गमती जाने लगी थी।

मध्यकाल में व्यावसायिक, औद्योगिक तथा तांत्रिक शिक्षा

मध्यकाल में भारतीय व्यावसायिरु, औद्योगिक तथा तांत्रिक शिक्षा अस्ता वह आदर्श न कराये रख सकती जो प्राचीन बाल में था। इस काल में यह शिक्षा उपर्युक्ततम् रखने लगी। चिकित्सा-शास्त्र में शब्द चिकित्सा का स्थान प्राप्त गढ़ ही नहीं रखा गया। अहिंसा के कारण भी शब्द-चिकित्सा अधारित भावी लाने रखी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि चिकित्सा-शास्त्र को शिक्षा निष्पात्य तथा प्रसारी ही गर्द। हस्तशिल्प वी शिक्षा हेतु मानो लाने लगी थी। वैद्युत निष्पात्य व्यवसाय भगवता जाने लगा था। पर कर्तृ का व्यवसाय अवश्य ही धर्मी प्रतिगत बनाये रहा। माटोंपोत्ते ने दृष्टिगत मारन को कर्तृ की बुनाई के गमन्य में शिक्षा है कि “यह महाई के गाने के गमान गूर्हम होता है।” शाही महलों में शोधन को निष्पात्यने के लिए अनेक प्रकार के जरूर तथा रेतम के कर्तृ भारतीय कुशल पार्श्वगत बनाया रखने थे। पर अन्तिम बनायों आदि वी शिक्षा राजा और वादमाहों वी रखि पर ही। निर्भर करते थे तथा इनके माने पर इस शिक्षा के दिग्द्रव प्राप्तः नहीं हो जाते थे। अनेक वादमाह, लिंग वीरगतिव आदि तो इनके प्रति उदाहरण हो रहे। मध्यकाल में सुखल वादमाहों वी शृंगार प्रियता के पारा शृंगार की करुओं के बनाने के गदारह व्यवसाय ही अधिक प्रोत्तरता हुए। परन्तु अन्त व्यवसायों वी शिक्षा का हासि हुआ। दृष्टिगत में सुख-नामधी बनाने, सड़े बनाने, इमरतें बनाने, युद्ध बनाने आदि वी शिक्षा पा महत्व आप्त रहा क्योंकि शाश्वत यो सुख्द बनाये रखने द्वारा उभयं विस्तार के लिए हनुरा नम भास्तुराद था। चिकित्सा-शीर में सुखनी वी आने गे दूनानी चिकित्सा वी भी प्रेसाइन मिला हुआ उम्मी शिक्ष-व्यवसाय भी देखा गे हुर्द।

मध्यकाल में व्यावसायिरु, औद्योगिक तथा तांत्रिक शिक्षा का नम्बूद्र प्राप्त देख ही गया तेजा छि प्राचीन बाल में था।

८२ :: : भारतीय शिक्षा तथा आयुर्विज्ञ विचारधाराएँ

अंग्रेजी शासन काल में औद्योगिक, व्यावसायिक तथा तांत्रिक शिक्षा अंग्रेजी शासन काल में भारतीय प्राचीन कालीन व्यावसायिक, औद्योगिक तथा तांत्रिक शिक्षा को नष्ट करके अपनी स्थार्थ-रिद्धि के लिए कम्पनी ने अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न किया। कम्पनी ने कानून, चिकित्सा, कृषि तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा को ही पासवात्य ढग से देने के लिए विभिन्न विद्याएँ लोरीं। इसके सम्बन्ध में हम उच्च उच्च शिक्षा के अव्याय में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। पर औद्योगिक तथा प्राविधिक, वाणिज्य आदि की शिक्षा पर कम्पनी ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। भारत में मिशनरियों ने औद्योगिक शिक्षा के रूप में कुछ उद्योग (craft) रुलों की स्थापना की जिनमें बदूर्दी तथा उदार के कामों की शिक्षा निम्न वर्ग के परिवर्तित इसाइयों को दी जाती थी। सबसे पहिले औद्योगिक शिक्षा की ओर 'आकाल आयोग (१८७७-७८)' ने ध्यान दिया, पर फिर भी इस दिशा में कोई विशेष कार्य न हो सका।

सन् १८८८ में हृष्टर आयोग ने विविधता वाले पाठ्यनाम दो अपनाकर भार्यामिक स्तर पर ही औद्योगिक तथा व्यापारिक पेड़ों के लिए बालकों को तैयार करने का मुश्याय दिया था। हृष्टर आयोग से यह प्रबन्ध १८८२ का हृष्टर आयोग न्यू से पृष्ठा गया था कि क्या भार्यामिक शिक्षा के बालकों का ध्यान विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा पर ही अधिक रहता है। हृष्टर आयोग ने इसका उत्तर दिया कि भारतीय बालकों में यूरोपी वी शास्त्राओं के समान नवीन शिक्षण-विषयों का विकास नहीं हो चका है। अतः आयोग ने मुश्याय दिया कि शिक्षा-विषयों के संगठित व्यापार तथा उद्योग की आवश्यकताओं को हाँ में रखकर पाठ्यनाम दाढ़ कर्जन ने सामान्य शिक्षा के अंतरिक व्यावसायिक, कृषि तथा टेक्नीक, कल विद्या के सम्बन्ध में भी मुधार किये। अभी इस क्षेत्र में जो प्रयास हुए, वे अंग्रेजी शासन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किये गए थे, पर लाड़ कर्जन ने भारतीय व्यवसाय तथा उद्योगों को ध्यान में रखकर टेक्नीकल तथा व्यावसायिक शिक्षा को संगठित करने का मुश्याय दिया। लाड़ कर्जन ने प्राविधिक शिक्षा में

भीत्रोगिर, व्यावसायिक तथा सांकेतिक शिक्षा :: : ८३

प्रारंभिक तथा गर्वन विद्याओं को उन्नने का सुझाव दिया। कल्याणशिक्षा को उन्नने उद्योगकल्या को प्रोत्साहित करने के योग्य बनाने के लिए उचित गमका। उन्नन प्राविभिक शिक्षा के लिए योग्य व्यक्तियों को इंस्टीट्यूट तथा अमेरिका मेजने का सुझाव भी दिया।

स्टार्ट करने के याद भी आंशिक तथा व्यावसायिक शिक्षा में २०-२५ वर्षों तक कोई प्रगति न हो गई। गन् १९२१-२२ में इन शिक्षा की निम्न संस्थाएँ थीं :

व्यावसायिक तथा आंशिक शिक्षा संस्थाएँ	गंतव्य	छात्र
---	--------	-------

१. शिक्षा-संस्थाएँ	१२	५,१०
२. कानून की शिक्षा-संस्थाएँ	१३	५,८९५
३. निविलाय की शिक्षा-संस्थाएँ	७	३,८६३
४. वाणिज्य	—	४३०
५. इज्जानियरिंग	—	८०३
६. पृष्ठि	—	३२६

उपर्युक्त आंकड़ों से पता जाता है कि देश में इन प्रसार की शिक्षा की बहुत ही यम प्रगति हो पार नहीं।

१९११ के माझ्डारींह मुख्यार के अनुग्रह देश में दिविप शागम वा प्रारम्भ हुआ था। अब उक्त भागीर जनता कोरी चित्तादी शिक्षा के विरद्ध आवाज उठाने लगी थी। घटेश्वरी मारवाना भी विरोधित हो रही थी। १९१९ का अवृत्ति: १९२१ से १९३७ तक के समय में व्यावसायिक तथा गणितान आंशिक शिक्षा की अच्छी प्रगति हुई। कानून की शिक्षा के १९३७ तक १४ महाविज्ञान रणनीति हो चुके थे। चिकित्सा की शिक्षा पा गर्वन भी बढ़ता जा रहा था जो निन आंकड़ों से प्रदर्शित होता है :

	१९०१-२	१९३६-३७
चिकित्सा गृह	२२	३०
चिकित्सा भारतियार	४	—
चिकित्सा गृहों में छात्र	१,५६६	६,९९९

८४ : : : भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

इसी प्रकार इंजीनियरिंग शिक्षा की प्रगति भी हुई, जो निम्न ऑकड़ों से स्पष्ट है :

	१९०१-२	१९३६-३७
इंजीनियरिंग महाविद्यालय	४	८
पठने वाले छात्र	८६६	२,१९९

कृषि-प्रशान्त देश होते हुए भी देश में सन् १९३७ तक केवल ६ कृषि महाविद्यालय ही स्थापित किये जा सके।

पशु-चिकित्सा भारत-जैसे कृषिप्रशान्त देश के लिए आवश्यक है। पर इस दिशा में भी अधिक कार्य न हो सका। १९०२ से १९३७ तक वीच के अधिक के बीच में इसके लिए कुछ सूच खोले गए थे; पर ये केवल राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति ही करते थे। इस अधिक में इन्हें उन्नत करने का विचार भी किया गया। पर इन्हे तोटकर ५ पशु-चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए। १९३७-३८ के बीच अगर प्रदेश में मुक्तेश्वर में 'इण्णीरियरिंग वेटरिनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट' तथा सन् १९३० में पटना में वेटरिनरी कालेज सनातकोत्तर शिक्षाव्यवस्था की दृष्टि से रोले गए।

वनविद्यान शिक्षा के लिए देहरादून तथा कोयम्बूर में दो महाविद्यालय तथा एक रिसर्च इन्स्टीट्यूट खोला गया।

प्राविधिक तथा ओपोर्गिक शिक्षा की मांग दिन-पर-दिन बढ़ती ही जाती थी। जनता ने केवल शिद्गों में जाकर प्राविधिक शिक्षा पाने की नीति की अनुरोगी बताया। फलस्वरूप देश में अनेक प्राविधिक संस्थाएँ खोली गईं जैसे, हार्लोड वट्टर टेक्नालोजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर (१९२१), इण्णीरियरिंग एंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट, दिल्ली, बोग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कानकता, इण्डियन सूच आह साहन्त, घनयाड (१९२६), शिक्षारिया चुबली टेक्नीकल सूच, वम्बई, जमशेदपुर टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, टाटानगर, गवर्नमेंट सूच आह टेक्नालॉजी, मद्रास आदि। सन् १९३६-३७ में प्राविधिक तथा ओपोर्गिक शिक्षा की संस्थाओं की कुल संख्या ५३८, भी तथा इनमें ३०,५०३ छात्र पढ़ते थे।

इस शासन-विधान के अनुमारं देश के अधिकार प्राप्ति में जनता के नुसे हुए प्रतिनिधियों का शासन भ्यावित हुआ। परं यह अनेक राजनीतिक कारणों

में अधिक न चल नहा, बिर भी द्वितीय महायुद्ध तथा जनता १९३५ का यो जागृति के पश्चात्य देश में १९४७ तक श्रीधोगिक, शासन-विधान राष्ट्रवादीक तथा प्राचीनिक शिक्षा की कामी प्रगति हुई।

इसी बीच १९३६-३७ में भारत गवर्नर ने व्यावरादीक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए इमर्जेंसी के दो विदेशीय भी ८० एकाउ तथा भी ८८० एक० पुट को बुलाया। इन विदेशीयों के पास समर्प कम था, अतः देशल उत्तरी भारत का दीरा परसे इन्होंने आपने मुकाब दिये हैं। वे मुकाब इस प्रकार हैं :

१. व्यावरादीक शिक्षा गार्डलिंग के तथा संबंधित अन्य उद्देश्य शरीर, आत्मा तथा मन्त्राक वी सम्पूर्ण शक्तियों का विकास करना है।

२. व्यावरादीक शिक्षा वी दरवर्ष्या प्राप्ति के विनिप उद्योगों वी आवश्य- पत्राओं के आधार पर ही वी जाये।

३. ग्रामान्य तथा व्यावरादीक शिक्षा एक दूसरे से अन्तर न समझी जाये। इन्हे शिक्षा का पृचंकरी तथा परवती चरण ही माना जाये।

४. ग्रामान्य तथा व्यावरादीक शिक्षा की दरवर्ष्या एक ही शास्त्र में न की जाये किंवि इनके उद्देश्य भिन्न भिन्न होने हैं।

५. एंड्रेस्टोटे उद्योगों में लगे कार्यगतों को भी आदरक घोषित दिया जाये।

६. प्रदेश प्राप्ति में एक 'व्यावरादीक शिक्षा बलादारियी गमिति' गण्डिन वी जाये। इन गमिति ये शिक्षा-भेनान्द, उद्योग-व्यवस्था, जार या पांच व्यावरादी तथा तीन या चार व्यावरादीक सूखों के प्रधान हों। इन गमिति का वार्ष शिक्षा और उद्योग में धनिय ग्रन्थ भ्यावित रखना हो।

७. व्यावरादीक शिक्षा के लिए ज्ञनितर तथा गमितर सूखों होने जारे। गमितर सूखों में दसी के बाद इसके गमितर की शिक्षा-व्यवस्था हो तथा गमितर में १३६१ के बाद दो वर्षे के लिए दाव लिये जाये।

८. भारत में कार्य-शिक्षा वी व्यावरा वी जाये। यद्यमान खल-सूखों का

८६ :: : भारतीय शिक्षा संथा आयुनिड विचारपाठर्ए

धेत्र बढ़ाया जावे तथा आवश्यकतानुगार अन्य कला-सूल भी सोले जायें।

१०. व्यावसायिक शास्त्रों तथा संस्थाओं की स्थापना यथासंभव व्यावसायिक धेत्रों में ही की जाये।

११. अस्त्वकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण सूल भी सोले जायें। इनमें दिन में ही शिक्षा दी जाये तथा समाह में ढाई दिन इन सूलों में पढ़ने के लिए कर्मचारियों को सुट्टी दी जाये।

बुद्ध संथा ऐवट समिति की सिफारिशों के बाद भी भारतीय व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा वी अधिक प्रगति न हुर। व्यावसायिक शिक्षा के धेत्र में तो कोई विशेष प्रगति हो ही नहीं रही।

चिकित्सा की शिक्षा के लिए आयुर्वेद तथा यूनानी पद्धतियों को काप्रेत मध्रिमंडलों की प्रेरणा से ग्रीष्माद्दन मिला।

कृषि-शिक्षा के लिए १९३७ से ४७ तक की अवधि में १२ नई संस्थाएँ खुलीं।

१९३६-३७

१९४६-४७

कृषि भाष्यविद्यालय द

३८

छात्रों की संख्या १,००८

१,५५१

पर देश वी आवश्यकताओं को देते हुए यह कुछ भी नहीं था।

१९३७ से १९४७ के बीच इंजीनियरिंग शिक्षा का प्रसार भी काफी हुआ जो कि निम्न आँकड़ों से स्पष्ट है :

१९३६-३७

१९४६-४७

इंजीनियरिंग कालेज ८

१७

१९३७ से १९४० की अवधि में ग्रामिष्यिक शिक्षा वी काफी प्रगति हुर। इसके निम्न कारण थे :

१. द्वितीय महायुद्ध के कारण प्रायिषिक शिक्षा-प्राप्त लोगों की मौज में चूढ़ि।

२. युद्ध के कारण देश में अनेक नये-नये उद्योगों की स्थापना।

३. युद्ध के कारण उद्योगों के विभाग के लिए नई योजनाओं का निर्माण।

यन् १९४८ में भारत गवर्नर ने ग्रामिष्यिक शिक्षा के युनर्नेटन के लिए एक

'अरिल भारतीय प्राचिनिह गिजा ममिति' की स्थापना ही। इस समिति की गिजारिया पर एक योजना स्वीकार ही गर्दे जिसमें गरजार की अनादर्तुक तथा आकर्तुक अनुदान के रूप में कार्ती धन वर बरने का प्रावधान था।

नव् १९४५ में प्राचिनिह गिजा के मन्दन्ध में मुगव देने के लिए भारत सरकार ने ओ नलिनीर जन सम्मान की अनुदान में एक 'उच्च उत्तराल्याजीकल गिजा ममिति' की स्थापना की थी। इस समिति ने १९४६ में निम्न मुशाय दिये:

१. देश में उष्ण प्राचिनिह गिजा की ५ संस्थाएँ स्थापित की जायें।

२. इनमें से एक संस्था कलकत्ता, दूसरी बमर्द के पास, तीसरी उत्तर भारत में दलविहान की गिजा के लिए तथा चौथी दलिङ मारुत में स्थापित हो।

भारत सरकार ने इन मुशाओं की स्वीकार दिया तथा स्वतंत्र भारत में इनके अनुगार कायं दिया जा रहा है।

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् मार्टीप गिजा के पुनर्गठन के लिए केन्द्रीय गिजा गलात्पार फरिद ने एक योजना प्रनुत ही। यह योजना ग्राहित रियोर्ड के नाम से विख्यात है। इसमें गिजा के ममी भर्तों के सम्बन्ध ग्राहित रियोर्ड में दियाय की योजनाएँ हैं। प्राचिनिह तथा औदोगिह गिजा के लिए भी इसमें विचार में विचार दिया गया है। इस रियोर्ड में जापान प्राप्त था इहने विचार में देश में औदोगिह तथा प्राचिनिह गिजा के मन्दन्ध में विचार दिया गया है। इसमें औदोगिह तथा प्राचिनिह गिजा की जार खींची की गई है :

१. प्रथम घेंगी—उन रसनियों को दी जानेवाले देश के मुद्रात्तर निम्नां में अनुग्रहनदार्य या प्रमुख प्रशासक के रूप में दायर करेंगे। यह गिजा उपहोटी यी दोनों तथा नुने गूरु योग्य लोगों को ही दी जायेगी। इस प्रधार शी गिजा एवं उत्तराल्याजीकल, औदोगिह तथा प्राचिनिह महाविज्ञानों में ही जायेगी।

२. द्वितीय घेंगी—इस गिजा निम्न उपोर्तु तथा उत्तराल्याजीकल एवं प्रशासकीय दोनों तथा चाम उत्तरोपरे अधिकारियों को दी जायेगी। इस

६६ :::: भारतीय शिक्षा तथा भाषुनिक विचारधाराएँ

प्रकार की शिक्षा प्राविधिक हाईस्कूलों की शिक्षा के बाद विशेषीकृत शिक्षा के रूप में महाविद्यालयों तथा पोस्टीट्रेनीकल संस्थाओं में दी जायेगी।

३. तीसरी थेगी—इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य कुशल कारीगरों का निर्माण होगा। प्राविधिक हाईस्कूलों में इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। सीनियर वैज्ञानिक स्कूल या पूर्व माध्यमिक शालाओं के छालवों को जूनियर टेक्नीकल स्कूलों या औद्योगिक स्कूलों में दो या तीन वर्ष तक अतिरिक्त शिक्षा देकर इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हो सकेगी।

४. चतुर्थ थेगी—इस शिक्षा का उद्देश्य अद्विकुशल कारीगर या सामान्य अभिक के बोग्य शिक्षा देना होगा। वैसिक शालाओं की शिक्षा से इस प्रकार के अर्ध-कुशल श्रमिक तैयार हो सकेंगे।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक सेवाओं में नियुक्त कारीगरों तथा श्रमिकों के लिए अंशकालिक प्रशिक्षण की व्यवस्था का सुझाव या।

सांखेन्ट रिपोर्ट में सुझाव के रूप में युद्धोत्तर भाल के औद्योगिक तथा व्यावसायिक विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा के हर स्तर पर औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई थी।

इसके लिए अधिक भारतीय टेक्नीकल समिति के सुझावों को मान्य किया गया था। इस समिति के प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे :

१. शिक्षा के सभी लारों पर प्राविधिक तथा औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था दी जाये।
२. साइटिक शिक्षा से प्राविधिक तथा औद्योगिक शिक्षा निम्न व समक्षी जाए। यह शिक्षा का अभिन्न अंग समझी जाये।
३. प्राविधिक शिक्षा के अन्तर्गत उच्चोगों में सम्बन्धित व्यापारिक तथा कला वी शिक्षा भी रहे। कृषि भी प्राविधिक या सामिक शिक्षा का अभिन्न अंग रहे। देश के प्रामीण ज़ोगों में माध्यमिक तथा सीनियर वैज्ञानिक शालाएँ कृषि के आधार से रोटी जायें। कृषि शिक्षा के लिए एक समिति गठित की जाये जो तत्त्वानुस्थी विलूप्त जाँच वरे।
४. प्राविधिक तथा औद्योगिक शिक्षा के लिए निम्न प्रकार की शालाएँ तथा मांगाएँ रोली जायें :

धौंघोगिक, व्यावसायिक तथा तांत्रिक निःशः :: ८९

(क) जनिनर टेक्नीक्स या धौंघोगिक या उद्योग या व्यवसाय व्यापार

(ग) टेक्नीक्स हाईटेक्नीक्स

(ज) गीनिनर टेक्नीक्स मुख्याएँ ।

(प) पोल्टेक्नीक्स मुख्याएँ भी अवश्यक व्यावसायिक शोली जायें।

(च) प्राविधिक, धौंघोगिक तथा व्यावसायिक निःशःओं को सर्वधित उद्योग या व्यवसाय का व्यवहारिक जन होना चाहिए।

(ट) ये सम्पादन उद्योग-सेवा में ही शोली जायें।

(ब) हाईटेक्नीक्स तक की प्राविधिक, व्यावसायिक तथा धौंघोगिक विद्या प्राविधिक व्यवसाय की तथा उच्च विद्या केन्द्रों व यूनिव्यर्सिटी विज्ञानवारी रहे।

(स) इष्टं निःशः तथा उचित निर्देशन के लिए अन्य से निःशःक रहे जाएं।

गोपेन्ट रिंगेंट ने तुड तथा टेक्नोट के पाठ्यग्रम तथा विज्ञान-संबंधी गमी सुझावों षो उचित महत्व देने का सुझाव भी दिया।

प्राविधिक व्यावसाय धौंघोगिक विद्या का वार्षिक एवं बाल्कल रिंगेंट के अनुग्रह लगभग १० करोड रुपया कुणा गया था।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् प्राविधिक, धौंघोगिक तथा

व्यावसायिक विद्या

एवं १९४७ में देश में स्वतंत्र रुप्ता। स्वतंत्रता प्राप्ति के पाद देश में विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों के विकास की ओर आये रहे। सुधार भी इस देश में विस्तृत कर रहा था। अतः इसरे देश में भी इस ओर विद्या और विद्यालयों का विस्तृत करार के बावें दिया गया। व्यवसाय इस विद्या के विषयों से जुड़े रहार के बावें दिये गए:

१. विद्या प्राप्ति की सुझावों का विज्ञान, तथा

२. इस विद्या के मुख्य विषयों के विविध रूपों की विद्या का अनुसन्धान।

इस उद्देश्य से १९४८ में 'प्राविधिक व्यवसाय टेक्नोट' विद्या परिषद् का

१० :::: भारतीय शिक्षा तथा अध्युनिक विचारधाराएँ

गठन हुआ था। इसने ७ बोर्ड आफ इण्डस्ट्रीज तथा ४ धेश्रिय कमेटियों नियुक्त की। इसकी योजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया।

राधाकृष्णन् आयोग ने व्यावसायिक तथा ग्राविधिक शिक्षा की परिमाण निर्धारित करने हुए कहा कि व्यावसायिक शिक्षा व्यक्तियों द्वारा कृष्णन् को अत्यन्त परिश्रमपूर्ण तथा उत्तरदायी सेवा के लिए, विश्वविद्यालय व्यावसायिक भावना से तैयार करती है। व्यावसायिक शिक्षा आयोग (१९४८-शब्द का प्रयोग उन धोर्तों के लिए सीमित रहना चाहिए १९४९) जिनमें समुचित जानकारी के साथ-साथ अनुशासित अन्तर्दृष्टि तथा उच्चतर कुशलता आवश्यक है। अम की तैयारियाँ रोजगारिक (vocational) तथा शिलिंग (technical) कही जा सकती हैं।

वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा का दोष यह है कि यह व्यक्तियों को ज्ञान तथा कुशलता तो देती है परं उन्हें ऐसा दर्शन नहीं देती जिसके अनुसार वे अपने जीवन में उस कुशलता तथा ज्ञान का उपयोग कर सकें। इससे सामाजिक हित नहीं होता। अतः यह आवश्यक है कि व्यावसायिक शिक्षा का आधार न केवल कुशलता ही बरन् सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना, सामाजिक तथा मानवीय मूल्य की परम तथा वस्तुस्थिति के प्रति निष्पक्ष रहिए हो।

व्यावसायिक शिक्षा के इन दोषियों की पृथक्कृमि में आयोग ने कृषि-शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा योजना का महत्वपूर्ण अंग माना तथा इसे शिक्षा के राष्ट्रीय में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव दिया। कृषि के नये विद्यालय ग्रामीण विश्वविद्यालय से संलग्न किये जाना चाहिए। फेन्ड्र तथा सज्ज सरकार कृषि प्रयोगशालाएँ पर्याप्त सख्त्या में देश के राष्ट्रीय धोर्तों में रोड़े तथा प्रत्येक ग्रामीण और ग्रामीण भाष्यमिक शाला 'कृषि फार्म' आवश्यकता वरे। कृषि-ग्रामीणी शोधसार्थक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा का विस्तार किया जाये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ एक कृषि समिति ग्रमद वी जाये जो कृषि की उत्तरति के लिए घन की व्यवस्था-सम्बन्धी मुश्किल दे।

व्यापारिक शिक्षा के ग्रामद में आयोग ने छात्रों की तीन-चार प्रकार की व्यापारिक ग्रंथाओं में व्यावसायिक बारं करने का सुझाव दिया। स्नातक ग्रंथ की शिक्षा के बाद राग विद्यों में निवेद अध्ययन की प्रेरणा दी जाये।

तथा यह अवधन पुनर्जीव इम हो। यह स्वातंत्र्योत्तर द्वितीय थोड़े लोगों
को ही ही जाए।

हिन्दू-व्यवसाय के गत्यन्त में आरोग ने पाठ्यदण्ड बढ़ाने, शिख निदान
के पाठ्यक्रम को नवीन बनाने, प्राचिकांग गंगाओं के प्राचेरण तथा लेक्चर्स
को अधिक सारलोक पर लायें करने, सूलों में शिखाकार्य के अनुभवी
शिक्षकों को प्रशिक्षण गंगाओं में नियुक्त करने आदि के मुकाबले दिये।

इजोनियरिंग तथा टेक्नोलॉजिकल शिख के गत्यन्त में आरोग ने मुख्या
छि देश की इस प्रसार की गंगाएँ गुण की दैनिक उपयोगी तार, इनकी मुख्या
घटार्ड जाए, इनके अध्ययन के विषय बढ़ाये जाएं, इनके व्यावर्तिक जमान
का पूर्ण प्राप्त रुप रखा जाए, स्वातंत्र्योत्तर तथा अनुमधान-कार्य को प्रांतिक
किया जाए, उपलब्ध टेक्नोलॉजिकल गंगाएँ दौड़ ही न्यायित ही जाए, इन्हींनि
र्दिग वार्डों पर मन्दिरों सपा गरजाये विभागों का प्रकृत्य न रहे।

शिक्षिका की शिख के गत्यन्त में भी आरोग ने मुख्या छि दियी एक
विद्यिला मादिगालाय में १९० में अधिक छात्र मर्दी न छिए जाएं। प्राप्तेह
छात्र के विष्ये १० सर्हिज में अधिक न ही, छात्रों की मार्मान फैन्डों में भी
प्राचिकांग दिया जाए। जन्मग दण्ड जनस्वास्थ्य को अधिक महत्व दिया जाए,
देशों विद्यिला-विद्यिकों को भी ग्राम्यानन दिया जाए तथा इनमें अनुग्रामक की
मुख्याएँ प्रशान की जाए। स्वातंत्र्योत्तर भर की शिख केवल शाखा-उपन्यास
गंगाओं में ही ही जाए।

शाखालिक शिख आरोग ने अन्ते प्रतिरोदन में दानादा है छि व्यावर्तिक

दण्ड औलोलिक शिख के देश में कोई विदेश प्रभाव नहीं
माप्तमिह शिख तुर्द है। इस आरोग ने प्रगति का दिशान न होने के निम्न
आशोग (मुरार- कारा दानादे):

विद्र आशोग) १. अभी दण्ड फैन्ड दण्ड उपर गरजायें ने औलोलिक शिख
१९५२-५३ २. दृष्टिकों शिखर में गम्भीरतापूर्वक दिशाय नहीं
दिया है।

३. जातीजन्तु शिख के शिक्षकों के प्रशिक्षण के बोर्ड प्रशन ही नहीं
दिये गए।

३. शिक्षा-विमाग को अभी तक अनुभवी, योग्य विशेषज्ञों के उचित सदाह नहीं मिलती है जिससे इसके पाठ्यपत्रम् की योजना टीक-टीक नहीं बन पाती है।
४. सरकार के विभिन्न विभागों में टीक सम्बन्ध नहीं है; कुछ संस्थाएँ उद्योग-संचालक, कुछ अम-संचालक तथा कुछ शिक्षा-संचालक के पास हैं।
५. अनेक उपरोक्त योजनाएँ धनभाव के कारण पूर्ण नहीं की जा सकीं। व्यावसायिक संस्थाओं के प्रारम्भ करने तथा योग्य और अनुभवी शिक्षकों पर अधिक धन व्यय होता है।

भारतीय शिक्षा आयोग ने व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा के संगठन तथा व्यवस्था के लिए निम्न सुझाव दिये :

१. व्यावसायिक तथा औद्योगिक शालाएँ स्वतंत्र रूप से या बहुउद्देशीय शालाओं के रूप में अधिक-से-अधिक स्रोती जायें।
२. वह शालों में वेन्ट्रीय व्यावसायिक संस्थाएँ सभी स्तर की स्थानीय शालाओं की आवश्यकताओं की पृष्ठि के लिए रोली जायें।
३. जहाँ तक सम्भव हो औद्योगिक तथा व्यावसायिक शालाएँ औद्योगिक बेन्ट्री के पास ही स्रोती जायें।
४. अप्रोप्रियताप्रद प्रशिक्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। अतः ऐसा बानूत बनाया जाये जिससे उद्योगों को छात्रों के लिए व्यावहारिक अन्याय की मुविधाएँ देना आवश्यक हो।
५. सभी स्तरों की व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था तथा नियोजन के लिए द्रव्यमाला, व्यापार तथा उद्योगों में प्रतिनिधिष्ठों वो महायता अवश्य ही जाये।
६. व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए उद्योगों पर एक 'व्यावसायिक शिक्षा कर' दमाया जाये।
७. भारतीय व्यवसायिक शिक्षा के उचित विकास के लिए 'अग्रिम भारतीय टेक्निकल शिक्षा परिषद्' तथा उसके अन्तर्गत

काग करनेवाली गंतव्याओं भी सदायता पाठ्यक्रम के मैट्रिक्स में हेतु ली जाये।

प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएँ

प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योग-शालाओं तथा जूनियर टेक्निकल मार्जिनल शालाओं को पोर्टफोलीओं विशालांगे में उन्नत परमा, नये हम्मेटिक्स तथा जूनियर बहुउद्दीप्त विशालांगे की स्थापना, व्यावसायिक तथा तांत्रिक विशालांगे को उन्नत करके उच्च व्यावसायिक तथा तांत्रिक विशालांगे बनाना, नये विशालांगे के पाठ्यक्रमों में शृणि गिरण को महत्व देना तथा उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छाप्री की विदेश भेजना आदि कार्य निश्चित किये गए थे।

उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी के विभिन्न अध्ययन के लिए ग्रटग्रुप (पश्चिमी देशों) में 'इंडियन इंस्ट्रीशूल आक्स टेक्नोलॉजी' को स्थापना की गई। यमलीर का 'इंडियन इंस्ट्रीशूल आक्स माइक्रो' में स्थापना पा, और टाटा इंस्ट्रो रसायनिक को गर्व थी, गरमार ने विशाल हेतु १६७ लाख रुपया द्वारा किया। बाबर्द में भी टेक्नोलॉजी को विभिन्न गिरावटी व्यवसाय की गई। दिल्ली में नगर तथा माम-गुननिमित्त के अन्तर्गत 'रुक्न अंग टाउन प्रोड कंट्री लानिंग' स्थापित किया गया।

तांत्रिक तथा टेक्नोलॉजिकल गिरावटी की प्रक्रिया द्वारा मानवी शक्ति-पर्याप्ति, ऐग्निक गर्मिनी तथा समुद्र-पार द्वारा पृथ्वी भर्मिति गठित ही गई। इन एमेटिक्स द्वारा अनु११५ तक तांत्रिक तथा इंजीनियरिंग यो १,३९० जूनियर तथा २०८ जूनियर द्वारा पृथ्वी अनुग्राहन और विभिन्न गिरावटी के लिए ही गई। पाठ्य-नामपाल तथा गाव-ग्राम के लिए विभिन्न गंगाधारों को २५८ करोड़ रुपये द्वा अनुदान दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत द्वाविक गिरावटी के विशाल के लिए १४४८ करोड़ रुपये तथा द्वावाकांगों के निष्पांग के लिए १८ लाख रुपये द्वाव-भैषज्य घटने के लिए दिये गए।

मानव-परिवार गिरावटी, प्रजननिक्य गिरावटी, सत्रापद निर्दित्वादी का अविकाश, नवी का अविकाश आदि ही सुविधाएँ भी दर्शाएँ गई। 'अग्रिम

भारतीय मेडिकल इन्स्टीट्यूट^१ की स्थापना भी लगभग ६०१ करोड़ रुपयों की लागत से ही गई। आयुर्वेद शिक्षा के ४० महाविद्यालय तथा देशी विकित्ता के विकास के हेतु 'सेण्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ रिसर्च' की स्थापना की गई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन तथा प्रयोग में आनेवाली सभी वस्तुएँ देश में ही बनाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यावरायिक तथा तात्त्विक शिक्षा के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या तिगुनी कर दी गई।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भी तात्त्विक तथा व्यावरायिक शिक्षा के विकास पर अधिक व्यय किया जा रहा है। इसके लिए ४८ करोड़ रुपयों का प्रावधान है। इसका एक अंश प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित संस्थाओं को पूर्ण बनाने तथा उच्च शिक्षा और अनुसंधान केन्द्रों के विकास में व्यय होगा। दूसरा अंश देश में राठगापुर की 'इंटियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' जैसी ३ संस्थाएँ स्थापित करने, विभिन्न भागों में उत्तीर्ण तथा डिप्लोमा संस्थाएँ स्थापित करने, छात्रावास बनाने तथा छावनीकार्यों की सम्भावा बढ़ाकर ८०० करने में लक्ष्य किया जायेगा। दिल्ली के पांलीटेक्निक इन्स्टीट्यूट को और विकसित किया जायेगा। देश की लोहा, इसात, रेलवे, अम इत्यादि उत्पादन-सम्बन्धी योजनाओं में तात्त्विक प्रशिक्षण के हेतु व्यवस्था का प्रावधान है। इसके लिए सात्रह प्रशिक्षणार्थियों की संख्या प्रथम योजना से तिगुनी तथा डिप्लोमा प्रशिक्षणार्थियों की संख्या तिगुनी कर दी जायेगी; अर्थात् प्रमाण: ५७०० तथा ६२०० अतिरिक्त छात्र प्रशिक्षित किये जायेंगे। द्वितीय योजनाकाल में विभिन्न स्तर के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या-नृदि का लक्ष्य इस प्रकार है :

	छात्र
१. शोधकार्य तथा स्नातकोत्तर स्तर	५७०
२. स्नातक पाठ्यक्रम	७,५५०
३. जूनियर प्राविधिक या तात्त्विक	५,४००
४. डिप्लोमा	११,३००

द्वितीय योजना में गिरन-प्रशिक्षण पर १७ करोड़ रुपयों का प्रावधान है। इस योजनाकाल में ३० गिरन-प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं २१३ प्रशिक्षण विभाग स्थापित किये जायेंगे। युनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या

७२। तथा कुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या ७२९ तर दी जायेगी। कुनियार्थी में आवश्यक शोधकार्य के लिए 'नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ वैजिक एक्स्प्रेस' सफलता की जायेगा।

भरतप्रदेश में व्यापमायिक, औद्योगिक तथा तांत्रिक शिक्षा

भरतप्रदेश में इन हेतु निम्न संस्थाएँ बार्य कर रही हैं :

१. व्यापमायिक मार्गनिक शाला—महाराष्ट्र शेत्र में ८ व्यापमायिक मार्गनिक शालाएँ हैं। इनके अतिरिक्त इन शेत्र में दो मान्यता प्राप्त मैरसरकारी औद्योगिक शालाएँ भी हैं।

२. जूनियर टेक्निकल शालाएँ—विभिन्न प्रदेश शेत्र की ४ जूनियर टेक्निकल शालाओं को मार्गनिक टेक्निकल शालाओं में उन्नत किया गया है। पन्ना, शहडोल तथा खन्ना की टेक्नीकल शालाओं के भवन-निर्माण का कार्य भी गमनग्रहीत कुठा है। एक ही शहर को शमी टेक्निकल गंगेश्वारों में एकमात्र के हेतु आवश्यक पुनर्गठन तथा भारत नरसार द्वारा नियोजित व्यवस्था दिया गया है।

३. एट्टेंडेन्ट जैश्वर—इस दर्जे जूनियर टेक्निकल शाला संस्थी गई। इन संस्थाएँ में मुद्रण-प्रबन्धक के प्रशिक्षण का चाहूंचा प्रमाण-पत्र पाठ्यसमय के अनुकूल बनाने के लिए जावरदार दर्जितनंव किये गए हैं।

४. प्रोग्रामि (डिप्लोमा) शाले की तांत्रिक शिक्षा—इन हेतु गढ़ २१५८-५९ तर जानकी एवा गैर-गरदारी प्रोग्रामिक गंगेश्वर जल रही थी। ये भोपाल, बांसुर, गुरजद, डावेन, नीर्गांव, जामदार, गोदावरी, गिरिया (गैर-गरदारी) में थिया थी। इनके अतिरिक्त इन्हीं के गोदिन्दराम गैर-गरदारी टेक्नोलॉजिकल गंगेश्वर में भी प्रोग्रामि शाले के उपर गरदी किये जाते हैं। इन प्रोग्रामिकल गैर-गरदारी में निम्न दरमाएँ के लिए निम्न दरमाएँ द्वारा भरनी किये जाते हैं :

दरमाएँ	दायर
१. नियंत्रित इंजीनियरिंग	४९०
२. नियंत्रित ..	२२५

१६ :: भारतीय विद्या तथा आधुनिक विचारधाराएँ

३. दलेकिन्कल	२०५
४. आटोमोवाइल	१२
५. पोरोपाथि स्तर के बाट वा सब-ओवरसिपर्स	
पाठ्यक्रम १८ माह का	१९२
द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अभी तक इन संस्थाओं के भवन, विश्वकों, उत्तापास-निर्माण आदि पर १७७३ लाख रुपये व्यय किये गए हैं।	

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गोप्त्व टेक्निकल इन्स्टीट्यूट म्यालियर तथा नीगॉव में प्रचालित पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के स्तर पर लाया गया है। उज्जैन की पोलीटेक्निकल संस्था में आटोमोवाइल हैंडीनियरिंग पोरोपाथि-पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। मुरार में एक चर्च-कला टेक्निकल संस्था स्थापित की गई है।

सन् १९६१ तक राज्य में १४ पोलीटेक्निक संस्थाएँ हो जायेगी। इनमें प्रवेश मुंहदा में निम्नानुगार विकास किया जायेगा :

सिविल मैकेने-इलेक्ट्रि- माइ-		सेक्युरिटी	टेक्निकल	प्रिंटिंग	योग
कल	कल	निग	टेक	टेक	टेक
१९५६	३०५	१८१	१५९	—	१०
१९६१	६९०	३६०	८०	१०	२०
					४०
					१,५६०

सन् १९६०-६१ में दुर्ग, रायडवा तथा शहडोल में नये पोलीटेक्निक स्थापित किये जायेंगे।

यन्मान समय में राज्य में दो शासकीय अभियानिक महाविद्यालय रायपुर तथा जगलपुर में चल रहे हैं। दो गैर-भरकारी अभियानिक महाविद्यालय भी ग्यालियर उथा दन्दीर में रियत हैं। जगलपुर के अभियानिक उच्च ताँत्रिक महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर के परीक्षण की व्यवस्था भी है। सन् १९६०-६१ में भोपाल में एक धोनीय अभियानिक महाविद्यालय चेन्द्र की सहायता से गोला जा रहा है। इनकी प्रवेश संख्या १०० रहेगी। राज्य को इन संस्थाओं में प्रवेश-संख्या में निम्नानुगार विकास करने वी योजना है :

शौश्रोगिक, व्यावसायिक तथा ताँत्रिक शिक्षा : : : १७

सिविल होमेनिकल कॉलेजीजम् शासनिग एम. ई. मेटालर्जी शोग	१९५६	४९	२६	२६	१६	१६	—	१५ - १८
१९६१	३१६	१५५	८५	४५	३०	१५	३०	६३६

ग्रन् १९६८ में राज्य-सत्र पर प्राविधिक शिक्षा की स्थान्त्रिक परीक्षा देने,

पुनर्गठन तथा शासन की आवश्यक प्रगमण देने के हेतु राज्य-स्तरीय शावि-एक 'प्राविधिक शिक्षा बोर्ड' की स्थापना की गई है। यह शिक्षा बोर्ड बोर्ड प्राविधिक शिक्षा के प्रगार, सुधार तथा पुनर्गठन के लिए अधिक भारतीय प्राविधिक शिक्षा (टेक्नीकल) परिषद की नीतियों के अनुगार बायं करता है। राज्य में इन बोर्ड द्वारा गंवालित परीक्षाओं की भारत उरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो सकती है।

शौश्रोगिक तथा प्राविधिक शिक्षा की सम्प्रभुता का अधिक दुर्दृष्टि है। राज्य में शूरि, वान्स, चिकित्सा, पशु निविन्ना, अर्थ तथा व्याणिज्य महाविद्यालयों की मान्यता बढ़ती जा रही है। इन महाविद्यालयों की स्थापना राज्य के प्रत्येक जिले में राजालित दिये जाने के प्राप्तन सियं जा रहे हैं। इनके गाथनाथ गुरु में अनेक प्रवित्री तथा उत्तराधिक शालाएं भी उद्योग विभाग की ओर से नक्त रखी हैं।

अध्याय ६

उच्च शिक्षा

राष्ट्रीय जीवन के पुनर्जगन तथा विकास में उच्च शिक्षा का बड़ा योग रहता है, क्योंकि उच्च शिक्षा के केन्द्र राष्ट्र के सामाजिक तथा सास्कृतिक जीवन के केन्द्र होते हैं। उच्च शिक्षा समाज के मानसिक स्तर को उच्च बनाती, जनता के मस्तिष्क का उचित उपयोग बरती, राष्ट्रीय सचिको शुद्ध करती, जन-सामान्य वी आकांक्षाओं को सिद्धान्तों का आधार देती, काल-विशेष के विचारों को विकसित कर उन्हें गहन बनाती, राजनीतिक अधिकार तथा सत्ता का उपयोग सुलभ करती तथा वैशक्तिक जीवन में विचारों के आदान-प्रदान को उन्नत बनाती है। इम प्रकार हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा हमारे सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन के लिए मार्गदर्शक तथा उसे उन्नत बनाने वाली होती है, क्योंकि उच्च शिक्षा के केन्द्रों से निकले व्यक्ति ही जीवन के सभी क्षेत्रों का नेतृत्व करते हैं।

प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा

हमारे देश में अति प्राचीन काल से उच्च शिक्षा के कदं प्रसिद्ध केन्द्र रहे हैं। प्राचीन काल में 'परिषद' या जात्यों की सभा, जिसमें वेद तथा धर्म-शाखों एवं सूत्रों के महापठित भाग शिया करते थे, ज्ञान-पिण्डास वी शान्ति के इच्छुक अनेक विद्वानों के केन्द्र बनी रहती थी। इनमें भाग देने तथा विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न स्थानों में विद्वान तथा पठित इकट्ठे होते रहते थे। पालन्तर में प्राचीन भारत में तत्त्वज्ञान, नालन्द और बनारस आदि अनेक शिक्षा-केन्द्र स्थापित हो गए थे। इन प्राचीन शिक्षा-केन्द्रों में न केवल भारतीय विद्वान शिक्षा प्रदान करते थे, वरन् अनेक अन्य देशों से भी विद्वान आते तथा लाभ उठाने के लिए लालायित रहते थे। इन शिक्षा-केन्द्रों की रक्षानि इतनी अधिक हो गई थी कि चापान, चीन, दक्षा, मिस्र, यूनान आदि अनेक देशों से विद्वान

यहाँ आमर गिरा गद्दण करते थे। इन उच्च विद्या के पेंड्रो में प्रवेश पाना ही कठिन होता था। कठिन इतनिए नहीं कि इनको पास अधिक होती थी। ये तो जिःशुल्क गिरा-पेंड्रो होते थे। इनका ही नहीं, यहाँ विद्यापिंडों को भोजन लगा देता भी गिरा-पेंड्रो की ओर से ही मिलते थे। परन्तु इनमें प्रवेश पाने के लिए भी विद्वाना आवश्यक होती थी। कल्पनस्य देवल बहुत योग्य छात्र ही पहाँ भाग्नी हो सकते थे। इन गिरा-पेंड्रो में गुद तथा शिय पक ही म्याम और रहने तथा भासूदिह जीवन दर्ती उ करते थे। इनमें गुद का अनुहूल प्रसार छात्रों के निर्विघ्नन तथा विद्यामें दबाव ग़ा़वर करता था। ये गिरा-पेंड्रो राजनीति ने ये होते तथा यहाँ शिक्षक जब श्रद्धान का ही भी मामले में अधिकार होता था। इन गिरा-पेंड्रो के शर्व के लिए गिरा-पेंड्रो गोव इनमें गलतन कर दिये जाते थे। इन गिरा-पेंड्रो को स्वतन्त्रता तथा उम्मुक्त वानावरण आज लो पाना दुर्दिल ही है। इनमें न देवल दबावणा करनपाए अधिक तथा रुज-मौहिर दबावों में मुला होते थे पर गिरा हुए छात्रों को भी इनसी कोई चिन्ह नहीं करनी पड़ती थी। पञ्चमस्य गिरा में ही उनका अधिकार गमन लगती होता था। इन गिरा-पेंड्रो के गुदों का गम्मान भी बहुत अधिक था। गजा-मशागाड़ा और लगता गम्मो इनसी पूजा करते थे। इनका सब होने हुए भी दग्ध तथा अग्निशमन हो उन आन्दों से दूर कर नहीं पाया था। विनाय तथा नद्रता की ये गम्मी मूर्ति होती थे। यहाँ दारा है कि प्राचीन भाग्य के गिरा-पेंड्रो में शन, शनि, विनाय तथा निष्ठा का अनुत्त सेव लिन्दा था। उस दारा में शन और तथा विनाय के गम्मान्धा में भ्रांत भी चमकून ही गया था। अतः पर भ्रांत भाग्यके नहीं कि ये प्राचीन गिरा-पेंड्र विनायिनात हुए वहा भर्ता देंदों के लिए आवश्यक था पेंड्र रहे।

प्राचीन दारा के प्रतिद गिरा-पेंड्रो में वारिला, नाल्लट, मिसमिला, लाली-मि, यज्ञी, उत्तरपिंडी आदि उपर्योगीरहे। वारिला में देव, देवता गया १८ पलाओं पर, जिसे विरिज्जा, इन्द्रिज, रोहिण, शूरी, शम्भ-रिज आदि शामिल था, जब दिता जाया था। नाल्लट में ही लगभग १२ पले तक ये देव उत्तरित हुए रूप सम्म जैन-गम्मों के अन्दरन की गुरियाएँ थीं। नाल्लट में यौद दिता भासत थी परहिन्दू गिरा-पेंड्रो के

सुमान ही इसका काम चलता था। तक्षशिला ५वीं सदी तथा नालन्दा १२वीं सदी तक रहे। काठियावाड में चलनभी तथा दक्षिण में काढ़ी नालन्दा के समय के प्रसिद्ध शिक्षा-केन्द्र थे। विहार के विक्रमशिला तथा ओदन्तपुरी के सम्बन्ध में कम जानकारी प्राप्त है, पर बंगाल में स्थित नदिया तो अग्नि परम्पराओं को आज भी बनाये हुए है।

मध्ययुग में उच्च शिक्षा

मध्यकाल में मुसलमानों के अनेक आक्रमण भारत पर हुए। प्रारम्भ काल के आक्रमण तो धन के तोभ से ही होते थे, पर बाद में धर्म-प्रचार तथा शासन वरने की भावनाओं से भी भारत पर अनेक हमले हुए। इन हमलों से पढ़िवम-उत्तर के अनेक शिक्षा-केन्द्र नष्ट हो गए। १३वीं सदी के प्रारम्भ में, रान् १२०६ के लगभग, नालन्दा तथा विक्रमशील शिक्षा-केन्द्र जल्द दिये गए। धीरे-धीरे मुसलमान शासक भारत में वसने लगे। फलस्वरूप भारतीय साकृति तथा इस्लामी साकृति का मेल हुआ तथा दोनों की उन्नति हुई। मुसलमानों शासन-काल में उच्च शिक्षा के लिए अनेक मदरसे स्थापित किये गए। कई मदरसे तो भारतीय प्राचीन-शिक्षा फैलाने की नष्ट करके विकसित किये गए, पर पिर भी पूर्व तथा दक्षिण में अनेक हिन्दू शिक्षा-केन्द्र चलते रहे। मुसलमान बादशाहों ने दिल्ली, लाहौर, रामपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, अजमेर, जैनपुर और आदि में मदरसे सोले। ये मदरसे अरबी, फारसी तथा इस्लामी दर्शन की उच्च शिक्षा के केन्द्र थे। शेराबाद यारी ने, जो कि मुगल काल में यादगाह बन गया था, जैनपुर के मदरसे में शिक्षा पाई थी। जैनपुर मदरसे में इतिहास, दर्शन, अरबी और फारसी साहित्य की उच्च शिक्षा दी जाती थी। मध्यकाल के मदरसों में गिरिला, व्याकरण, तर्क, कानून, ज्ञानिति, ज्योतिष, दर्शन, धर्म आदि की शिक्षा दी जाती थी। इनमें से अनेक मदरसे कित्तो एक या दो विषयों की शिक्षा विद्योपरूप से देते तथा उनके लिए प्रगिद्ध थे, जैसे रामपुर तर्क तथा चिरिला, लखनऊ धर्म तथा दर्शन, लाहौर नक्खन-विद्या तथा गणित आदि विषयों की शिक्षा के लिए प्रगिद्ध थे। मध्यसालीन मदरसों में प्रमुखतः अरबी के भाष्यम से ही शिक्षा दी जाती थी। आज तो इनमें से अनेक मदरसे नष्ट

हो गए हैं। १८वीं शताब्दी में मुगलमान गान्धार छिन्नभिन्न होने लगा था। यूरोपीय कल्पनियाँ भी यद्दीं आगे प्रभुत्व जमाने के लिए आपसों समर्थ करने तथा राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगी थी। कल्पनापुद्द और सचर्प होने रहते थे। इससे वारण मारन में उच्च शिक्षा का हास पुआ पर फिर भी अनेक हिन्दू शिक्षा-केन्द्रों में धैरिक शिक्षा की जाती जल्दी रुदी तथा अनेक मदरसों में अरबी शिक्षा की। पर अपेक्षी शाश्वत-वाल के प्रारम्भ में शिक्षा की जो दण्ड रुदी वह आगे चलकर न रुद सकी तथा देश निरापत्ता के गर्त में धैरिता चला गया।

थर्टमान फाल में उच्च शिक्षा

अपेक्षी शाश्वत की स्थापना के बाद कल्पनों के गवाहों ने भारतीय शिक्षा

के लिए कुछ व्यवस्था करने की शुरू। इस दिशा में भारत खंडों की शापन के प्रथम गवर्नर जनरल थारेन देस्ट्रिक्ट ने, १७८४ में कल्पना में उच्च कल्पकाला में मदरसा गोल्ड, जिसमें मुगलमानों के लिए अरबी शिक्षा : कल्पकाला, मारम से बढ़ने की व्यवस्था थी। इसमें दशन, कुरान, गदरम तथा कानून, एजामिति, गणित, न्याय और व्याकरण की शिक्षा पवारम घंट्हा दी जाती थी। इसमें पढ़नेवालों के लिए वर्दीके भी दिये जाने वाले स्वाक्षर जाते थे। गल् १८२१ में इसमें ११ वर्दीके पानेवाले शाश्वत पढ़ते थे।

फलस्ते का मदरसा रणागिरी होने के कुछ वर्षों के बाद जान ओवन ने गरिमा गे अपेक्षी शिक्षा स्थानों व होलों को देने के लिए विशाल गोल्ड की प्राप्ति थी, पर इस पर कुछ लान नहीं दिया गया।

गल् १७९१ में यासेन देस्ट्रिक्ट ने यासेन में एक खंडत्र लालेज गोल्ड। यासेन, जिसने कि इसे रणागिरी किया था, लिया है कि पह लालेज कल्पनों के न्याय-शासन के लिए दिन्दू खंडगाम के मुरोंग शास्त्राता जान करने के उद्देश्य में गोला लगा था। १८११ में इसे एक मुगलगाहदिय गम्भीर के अन्वरातु रण दिया गया था। गल् १८२८ में इसमें २७३ लाल थे तथा उन युवाएँ इसे २० दूसरे लाल गरमाएँ गरमाता कियी थीं।

सन् १७९२-९३ में ईस्ट इंडिया कम्पनी के चार्टर के पुनः मान्य किये जाने के सम्बन्ध में बहुत को समय भारत में शिक्षा की व्यवस्था-अप्रेजी पालियामेंट सम्बन्धी बहस भी हुई। पर भारत में जो शिक्षा चल रही की बहुसः १७९३ थी उसी को उपरोक्ती बतलाया गया तथा भारतीयों पर अन्य शिक्षा का लादना अनुपयोगी सिद्ध किया गया।

सन् १७९२ में सर चार्ल्स प्राट ने जो ईस्ट इंडिया कम्पनी के एक डाक्ट्रेकटर थे, अपने एक लेख 'एशियाई प्रजा में सामाजिक रिप्रति का चाहमें ग्रांट सम्प्रेक्षण' लिया जिसमें भारतीयों को अशिक्षित तथा निरस्तर कहा और उन्हें अप्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने का सुझाव दिया। इस टिप्पणी के प्रेरणास्वरूप १८१३ में इंडिया प्रबद्ध में एक धारा बढ़ी, जिसके अनुसार भारतीयों की शिक्षा पर १ लाख रुपया व्यय करने का आदेश था।

सन् १८०० में लार्ड बेलेकली ने बहकते में फोर्ट विलियम कालेज वी स्थापना सिविल सर्विस के नौकरों के लिए की। इस कालेज का महत्व सिविल सर्विस परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत अधिक है।

सन् १८२० में कम्पनी के डाक्ट्रेकटरों ने भद्रता तथा बम्बई में भी अप्रेजी शिक्षा के प्रशार के लिए लिया। इन क्षेत्रों में माउट स्ट्रेट एंड एलफिस्टन के १८२३ के अप्रेजी शास्त्राओं को खोलने-सम्बन्धी भिन्निट के बाद भी कुछ नहीं किया गया था। अतः पहले बम्बई तथा बाद में पूजा में अप्रेजी शिक्षा के लिए शालाई खोली गई। सन् १८३४ में बम्बई एलफिस्टन कालेज की स्थापना भी मारतीय शासन के लिए उच्च कोटि के व्यक्तियों वो शिक्षित करने के उद्देश्य से की गई।

इनी दोनों अप्रेजी के अध्ययन को ओर लोगों की इच्छा बहुत अधिक बढ़ी। अतः मदरगा तथा सदृश कालेज, बद्रजन्ता और आगरा कालेज (जो १८१८ में खोला गया था) में अप्रेजी पढ़ाने की चावस्था की गई। पर इन मदरगों तथा बद्रेजों में जो लात्र अव्यवस्था कर रहे थे उनके पास प्राच्य शिक्षा के अध्ययन का बाम ही बहुत अधिक था, अतः अप्रेजी वे पढ़ ही नहीं पाते थे, इमनिए प्राच्य शिक्षा दी जाये या पाश्चात्य अप्रेजी शिक्षा—इस गुम्बन्ध में बड़ा

विचाद रात हो गया। पलस्तरप लोक-गिया-न्यमिति के घुरत्वों में दो दल हो गए और विचाद इतना बड़ा कि इसका काम प्राप्त थप-था ही हो गया। इस विचाद के इन तथा परिस्थिति को जर्ज के आधार पर सुशाश्व देने के लिए लाउं लाउं मैकाले दो इन गर्भाति पा अच्छा बनाया गया। अन् १८३५ में लाउं मैकाले ने गरजार को सुशाश्व दिया कि अप्रेजो गिया ही भ्रष्टकर होगा। लाउं लिलिम लैटिक ने लाउं मैकाले के सुशाश्वों को माना तथा ७ मार्च १८३६ को उन्होंने उपरा उनसी बॉगिन ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें पाश्चात्य विद्या-प्रयार, प्राच्य विद्या का निजी प्रभागों से चलने देना, प्राच्य मन्थों का प्रशासन न करना आदि चाहते थे। इस प्रस्ताव का भारतीय सुमलमानों ने वहा विरोध किया तथा इसे भारतीयों द्वारा रुग्ण बनाने की चेष्टा चलाया। इस प्रस्ताव के पलस्तरप दुग्नी (१८३६) तथा दाढ़ा (१८४०) में कालेज खोले गए। फलकरा का टिन्डू कालेज गरजार ने अपने हाथ में लेकर उन्हें ब्रेसीटेक्नो कालेज बनाया तथा फट्टा में भी कालेज खोलने की चाल सोची जाने लगी।

इंगाँड़ मिशनरियों ने गरजारी पर्मनिरोद्धार दो नीति दो मान्य नहीं किया रुग्ण उन्होंने मार्ग भूमि अनेक कालेज, विज्ञान-प्रयोग संस्था आदि सोची। इनमें देरी, मायनेन, एक्सेसड्डर दर, एट्टरगन, मेट्रुड, किलर, दिल्ला आदि उन्नेश्वरी यादरी गे, किंतु ने मगाग, मैट्रू, बरहोर, मण्डरेग आदि के अनेक स्थानों में कालेज खोले।

देरी की विद्या में पर्म के रायन के सम्बन्ध में गरजार, जनका तथा विज्ञन में सोर विचाद एवं रुग्ण का कि हरी दीन, अन् १८४४ में गरजार ने अदेही भवेही मार्गम नीरसी में प्राप्त-दृष्टि देने की नीति की पोरका की। प्रारम्भ बनाने तथा विद्या में रमर्स में देही माया को ही गिया था विद्यासर गांडने दरुग का प्रयग माना जाया था, पर अन् १८४३ के लग्जार के प्राप्ताप इस नीति तथा विचार में सरियन दुना तथा अदेही की ननियादे रुग्ण में गिया था अच्छा गुप्त माना जाने लगा। प्रयग में प्राप्त-दृष्टि गिया पर अधिक एवं दिया गया था तथा रास्ते

१०४ : : : भारतीय शिक्षा तथा आमुनिक विचारधरणें

छोर कालेज तो वहाँ अभी तक खुले भी नहीं थे। मद्रास में रान् १८४१ में एक हाईस्कूल रोला गया जिसे विश्वविद्यालय कहा जाता था। बगाल शिक्षा-समिति ने सन् १८४५ में कलकत्ता में विश्वविद्यालय खोलने की प्रार्थना की, पर कम्पनी के डाक्टरेकटरों ने इसे मजूर न किया।

कलकत्ता में शाल्य तथा चिकित्सा-सम्बन्धी ज्ञान देनेवाली अनेक संस्थाएं

काम कर रही थीं। सन् १८३३ में कलकत्ता में चिकित्सा-चिकित्सा, कानून शिक्षा की जॉच करने के हेतु एक समिति गठित की गई। तथा इंडीनियरिंग इसके प्रतिवेदन पर कलकत्ता मेडिकल स्कूल की स्थापना

शिक्षा हुई। कलकत्ता में प्रथम अस्पताल सन् १८३३ में तथा

महिलाओं के लिए अस्पताल सन् १८३६ में खोला

गया। मद्रास में मेडिकल स्कूल की स्थापना सन् १८३५ में हुई। बम्बई में सन् १८४५ में मेडिकल कालेज खोला गया।

कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस कालेज में मुस्लिम तथा हिन्दू कानून का गहन अध्ययन होता था। पर जूरिसप्रूडेन्स का अध्ययन पक्के तौर पर १८५५ में ही प्रारम्भ हुआ। इसी वर्ष मद्रास तथा बम्बई में भी जूरिसप्रूडेन्स की शिक्षा को अवस्था दी गई।

बम्बई की इंडीनियरिंग संस्था में ही इंडीनियरिंग की शिक्षा दी जाने लगी थी। एलिंस्ट्रेन कालेज में १८४४ में इंडीनियरों के प्रशिक्षण की कक्षा खोली गई थी। कलकत्ता के हिन्दू कालेज में सन् १८४४ में इंडीनियरिंग के प्रशिक्षण की शिक्षा की अवस्था हुई। रान् १८४८ में अनं आँफ डल्हौजी ने दीनों प्रेसीडेन्सी में एक-एक इंडीनियरिंग कालेज खोलने का मुकाबला दिया। पर रान् १८५६ तक अनेक विद्यालयों के कारण कोई कार्य दृग दिशा में न हो सका। दृढ़की में १८४७ में, मद्रास में सन् १८५८ तथा बम्बई में १८५६ में इंडीनियरिंग की शिक्षा के लिए कालेज गोले गए।

यह शिक्षा-महाविद्यान ही भारतीय विश्वविद्यालयों का जन्मदाता है। इसके

आधार पर रान् १८५७ में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में १८५८ का युद्ध दलदन विश्वविद्यालय के आधार पर विश्वविद्यालयों की शिक्षा-महाविद्यान स्थापना हुई।

उच्च शिक्षा :: १०५

इसके बाद संग्रहण २० वर्षों तक कालेजों का शून्य विकास हुआ। पर १८८२ वर्ष कोरं नवा विद्याविद्यालय स्थापित न किया गया। महाविद्यालय शिक्षा के प्रभार का पता नियालिगित अंबिटों से लगता है :

	१८६७	१८८२
१. महाविद्यालयों की संख्या	२७	३१
२. महाविद्यालयों से पाठ्य होनेवाले छात्रों की संख्या	२१०	२,५३८

महाविद्यालयीन शिक्षा के इतने अधिक प्रभार का कारण माध्यमिक शिक्षा का विकास था। इस कारण वही दूसरी रूप से वही विद्योत्तर यदि यों कि गरकार १८६४ के उट शिक्षा-महाविद्यालय ने यह आगा व्यक्त की थी कि गरकार वर्षमध्ये उच्च शिक्षा में असला हाथ लांचेगी; पर इसके विरुद्ध यह हुआ कि गरकार द्वारा ही अनेक कालेज या महाविद्यालय खोले गए। पर अभी तक विद्यविद्यालय बेवल गम्भदक ही रहे।

ग्रन् १८६५ में पजाव में एक विद्यविद्यालय गोल्ने के लिए वर्टों के प्रभावशाली दानियों द्वारा प्रश्नाय गय गय। इसे वर्टों के लिए नियंत्रण गवर्नर ने नवे विद्यविद्या। ग्रन् १८६७ में गंगुल ग्रान्ड द्वीपिंड इटिसन अम्लेनियान लक्ष्यों की व्यापका ने भी एक विद्यविद्यालय गोल्ने की प्राप्तंगा वार्षिक ग्रन् १८६४ में वर्ट शुनिचिंग्ही दानेज द्वीपा गय। इस कालेज ने असले यार्थ का पूर विद्यालय दिया गया ग्रन् १८८२ में वर्ट पूर विद्यविद्यालय की रूपान्ना हुई। पर विद्यविद्यालय भी प्रश्नाय गम्भदक ही था, पर यह गोलेन्युं वर्ट शुनिचिंग्ही करके शिक्षा कार्य भी कर गया था।

ग्रन् १८८२ में गरकार ने १८६४ के उट शिक्षा-महाविद्यालय की कार्योंनियंत्रणी जैसे कार्य भरतार के लिए गुप्ताय हेने के देश प्राचीन शिक्षा-आगंग

१०६ :::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विद्यारथार्थ

की स्थापना की। इसे हंटर आयोग भी कहते हैं, क्योंकि १८८२ का हंटर इसके अध्यक्ष थी हंटर थे। इस आयोग ने शिक्षा के सभी आयोग तत्त्वों के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये थे। विद्यविद्यालयीन शिक्षा-सम्बन्धी इसके सुझाव निम्नलिखित थे :

१. सरकार का उच्च-शिक्षा से धीरे-धीरे ही हाथ सीचना ठीक होगा।
२. महाविद्यालयों को साधारण तथा विशेष दोनों प्रकार की आर्थिक सहायता दी जाये।
३. महाविद्यालयीन शुल्क के लेने तथा माफ करने के सम्बन्ध में निश्चित नीति अपनाई जाये।
४. नेतृत्व शिक्षा के लिए पुस्तक तैयार कराइ जाये।
५. 'एक मानव तथा एक नागरिक के कर्तव्य' के अन्तर्गत कालेज के प्राचार्य या प्रोफेसर कुछ व्याख्यान कालेज के छात्रों के लिए दें।
६. महाविद्यालय में वैकल्पिक विषय भी रखें।

सरकार ने इनमें से अधिकांश सुझावों को स्वीकार किया था तथा प्रतिवर्ष शिक्षा-सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किये जाने के आदेश दिये गए।

सन् १८८७ में इलाहाबाद विद्यविद्यालय की स्थापना हुई पर यह भी अन्य चार विद्यविद्यालयों के समान सम्बद्ध ही था।

सन् १८८२ के बाद उच्च शिक्षा का जिस तैजी से विकास हुआ उसके एक औंकड़े निम्नलिखित हैं :

	१८८२	१८९२	१९०१-२
महाविद्यालयों की संख्या	७५	१३६	१७९

साँझ कर्जन सन् १८९९ में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने भारतीय शिक्षा के हर धेन के विकास तथा उन्नति के प्रयत्न किये। विद्यविद्यालयीन शिक्षा के मुधार के लिए उसने २७ जनवरी १९०२ ई० को एक विद्यविद्यालयीन आयोग यी स्थापना की। इस आयोग यी नियुक्त भारत में स्थित विद्यविद्यालयों

की दशा तथा उन्नति के साथनों के सम्बन्ध में जानकारी तथा सुशाव देने के लिए भी गर्दं थी।

आयोग ने अपने सुशाव उसी बर्दं प्रस्तुत किये। आयोग की विचारियों निम्नलिखित थीं :

१. आयोग ने लैन्डन विश्वविद्यालय के अनुकूल विश्वविद्यालय बनाने का सुशाव दिया।'
२. जाँच, देवरेण तथा गम्भीर सरण की गये कट्टी वी जाय।
३. छानों की परिस्थिति पर और अधिक ज्ञान दिया जाये।
४. विश्वविद्यालय किसी-न-किसी स्पष्ट में गिराव कार्य भी करे।
५. प्रत्येक कालेज या महाविद्यालय के लिए एक सुनियन्त्रित प्रबन्ध वारिगी समिति हो।
६. पाठ्यक्रम में परिवर्तन तथा परीक्षा की पद्धति में सुधार किया जाये।

इनमें से छानों की देवरेण, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा-पद्धति में गम्भीर वार्ता १९०४ का विषय था। यो विश्वविद्यालयों पर ही छोड़ दो गर्दं तथा अन्य बातों विचारण प्रष्ट हो १९०४ के विश्वविद्यालय एकट में शामिल किया गया।

इस एकट के अनुग्रह निम्ननिम्न भावधान रखा गया :

१. विश्वविद्यालयों के अधिकार बढ़ा दिये गए तथा उन्हें मोरोगर नियुक्त करने, गोब एवं ईंग-कार्य पर्याने का कार्य दींगा गया।
२. गोनेट में कम-में-कम ५० तथा अधिक-में-अधिक १०० फ्लोर रें एवं एवं प्रवेश की अधिक पाँच बर्दं गे अधिक न हो।
३. शुनाव का गिराव रखा गया। २० फ्लोर अन्य विश्वविद्यालयों में शुने जायें। एवं १५ फ्लोर अन्य विश्वविद्यालयों में शुने जायें।
४. विश्वविद्यालय में गिटिनेट को मान्यता दी गर्दं तथा इसमें गिटिनेटीन गिरावों को गम्भीर शमिलित दिया गया।
५. उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय दिया विश्वविद्यालयों में अप्त) विषय तथा सुनाव में एकट गाम्भीर थे, विषयों का सम्बन्ध विश्वविद्यालय की विषयालयों विषयों में थे, एवं एकट का सम्बन्ध विषयों विषयों में थे।

१०८ :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

५. महाविद्यालयों के सम्बद्ध करने की शर्तें कड़ी थनार्द गईं।
६. रीनेट के बाये गए कानूनों या नियमों में सरकार कोई भी परिवर्तन कर सकती।
७. विश्वविद्यालयों की भीमा निश्चित की गई तथा सरकार को इस सम्बन्ध में सीमा-निर्धारण के अधिकार दिये गए।

भारतीय जनता ने इस एकट का विरोध किया, पर इससे विश्वविद्यालयों के संगठन तथा प्रशासन में सुधार ही हुआ और विश्वविद्यालयों पर सरकार का नियन्त्रण और अधिक हो गया, विश्वविद्यालयीन शिक्षा में कोई आमूल परिवर्तन नहीं किया जा सका तथा विश्वविद्यालयों की सल्ला में तृद्धि भी नहीं हुई।

मन् १९१३ तक का सभी विश्वविद्यालयों के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस काल में इस्टर्न में विश्वविद्यालयों के स्वरूप-निर्धारण के प्रदन पर पड़ा विवाद चला तथा निश्चय किया गया कि शिक्षण-सन् १९१३ का विश्वविद्यालय राष्ट्रद्वीप विश्वविद्यालयों से अच्छे होते हैं।

प्रस्ताव इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। सरकार ने १९१३ में इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पार किया। इस प्रस्ताव ने विश्वविद्यालय के स्वरूप तथा उच्च शिक्षा-सम्बन्धी नीति को स्पष्ट किया। चूंकि भारत उच्च शिक्षा के शेष में अनेक कारणों से सम्बद्धीय विश्वविद्यालयों का रायग न कर सकता अतः ऐसे विश्वविद्यालयों के क्षेत्र सीमित किये जायें तथा अन्य नये शिक्षण तथा आवाग्निक विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें। ग्राह ही जो महाविद्यालय काफी उन्नति कर चुके हों तथा जिनका स्तर बहुत अच्छा हो उन्हें विश्वविद्यालयों में परिणाम किया जाये।

मन् १९१४ में प्रथम मद्रासुद के छिट जाने से इस प्रस्ताव के अनुगार बायं आगे न बढ़ाया जा सका, पर हिंद मो यनारप (१९१६) तथा पटना (१९१७) में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई।

मन् १९१७ में गर माद्रेज मैडलर को अध्यापना में कलकत्ता विश्वविद्यालय के संगठन तथा उसके बायों की पूरी जांच के निए कलकत्ता विश्वविद्यालय की आयोग की गई। इस आयोग की गिरावर्ती विश्वविद्यालय भाषीय कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही सम्पन्न थी, पर इन्हें अन्य

- प्रान्तों ने भी स्वीकार किया। इन आयोग को गिराविद्ये निम्नलिखित थी :
१. इस्टरमीटिंग द्वितीय काला पास वोडो के अन्तर्गत वी जापे तथा विद्यविद्यालयों में इस्टर पास योग्यता के द्वाव भरती किये जायें।
 २. कलकत्ता विद्यविद्यालय का गम्भीर प्रान्तीय गवर्नर मे रहे।
 ३. स्नातक डिप्रो पाठ्यक्रम तीन वर्षों हो।
 ४. आनंद काम पाण काम मे भिन्न हो।
 ५. कलकत्ता शहर को गिराविद्या विद्यालय का गवेशा किया जावे तथा इसे एक वास्तुविक गिराविद्यालय बनाया जाये। दाका विद्यविद्यालय भी दोष ग्यारित किया जाये।
 ६. महेला दिता पर दियोर प्लान दिया जाये तथा इसके लिए अन्य एक वोई दो स्थापना वी जाये।
 ७. गरजारी नीरसिंग मे भगवी न करके गिराविद्या वायं के लिए विद्यविद्यालयों मे अलग से विद्यालय भवा निर्मित को जाये।
 ८. गिराविद्यालय, दाकशरी, कानूनवेता, इंजीनियरिंग, हाई आदि के गिराविद्या वी अच्छी प्रशस्ता के लिए अनेक सुरक्षा दिये गए।
 ९. माध्यमिक स्तर तथा गिराविद्या का माध्यम सानृभाग रहे तथा विद्यविद्यालयों मे अप्लॉड।
 १०. गरजारी गवालों मे सुधार किया जाये।
 ११. नवे विद्यविद्यालयों मे गिराविद्या दिया जाये तथा उनका स्वरूप एकान्मह हो।
 १२. विद्यविद्यालयों पर मे गरजारी नियन्त्रण वम दिया जावे तियुमें वे गव १९१३ के प्राप्त वया कलकत्ता विद्यविद्यालय आयोग को गिराविद्यो के प्राप्त स्वरूप भाग मे अप्लॉड नवे विद्यविद्यालयों को स्वरूप स्वयं की स्थापना (१९१५), स्नातक (१९१६), स्नातक (१९१७), उगमानिया (१९१८), अग्रणी (१९१९), दाका (१९२०), स्नातक (१९२०), दिल्ली (१९२१), नाहरुर (१९२३), भाग (१९२४), भाग (१९२५), भाग (१९२६)।

भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों को आर्थिक अनुदान देने की नीति ही प्रमुखतः अपनाई। इस काल में महाविद्यालयों की सख्ती में पर्याप्त घुट्ठि हुई तथा १९२१-२२ में कुल ५४,४७३ छात्र देश के विभिन्न महाविद्यालयों में पढ़ रहे थे। इन विश्वविद्यालयों में साहित्यिक तथा राधारण पाठ्यक्रम के छात्र ही अधिक रहते थे। इनका उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना-मात्र रहता था। इसके प्रत्यक्षरूप १९२८-२९ में शिक्षकों की बेकारी बहुत अधिक बढ़ गई थी। उच्च शिक्षा सर्वाली तथा महंगी भी बहुत थी।

भारत में अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना से यह आवश्यक हो गया था कि इन सभी विश्वविद्यालयों के कार्यों में सामजिक स्थापित किया जाये। सन्

१९२१ में इम्रीसियल यूनिवर्सिटी कानून में भी इसकी अन्तर-विधि- अधिकारता अनुभव की गई थी। सन् १९२४ में शिमला विद्यालय बोर्ड में भारत के सभी विश्वविद्यालयों की परिषद या सभा बुलाई

गई तथा उसमें एक अन्तर-विश्वविद्यालयीन बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड का कार्य अन्तर-विश्वविद्यालयीन गृह्यमा घूरो के रूप में काम करना, प्रोफेसरों को अदलायदर्शी में सहायक होना, विश्वविद्यालयीन कार्य तथा विद्यार-विधार के लिए ग्रन्थालय संस्था का कार्य करना, भारतीय विश्वविद्यालयों की टिप्पी आदि को संसार के अन्य विश्वविद्यालयों में भास्य करना, विश्वविद्यालयीन शिक्षा-सम्बन्धी विद्यव-परिषदों में अपने प्रतिनिधि भेजना आदि है। इस बोर्ड ने 'भारतीय विश्वविद्यालयों की संघिका' तथा अन्य साहित्य का प्रकाशन भी किया है।

१९१९ के भारतीय संविधान से अनुग्राह द्विविध शासन की स्थापना हुई। इसके अनुग्राह शिक्षा प्रान्तीय विधय बन गया। इसके बारण विश्वविद्यालयों में

भारतीय भागाओं की स्थान मिला तथा अनेक औद्योगिक विषयों का शिक्षण भी किया जाने लगा। छात्रावास आदि भी बदलावना भी की गई। परं इसी समय राष्ट्रीयता की भावना

का अन्यथिक विभाग बुआ तथा अनेक आनंदोलन प्रारम्भ हुए, जिनमें 'स्वदेशी' पर अधिक वष्ट दिया गया। प्रत्यक्षरूप

अनेक ग्राहीर महाविद्युत्यन् तथा विश्वात्मक प्रारम्भ किए गए। परंतु भी याकों
की गणना विश्वविद्यालयों में बढ़ती ही गई।

सन् १९३५ के गणितानन्द के अनुग्रह प्राप्तीय शास्त्र स्कूलन् तथा जनता
के चुने प्रतिनिधियों के द्वाय में आ गया। मार्गीय मणियों ने प्रारम्भिक विद्या पर
अधिक बढ़ दिया। इसमें विश्वविद्यालय की विद्या को पराम अधिक गणनात्वा न
मिल गयी तथा उभयो आधिक गणित योजनाओं हो गई। तिरं भी विश्वविद्यालयों
में याकों की गणना में पराम दृष्टि हुई। मार्गीय मणी अपने पक्षों पर अधिक
गमरन रहे, क्योंकि युद्ध तथा योजनात्मक कारणों से उन्हें इस्तीफा देना चाहा।
इतना सब होने हुए भी १९३५ के बाद मारत में अनेक विश्वविद्यालय अधारित
हुए—जैसे याकव्यकोर (१९३०), उम्मल (१९३३) आदि।

द्वितीय महायुद्ध के बाद मार्गीय विद्या के पुनर्जाग्रण के लिए सन् १९४४ में
ग्राहीर ग्रिहोंट में भारतीय विद्या के गणी भाग दी विद्या दी योजना बढ़े विश्वार
ग्राहीर ग्रिहोंट में स्वार्थार्थी विद्या तथा मार्गमित्र विद्या योजनाओं
के अधार पर बनाई गई थी। ग्राहीर ग्रिहोंट में योग्य तथा
उच्चाय दृष्टि के बाट-नानियाओं की ही उच्च विद्या दिये जाने का सुझाव है।
इसमें औरोगार तथा व्याक्यातिक ऐकों की उच्च विद्या की व्यवस्था की योजना
भी है। इसमें ग्रिहोंट विश्वविद्यालयों के बाट-नानियाओं तथा स्तर में स्वाक्षरता जाने
के लिए 'स्वाक्षर अनुदान आवेदन' की गणना का सुझाव भी दिया
गया है।

स्वाक्षर अनुदान में उच्च विद्या
सन् १९४३ में जागरूक बन दुआ। ग्राहीर ग्रिहोंट के बाद उच्च विद्या
के शोर की गणी प्रकृति, मानवांश विद्या विश्वविद्यालयों सन् १९४५ के
ग्रिहोंट ग्राहीर ग्रिहोंट की गणना थी।

विश्वविद्यालयीन विद्या के द्वाय

१. आज देश के सभी ग्राहीर, अर्थात् उच्च उच्चाय की गणना
है। इसी उच्च विद्या इस गणना के द्वाय में ग्राहीर नहीं होती है।

- 112 :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ
२. भारतीय महाविद्यालयों तथा विद्यविद्यालयों में साहित्यिक तथा साधारण पाठ्यक्रम के शिक्षण की ही मुविधाएँ हैं। फलस्वरूप व्याचया-पिक तथा औद्योगिक उच्च-शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई आती है।
 ३. उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम देश की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है।
 ४. भारत गाँवों का देश है परं गाँवों में उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।
 ५. महाविद्यालयों तथा विद्यविद्यालयों में छात्रों की संख्या अधिक बढ़ गई है। फलस्वरूप शिक्षकों तथा छात्रों का व्यक्तिगत समर्क स्थापित नहीं हो पाता है। इससे छात्रों का उचित विकास नहीं हो पाता है।
 ६. भारतीय उच्च शिक्षा का जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। इसी लिए उच्च शिक्षा पानेवाला बालक समाज और जीवन में मन्देह करने लगता है तथा उसमें असन्तोष अधिक रहता है।
 ७. उच्च शिक्षा महंगी अधिक है।
 ८. विद्यविद्यालयों में घोज तथा अनुगम्भान की मुविधाओं की बहुत कमी है। कानून के धोत्र में तो घोज तथा घोष-कार्य सुनाई ही नहीं देने हैं।
 ९. उत्पादक शिक्षा की व्यवस्था नहीं के बरए है।
 १०. निर्जी प्रयागों से चर्चने वाले महाविद्यालयों की स्थिति गन्तोर्जनक नहीं है।
 ११. विद्यविद्यालयों में भरती होने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। फलस्वरूप अनेक अनुगम्भी देश अयोग्य दात्र प्रवेश पा जाते हैं। इससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है।
 १२. विद्यविद्यालयीन छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य की ओर विणा ध्यान नहीं दिया जाता है।
 १३. परीक्षा पर अधिक बन दिया जाता है तथा परीक्षा-प्रणाली दूरीत है।
 १४. नीतिक तथा आधिक शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं है।
 १५. मार्यादिक शिक्षा-भरत तक शिक्षा का मार्यम मारूभागा होने टपा

उच्च विधायकोंने सुन पर अमेरीकी दोने से अनेक कठिनाइयाँ उपस्थिति होती हैं।

विद्यविद्यालय दिशा-आयोग (१९४८)

भारत गवर्नर ने ४ नवम्बर १९४८ को एक प्रस्ताव पास किया जिसके अनुगार मारत की विद्यविद्यालयीन विधा के दोषों को दूर कर उमरी व्यवस्था तथा उम्रति के सम्बन्ध में सुशाव एवं विस्तारित करने के लिए विद्यविद्यालयीन विधा समीक्षा-मण्डल की नियुक्ति की गई। इस समीक्षा-मण्डल के अध्यक्ष डॉ. राधाहरणन् थे। अतः इसे राधाहरणन् कमीशन भी कहते हैं। इस समीक्षा-मण्डल में राधाहरणन् गदित २० गदस्य थे। डॉ. रामचन्द्र. डॉ. जेम्स १०. डॉ. जानिर हुमेन, डॉ. मारगेन, डॉ. सुदानियर, डॉ. गाहा, डॉ. चक्र, डॉ. शशांक, तथा भी गिरान्त।

इस समीक्षा-मण्डल के सन्दर्भित निर्देश निम्नलिखित थे :

१. भारत में विद्यविद्यालयीन तथा शोधनगोपन के उद्देश्य निर्धारित करना।

२. भारतीय विद्यविद्यालयों के कार्यों, गीता, अधिकारों, अधिकारीय परिवारिति, धार्मिक विधाय, विधाय के सुर, विधाय, पाठ्यसंग्रह, विधा वा माध्यम आदि में आवश्यक सुधारों के सुशाव प्रस्तुत करना।

३. यनाम, अल्पांगन, दिल्ली तथा केन्द्र के अन्दरते अन्य विद्यालयों की विग्रह गमन्याओं पर विचार करना।

४. विधायों के वेतन-मान, योग्यता, सेवा को अवधि, शते, कार्यों आदि पर विचार करना।

५. वाल्यों के अनुग्राम, आवायन, दृष्टिरित वा चारंपदानी तथा विद्यविद्यालयीन विधा में गम्भीर भव्य वालों पर विचार करना।

राधाहरणन् समीक्षा-मण्डल ने देश के विभिन्न विद्यविद्यालयों के केन्द्रों का अन्य विधा तथा भवेत् विधा विद्यालयों में वर्षों करने अन्य विद्यविद्यालयों में विचार करके २४ अगस्त १९४९ में भारत के केन्द्रीय विधाय-संसदी को छोड़ दिया।

राधाकृष्णन् समीक्षा-भण्डल ने अपने प्रतिवेदन में भारत में विश्वविद्यालयीन शिक्षा के इतिहास का पर्ववेशण करके भारत में वर्तमान परिस्थितियों में विश्वविद्यालयीन उच्च शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए। उन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान में स्वातंत्र्य, एकता, बगुत्तव पर विदोष बल दिया गया है, अतः हमारी उच्च शिक्षा का भी यही उद्देश्य होना चाहिए। प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि देश की सामाज्य, औद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा का स्तर बहुत ही ऊचा हो। अतः हमारे समाज की औद्योगिक तथा अन्य आचरणकर्ताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा के प्रमार, नये ज्ञान, जीवन के मूल्य तथा अर्थ के लिए सलत प्रशंसा एवं औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा का उच्च स्तरीय ज्ञान हमारी उच्च विश्वविद्यालयीन शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए।

इन तरह विश्वविद्यालयीन शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना के बाद इस प्रतिवेदन में विश्वविद्यालयीन शिक्षा की समस्याओं, जैसे शिक्षा का माध्यम, शिक्षकों की योग्यता, कार्य, वेतनमान अधिकार तथा सेवा की दरों, आर्थिक ममस्था, परीक्षा, पाठ्यक्रम, अलीगढ़, बनारस आदि विश्वविद्यालयों की विवेर समस्याएँ, अनुसारन, ट्रॉटरियल पढ़ति तथा छान्दोसाम आदि का विस्तृत विवेचन है।

इन उपरोक्त समस्याओं के विशद विवेचन के बाद प्रतिवेदन में इनके हल के लिए सुझाव तथा सिफारिशें हैं। ये सुझाव तथा सिफारिशें संघीय में इस प्रकार हैं :

विश्वविद्यालयीन शिक्षक धर्म :

१. शिक्षकों का महल, उच्चलदायित्व तथा प्रतिद्वा भान्य होनी चाहिए।
२. विश्वविद्यालय, जिनमें आर्थिक रियल शोचनीय है उन्हें आर्थिक गदायता प्रदान वी जाये।
३. विश्वविद्यालयीन तथा महाविद्यालयीन शिक्षकों के लाल स्तर हो— प्रोफेसर (वेतनमान १०० से १३००), रीटर (६००-९००), व्याख्याता (३००-६००) तथा इन्स्ट्रक्टर (२५० से ५००)। तरक्की योग्यता के आधार पर ही हो। इनके लिए प्रार्चिटेट फॉर्म, पुढ़ी तथा कार्य के पाटे निश्चित किये जायें।

दस दिक्षा :: ११५

१. प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुछ रिमर्च फैलोव (वेतनमान २५०) में ५००) हों।
२. उपर्युक्त गिरावटों को ही नियुक्त किया जाये। इनकी सेवासुक्ति वी भाष्य ६० वर्ष हो, तथा ६५ वर्ष की आयु तक सेवा करने के लिए अवधि में शुद्ध की जा सकती है।

२. शिक्षण का स्तर :

१. विश्वविद्यालय में आज प्रचलित इन्टरमोडिएट स्तर को पर्याप्त पाया अर्थात् १२ वर्ष गिरावट विद्यार्थियों को ही भरती किया जाये।
२. इनके लिए प्रत्येक प्रान्त में वारदवी कक्षा तक के इन्टरमोडिएट विद्यालय रोडे जायें।
३. १० से १२ वर्ष वार्ष गिरावट वालों को शिखिन व्यापारों तथा उपग्रहों वी और प्रेरित बरने के लिए देश में अनेक औद्योगिक तथा व्यापारिक विद्यालय रोडे जायें।
४. विश्वविद्यालयों द्वारा गिरावटों के रिपोर्टर घोनं व्यवसिधत किये जायें।
५. गिरावट विश्वविद्यालयों में भीड़ अधिक न होने देने के लिए ३,००० तथा कारोबार में १,५०० से अधिक विद्यार्थी भरती न किये जायें।
६. वर्ष में परीक्षा के दिनों वी दोहर वर्ष में कम १८० दिन पढाई दी जायें। तथा वर्ष में लीन टर्म (terms) हों, पठाई टर्म म्हार्ड ग्राह का हो।
७. देशनर अन्ते स्तर के व्यवसिधत हों तथा द्योरियन पढ़ति तथा प्रश्नावानों का उत्तराग इनसे पूरक के रूप में हिता जाये।
८. रिपोर्ट भी काग के लिए घोर्द पुनर्व्यून निर्धारित न की जायें।
९. द्योरियन पढ़ति वी भग्नाता जादे तथा प्रत्येक ग्रन्थ में ६ में अधिक गिरावटी न हो। इस पढ़ति का ताम गार्ड छायों वी मिले तथा इसका उत्तोग छायों के मानविक विद्यालय के लिए ही हिता जाये, न कि परीक्षा में लग रहने के लिए। इस पढ़ति में उत्तम यार्ड के लिए गिरावटों वी गंगा द्वारे जाये।

प्रारूपक्रम :

१. विद्यविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्र कला तथा विज्ञान फेल्टरी तथा अौद्योगिक विद्यालयों में १२ वर्ष की पढ़ाई या वर्तमान इण्टर परीक्षा के बाद भरती किये जायें।
२. किसी भी विषय की एस० ए० की उपाधि स्नातक के बाद आनंद यालों को १ वर्ष में तथा गाधारण स्नातकों को २ वर्ष में प्रदान की जाये।
३. विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शाल्याएँ, दोनों में सामान्य शिक्षा की व्यावहारिक तथा शैक्षणिक शिक्षा प्रारम्भ की जाये। इन्हें सिलेक्स तथा पठन-सामग्री भी तैयार करना चाहिए। व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से ज्ञान के विभिन्न धैर्यों का अध्ययन होना चाहिए। सामान्य शिक्षा का साहित्य भी तैयार किया जाये, जिसमें बालकों को विभिन्न विषयों के सम्बन्धों का ज्ञान हो सके।
४. शीघ्र ही सामान्य शिक्षा को चान्द्र किया जाये, जिसमें आज इण्टर तथा स्नातक कक्षाओं में चल रहे आत्मनिक (सकुचित) विद्यारीकरण को रखा जा सके।
५. छात्रों की व्यावसायिक तथा सामान्य कृनियों को दृष्टि में रखते हुए ज्ञान के प्रन्येक धैर्य में विद्योग तथा सामान्य शिक्षा के सम्बन्धों को निर्दिष्ट किया जाये, जिसमें छात्रों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। तथा उनमें अच्छे योग्य नागरिक बनने की धमता उत्पन्न हो।

स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा नये शोध का कार्य :

१. कला तथा विज्ञान के एम० ए० अध्यया एम० एम्-सी० के लिए एक से नियम हों तथा इनकी भरती अग्रिमदेशीय स्तर पर हो। इनकी पढ़ाई व्यवस्थित हो तथा गोप्तियों एवं प्रयोगशालाओं का पूर्ण उपयोग किया जाये। शिक्षांतर तथा शिक्षांतर विषयों का पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ठ होना चाहिए।
२. शोध-सम्बन्धों की पढ़ाई का अवधि २ वर्ष से कम नहीं होना चाहिए;

गाय ही शोध-प्रयत्नों के विद्यार्थियों का दृष्टिस्तर मनुचित विद्योर्हकरण का नहीं होना चाहिए।

३. विश्वविद्यालयों वो अधिकार्म-अधिक विद्यार्थी में शोध की सुविधाएँ देने का प्रयत्न करना चाहिए।
४. प्रत्येक विश्वविद्यालय में शोध एवं अनुसन्धान कार्यों के लिए कुछ केन्द्रीय टाना चाहिए। ये केन्द्रीय एवं योग्यता के आधार पर ही चुने जायें।
५. गार्हण्य और विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधियाँ उच्च कोटि की मालिक पद प्रदानित बृतियों पर ही प्रदान वीज जायें।
६. विश्वविद्यालयों द्वारा गम्भीर पर याम करने, दक्षता तथा लग्न आदि का ज्ञान साक्षर नये लाने वो यदातं रखना चाहिए।
७. दशन, धर्म, इतिहास और लोकतंत्र कलाओं में शोध-कार्यों को यदाता देना आवश्यक है।
८. देश में विज्ञान के शिक्षणों तथा अन्य शेषों में वैज्ञानिक कार्यक्रमोंओं की जर्मी है, अतः अधिक से अधिक वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण की दरवाया परन्ती चाहिए। केन्द्रीय विद्या-विभाग वो इन वैज्ञानिक विद्यार्थी के लाभान्तर अन्वयन एवं ऑफिसेट के लिए शाश्वत-जूनियों देनी चाहिए। विश्वविद्यालयों में विज्ञान के शिक्षणों की गम्भीर-हृदि परन्ती चाहिए। विज्ञान के शेष में नये शोध-कार्यों के लिए विद्य-विद्यालयों की आविष्करण गठायना देनी चाहिए। देश में जीव-विज्ञान के विद्या ही जर्मी है अतः पांच केन्द्रीय जंगल-विज्ञान केन्द्र गठित जाए। यादों केमिस्ट्री, रासो-विडिस, त्रिसो-वेस्टिल्डी, त्रिवो-विडिस आदि की विद्याएँ विद्यार्थी के लिए सुविधाएँ बढ़ाई जाएं।

इसी की विज्ञान गढ़ की गुरुता विज्ञान मानी जायें और इसे प्रदूरस्ता दी ग्राहित करा जायें। अमेरिका आदि देशों में अन्नार्द चलनेवाली, खाद्यवादित विज्ञान प्रयोग के लिए मिले की दरवाया को यहाँ भी अन्नार्द चलने जाए।

एक सार्वत्रिक विज्ञान के लिए विद्यार्थियों को यह उपलब्ध में रखावलीरक

शिक्षा के लिए भेजा जाये। व्यवसाय की स्नातकोत्तर शिक्षा को और भी अधिक व्यावहारिक होना चाहिए तथा थोड़े एवं केवल योग्य व्यक्तियों को ही यह शिक्षा दी जाये।

शिक्षा के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त मुद्रिताएँ होनी चाहिए। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में शालाओं के शिक्षण के अनुभवी योग्य शिक्षकों को रखा जाये। इस दोष के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए तीन वर्ष तक शाला में पढ़ाने का कार्य करने के बाद ही डिप्लोमा को भेजना चाहिए।

इंजीनियरिंग तथा प्राविधिक शिक्षा के लिए विद्यालय खोले जाये तथा इनमें अनेक सामान्यत विषयों की शिक्षा दी जाने की व्यवस्था हो। शैक्षणिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक शिक्षा का भी ध्यान रखा जाये। इंजीनियर, वैज्ञानिक तथा डिजाइन डेवलपमेंट इंजीनियर तैयार करने के लिए उच्च प्राविधिक विद्यालय स्थीते जायें।

काश्मीर का पाठ्यनाम संशोधित किया जाये तथा इसकी शिक्षा के लिए ३ वर्ष की उत्तर-कानूनी तथा सामान्य शिक्षा परीक्षा पास होना आवश्यक समझा जाये। इसके लिए ३ माह का स्नातक कोर्स विशेष कानूनी विषयों के लिए मुशाया गया। अन्तिम वर्ष में व्यावहारिक ज्ञान दिया जाये।

चिकित्सा-निधि के कानेजों में १०० से अधिक छाप भरती न किये जाये। टाकटरी की स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा नर्सिंग वी और विशेष ध्यान दिया जाये। आयुर्वेद को भी प्रोत्साहन दिया जाये तथा प्रथम वर्ष में भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा-पद्धति का शिरोरास भी पढ़ाया जाये।

इसके साथ-साथ समीक्षा-मान्डल से व्यावसायिक प्रबन्ध, सार्वजनिक प्रबन्ध तथा व्यावसायिक सम्बन्धों आदि पर भी अपने मुशाया दिये।

गमी विद्यालयों को प्रतिदिन अपना कार्य कुछ मिनटों तक मौन ध्यानस्थ रहने के बाद प्रारम्भ करना चाहिए।

पार्मिक शिक्षा	पार्मिक सहात्मकों वी जीवनियों विषय-न्यन्त्रण के
	कुछ तुने हुए प्रचारसों तथा पार्मिक दर्शन की कुछ समस्याएँ प्रमाणः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्गों में पढ़ाई जाने।

शिक्षा का मार्गमन :

१. संरोग मापा की शुद्धि तथा विकास अन्य मापाओं के उपयोग में आने वाले शब्दों को मिलाकर किया जाये।
२. अन्तरराष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शब्दों का उपयोग किया जाये तथा भारतीय लिपि तथा मापा के अनुमार उन्हें लिखा जाये।
३. शिक्षा का मार्गमन अपेक्षी के स्थान में जन्मी-जन्मी भारतीय मापा ही; पर गहराई न हो।
४. उच्च मापमिक शालाओं तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को मापूभाषा, संघीय मापा तथा अपेक्षी आना चाहिए। उच्च शिक्षा शैक्षीय मापा में दी जाये पर मंधीय मापा में भी कुछ या गमी विषयों की शिक्षा देने की घट रहे।
५. मंधीय मापा के लिए देवनागरी लिपि कुछ मुश्कर बरके अपनाइं जाये।
६. गर्भीय तथा शैक्षीय मापाओं के विकास के लिए मापाविदों तथा वैज्ञानिकों का महत्व प्राप्त जाये, जो वैज्ञानिक शब्दावली तथा विभिन्न वैज्ञानिक विषयों की पुस्तकों त्रैग्रह कराये। इनके गाय एवं गरजाएं को शैक्षीय मापा उच्च कक्षाओं तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ना प्रारम्भ बर देना चाहिए।
७. अपेक्षी मापमिक शालाओं तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ाइं जाये।

परीक्षा :

१. गरजाएं गागड़ीए गेवाओं के लिए विश्वविद्यालयीन उत्तरिय आवश्यक गमती जाने। भाल के लिए एक शिक्षीय गरजाएं विषयों में रखी जाये।
२. कशा के कार्य पर भी नम्रर दिले जायें। प्रत्येक दिल के एक शिक्षादं नम्रर शामा में किन्हे गए कार्य के लिए सौ जायें।
३. चीन गर्भीय उत्तरिय विषयों के गठनम के दूर्लंभों में गमत नम्रर पर भी फीला भी जा गहरी है। एक विश्वविद्यालयीन उत्तरिय उपर

उनका चुनाव सावधानी से किया जाये। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए ७० प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी के लिए ६९ से ५५ प्रतिशत तथा तृतीय श्रेणी के लिए ४० प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक समझा जाये। परीक्षा का स्तर सभी जगह एक-सा होना चाहिए।

५. मौखिक परीक्षा केवल स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक उपाधि वी परीक्षाओं के लिए ही रायी जाये।

विद्यार्थी :

भरती करने में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए तथा प्रथम उपाधि के समय से विषयों से अधिक-से-अधिक विभिन्नता होनी चाहिए। आर्थिक सहायता चाहने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी जायें। विद्यार्थियों की भरती के समय तथा अन्य ग्रमों पर डाकटरी परीक्षा अच्छी तरह की जाये। महाविद्यालयों में राष्ट्रीय छात्र सेनिक दल की दकाइयाँ रहे तथा इसका प्रबन्ध केन्द्र करे। रामाजिक कार्य को प्रोत्साहित किया जाये। विद्यविद्यालयों को द्यात्रावास तथा गद्दारिता की क्रियाओं की अच्छी व्यवस्था बर्खी चाहिए एवं इनका स्तर ऊना रहना चाहिए। विद्यविद्यालयों के छात्रों के संगठन राजनीतिक गुणठनों में परे रहना चाहिए। छात्रों के अनुशासन तथा देसरेण के लिए एक टीन या प्रमुख अधिकारी होना चाहिए।

स्त्री-शिक्षा :

स्त्री-शिक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को सभाज में उपयुक्त स्थान दिलाने का प्रयत्न किया जाये। नये ऐमे महाविद्यालय मोले जायें जिनमें छात्र तथा छात्राएँ गायत्रा थ पढ़े।

विद्यालय अधिकारी :

१. अनुदान देने के लिए यैन्ड्रीय अनुदान आयोग की स्थापना दी जाये।
२. वैद्यन मान्यता देने वाले विद्यविद्यालय स्थापित न किये जायें।
३. विद्यविद्यालय में निम्न अधिकारी रहें—विजिटर (गवर्नर जनरल), चान्सिएर या कुचार्टी (ग्रामान्तः प्रान्त के गुजरात), वार्सन चान्सिएर

उच्च शिक्षा :: :: १२१

या उप कुल्याति, गोनेट, कार्यकारिणी समिति, पेक्षणी, दोड़ और ओक्सी
स्टोब, अंग्रेजी समिति, चुनाव समिति।

भव्य :

१. उच्च शिक्षा के लिए आधिक सदायता प्रदान करने का उत्तराधिकार
राज्य पर होना चाहिए।
२. शिक्षा के लिए अधिक से अधिक आधिक गद्योग देने के लिए आय-
कर के नियम बदले जायें।
३. गवर्नर को अगले ५ वर्षों में १० करोड़ रुपये को अधिक राज्य
विद्यविद्यालयीन शिक्षा पर खर्च करना चाहिए।

उनारग रथा अलीगढ़ विद्यविद्यालयों पर हिन्दू तथा मुस्लिम विद्यविद्यालय
उत्तराग जाना चाहिए। इनके बगाड़न तथा मरम्भ में गम्भ होना
चाहिए। उनारग में दाक्तरी रथा अलीगढ़ में दाक्तरी रथा
उत्तराग जाना चाहिए। इनके बगाड़न तथा मरम्भ में गम्भ होना चाहिए।

उत्तराग, अलीगढ़ एवं मालविद्यालय गोन्नने की सम्भावनाओं पर विचार
किया जायें।

दिल्ली विद्यविद्यालय में कला, विज्ञान, व्यापार या
अंग रथा बायोनैटर न्याय के विभिन्न प्रोफेसियनल विभिन्न
लोग के लायों के लिए विद्यविद्यालय में स्थान मुश्किल गरना चाहिए। उपरा-
नी विद्यविद्यालय में शिक्षा का माप्रम गोन्नोर भासा होनी चाहिए। उपरा-
नी विद्यविद्यालय में शिक्षा का माप्रम गोन्नोर भासा होनी चाहिए।

इन विद्यविद्यालयों में शिक्षा का माप्रम गोन्नोर भासा होनी चाहिए। उपरा-
नी विद्यविद्यालय—इसी तरह अन्य विद्यविद्यालयों के मरम्भ में भी
मुश्किल दिये गए हैं।

१. राजनीतिकोठन में विद्यविद्यालय दिल्ली के पाय जामिन लिया ग
यों विद्यविद्यालय लगाने की अपार्टमेंट अमुम्ही हो दी जाए। इनके लिए
आधिक सदायता की आवश्यक रही जाए।
२. नये विद्यविद्यालय लगाने में शिक्षा विभाग के द्वारा आदि की
राजनीति का लान रखा जाए।

१२२ : : : भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

३. देश की शैक्षणिक आवश्यकताओं को देखते हुए ग्रामीण तथा शहरी शेत्रों में विश्वविद्यालय खोले जायें।

४. विश्वविद्यालयीन अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को योग्यता के आधार पर मान्यता देने वाली संस्था होनी चाहिए।

ग्रामीण विश्वविद्यालय :

ग्रामीण शेत्रों की उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये। देश की उच्च शिक्षा के विकास तथा विस्तार के समय ग्रामीण शेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति का भी ध्यान रखा जाये।

आयोग की अनेक सिद्धार्थी मौलिक, व्यावहारिक तथा उपयोगी थीं। अधिकारी भारतीय जनता गांधीं में नियास करती है। आयोग ने इनका ध्यान

खलफर पाठ्यालय तथा भारतीय ग्रन्थ संस्कृति के समन्वय के आयोग की सिफारिश में दिये हैं। आयोग ने शिक्षण पढ़तियों के उचित होने रितों की समीक्षा तथा उनमें सुधार करने की आवश्यकता को प्रतिशिद्ध किया

तथा दूषोदित निधि के उपयोग से शिक्षक-शिक्ष्य सम्बन्ध तथा ग्रन्थक बढ़ाने का मुकाबला दिया। वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक शिक्षाओं पर भी इराम उचित ध्यान दिया गया। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भानव-कल्याण रहा है। इस दृष्टि से भारतीय शिक्षा में विद्य-कल्याण को प्रमुखता दी गई है तथा मंसार के सामने एक आदर्श उपरियत किया गया है। मानवीय शास्त्रों के अध्ययन से छात्रों में विश्व-व्यन्युत्त्र की भावना का विकास करने के मुकाबले को कल्याणकारी तथा उपयोगी ही समझ आयेगा। इसके साथ-गायत्र आयोग ने उच्च शिक्षा की अनेक समस्याओं का उचित व्यावहारिक समाधान मुकाबला दे, जैसे शिक्षा के रूप, धार्मिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, परीक्षा, पाठ्यनाम, विद्य-विद्यालय की आन्तरिक व्यवस्था, शिक्षरों की दशा आदि। आयोग ने विश्व-विद्यालयों में दोष तथा अनुसधान कार्यों को प्रमुख रूप से आवश्यक घोषित किया है। गांधी-ही-गांधी राजनीति से पृथक् रहने का मुकाबला भी दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग तथा ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना देश की आवश्यकताओं द्वारा परिवितरितों को देखते हुए वर्ती उपयोगी तथा भवल्पूर्ण है।

परन्तु इनका सब होने हुए भी शिक्षा के माध्यम सभा न्हीं-शिक्षा पर वोर्ड

उच्च निधा : : : १२३

सर्व तथा व्यावहारिक मत व्यक्त नहीं किया गया। लटिल कलाओं के शिक्षण, यीन-शिक्षा, शास्त्रीय महाविद्यालयों में शिक्षणों की समस्याओं आदि पर विचार ही नहीं किया गया या यदि किया भी गया तो यूक्त रूप से हो। पर भी यह आयोग उच्च निधा के इतिहास में अपने दर्ग का निराला ही है तथा इसमें भारतीय उच्च निधा को उपर्योगी तथा कल्याणशारी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

आयोग के दृष्टव्य प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए ऐन्ड्रीय-शिक्षा परिषद् फ्री रेडक २२, २३ अप्रैल १९५० में ट्रूइंग। इस वैटक में पारंपद ने अपने कुमारों को आयोग उच्च निधा के संगोष्ठित करके मान लिया।

ऐन्ड्रीय-शिक्षा को मौलिक रूप तथा कुछ को संगोष्ठित करके मान लिया। ऐन्ड्रीय-शिक्षा ने स्नातकोत्तर शिक्षा, अनुग्राहात्मक कार्य, शिक्षा के मालाहकार परिषद् माध्यम, शिक्षणों का व्याविकरण, योवनमान, परीक्षा, पाठ्यक्रम, (१९५०) ने विद्यविद्यालयों की स्थापना, गणित प्रतिमानगमन आदि को शिक्षायता आदि के सम्बन्ध में दिए गए मुश्तकों को शिक्षण आदि के सम्बन्ध में मान लिया। व्यावहारिक शिक्षा में इति, व्यापार, विज्ञिता, इंजीनियरिंग तथा टेक्नालॉजी, धार्मिक शिक्षा आदि भी मुश्तक कुछ संगोष्ठनों के द्वारा आयोग द्वारा शिक्षण की ताकिता में रखने गम्भीर गुणाव दो नहीं माना गया।

गण १९५२ में गणनामुक्त रिपोर्ट में उनादों के प्रश्नाएँ देख में विद्यविद्यालय विगतीन शिक्षा के स्तर तथा गणठन को टोक करने की दृष्टि में पर 'विद्यविद्यालय विधिविधायक' मंडल के गामने भव्यत घरना चाहा। विधिविधायक इस विधेयक की जानकारी गणविधायक विधेयों के पाग अवश्य गर्व, पर यह अवश्य विधेयों विधेयों की जानकारी गर्व है। इसके विधेयक १९५३ में गर्व है। इस विधेयक में विद्यविद्यालय विधेयक के विवरण आवश्यक हैं। इसके विधेयक १९५३ 'विद्यविद्यालयीन शिक्षा ऐन्ड्रीय परिषद्' को देखना चाहिए।

१. ऐन्ड्रीय परिषद् का विद्यविद्यालयों पर विनाशक आवश्यक है। इसके लिए एक 'विद्यविद्यालयीन शिक्षा ऐन्ड्रीय परिषद्' को देखना चाहिए।
२. इस परिषद् को विद्यविद्यालय का आवश्यक विधान में दर्शाने का अधिकार दें।

१२४ :: :: भारतीय शिक्षा संथा आधुनिक विद्यारथाराएँ

३. यह परिपद देश के सभी विश्वविद्यालयों की जांच करेगी ।
४. उच्च शिक्षा प्रदान करनेवाली सभी शिक्षण संस्थाएँ विश्वविद्यालय का रूप घारण करेंगी ।
५. इम परिपद का सागड़न केन्द्रीय सरकार द्वारा होगा तथा इसके दो-तिहाई सदस्य देश के विश्वविद्यालयों के उपकरणीय होंगे ।
६. विश्वविद्यालयीन उपाधि पाने के लिए सेक्युरिटीक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा पास करना आवश्यक होगा ।

पर वह विधेयक अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है । इस विधेयक के स्वीकार होने पर विश्वविद्यालय 'केन्द्रीय शिक्षा परिषद' के हाथ की कठपुतली बन जायेंगे, जो उच्च शिक्षा के लिए उचित नहीं है । उच्च शिक्षा यो स्वतन्त्र तथा उन्मुक्त होना चाहिए । इसके पारित होने पर विश्वविद्यालयों की स्वायत्त शासन-प्रणाली भी समाप्त हो जायेगी । परन्तु साथ ही आज विश्वविद्यालयों में चल रही दलवान्दियों के कुन्जियों को इससे दूर अवश्य किया जा सकेगा ।

विश्वविद्यालयों की आधिक स्थिति सुधारने तथा नियन्त्रित करने के लिये मै केन्द्रीय सरकार ने सन् १९५३ में एक 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' भी स्थापना की है । आज इस आयोग के अध्यक्ष डॉ० डी० एम० विश्वविद्यालय कोडारी है । इस आयोग के कार्य से प्रभावित होकर केन्द्रीय अनुदान-आयोग सरकार ने इसे स्थापी तथा वैधानिक अधिकार दे दिये हैं । अब इसके सदस्यों की सम्मान, जो पहिले ४ थी, बढ़ाकर ९ कर दी गई है, जिनमा क्रम इस प्रकार होगा—१. केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि, २. उपकरणीय तथा ४ प्रगिद्ध शिक्षा-आद्धी ।

इस आयोग के निम्नलिखित कार्य होंगे :

१. विश्वविद्यालय शिक्षा का सम्बन्ध करके उसके डिज़ा-स्लर वा उठाना ।
२. विश्वविद्यालयों की आधिक स्थिति मी जांच करना तथा आवश्यकता-नुगार आधिक गठायता देने के लिए केन्द्रीय गवर्नर को भगाइ देना ।
३. विभिन्न विश्वविद्यालयों में धन-गति वितरण करना ।
४. नवीन विश्वविद्यालयों वी स्थापना तथा विश्वविद्यालयों की यठि-नारयों तथा गमगांओं का समाधान करना ।

उच्च शिक्षा :: १२५

५. केंद्रीय तथा राज्य-भरतीयों को विद्यविद्यालयों द्वारा प्रश्नन की मर्द उपाधियों का विभिन्न संवादों के लिए निधारण करने में परामर्श देना।
६. उच्च शिक्षा के मामन्द में केंद्रीय गवर्नर को आवश्यकतानुग्रह भवान देना।

इस अनुदान आयोग ने विद्यविद्यालयीन विधियों के वर्तन को मुधारने में यही महायता पहुँचाई है। इसके माध्यम स्थापित उच्च शिक्षा में ही ऐसे विकास का थंडा भी ही ही को है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्य में विद्यविद्यालयों तथा उनमें सम्मन महा-
विद्यालयों की आर्थिक विधि मुधारने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुग्रह

उनका विकास तथा पोर्ट वर्नन का ध्येय रहा रहा रहा था।
प्रथम सप्ता द्वितीय प्रचलित गोति के अनुग्रह अनेक गरकारी संवादों के लिए
पंचवर्षीय पोर्ट-विद्यविद्यालयीन उपाधियों आवश्यक समझी जाती थी।
नामों में उच्च अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह मुख्य रहा रहा कि
शिक्षा गरकारी संवादों की नियुक्तियाँ स्वतन्त्र प्रान्तियोगिता पर्याप्ताओं

के आधार पर हो तथा इस परिणाम में वैडने के लिए विद्युत-

विद्यालयीन उपाधि आवश्यक न हो।
इस योजना में मामीण विद्यविद्यालय की योजना को महसूति दी गई रहा
निधि दिया गया कि प्रथम-पंचवर्षीय विद्यविद्यालय के अन्दर स्थापित
दिया जाये। यह विद्यविद्यालय उन्हीं थोड़ों में स्थापित रिप्पे जाये जरूर पूर्व-

पुनियादी, सुनियादी और उत्तर-नुनियादी प्रशोग दिये गए हैं।

दिवीर पंचवर्षीय योजना के उपर तथा विद्यविद्यालयीन विद्युत को अधिक
महसूत दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसे गंभीरता दर्शन के लिए जूरे दिया-
फार्मरम रहे गए थे, पर दिवीर पंचवर्षीय योजना में इसके विकास के लिए जूरे दिया-
विद्यालय स्थापित करने की धरण्याएँ दी गई। माध्यमीक स्थापना भवानाने, डोक-
सीनियरीट पाठ्यक्रम चार वर्षों, द्वितीयों वर्षों में भवानाने, डोक-
फार्मरों को शोलालय देने, पुनियादी तथा फ्रेंचाइजी को गम्भीर रूपाने,
भवान रक्षणा, संस्कारण, अन्तर्राष्ट्रीय भारोंन करने आदि की ओर २५
गन देने का घरापन है।

१२६ :::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल से उच्च शिक्षा पर नौगुनी राशि व्यय करने का प्रावधान है। प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में कुल शिक्षा व्यय का ८८ प्रतिशत ही व्यय किया गया था। अर्थात् दरमांग १८ करोड़ रुपये, पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में कुल शिक्षा व्यय का १८६ प्रतिशत व्यय किये जाने का प्रावधान है, जो दरमांग ३४४ करोड़ रुपयों के दरमांग होगा। उच्च शिक्षा के लिए स्थीरूप राशि का अधिकांश भाग प्राविधिक, व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा पर ही व्यय किया जायेगा। अनु-नधान पर मी समुचित व्यय वी व्यवस्था द्वितीय योजना-काल में की गई है।

मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा

नवीन मध्यप्रदेश राज्य द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारम्भ होने के कुछ अमर्य वाद याद १९५६ में गठित हुआ था। नवे राज्य के गठित होने के पश्चात् गन् १९५६-५७ सत्र में विहान महाविद्यालय, रायपुर तथा ठाकुर राजमहालिद महाविद्यालय, रीवों में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ की गईं। साथ-ही साथ इसी सत्र में होत्वर महाविद्यालय, इन्दौर, विकटोरिया महाविद्यालय, व्यालियर तथा हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल में उद्दीपन वाणिज्य विद्यों की स्नातकोत्तर कक्षाएँ भी दृढ़ की गईं। अन्य महाविद्यालयों में भी नवे विद्यों के विभाग वी महिला स्नातक महाविद्यालय स्थापित किया गया।

राज्य पुनर्गठन के समय चारों ओरों में उच्च शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ विभिन्न तथा अलग-अलग थीं। महाकोशल थेन में गैर-भरकारी महाविद्यालय अधिक थे तथा अन्तर-महाविद्यालय भी बेकल एक ही था। पर राज्य के अन्य ओरों में गमी महाविद्यालय गरकारी थे तथा अन्तर-महाविद्यालयों की गम्भी अधिक थी। मध्यमांग, भोपाल तथा विन्याप्रदेश ओरों के महाविद्यालय आगरा विन्याप्रदेश से सम्बद्ध थे। प्राविधिक वाणिज्य तथा स्नातकोत्तर वाद याद विद्याएँ भी पृष्ठक-पृष्ठक थीं। इसलिए नवे राज्य के प्रन्तक थेन में गमान सुविधाएँ प्रदान की जाएं तथा आकर्षक या कि राज्य के अपना स्थापित थीं जाएं। इस दिना में निम्नलिखित वार्षिक किये गए।

गज्ज में जबलपुर, विक्रम तथा दानदेह कला-संगीत विश्वविद्यालयों के अधिकारी नियम से गज्ज-युनिवर्सिटी के पूर्व ही स्थीरत हो चुके थे, पर इन विश्वविद्यालयों की नवे विश्वविद्यालयों की स्थापना के बाद राज्य के गमी महाविद्यालयों को इन्हीं की स्थापना विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किया गया। जबलपुर विश्वविद्यालय का थेन जबलपुर जिले तक ही सीमित है। गोगर गण तथा विश्वविद्यालय में महाराजेश्वर के थेन जिले तथा विष्णुपुर्नेश्वर थेन जामिल किये गए तथा विक्रम-विश्वविद्यालय का थेन भोपाल तथा मध्यभारत थेनों तक रखा गया। इन प्रकार अब राज्य के गमी महाविद्यालय राज्य के इन्हीं विश्वविद्यालयों में संन्दर्भ है।

गोपनीय दिव्या दन्तिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय में समीकृत तथा दृष्टि वा विभाग दिया जाता है।
यहाँ में विभिन्न विश्वविद्यालयों के आयोजन का लेखा निम्नलिखित प्रकार है:

विश्वविद्यालय का नाम	योग्यतावानगति प्राप्ति	३१-३-५८ तात्पात्र आयोजन	५८-१९ प्राप्ति
-------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------

१. जबलपुर विश्वविद्यालय तथा इन्दिरा पाल-संगीत विश्वविद्यालय २५०० रुपय ६००५ रुपय ३००० रुपय
 २. विक्रम विश्वविद्यालय २३०० रुपय ६६२५ रुपय ६००० रुपय
 ३. गोगर विश्वविद्यालय २६७० रुपय ६००० रुपय ४००० रुपय
- इसके अतिरिक्त गोगर-विश्वविद्यालय को प्रतिस्थापन गरकार ने ८ लाख रुपय तिमि विश्वविद्यालय को ५ लाख रुपये गंगाराज-भुगम के स्वरूप में दिया है।

गोगर के बड़ाग, विलो, यामन, चानपाट, रातुभा उपग्रहोंने विभिन्न में एकी प्रदार पर्याप्त दृश्य विभाग वीरी पाये। अतः इन विभागों में उपलिखा वीरामग वीरामन आयोजक गठन करा गया। इन राज्यों में उप

शिक्षा की मौग थी तथा यहाँ से इस हेतु अर्थ के रूप में नये महाविद्यालयों जन-सहयोग भी प्राप्त था। अतः बालादाद और रायगढ़ की स्थापना में नवे अस्त्रीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई।

सन् १९५८ में दुर्गमें भी महाविद्यालय की स्थापना की गई। राज्य के एक द्वारा से अधिक आवादी बाले पाँच शहरों में रायगढ़ में ही महिला स्नातक महाविद्यालय स्थापित किया गया है। ये महाविद्यालय जनता के आविक महयोग देने पर ही सरकार द्वारा खोले गए हैं। इन महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तक कला और विज्ञान की शिक्षा देने की सुविधाएँ हैं।

राज्य में दूसरी योजनावधि में २८ नये स्नातक महाविद्यालय स्थापित जायेगे। सन् १९६०-६१ में दो नये महाविद्यालय वस्तर और झाड़ुआ में स्थापित किये जायेंगे। मीधी तथा गिरपुरी के धन्तर-महाविद्यालय स्नातक में विकसित किये जायेंगे।

राज्य-पुनर्गठन के समय महिला उच्च शिक्षा की व्यवस्था बहुत कम थी तथा जहाँ थी भी वहाँ विभिन्न विषयों की कक्षाएँ कम और सोमित थीं। राज्य के विभिन्न महिला महाविद्यालयों को सुविधाओं की वृद्धि करके निम्नलिखित पार्थ किये गए :

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	मर जहाँ तक शिक्षा-	पुनर्गठन के
		सुविधाएँ थीं	उपरान्त बदलाएँ
१.	राजसीय गृह-विज्ञान महाविद्यालय, जनपुर	बी० ए० कला, बी० ए० स०-बी० ए० ए० गृहविज्ञान	बी० ए० कला बी० ए० स०-बी० ए० ए० गृहविज्ञान
२.	राजसीय वर्मा राजा कल्या महाविद्यालय स्थानिक	बी० ए० कला	बी० ए० कला
३.	सन्यामहाविद्यालय, इर्दार	बी० ए० कला	बी० ए० कला

उच्च शिक्षा :: १२९
रुप. ५० करो

५. विजयगढ़े कन्ना	दृष्टर आर्ट्स	रुप. ५० करो
महाविद्यालय, उड़ीसा		
६. गुजराय मटिला अच्छा-	दृष्टर आर्ट्स	रुप. ५० करो
महाविद्यालय, भोजपुर	दृष्टर साइंस	रुप. ५० करो

६. मटिला महाविद्यालय, रामगढ़
इस प्रकार राज्य में मटिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए ६ महाविद्यालय
प्रयोग हथा २ गुजराय महाविद्यालय नारद है।

नवे विद्यों के बोनर स्तर तक की शिक्षा देने की सुविधाओं की दृष्टि के
विभग द्वी सुवे. ग्रामग्राम नवे विद्यों की शिक्षा-सुविधाओं की दृष्टि
पासों की दृष्टि : यह है। इससा विराम निम्नलिखित प्रधार है :

विषय

भौतिक-शास्त्र, गणित-
गणन, वनस्पति-शास्त्र,
भाषा शास्त्र शास्त्रित
शास्त्रित तथा शुद्धि

शास्त्रित, दास्त-शास्त्र
शास्त्रिती तथा शास्त्र शास्त्र
भूगोल

शास्त्र शास्त्र

हीन्दू देश का देश, भारत में स्थानों स्तर की गणना लिए जाएं
हीन्दू देश महाविद्यालय, इन्डोर में स्थानों स्तर की गणना लिए जाएं
ग्रामग्राम भारत की है।

एवं यह मापदंश लिए के बाहर में महाविद्यालय में दृष्टि लिए जाएं
हीन्दू देश दूर है। लाल लिए लिए लिए के अपरिहरण

महाविद्यालयों के नाम

कन्ना महाविद्यालय, इन्डोर
राज्यविद्यालय, महाविद्यालय, जबलपुर
कम्पा राजा कन्ना महाविद्यालय, गोदावर
गोदावर महाविद्यालय राज्यविद्यालय, भार, दुना

गुजराय महाविद्यालय, मन्दगाँव

महाविद्यालय, भोजपुर
दर्मदिला महाविद्यालय, भोजपुर

हीन्दू देश महाविद्यालय, इन्डोर

हीन्दू देश महाविद्यालय, इन्डोर में स्थानों स्तर की गणना लिए जाएं
ग्रामग्राम भारत की है।

१३० :: भारतीय विज्ञा तथा आधुनिक विचारधाराएँ
 वर्ग राज्य के अनेक महाविद्यालयों में योगे गए हैं। साथ ही साथ अनेक महा-
 विद्यालयों में प्रयोग सख्ता की वृद्धि भी हुई है।
 विश्वविद्यालयीन विज्ञा के पुनर्गठन के लिए राष्ट्राकृष्णन् विश्वविद्यालयीन
 विज्ञा उपयोग की सिरारियों पर भारत सरकार ने विवर्णीय स्नातक पाठ्यनम-
 बनाने की योजना बनाई है। राज्य के विश्वविद्यालयों के
 विवर्णीय स्नातक उपकृत्यतियों से परामर्श बरके मध्यमदेश सरकार ने यह
 पाठ्यनम की निश्चय किया है कि सन् १९५९-६० सत्र से राज्य के महा-
 कार्यान्वित विद्यालयों में यह विवर्णीय पाठ्यनम लागू किया जाये। इसके
 लिए शासन आधा तथा निजी अर्थ सहायता से आधा व्यय
 आवश्यक है। इसकी प्राप्ति पर ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आर्थिक
 सहायता देगा। अतः राज्य ने निर्णय किया है कि शासकीय महाविद्यालयों को
 विवर्णीय पाठ्यनम चलाने के लिए आवश्यक व्यय का ५० प्रतिशत तथा नैर-
 सरकारी महाविद्यालयों को २५ प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। नैर-सरकारी
 महाविद्यालयों वो २५ प्रतिशत व्यय व्यवस्थापकों की ओर से दिया जायेगा।
 इस व्यय के आधार पर अगले तीन वर्षों के लिए उम्मीं राज्य के लिए
 २०१५ करोड़ रुपयों की योजना बनाई गई है। इस योजना को भारत सरकार
 से मान्यता भी मिल चुकी है। इस योजना से अनेक महाविद्यालयों ने लाभ
 उठाया है तथा वे स्नातक महाविद्यालयों में परिवर्तित किये गए हैं। जो
 महाविद्यालय इस योजना के पूर्व ही स्नातक सरके बन गए थे वे भी इसी
 माँचे में ढाले जा रहे हैं।

राज्य में १५ शासकीय अन्तर-महाविद्यालय स्नातक सरके लिए जा चुके
 हैं। इन अन्तर महाविद्यालयों को स्नातक सरका बनाने में जनता ने भी ५०
 ने ६० दशार राज्य आर्थिक गढ़योग दिया है या देने वा वापदा किया है।
 अब राज्य में स्नातक महाविद्यालयों की सहज निम्नलिखित है :

१९५६-५७

५९-६०

२८

६१

स्नातक-महाविद्यालय

द्युके गाय-गाय महाविद्यालयों के पुस्तकालय पर्यं प्रयोगशालाएँ भी उपल-

उपर्युक्त की जा रही है। नवीनी के उपर अन्तर साधनों और उत्तरराजों की

*६०-६१ में अन्तर महाविद्यालयों के व्याख्याताओं के ११६ पदों को स्नातक व्याख्याताओं में उन्नत किया जायेगा। कुछ स्नातक व्याख्याताओं के पदों वो दूसरे प्रोफेसर के पदों में भी उन्नत किया जायेगा। इसमें महाविद्यालय में गिरजाघर उच्च होगा। याप ही साथ आवश्यकतानुग्रह व्याख्याताओं के अतिरेक पदों को बढ़ाये जाने का प्रावधान *६०-६१ के लिए किया गया है।

ग.न के अन्तर महाविद्यालयों में विज्ञान-विज्ञान की सुविधाएँ न होने के बागण अनेक दायों वो योग्यता होने हुए भी कला की शिक्षा गैर-भारतीय महाविद्यालयों में विज्ञान विद्यालयों में कठाएँ गोपनी के लिए मोन्टगोट्ट छाने के हेतु अनुदान विज्ञान-विज्ञान की दरे यह दी गई है। अनुदान की दरों में विज्ञान-विज्ञान द्वीप सुविधाएँ प्रदान होने की गई हैं:

१. जून अनुदान

३३३ में ५० प्रतिशत

२. ग्राम्य अनुदान

३३३ में ५० प्रतिशत

३. उत्तरराज अनुदान

५० में ६५ प्रतिशत

इन सुविधाओं के लिये में अनेक गैर-भारतीय महाविद्यालयों ने यह १९६०-६१ में विज्ञान कठाएँ दी हैं।

इनके साथ गैर-भारतीय महाविद्यालयों में भी विज्ञान शिक्षा की सुविधाएँ दी गई हैं। मत्स्यालय थेव के गभी गार्डीर अन्तर-महाविद्यालयों में गग १९६०-६१ में विज्ञान कठाएँ आरम्भ की गई हैं। उन्हें जर्नल रो० प्लानी० कठाएँ नहीं एवं यहाँ भी उड़े आरम्भ किया गया तथा विज्ञान के लिये ५० प्रतिशत भी दी गई है। अनेक महाविद्यालयों में उहाँ विज्ञान शिक्षा प्राप्ति के लिये एवं उहाँ वो जर्नल रो० प्लानी० में प्राप्ति होने की गई है।

शिक्षक-प्रशिक्षण

विद्य के विभिन्न देशों में शिक्षकों का प्रशिक्षण

प्राचीनकाल में पढ़ाये जाने वाले विषयों का समृच्छित ज्ञान ही शिक्षक की योग्यता का आधार माना जाता था। अतः शिक्षक का समाज में आदर या ख्याति उसके पढ़ाये जानेवाले विषय के महत्व तभा उसने प्राचीनकाल में सम्बन्धित ज्ञान की परिपेक्षे विस्तार पर आधारित रहती थी। प्राचीनकाल में टिराना तथा पठना प्रमुखतः पुरोहितों का ही काम माना जाता था। अतः वे सभी के अन्दर के पात्र होते थे। हमारे भारत में तो ब्राह्मण, जो विद्या देने का काम करते थे, वडे आदर के पात्र समझे जाते थे। आज भी समाज उनका आदर करता है ज्ञाहे वह आदर उतना अधिक न हो।

चीन में भी समाज में शासकीय सेवा वाले नौकरों के बाद शिक्षक आते थे। यहूदी लोग दो शिक्षक को आप्तात्मिक पिना मानते थे। मौँ-चाप के साथ-साथ वे गुरु वा आदर भी करते थे। यूनानी लोगों ने अन्य प्राचीन देशों के समाज शिक्षरों को इतना अधिक आदर न देकर अपने कवियों को उच्च स्थान दिया। यूनान में भौगोलिक शिक्षा का प्रसार मीठधिक हुआ, अतः सामाज्य ज्ञान देने वाले शिक्षकों की रियति वहाँ अच्छी न रही, पर उच्च ज्ञान, जैसे डॉन आदि, देने वाले शिक्षकों का आदर यूनानी समाज में अवश्य था।

रोम तथा यूनान के अनेक शिक्षक—जैसे किनटिलियन, आइगोपेट्स यहुत ही प्रतिमाणान्वी हुए, फिर भी इन देशों में गाधारण शिक्षरों की स्थिति दीर्घ नहीं रही। उन काल में शिक्षरों को कम वेतन तथा दावों के अभिमानियों की ढाँचागटकार सुननी पड़ती थी। इसका कारण यह था कि उन गम्भीर शिक्षरों में यहुत मामूरी वाले, जैसे शहै-वहै लोगों की नलों आदि के नाम बाद रखने

आदि की अवेदा की जाती थी। अतः बालान्तर में वो वहाँ शिखक बनना एक हुए की यात्र मानी जाने लगी थी। इसी लिए यूनानी-रोमन व्यवस्था कहता था कि “इंवर जिसे इष्टा करना है वही शिखक बनता है।” उग्रका कथन यहि कि इष्टके याद दूसरे जीवन में अन्य किसी दण्ड की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है।

शिष्यों को स्थिति ग्रहण होने के और भी कई पारग थे, जैसे (१) जीवन में आग ऐसी चांतों का शान देना जिनसा कोई उपयोग ही नहीं। (२) गमाज की उप्रति के कावों में गदयोग देने को जान देने के कावों से अधिक महत्वपूर्ण माना जाना। (३) केवल कल्पन्य करने पर वह देना, जो पोरं भी कर गवता है।

इस प्रश्न की धीर्घिर कार्य की निषुगता नीगरिक मानी जाती थी। उसे परिधम में अजित पराने की धोर इसी लिए प्यान गरा ही नहीं।

यूनानी और रोमन सभ्यता के पुनर के चाह मध्यसाल में मध्यसालीन विश्वविद्यालय आपित हुए। इन विश्वविद्यालयों में बालन, विविन्दा, वस्त्र, मध्यसाल में अच्छे शिष्यों का होना आवश्यक माना जाता था। अतः पर्म आदि विद्या पढ़ाये जाने थे। इनकी प्रगति के लिए यूनानी और रोमन सभ्यता के पुनर के लिए आवश्यक मानी जाने लगी। अंत मध्यसाल में अच्छे शिष्यों का होना आवश्यक माना जाता था। अंत मध्यसाल में इन विद्याओं को अच्छी रुह पदा गमने की धूम्ल ही दिए गये हैं। अपनी 'to teach' होता है। 'master' का अर्थ है कि शिक्षक होना आवश्यक है। इस प्रश्न का अर्थ है कि शिक्षक का शिक्षण ही आवश्यक माना जाता था तथा उसी में उसे प्रशिक्षित भी रिक्त छोड़ा जाता है।

बालान्तर तथा उसके याद के काल में शिष्यों की परिवर्तन की तरफ रिक्त गया। न पैदा लिए आने विद्या में अनन्तिम रूप से उस उपर्युक्त व्यवस्था भी अवश्यकी (crude) होती थी। मानवों अपने इन्हीं इन अपने गर्वना थी है। उस गमर से परिवर्ती इसी लिए हैं यह शिक्षा होना जो उसके अनुप्रयोग के पूर्वों थी। इसका पारग यह था कि उस गमर से हो जाए। इसके दूसरे गमर से। इसका पारग यह था कि उस गमर से हो जाए। इसके अनुप्रयोग के पूर्वों थी। इसका पारग यह था कि उस गमर से हो जाए। इसके अनुप्रयोग के पूर्वों थी। इसका पारग यह था कि उस गमर से हो जाए।

१३४ : : : भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचाहधाराएँ

वडा योग दिया। उसने उच्चाल्ल थालकों को पढ़ाने के कार्य को उतना ही महत्वपूर्ण माना जितना कि सुद के मैदान में शूरवीरों की शृंता को।

पर अभी तक शिक्षकों की इस बुरी परिविति का कारण वही था कि शैक्षणिक कार्य का कोई नियम या व्यवस्थित पद्धति नहीं थी।

लेस्ट्रीटो की 'Ratio Studiorum' (भारतीय शालाओं के अच्छे शिक्षक बना सके) और किंधिष्ठन ब्रदर्स के 'Conduct of Schools' ने भी (humility, prudence, piety, generosity) शिक्षकों के आचरण-सम्बन्धी नियम ही निर्धारित किये।

प्रशिक्षा में पेट्रालाजी ने शिवग-कार्य में विज्ञान तथा दर्शन का समावेश

किया—इसकी यस्तु-पाठ-विधि चालान्दर में किट्ट हो गई घर्तमान काल तथा उसके सम्बन्ध में लोगों ने और भी अधिक रोज़ दी।

में शिक्षकों का भनोविज्ञान का समावेश भी अब शिक्षकों के प्रशिक्षण में विधिवत प्रशिक्षण किया जाने लगा।

पहले सेमीनरी में शिक्षकों का प्रशिक्षण होता था तथा बाद में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नार्मल स्कूल सोले जाने लगे। धीरे-धीरे नार्मल स्कूलों में केवल प्रारम्भिक शिक्षकों तथा परीक्षण महाविद्यालयों में आधुनिक शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाने लगा। कुछ काल तक शिक्षण संस्थाओं वी सूट समिति शिक्षकों को प्रशिक्षण का गर्टिंकिंट देती थी। बाद में जित्या गुरुस्थार्ण, जैन जिन्न योर्ड आदि द्वारा प्रकार के गर्टिंकिंट देने रही।

पर भनोविज्ञान तथा शिक्षा-गिडान्तों के विकास के परिणामस्वरूप शिक्षकों के लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण के साधनाथ सेवा करने हुए प्रशिक्षण भी आवश्यक माने जाने लगा है। साथ ही भनोविज्ञान, शिक्षा-गिडान्त, शिक्षण विधियों-सम्बन्धी नई गोड़ों तथा जान देने शिक्षकों को परिचित कराते रहने वी दृष्टि में शिक्षकों के लिए शिक्षा-सम्बन्धी पाठिक, साहिक या वैमानिक पत्रिकाएँ, निकालना आवश्यक नहीं हो गया है। हनसं माझम से दूरस्थित शिक्षक अनें शिक्षणों पर आदान-प्रदान कर रहने हैं। शिक्षकों वी देना सुधारने, उनके जाग राने यादे अनाचार्य वापा उपेक्षा को दूर करने तथा उनके शैक्षणिक

कार्य का आदर और महल बढ़ाने के उद्देश्य से अब शिक्षकों के संगठन जिला राज्य, देश तथा विद्य के स्तर के होते हैं।

वर्तमान बाल में एक और नई प्रवृत्ति गुंगार के विभिन्न देशों में दिखलाई देती है। आजकल दीक्षणिक कार्य करने के लिए प्रायः किसी ही उपयुक्त समझी जाती है। अमेरिका, इंग्लैण्ड आदि देशों में तो पूर्व-मार्यानिक स्तर पर केवल महिलाएँ ही दीक्षणीय कार्य करती हैं। मार्यानिक स्तर पर भी अधिकांशतः महिला विभिन्नाएँ ही होती हैं। महाविद्यालयीन स्तर पर भी इनसी धरना बढ़ती जाती है। इन्हिये अमेरिका की शिक्षा-ममत्वी पुस्तकों में शिक्षकों के लिए 'she' गुरुनाम का उपयोग किया जाता है।

भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण

हमारे देश में शिक्षकों के प्रशिक्षण की ओर आज मे हमारा ७० वर्ष पूर्व तक कोई विद्योर ज्ञान नहीं दिया जाता था। ऐसे हमारे देश में प्राचीन काल से ही शिक्षकों को यह आदर से देखते हैं। प्राचीन काल में हमारे देश के प्राचीन मुनि तथा ब्राह्मण ही यात्रों तथा यजनों को शिक्षित करने का कार्य किया थरो थे। अप्रेंटी के आने के पूर्व तक भी ब्राह्मण या मुना शिक्षक का कार्य थरने तथा यात्रों को शिक्षा देने थे। परन्तु तो अब प्राचीन काल के जनी-ज्ञानी शिक्षि, ब्राह्मण, मुन्या रह गए हैं और न शिक्षकों की हमारी भारतीय प्राचीन परम्पराएँ ही रहने पाएँ हैं। हमारे देश में शिक्षकों की इनी उच्च तथा मानव परम्पराएँ ऐसी हुए भी हमारे शिक्षकों के विवित प्रशिक्षण का इतिहास पूर्ण ही नहा है तथा इसका आधार भी इंडिया तथा पाठ्यालय ही है। सारज्ञात्व देशों में भी शिक्षक प्रशिक्षण ऐसे गमन में प्रारम्भ हुआ था तद योग यह गमनों पे कि जो व्यक्ति पुनरुत्थापन कर शिक्षा भी कर गहरा है। उग काल में गरीब शिक्षण से दर्जित ही रहते हैं। उग काल में शिक्षक प्रशिक्षण को गमाच, गर्जनीति, पर्सिलिंग, गर्तिहार, लौकिक आदि में पाएँ मतुरह नहीं रहता था। उग गमन या शिक्षकों का प्रशिक्षण वेवल शिक्षण-ममत्वी लोगों के छिलाई लगा लगायिए गए रह थीं गोमित्र इत्या था। उगका शिक्षण की गमनाओं में पाएँ गमन या मतुरह नहीं होता था।

इस प्रकार की परिस्थितियों में प्रारम्भ हुआ पादचात्य देशों का शिक्षण-प्रशिक्षण हमारे भारतीय शिक्षक-प्रशिक्षण का आधार रहा है। हमारे देश में सन् १८८२ तक कोई विधिवत शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी। हालाँकि कुछ राज्यों तथा शैक्षणिक संस्थाओं ने नार्मल स्कूल खोले थे, पर उनमें विधिवत प्रशिक्षण का स्वरूप स्थिर न हुआ था। सन् १८८२ ई० तक देश में वेवल मद्रास तथा लाहौर में ही शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाएँ थीं। सन् १८८२ के भारतीय शिक्षा समीक्षा-भाष्टल ने प्रथम बार शिक्षकों के प्रशिक्षण के महत्व को माना तथा गिरारिय की कि शिक्षा के छिद्रान्तों तथा अभ्यास में परीक्षा की व्यवस्था की जाये तथा सरकारी या गैर-सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त मात्रायमिक शाला में पक्षी तीर पर शिक्षक के स्थान के लिए इस परीक्षा में पास होना आवश्यक माना जाये। इस समीक्षा-भाष्टल ने रानातक तथा उमसे कम स्तर के शिक्षा-प्राप्त शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था अलग-अलग करने को महत्वपूर्ण माना। पर शिक्षक-प्रशिक्षण को वास्तविक महत्व १९०४ (मार्च) के सरकारी प्रस्ताव में उल्लिखित शिक्षा-नीति के फलस्वरूप ही मिला। इसमें शिक्षक-प्रशिक्षण के महत्व, विधि तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की वृद्धि की ओर ध्यान दिया गया था। इसके पश्चात् १९१३ में पुनः एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा शिक्षक-प्रशिक्षण के महत्व को स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार ऐसे नियम बनाने की बात सोची गई कि कोई भी शिक्षक विना प्रशिक्षण योग्यता की प्राप्ति के शिक्षण-कार्य न कर सके।

कलकत्ता विद्याविद्यालय आयोग ने १९१९ में शिक्षक-प्रशिक्षण के विचार थों विस्तृत रूप दिया। इससे पूर्व इसका स्वरूप गठुनित ही था। कलकत्ता विश्व-विद्यालय आयोग ने न केवल शिक्षक प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण मानकर प्रशिक्षण वीं सुविधाओं की वृद्धि की गिरारिय की वज्र, शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी परिवर्तन को आवश्यक घोषित, क्योंकि शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं का कार्य शिक्षण का प्रशिक्षण तथा प्रमाणनन्द देने-मात्र से पूर्ण नहों हो जाता। उनके लिए तो देश की शैक्षणिक गमस्थाओं का शिखित अप्पणन भी करना आवश्यक है। कलकत्ता विद्याविद्यालय आयोग ने प्रत्येक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्था से एक-एक अस्पात शाला भूलान बरने की गिरारिय भी की। अभी तक शिक्षक-

प्रगिरिधर मंत्राओं के साथ शीर्षक शार्य के व्यावहारिक अभ्यास के लिए अभ्यास-आना मंत्रन नहीं रहती थी।

बुनियादी शिक्षा के दिशाम ने गिरिधर-प्रगिरिधर के इतिहास में एक नये दृष्टिकोण का आविष्कार किया। बुनियादी शिक्षा तो जट-सूल में शिखा बदलने वाला नहीं प्रतिनिवारी दिशाएँ का प्रादुर्भाव करने के लिए प्रारम्भ की गई थी। अतः भ्यापाचिह्न है कि इन शान्ताओं के शिखरों को एक दिशा प्रदान का प्रशिक्षण दिया जाये। बुनियादी शिक्षा गमाज का केन्द्र होती है। उनमें गमाज-शाली शिक्षा अनेकांश स्वर में चलता है। इनमें न कोई लंचा या असर होता और न कोई नीचा या गमीन। इनमें गम गमी के दिव के लिए कार्य करते हैं। अतः ऐसे शिखरों के प्रशिक्षण का उद्देश्य शिखरों में इस प्रदान के गुणों, गमनाओं, प्रहृतियों, आदतों आदि का शिक्षण करता ही होना चाहिए। प्रारम्भ में बुनियादी शिक्षा प्रारम्भिक स्वर पर ही प्रतोग के स्वर में चली थी। अतः बुनियादी गिरिधर-प्रगिरिधर प्रारम्भिक उपाय पूर्व-मार्गमिक स्वर रहा ही शीघ्रत रहा। अब इसका शिक्षण प्रारम्भिक स्वर रहा ही रहा है। साथ-ही-साथ प्रारम्भ एवं पूर्व-मार्गमिक स्वर के बुनियादी शिखरों की प्रशिक्षण संख्याओं के लिए शिखरों उपाय बुनियादी शान्ताओं के निरीक्षणों के प्रशिक्षण की अवधारणा में भव यदृढ़ी ही जाती है। अतः प्राप्त अनेक गम ने भ्यापाच वृत्तिशोक्तर बुनियादी प्रशिक्षण महाराजान्तों की गमना आव दिन-नर दिन रहनी ही रह रही है। गृह्य अर्थ बुनियादी शिक्षा ने गृहीय शिक्षण का स्वरूप दित्ता है उपाय नीति-नियंत्रण में बुनियादी और गैर-बुनियादी का भेद शिक्षा या रहा है, प्रशिक्षण संख्याओं—गमनाकोन्कर तथा पूर्व-गमनाकोन्कर दोनों—का बुनियादी में वर्तमान दीक्षण में ही रहा है। इन बुनियादी प्रशिक्षण संख्याओं में बुनियादी शिक्षा-गमनीयी दोष कार्य भी दिये जा रहे हैं।

१९४८ में भारतीय शिल्पकाल असेंग की संस्कृता दो० दर्शनीय गमनाकोन्कर यी भारतीय में ही रह रही। इस आसेंग में भी गिरिधर-प्रगिरिधर योग्य नसा में उद्देश्य दिशानिया दिशा। आसेंग ने गमनाकोन्कर पर्याप्त गमनाकोन्कर में दिये रखे गए गैर-प्रशिक्षण गमन या ही गमनाकोन्कर दीक्षण पर इन शिक्षान्तर-

की व्यावहारिक शिक्षा पर और अधिक बल देने की सिफारिश की। इस आयोग ने बहा कि जब हमारी वास्तविक शिक्षा केवल कुछ पाठ पाद करना या पढ़ लेना ही नहीं है तथा जीवन में जीकर सोहेश्यपूर्ण क्रियाओं में भाग लेना है तब यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे विद्यविद्यालयों से सम्बद्ध शिक्षण-संस्थाओं में भी इस प्रकार से परिवर्तन किया जाये। इसको ज्ञान में रखते हुए आयोग ने सुझाया कि शिक्षकों के व्यावहारिक प्रशिक्षण पर और अधिक बल दिया जाना चाहिए, अन्यास के लिए उपयुक्त अभ्यास-सालाहों को चुना जाना चाहिए, शिक्षा के सिद्धान्त लानीले बनाये जाने चाहिए जिससे उन्हें राजनीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाला जा सके; तथा अप्रिक्ष भारतीय स्तर पर शैक्षणिक शोध-कार्य इन प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा अपनाया जाना चाहिए।

राधाकृष्णन् विद्यविद्यालय आयोग की सिफारिशों के प्रत्यक्षरूप ही १९५० में बड़ीदा में प्रथम अप्रिक्ष भारतीय प्रशिक्षण-संस्थाओं की समा बुलाई गई। इस समा में विद्यविद्यालयीन स्तर पर शिखन-प्रशिक्षण के कार्यों एवं गतिविधियों पर विचार किया गया तथा मार्गिक के लिए सिद्धान्त और नीति निश्चित की गई। मैगूर में १९५१ में इसकी द्वितीय सभा का आयोजन हुआ, जिसमें स्नातकोन्नर स्तर पर शैक्षणिक शोध-कार्य तथा स्नातक शिक्षक-प्रशिक्षण का अध्ययन विशेष रूप से किया गया।

केन्द्रीय शिक्षा-विभाग ने शिखन-प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्य के समन्वय तथा सार्वदर्शन के हेतु पत्रिकाओं का प्रकाशन भी आरम्भ किया है। 'शिक्षा वैमानिक' तथा 'बुनियादी तात्त्विक' वैमानिक पत्रिकाएँ इस दिशा में उपयोगी मार्गदर्शन का कार्य कर रही हैं। इनके साथ-साथ केन्द्रीय शिक्षा-विभाग शिखण-प्रशिक्षण-नामन्तरी जानकारी पुस्तकाओं के रूप में भी सुमधुरमय पर निकालती रहती है।

भारत में शिक्षा संगठनों तथा नियोजनों के प्रशिक्षण की शिक्षित भी गिरी हुई है। अभी तक शिक्षा-नियन्त्रण आर्ड० ए० एग० के स्तर का घटक ही बनता है। शिक्षा-मन्त्री तथा विधान सभा के सदस्यों से सो शिखन-प्रशिक्षण की अपेक्षा वही ही नहीं जा सकती। अतः ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि शिक्षा-संसद शिक्षा-प्रशिक्षित हो। शिक्षा-गच्छालक तो अब शिक्षा-प्रशिक्षित ही होने लगे हैं,

पर १८६४ में जब इनकी नियुक्ति प्राप्ति की गई थी तब ऐसा नहीं था। प्राप्ति में तो शास्त्र-निरीक्षकों को सी गिरा-प्रशिक्षित होना आवश्यक नहीं भावा जाता था। पर आज भी शास्त्र-निरीक्षकों को किसी विदेश प्रधार का गिरा-गम्भीर का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। इसका कारण यह है कि गिरा-गम्भीर का विद्यालय के स्पष्ट में अभी तक उपरित ही है। शिक्षा-विभाग में कार्य कर रहे निरिक्षक, गविय आदि के गिरा-प्रशिक्षा की तो भागत में कोई वरचरण ही नहीं है। ये सोग 'भूदृ-उपाय-मुख्यार' या दैनिक कार्य करने वाले भी गम्भीर आनी जाती है उनके आधार पर असता काम भीन्हवे तथा गम्भीर कार्यालयों, जनरलों, जिला बोर्डों तथा अन्य स्वाप्तन सम्पादों में गिरा की वरचरण तथा गम्भीर गम्भीर कार्य करने रहते हैं। इसका कारण यह है कि अभी तक भागत में गिरा-प्रशिक्षण तथा गिरा-गम्भीर के प्रशिक्षण यो उत्तरोगी गम्भीर ही नहीं जाता है। पर यदि दास्तव में हमें गिरा का गवर्नर मुख्यमन्त्री है तथा गिरा का उचित विद्यालय बनना है तर गिरा-प्रशिक्षण के समान गिरा-निरीक्षकों, शिक्षा-प्रिसिकों तथा गिरा-प्रशिक्षण तथा गम्भीर में गम्भीर अन्य वर्षों के उचित प्रशिक्षा तथा भिन्न के कार्यकाल में गेता करने द्वारा प्रशिक्षण की उन्नित वरचरण करनी ही चाहिए।

मध्यप्रदेश में शिक्षक-प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश में गिरा-प्रशिक्षा की वरचरण के सम्बन्ध में निम्न मुख्यार्थी प्रशान्त थी जाती है :

१. ग्राम्यमित्र तथा दूर्योगमित्र शास्त्राभों के गिराओं के प्रशिक्षा की वरचरण।
२. उच्चार तथा उच्च मार्यमित्र शास्त्राभों के गिराओं के प्रशिक्षण की वरचरण।
३. उच्चर तथा उच्च मार्यमित्र एवं ग्राम्यमित्र शास्त्राभों के गिराओं के गेता करने द्वारा प्रशिक्षा की वरचरण।
४. गिराओं के दैनिक विद्यालयों के हेतु विद्यारकारों की वरचरण।
५. गिराओं को गढ़ीर युवाओं की वरचरण।

- १४० :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ
६. शिक्षकों कि नियुक्ति में मनोवैज्ञानिक टग आयोजित करने के लिए
 ७. जिला तथा समाग्र स्तरों पर नुनियाव समितियों की स्थापना आदि।
 ८. अल्पकालीन बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।
- प्रायमिक तथा मध्यप्रदेश में शासन ने सभी प्रायमिक शालाओं को बुनियादी में परिवर्तित करने की नीति अपना ली है। अतः राज्य की सभी प्रायमिक तथा पूर्व-माध्य-प्रायमिक शालाओं के शिक्षकों के विद्यालय कर दिया गया है। इससे बुनियादी प्रशिक्षण का प्रशिक्षण कभी न होगी। राज्य में अभी ५२ बुनियादी प्रशिक्षण ५४८ विद्यालय हैं। इनमें ८३ प्रशिक्षित किये जाते हैं। इनमें प्रतिवर्ष कुल इनमें महिलाओं के लिए जबरपुर, मोपाट, खालियर, इन्दौर, उज्जैन भी शामिल हैं। इनमें मराठी तथा उर्दू के शिक्षकों के लिए एक-एक प्रशिक्षण विद्यालय भी शामिल है।
- इसके अतिरिक्त परम्परागत पद्धतियों में प्रशिक्षित शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा के मिदान्तों तथा विविधों से परिचित करने के लिए राज्य में उचित तथा करोडीमल्लनगर (रायगढ़) में दो अल्पकालीन प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में अग्रियार्थ बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था के लिए, राज्य में दूसरी सल्ला में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की आवश्यकता-पूर्ति के न्युन यही सल्ला में बुनियादी प्रशिक्षण योजनान्तर्गत सन् १९९१ में २ अक्टूबर से २३ अक्टूबर तीव्री के लिए तथा दो कांसर तथा शातुआ में आदिवासियों के लिए है। १९६०-६१ वर्ष में २७ बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा ३ अल्पकालीन प्रशिक्षण केन्द्र गोठे जायेंगे।
- इसके नाथ-गाय पट्टियों के अनुपार राज्य के बाहर बुनियादी में प्रशिक्षण के लिए, महिलाभर्म, वर्षा, राष्ट्रीय बुनियादी प्रशिक्षण, दिल्ली आदि स्थानों में

शिशुओं तथा प्रशार्थीय उधिकारियों को भेजा जाता है।

आदिवासी धेरों में बाम वरनेवाले शिशुओं के बुनियादी में प्रशिक्षण के लिए भिजोरा तथा बस्तर में २२५ शिशुओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

नवीन मण्डपदेश के गढ़न के बाद यज्ञ के प्राथमिक शिशुओं के प्रशिक्षण की मुख्याओं में २५ प्रतिशत वीर शूद्र की गई थी। अब तो यह प्रतिशत और भी बढ़ता जा रहा है।

योजना और विश्व-विभाग द्वारा आयोजित अनुग्राहपत्र योजना का कार्य शिशु-विभाग द्वारा किया जाता है। प्रार्थीण धेरों के प्राथमिक शिशुओं को विश्व कार्य-नगद्यन्धी जानकारी दी जाती है। यन् १९५९ तक रागभग ८०० शिशु तथा २०० शिशुएं अनुग्राहित की जा चुकी हैं।

राज्य के मण्डपदेश धेर के प्रशिक्षण विशालयों तथा उनके शिशुओं के लिए भवन-निर्माण वीर योजना भी है। इसके लिए क्रममात्रा १०० लाख तथा ४५० लाख रुपयों का प्रावधान है। महाकोशल धेर में बुनियादी प्रशिक्षण विशालयों के लिए भवन निर्माण के हेतु ३२ लाख रुपयों का प्रावधान है। विन्द्याप्रदेश धेर में बुनियादी प्रशिक्षण मालाओं के दातावाले के लिए ११५० लाख रुपयों के १२ भवन बनाने की योजना है।

राज्य ने इन प्रशिक्षण विशालयों तथा महारियालयों में शिशुओं को येतन या एवार्टन मिलाती है।

मण्डपदेश राज्य में यन् १९५६-५७ में मार्गमिक शालाओं के शिशुओं के प्रशिक्षण के लिए पेंदल ६ प्रशिक्षा महाविद्यालय थे। इस बद्धतर मार्गमिक राज्य राज्य में ८ शासीर तथा १ अग्रासीर प्रशिक्षा शालाओं के प्रशि- महाविद्यालय हैं। इसके अलिंगक छत्तीसगढ़ में भी ३० थी० इस की व्यवस्था प्रभारी नहीं है। इन प्रशिक्षा महाविद्यालयों में अब १,१८ लाख शिक्ष-प्रशिक्षण मिलते हैं। राज्य में ३ स्नातकोचर बुनियादी प्रशिक्षा महारियालय (बरामुर, भेदगढ़ तथा उम्मेन) भी इनमें शामिल हैं।

बरामुर, भेदगढ़, बालापाल, गरुडपाल, लेलाप, उम्मेन तथा योगी के प्रशिक्षा महारियालयों में प्रारंभ में १० प्रशिक्षणपिंडे के लिए प्र० एम० एम० वी. लिङ्ग डॉ

१४२ :::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएं

च्यवस्था है। रायपुर, जबलपुर, साहेब के प्रशिक्षण महाविद्यालयों में पत्रोपाधि स्तर के प्रशिक्षण की च्यवस्था है। इनमें मैट्रिक पास शिक्षक दो घर्म तक प्रशिक्षण होते हैं। जावरा के प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रमाणपत्र स्तर के प्रशिक्षण की सुविधा है।

प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षार्थियों को वेतन या छात्रवृत्ति दी जाती है। इस प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सन् १९५८-५९ से अतिरिक्त स्थान भी बढ़ाये गए हैं। इन अतिरिक्त स्थानों में से ५० प्रतिशत शिक्षकों के लिए तथा ५० प्रतिशत द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातकों के लिए हैं। शिक्षकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, पर इन अतिरिक्त स्थानों में लिये गए स्नातकों से १२०) प्रति सत्र शुल्क लिया जाता है।

इसके अतिरिक्त प्रान्तीय शिक्षण महाविद्यालय में दैशणिक मनोविज्ञान तथा गमाज में सम्बन्धित मनोविज्ञान की ४८० ए० (मनोविज्ञान) शिक्षा की च्यवस्था भी है। इसके लिए ३० छात्रों के हेतु प्रयन्त्र है। इनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

प्रान्तीय शिक्षण महाविद्यालय, जबलपुर में राजनन्द पर एक शैक्षणिक व्याख्यातिक मार्गदर्शन केन्द्र है, जिसमें शैक्षणिक तथा व्याख्यातिक मार्गदर्शन और अनुग्रन्थान का कार्य किया जाता है।

इसके विवाद्य प्रान्तीय शिक्षण महाविद्यालय जबलपुर में अनुम्यापन प्रशिक्षण विभाग तथा गंगोद्धी विभाग भी हैं। इनकी चर्चा इसी अव्याय में जन्मत की जा रही है।

गन् १९६०-६१ में न्यालिंयर में एक स्नातकोत्तर शुनियादी प्रशिक्षण महा उच्चतर तथा उच्च गाय विद्यालयों का प्रावधान रखा गया है। इसके यांग मध्यमिक एवं महाविद्यालय रोलने का विचार चल रहा है।

प्रशिक्षण विद्यालयों के संग्रहीत राज्य में अनुम्यापन प्रशिक्षण विभाग महाविद्यालय के विषयों के संग्रहीत राज्य में अनुम्यापन प्रशिक्षण विभाग तथा गंगोद्धी विभागीय विद्यालयों के संग्रहीत राज्य में अनुम्यापन प्रशिक्षण विभाग तथा गंगोद्धी विभागीय विद्यालयों आदि वो गेयवाला में शिक्षा की नवीन प्रणालियाँ

तथा नवीन स्ट्रक्चरों में पर्याप्त रहता है।

गंगोत्री किमाग वर्ष भर कार्यस्थ रहता है तथा इसमें द्वृउद्देशीय उच्चतर, उच्च माध्यमिक शास्त्राओं तथा प्रगतिशील विद्यालयों के गिराफ़, निधिवाणि तथा भगवान् एवं अन्य भाव के अन्वेषणिक प्रशिक्षण के लिए आने हैं। इस अन्वेषणिक प्रशिक्षण की अवधि में उन्हें शिक्षण की वर्गीकरण नीतिविधियों, निदानों तथा गिराफ़ विधियों में पर्याप्त रहता है।

गवर्नर के नियन्त्रित प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अविद्या भारतीय माध्यमिक

शिक्षणों के दैश्व- किंवदं गहर है :

लिख मार्गदर्शन के १. प्रामाणीय शिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।

देशु विद्यालय काशी २. शासकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, रायगढ़।

की व्यवस्था ३. शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, देवगढ़।

४. शासकीय म्नातरोत्तर दुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय, भोजपुर।

ये विद्यालयों द्वारा आगामी के ५० मीन तक की माध्यमिक शास्त्राओं का दीर्घायुष मार्गदर्शन करते हैं। मार्गदर्शन के देशु माध्यमिक शिक्षण परिषद ने इन विद्यालय दैश्वों में विद्यिष प्रशार के आनुनिकत्वम दीर्घायुष उत्तराय, जिने इस प्रति भाग्य, प्रभावशर भावि प्रदान किये हैं। इन विद्यालय-दैश्वों में गम्भीर गम्भीर पर शिक्षणी द्वारा प्रशाननाप्राप्ती दी देते हैं देते हैं इनमें दीर्घायुष शास्त्राओं पर विनाश-विनिमय देता है। इन विद्यालय-दैश्वों में दीर्घायुष विद्या दुर्बोधीयों के स्व में विनाशी देते हैं इनमें शिक्षण-गम्भीरी गम्भीरों द्वारा शिक्षण-गम्भीरी दी रखी है। दीर्घायुष विनाश दिक्ष्यों पर प्रदर्शन तथा दीर्घायुष गम्भीर का आगमन प्रभाव ने इन विद्यालय-दैश्वों के अवधारण द्वारा ही बढ़ाया है।

दीर्घायुष शिक्षण महाविद्यालय द्वारा शिक्षणी की गंगोत्री दुर्बोधार देने की योजना अन् १९५८-५९ में प्रारम्भ की गई है। इस योजना का उद्देश शिक्षणी का गम्भीर में गम्भीर विद्यालय, उन्द्र वार्षीकोर में दीर्घायुष शास्त्राओं द्वारा उनका गम्भीर स्वरूप उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत दीर्घायुष अन-

प्राथमिक दोनों प्रकार के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया शिक्षकों को राष्ट्रीय जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिल्ली में २६ अक्टूबरी के पुरस्कार की दिन राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें पांच सौ रुपयस्था रूपया नकद, सोने का पदक तथा प्रमाणपत्र रहता है।
मणिप्रदेश में सन् ५८-५९ में दो तथा १९५९-६० में चार शिक्षकों को यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।

इस सिलाहिते में राज्य में शिक्षकों के चुनाव के द्वेष निर्देश स्थिर किये गए हैं।

इन निर्देशों के अनुसार जिला तथा सम्भाग सभे पर शिक्षकों की नियुक्ति चुनाव समितियों वी स्थापना की गई है, शैक्षणिक कार्य में सभी वैज्ञानिक के लिए आवेदन-घोषों का पजीपन होता है, अनुभव तथा दृंग आयोजित करने प्रशिक्षण आदि के आधार पर अंक दिये जाते हैं तथा के द्वेष जिला तथा प्रत्यक्ष भेद के द्वारा शिक्षकों का चुनाव किया जाता सम्भाग सभों पर है। इससे शिक्षा विभाग को अच्छे शिक्षक उपलब्ध होने पुरावधि समितियों तथा नौकरी देने आदि में विधिवत कार्य चलता है।

की स्थापना आदि राज्य के परम्परागत विधि से प्रगिक्षित प्राथमिक

शिक्षाओं को बुनियादी शिक्षा के लिङान्तों, विधियों तथा तत्त्वों से परिचित करने के उद्देश्य से लिखनी तथा रायकार्ड (करोड़ीफलनगर)

में अलंकारीन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई अलंकारीन बुनि- है। इन केन्द्रों में प्रशिक्षण की अवधि ४५ दिनों की होती यादी प्रगिक्षण है तथा प्रत्येक उत्र में ७२ शिक्षक प्रगिक्षित होते हैं। केन्द्रों की स्थापना सन् १९६०-६१ में ऐसे तीन केन्द्रों के गोलने की व्यवस्था

और की जा रही है, क्योंकि राज्य में गैरखुनियादी शालाओं वो गंडवा देखते हुए इस प्रकार के और भी केन्द्र रोलना आवश्यक है।

शिक्षा-विभाग के अधिकारियों तथा शिक्षकों के विरोप प्रशिक्षण के लिए राज्य के सभी विभागों में प्रीम तथा अस्ट्रकालीन अवस्थाओं में शिविर तथा विचार-भागोड़ियों वा आयोजन किया जाता है। इस शिक्षान्वयोड़ियों योजना के अनुगार १०५७-५८ तक ३०३ शिविर आयोजित थी व्यवस्था किये जा चुके हैं। ये गंगोड़ियों बुनियादी तथा मार्थमिस

मर के विद्यालयों के शिक्षकों तथा अधिकारियों के लिए होती है।

गन् १९५८-५९ में शरदूकालीन अवकाश के समय से दो माह के अल्प-कारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी राज्य के समन्त बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों में शिक्षित वेकारी उम्मूलन योजना के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों के लिए की गई थी।

इसके गाथ-गाथ प्रतिवर्ष राज्य की सभी बुनियादी संस्थाओं में २० जनवरी से २६ जनवरी तक बुनियादी शिक्षा ग्रनाट मनाया जाता है। इसके अन्तर्गत राज्य मरीय तथा गुम्मागीय मरीय गंगोठियों का भी आयोजन किया जाता है। जिन तथा तहसील मर पर भी गंगोठियों की व्यवस्था है। गाथ ही जहाँ कहीं भी बुनियादी शिक्षा-मम्मेलन या गंगोठियों होती है, वहाँ शासन आपने प्रतिनिधि कापी सम्बन्ध में भेजना है। इसमें राज्य के बुनियादी क्षेत्र में पार्य करनेवाले कार्यकर्ताँ बुनियादी शिक्षा-गम्भन्धी नवीन गतिविधियों में परिचित होने रहते हैं।

भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण की समस्याएँ

१. प्रशिक्षण विद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की वटी।
२. प्रशिक्षण-विद्यालयों तथा महाविद्यालयों वा गंगूङ्गे देश में मनुचिन्त-स्प में विभिन्न विवित न होना।
३. शिक्षा-प्रशिक्षण गंतव्याओं की ओर यत्कार का उचित ध्यान न देना।
४. शिक्षा-प्रशिक्षण गंतव्याओं का मुख्यांतर न होना, अर्थात् शिक्षा के प्रतिक स्तर, ऐसे पूर्व-प्राप्तिक, प्राप्तिक, माप्तिक आदि के प्रशिक्षण विद्यालयों द्वारा गंतव्याओं का आसनी गत्र-प न रखने हुए अन्य पार्यग रहना।
५. शिक्षा-प्रशिक्षण गंतव्याओं का असाम-आला द्वारा उनके सामने में लिखाना रहना।
६. शिक्षा प्रशिक्षण गंतव्याओं का मंत्रनाला द्वारा में पार्द फरना। अनेक गंतव्याओं का अन्ते पार्यो तथा गतिविधियों को गतिविधि द्वारा दृष्टि रखना।

185 :: भारतीय दिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

५. प्रशिक्षण संस्थाओं का शैक्षणिक समस्याओं के सम्बन्ध में शोध-कार्य न करना। जो थोड़ा बहुत शोध-कार्य किया गया हो उससे दूरगे को अवगत न करना या न करा सकना।

६. प्रशिक्षण संस्थाओं में बुनियादी और गेर-बुनियादी का भेद होना।

भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण की समस्याओं के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य में शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं की गलता में पर्याप्त जुदी वीज जाये। इन प्रशिक्षण संस्थाओं को उचित रूप से सभी शेत्रों में आवश्यकतानुसार वितरित करना भी आवश्यक है। इससे भारत में शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं प्रशिक्षण संस्थाओं की ओर ग्राहक रूप से समुचित ध्यान के समाधान के देना चाहिए, क्योंकि यिन अच्छे प्रशिक्षित शिक्षकों के उपाय शिक्षा में कोई मुश्वर तथा उन्नति करना असम्भव नहीं है। सभी स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं को आपन में सम्मुख करने की दिग्गज में भी प्रयत्न किया जाना आवश्यक है। इससे उनका दृष्टिकोण भी विस्तृत होगा तथा एक दूरे का सहयोग संस्थाओं के समाधान के लिए मिलेगा। अतः यह आवश्यक है कि यदि अधिक कुछ गम्भीर हो तो कम सम्भागीय स्तर पर तो सभी ग्राहक की शिक्षक-प्रशिक्षण गंस्थाओं का आपनी सम्बन्ध अधिक धनिष्ठ बनाने के प्रयत्न किये जाना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थाओं को सत्यम् अस्यास-शालाओं से और भी अधिक गम्भीर ग्यायित्र वरन् नाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अस्यास-शालाओं के शिक्षकों वी अदला-बदली, प्रशिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों तथा निरीक्षकों की अदला-बदली वटी उपयोगी मिल हो सकती है। इसके साथ-नाथ प्रत्येक विज्ञविद्यालय या प्रत्येक राज्य के उपरुक्त शेत्रों में 'इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रॉफेशन' रोलने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं वा कार्य प्रशिक्षाधिकारी वो देवल शिक्षा-निदान तथा मनोविज्ञन-सम्बन्धी वालों से अवगत करना दी नहीं है बरन् उन्हें लगन, अम, रत्न, अहिंगा से कार्य करना हिंसना भी है। यदि इम शिक्षा द्वारा गामाजिक उन्नति तथा मुश्वर चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि शिक्षक-प्रशिक्षण गत्याहें प्रशिक्षण के लिए आये शिक्षकों।

“...पाग, आत्मविद्यागु तथा आत्मनिर्भरता मे काम करना भी निवारयें। इसका मतलब यह हुआ कि प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रशिक्षण के लिए आये छात्रों के विचारण, आदरों, रहन-जहान गम्भी मे आमूल तथा अनुकूल परिवर्तन करने की दिग्गज मे काम करना होगा। इसके माध्यमाध्यम शिक्षा-क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध मे शोधकार्य भी प्रशिक्षण संस्थाओं मे के लिए करना आवश्यक है। पर शोध-कार्य करके उसे अपनी अलमारियों मे रखने-मात्र मे कार्य न चलेगा। प्रशिक्षण संस्थाओं दो अपनी जानकारी का उचित प्रचार तथा आदान-प्रदान भी करना चाहिए। इसके लिए सम्भागीय तथा गन्ध-भार पर सुशेषिनों का प्रशादन करना ठीक होगा। अनिन भारतीय गर्व पर भी परश्वविद्याओं के प्रशादन मे हर दिग्गज मे गम्भीर शोध-कार्य करना, गम दरर तथा शीघ्रता मे दिग्गज जीवित कार्य की गरता है। आमी गट्टोंग मे शीघ्रिक गमस्याओं-सम्बन्धी शोध-कार्य करना, शुनिश्चारी शिक्षण को गष्टीर शिक्षण नीति के स्वर मे मानवा मिल जुरी है अतः शुनिश्चारी और गैर-शुनिश्चारी का भेद शीघ्र ही समान होना चाहिए। इस दृष्टि गम संस्थाओं को भी शुनिश्चारी बना देना ही उपरुक्त होगा। प्रशिक्षण शुनिश्चारी शिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए उत्तरों से कर लिए जाने वाले वार्तानाम मे शास्त्र-ज्ञानान्वय तथा उनके व्याख्यातिक स्वरूप को और भी अधिक तथा शिक्षित गमन दे चाहिए जिनके उनका पाठ्यक्रम न पंकज शिक्षितों के लिए उत्तरों से कर लिए गये शिक्षण-क्षेत्र मे कार्य करने वाले निवारयों, प्रशिक्षणों तथा भवन कर्मचारियों के लिए ही उत्तरों शिक्षित हो जाएं। प्रशिक्षण संस्थाओं को शिक्षार-शास्त्र-पाठ्यक्रम मे शास्त्रों तथा शिक्षण-क्षेत्रों के लिए जाने वाले अपि भी अधिक गम देना चाहिए। यह उक्त प्रशिक्षण संस्थाओं शिक्षार-पाठ्य को भवना उन्नित अंग न समाचारी तरह दर दे वास्तविक देश प्रशासन-शास्त्री द्वारा मे गम्भीर उत्तरी मे शास्त्रार्थ न हो जाएं और न ये प्रशिक्षण के लिए आये शिक्षितों मे गम्भीर गम दर दर्शाएं।

- १५० :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ
 से महत्वपूर्ण है। इस काल के पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ओ
 २. सद १८८२ कोई रचना नहीं थी गई, पर इस काल में भारतीयों ने समग्रित
 से १९१० तक होकर तत्सम्बन्धी आन्दोलन प्रारम्भ किया।
 इस काल में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के आन्दोलन
- प्रारम्भ होने के निम्नलिखित कारण थे :
 १. अंग्रेजों के भारत में आने तथा अनेक भारतीयों के इंग्लैंड जाने तथा
 अंग्रेजों के सम्पर्क में आने से भारतीय समाज में प्रान्तिकारी परिवर्तन
 उपस्थित हुआ।
२. १९वीं शताब्दी में भारत में धार्मिक सुधार के अनेक प्रयत्न किये
 गए। ये सुधार के प्रयत्न ब्रह्म-समाज, आर्य-समाज तथा सामृद्धाण्य
 मिशन द्वारा किये गए थे। इन सुधारों में कैंच-नीच वा भेद मिटाना,
 पर्दां-प्रथा को दूर करना, विधवा-विवाह करना, हरिजनों की उन्नति,
 वाल-विवाह शेकना, ब्रिंजों की दगा सुधारना आदि को अधिक
 महत्वपूर्ण माना गया। इसका प्रभाव भारतीय समाजिक दण्ड पर
 भी पड़ा।
३. भारत में दोकानों के रिदानों को मान्यता देने से भी अनिवार्य
 प्राथमिक शिक्षा के आन्दोलन को प्रोत्ताहन मिला।
४. धार्मिक तथा सामाजिक सुधारों के पलस्वरूप देश की पददलित निम्न
 जातियों में उन्नति की भावनाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इससे अनिवार्य
 प्राथमिक शिक्षा आन्दोलन को घल मिला।
५. भारतीयों में राष्ट्रीयता वी भावनाओं के विकास के कारण अनिवार्य
 प्राथमिक शिक्षा आन्दोलन समग्रित होने की दिशा में प्रोत्ताहन मिला।
 इस प्रकार हम देखते हैं कि १९वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक एकता,
 कैंच-नीच का भेदमात्र दूर करने वी भावनाओं के विकास, हरिजन, ब्रिंजों
 आदि के उन्थान के प्रस्तावों आदि के पलस्वरूप अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा-
 आन्दोलन वो प्रोत्ताहन मिला, पर यह आन्दोलन सरकारी नीति वी प्रमाणित
 करने के योग्य सुनांगठित न हो यकने के कारण सबल न हो सका। याथ ही-
 गाय जो अंग्रेज १८८२ के पूर्व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा वी गिरावट है में

स्त्रीकार करके भारत में इसके प्रगार के इन्द्रुक ये वे देश की ददलतों राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इसके विरुद्ध हो गए। अभी उक्त भारतीय अप्रेजेंट के भत्ते ये तथा अप्रेजी शामन के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते थे, पर राष्ट्रीयता के आन्दोलन के विरोधित होने के कारण यह सब सम्बन्ध न रहा। पश्चात्यक्ष अप्रेजेंट ने बेचता कुछ गिनेन्जुने लोगों को गिरित करके जन-भाग्यान्व में अप्रेजेंट के प्रति कृतज्ञता प्रहार करने को बढ़ावा देने की नीति को पर्हित तो उपरुक्त गमना, पर याद में इसे भी इमलिए स्थाग दिया थि ये गिनेन्जुने गिरित वर्तनि गमना की ओर में अनेक माँगे उपर्युक्त करने लगे थे।

इस घान में अनिवार्य प्राथमिक शिखा के प्रस्तुत वो उठाने पा प्रथम महत्वपूर्ण अवधार १८८२ के भारतीय गिरिया-आरोग वी स्थापना से मिला। इस गिरिया-आरोग के गमन अनेक भारतीयों, अप्रेजेंट, भिजनरियों आदि ने यान दिये तथा अनिवार्य प्राथमिक गिरिया को अस्ताने पर बल दिया। पर इस गिरिया-आरोग ने इस पर ध्यान न दिया। अतः शामन ने अनिवार्य प्राथमिक गिरिया के विचार को आद्यात्मक माना। अप्रेज गरदार के अनिवार्य प्राथमिक गिरिया के निर्माणित कारण के निम्नलिखित कारण थे :

१. भारत में जनगण्या तथा मृत्युगण्या बहुत अधिक है। अतः अनिवार्य प्राथमिक शिखा प्रारम्भ करना यहां मर्दिगा पड़ेगा।
२. अप्रेज गरदार वा भारतीयों पर अनेक वर्षों को शालाओं में भेजने के लिए वरदानी करना उपरुक्त नहीं है। कर्तव्य इसमें देखा ही रहेगा।
३. अनेक शागमात्मक कठिनाईयों, जैसे शाला-भवन, गिरियों का तुलना तथा उनसे प्रगिक्षा, उपरुक्त हाँगियी निरीधारी के अभाव आदि के कारण यह गर गम्भीर नहीं है।
४. भारत में जन-भाग्यान्व भी अभी इसके लिए तैयार नहीं है।
५. अनिवार्य प्राथमिक गिरिया को प्रारम्भ करने में अप्रेजेंट वी पर्व निररोध नीति का पालन न हो सकेगा, कर्तव्य इसमें दिनू बच्चों के साथ हरिज्ञों का बेड़ना तथा बालिकाओं को शालाओं में बदलने के लिए भेजना अनिवार्य करना पड़ेगा।

इन गर कारणों में अंतिम गुणकार ने अनिवार्य प्राथमिक गिरिया के प्रस्तुत

१५२ :: भारतीय शिक्षा तथा भाषुनिक विचारधाराएँ
को टाला, पर इस प्रकार के आन्दोलन को भासीयों ने छोड़ा नहीं। इस
दिशा में सबसे अधिक सहयोग बड़ीदा के महाराज सपाजीराव ने दिया।
उहोने अपनी रियासत में १८८१ से (जब से वे गही पर बैठे) १८९२ तक
प्राथमिक शिक्षा का अधिक-से-अधिक प्रसार किया। इतना ही नहीं, प्रयोग के
लिए उहोने १८९३ में अपनी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ
की। तथा सन् १९०६ में समूर्ण रियासत में इसे लागू किया। इस प्रकार भारत
में सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ करने का श्रेय बड़ीदा-नरेश
को ही है।

इसके बाद बगैर में सर इवाहीम रहीमतुल्ला तथा सर चिमनलाल सेतल-
बाड़ के प्रयत्नों के फलस्वरूप, १९०६ में सरकार द्वारा अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ
करने के सम्बन्ध में जांच-पढ़ाल के लिए एक समिति का निर्माण हुआ। पर
इस समिति ने यह निर्णय दिया कि अभी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ
करने का उत्तुक समय नहीं आया है।

सन् १९१० में श्री गोपाल कृष्ण गोपले ने केन्द्रीय विधान सभा में अनि-
वार्य प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रखा। इसमें यह सुझाया गया
या कि इस सम्बन्ध में जांच के लिए एक आयोग की स्थापना की जाये। अप्रैली
शासन द्वारा इस प्रस्ताव की जांच को उचित महत्व देने के आन्वासन पर यह
प्रस्ताव के रूप में केन्द्रीय विधान सभा में इस प्रश्न को उठाया तथा अप्रैली के
सभी आंदोलनों तथा कठिनाइयों का उत्तर अपने विरस्मणीय भाषण में दिया।

इस काल में श्री गोपले द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को सरकार द्वारा
मान्य किये जाने के सम्बन्ध में स्मरणीय प्रश्न किये गए। सन् १९११ में जो
निजी प्रस्ताव श्री गोपले ने प्रख्युत किया था उसमें उहोने
१. सन् १९१० से ग्रकारी कठिनाइयों तथा आंदोलों को दूर करने के लिए यह
१९१८ तक प्रावधान रखा कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कार्य स्थापत्य
सुस्थाओं के जिम्मे ही किया जाये तथा इसे प्रारम्भ
करने के पूर्व शासन की मंजूरी आवश्यक समझी जाये। जिस देश में अनिवार्य
शिक्षा प्रारम्भ की जा रही है उस धेर में एक निश्चित प्रतिशत में बालक

शास्त्रों में पढ़ने के लिए भर्ती होना चाहिए। इसके साथ-साथ अनेक सामाजिक तथा आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से इस विद्या में अनिवार्य शिक्षा वी अवधि ४ वर्ष (६ वर्ष से १० वर्ष) की रखी गई थी तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए यात्रा की मौजित स्वतंत्र का मुकाबला था। यानिकाओं के लिए इसी व्यवस्था उपयुक्त गमन आनंद पर ही करने का नुसार भी इसमें दिया गया था। इस प्रकार यह प्रमाण बहुत ही सांकेतिक विवार कर बनाया गया था तथा यह आशा की जाती थी कि यह मज़बूत ही जारीगा। थी गोपनीय के इस विद्या की गमी देखों के भारतीय नेताओं, स्वायत्त गमनाओं तथा युद्ध अधिकारों पा गमर्थन प्राप्त था, पर चौकु लेन्ड्री विधान शभा में गमनार्थी दस्त के बदल्यों का शहुमान था तथा गवर्नर इसके विनाश थी, यह दिन पाग न हो गया। इस अवगति पर थो गोपनीय का भारत अभिनव्यं प्रतिभाग प्रदृढ़ तथा जोखीला था।

थी गोपनीय तथा अन्य भारतीय नेताओं के प्रवचन इस गमनमें अमरन आमर रहे, पर इसमें प्राथमिक शिक्षा-गमनार्थी अपी तरु जर्नी आई गवर्नरी नीति में अनुकूल परिवर्तन हुए तथा इस ओर अधिक ध्यान दिया जाने गया। इसमें भारतीय जनता का ध्यान भी शिक्षा वी ओर गया। परम्पराय १९०२-३ में १९१६-१७ तक प्राथमिक शिक्षा की, निजी प्रशासनों के परम्पराय, अच्छी प्रगति हुई।

यह काल अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के नवीन युग का प्रारम्भ था, बरोड़ि इस काल में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के गिडान्त की मानकादी गई तथा

अनेक प्रान्तों तथा दिवानों में 'अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा v. पन् १९१८ वालू' सने।

मे १९१० प्रथम महायुद्ध के बाद भारत के सामाजिक, राजनी,

तथा राजनीतिक तथा सार्वजनिक लंगम में एक विवरण हुआ।

राजनीतिक दृष्टि में दो विवरण भारत महान्तरां हैं—(१)

शिक्षा विभाग को जनता के नुसे अतिनिषिद्ध के दृष्टि में संस्था, तथा (२) शिक्षा में जा भारतीरक्षण; बरोड़ि १९११ के बाद ५० प्रतिशत भारतीरक्षण शिक्षा में जा के रानों पर भारतीरों की नियुक्ति का गिडान्त मानव दिग्गज गया।

१५४ :: :: सारस्वतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

इसके पूर्व इन स्थानों पर अंग्रेजों की नियुक्ति ही होती थी। सन् १९२४ से अग्रिम भारतीय शिक्षा मेवा को प्रथा ही बदल कर दी गई तथा प्रान्त आपनी आवश्यकताओं के अनुमार प्रान्तीय शिक्षा मेवा के शब्दगत नियुक्तियों करने लगे।

शिक्षा के प्रतार, महायुद्ध के समय जागरूति तथा महात्मा गांधी के हरिजन-उत्थान आन्दोलन तथा अन्य अथवा परिवर्तनों के फलस्वरूप भारतीय गामाजिक जीवन के लेह में भी अनेक परिवर्तन हुए। खामाजिक एकता तथा चर्चावरी की भावनाओं द्वा विकास इस काल में हुआ तथा इसमें अनिवार्य शिक्षा के आनंदोलन को बहु मिला।

इस काल में भारत में दोकलन्त्र को भाव्यता प्राप्त हुई तथा देश में अनेक दोकलन्त्रीय गृहधाराओं का विकास प्रारम्भ हुआ। साध-ही-नाथ देश की जनता द्वा शिक्षा में विश्वास बढ़ा तथा वह आपनी उन्नति के लिए शिक्षा को आवश्यक समझने लगी। इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों ने—दोकलन्त्र में चढ़ते हुए विश्वास तथा शिक्षा में आस्था—अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आन्दोलन को बढ़ावा दिया। पलस्वरूप अनेक प्रान्ती में अनिवार्य शिक्षा कानून पास किये गए।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून को बनाने का मर्यादित श्रेय वर्मर्ड को है। सन् १९१७ में श्री विट्टुल भाई पटेल ने वर्मर्ड विद्यान परिषद में म्युनिसिपल क्षेत्रों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा-नाम्रताधी प्रस्ताव रखा। यह गोपरले के दिल के आधार पर ही बनाया गया था, पर इसमें इसे म्युनिसिपल क्षेत्रों तक ही सीमित करके सरकार की अनुदान देने या न देने की म्लनन्तता थी। अतः यह प्रस्ताव पारित हो गया। यह 'पटेल एक्ट' के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सो अनेक प्रान्ती तथा रियासतों में तलाप्तन्धी कानून पास हुए, जैसे बंगाल (२७ मार्च १९१९), शिलार और उड़ीसा (१३ मार्च १९१९), बजार (७ मार्च १९१९), गोपुक प्रान्त (१३ मार्च १९१९), मत्यप्रान्त (१३ मार्च १९२०), गद्दास (४ अक्टूबर १९२०), शमर्द शहर (२७ निवाम १९२०), वर्मर्ड जिला बोर्डों के लिए (१६ निवाम १९२२), आगाम (७ जुलाई १९२६), मंयुक प्रान्त जिला बोर्ड (२५ परवरी १९२६), बंगाल (ग्रामीण २६ अगस्त १९३०)। वर्दीदा रियासत सो १९०६ में ही आपनी रियासत में इस प्रकार का कानून बना

कुरी थी। कोट्टापुर ने १९१७ तथा मेगुर ने १९३१ में उत्तमत्वी पालन किया।

ये गभी कानून गोपने के बिन ये आधार पर ही बनाये गए थे। इनकी नियम यांत्र प्रमुख थीं :

१. इन कानूनों के द्वारा स्वायत्त गम्भीरों पर ही अनिवार्य प्राप्तिक शिखा का उत्तरदायित्व ढोड़ा गया।

२. गभी कानूनों में थोड़े-बहुत परिवर्तनों से बद्दों को गवाहाजिरी के सम्बन्ध में नियम बनाये गए।

३. गभी कानूनों में प्राप्तिक शिखा का पश्चात विसरण अनिवार्य प्राप्तिक शिखा के लिए आवश्यक माना गया। अतः स्थापन सम्भार्य अनिवार्य शिखा को एक धंष्र के बाद दूसरे धंष्रों में प्राप्ति कर सकती थी।

४. गभी कानूनों में शालिकाओं के लिए अनिवार्य शिखा मतदंता में तथा उपर्युक्त परिवर्तनों उत्पन्न होने पर ही प्राप्ति करने का प्रावधान था।

५. प्राप्तिक वाल में बने कानूनों में शामल को स्वतन्त्रता थी कि वह अनिवार्य शिखा के लिए आधिक गहायता दे सकते हैं, परं बाद के बने कानूनों में गहायत के लिए ५० में ६६के प्रतिशत आधिक गहायता देने का प्रावधान है।

६. गभी कानूनों में अनिवार्य शिखा की अवधि सम्बन्धी प्रावधान है। कुछ कानूनों में ४ वर्ष, कुछ में ५ वर्ष तथा कुछ में ७ वर्ष की अवधि का प्रावधान है। शालिकाओं के लिए कम अवधि ही रखी गई है।

यह बाद अनिवार्य प्राप्तिक शिखा के प्राप्तिक प्रयोग का था। इसमें कुछ जून तक दोषों में अनिवार्य शिखा प्राप्ति की गई। अभी तक के अनिवार्य शिखा के नम्बन्ध में किसे गए कानूनों में दता जाता है कि

७. मद् १९३० से ऐवां स्थापन सम्भारों को कानून कानौर अनिवार्य शिखा १९५० तक बाद करने की अनुमति ही देने का कार्य ही जाता था। इस कानून में इन स्थापन सम्भारों ने इन कानूनों के द्वारा ही नहीं अनुमति दी जाना दूर्लभ हो दर्शाया था कि बाद प्राप्ति किया।

जब हम १९३० में १९५० तक के अनिवार्य शिखा के विद्यार एवं विद्यार

१५६ :::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

करने हैं तब पता चलता है कि १९२१-२२ तक भारतीयों के हाथ में शिक्षा का मगद्दन तथा उसकी व्यवस्था आ जाने पर भी केवल ८ शहरों में अनिवार्य शिक्षा प्राप्ति की जा सकी। हमारा देश गाँधी का देश होते हुए भी अभी तक एक भी गाँव में अनिवार्य शिक्षा प्राप्ति न की जा सकी थी (बड़ीदा रियासत को छोड़कर)। अगले १६-१७ वर्षों में भी अनिवार्य शिक्षा की प्रगति बहुत मन्द ही रही, क्योंकि १९३६-३७ में देश के २,७०३ शहरों में से केवल १६७ शहरी थेहरों तथा ६,५५,८९२ देहाती थेहरों में से १३,०६२ थेहरों में अनिवार्य प्राभागिक शिक्षा प्राप्ति हो सकी थी। इस मन्द गति में दो प्रमुख कारण थे :

१. भारतीय शिक्षा सेवा अधिकारियों की उपेता क्षमता के श्री गोखले तथा अन्य भारतीय नेताओं द्वारा अनिवार्य शिक्षा के लिए किये गए प्रयत्नों के विरुद्ध थे तथा अब यह बताना चाहते थे कि उनका कथन टीक था। अतः अनिवार्य शिक्षा के समर्थन में कोई जलदवाजी के कदम नहीं उठाये गए।

२. दूसरा कारण आधिक था। १९१९ के एकट के अनुसार प्रान्तों की जो आधं-व्यवस्था की गई थी वह टीक न थी। प्रान्तों को केन्द्र के घाटे की पूर्ति के लिए बहुत धन देना पड़ता था। इससे प्रान्तों के पास आमदनी के साधन होते हुए भी शिक्षा के लिए आधिक धन नहीं बचता था। मन् १९२७-२८ में केन्द्रों को पैमा देना अवश्य बन्द कर F.Y.A. गया था पर किर १९३० का आधिक मन्त्री का कास (depression) आया तथा इसका प्रभाव द्वारा भी १९३५-३६ तक बना रहा। इसका स्वामिक परिणाम यह हुआ कि अनिवार्य शिक्षा की अनेक योजनाएँ बम्बर ही नहीं हो सकी।

मन् १९३७ में भारत के आधिकारि प्रान्तों में जनता के नुने हुए प्रतिनिधियों ने सरकार बनार्द तथ यह आदा की जा रक्खी थी कि अनिवार्य शिक्षा की अच्छी प्रगति होगी। पर दुर्भाग्यवश गजबीतिक कारणों से १९३९ में जनता के प्रतिनिधियों वीं सरकारों को द्वारा देना पड़ा। इसके स्थान में जो काम-बाग़क सरकार बनी उसने जैसी मिर्ति भी दीनी ही बनी रहने देने वीं नीति-

असार्दि । परम्परा १९४६ तक अनिवार्य शिक्षा के धोर में छोर रिग्नेप प्रगति नहीं हो गई ।

गवर्नर १९४७ में देश स्वतन्त्र हुआ तथा जनता की गवर्नर ने देश की बागदार गेमाली । आमाविह था कि अब स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अनिवार्य शिक्षा का समुचित प्रगति होनी (एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ-साथ देश एवं नर्सीज़मेश्वरियों द्वा गई) । देश-विभाजन के पश्चात्य इसमें तथा दोगे हुए, योद्धा विम्बलिं और पश्चिम पश्चिम, दक्षिण, गिर्ध आदि प्रान्तों में आपनी जाग्रत्ता और पर दार द्वारा एवं उन्नेन्नें भागदर आये । इन गर्भी वी समुचित व्यवस्था करना परम आवश्यक था । देश में शान्ति बनाये गयना भी अर्थरहार्य था । देश विभाजन में इसी के अच्छे उपकार धोर पारिस्थान में नहीं गए तथा वर्षों आदि दो गढ़वाली के कारण अनाज वो एकदम कमी पड़ गई । रिदेंगों में दरोंतो रखाये पा अमाज मियाना पटा । देश में पैसों ५०० में भी अधिक देशी गिरावतों पा विद्युत करके उनके नरे गत्तर बनाने वी व्यवस्था भी बड़ा महत्वपूर्ण तथा पर्फिल पायें था । इन सब कारणों में अनिवार्य शिक्षा में अंगीकार प्रगति न हो गई । ऐसे भी अंकदा के आधार पर यह अस्त्र बदला है कि अनिवार्य शिक्षा-गवर्नरों १९३७ के दूर्वे वी प्रगति में १९४७ के बाद वी प्रगति असार्दि अस्ती रही ।

एवं यह न भूलता जाऊ कि अनेक जगहों में अनिवार्य शिक्षा बाद होने के साथ भी यात्रों वी जागरूकों में उत्तरित वी अनिवार्यता प्रेरणा प्राप्ती ही थी । इसे यात्रिकर स्वरूप नहीं दिया जा सका था । अनेक जगहों पर शाश्वत नहीं जीती गई, तथा यात्रों के मिश्नरीज गत्ते पर दोहे गवर्नरी नहीं बनाने जाती थी । इस प्रसार यह बाहु प्राप्तोगिक ही रहा । छोर दोनों प्रगति इस बाद में गम्भीर हो गई । एवं यह जहा गोपना जारी रहा कि इन प्रत्येकों पा छोर मृत्यु ही नहीं है । आगे वी दोहना स्नाने गया पर्टिनाहरों पा एक गम्भीर ही हाँ गे दे प्रत्येक है महत्व के है ।

एवं बाहु देश में यात्रिकर इसी से अनिवार्य शिक्षा गायू एवने का है । इन बाद में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पोर प्रगति करने विभिन्न तरफ दोगे बड़म उठाए जा रहे हैं । इनमेर अंशकाल वी

६, १९५० से ४५, वी धारा में यह स्पष्ट हप से उल्लेप किया गया है कि वर्तमान काल तक “दस संविधान के प्रारम्भ होने से १० वर्षों के भीतर ही देश के प्रत्येक यात्रक-थारिका की १४ वर्ष की आयु तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयत्न राज्य करेगा।”

भारत में अनिवार्य शिक्षा के अभी तक के विकास में पता चलता है कि देश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बहुत देर या बाद में प्रारम्भ की गई, प्रारम्भ होने में ही बहुत अधिक समय लग गया, प्रारम्भ होने के बाद इसकी गति बहुत मन्द रही, देश के बहुत कम लोगों में इसका विकास हो रहा। जहाँ हुआ भी वहाँ केवल नाम-मात्र के लिए हुआ तथा अभी भी इसकी स्थिति सन्तोष-जनक नहीं बढ़ी जा सकती है। सन् १९५० के बाद इसके कारणों पर दोनों ओर भीति में विचार किया गया तथा अनिवार्य शिक्षा को विधिवत् स्वरूप कार्यान्वित करने के उपाय किये गए।

अनिवार्य शिक्षा के विकास के याधक कारण

भारत में अनिवार्य शिक्षा के विकास के कारणों पर हम भौतिक, सामाजिक, नामूनित, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रगाथनात्मक आदि दृष्टिकोणों से विचार कर सकते हैं।

भारत गाँवों का देश है। देश की ग्रामीण परिस्थितियों ही अनिवार्य शिक्षा के विकास में बड़ी भारी कटिनार्द ही है। गाँवों में आचारामन के गाधनों की कमी, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की मुश्किलों का अभाव भौतिक कारण रहता है। अतः शालाओं, गिलारों, निरीक्षण आदि की मुश्किलें न होने के कारण गाँवों में शिक्षा का प्रगति कम होता है।

इन गाँव-गाँव हमारे देश में पहाड़ी तथा जंगल वाले धोन अधिक हैं। यहाँ का लैंडवन कटिन, गाँव लंडे तथा दूर-दूर याते होते हैं। यहाँ के लोगों को आपने लैंडवन वी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ-वहाँ भट्टकना भी पड़ता है। आवश्यक, पानी आदि के अनुप्रवाह न होने में शीमारियाँ भी बहुत

होती है अतः ऐसे स्थानों में आपाएँ गोलमा बहुत बढ़िन ही होता है। दिल्ली भी ऐसे स्थानों में रहना परन्तु नहीं करते हैं।

गाँधी में यामारी अधिक होती है। मनेरिया, विमल ज्वर आदि सांघर्षों द्वारा भी रखता है। देश में अनेक स्थान तो युगी आवटन के लिए गवाहार द्वारा भी मान्य किये गए हैं। उनमें धोरों में गिरा का प्रगार तो बहुत ही बढ़िन कार्य होता है।

उपरोक्त कारण देश के प्रत्येक प्रान्त में गोड़-बहुत अंडा में पाये जाते हैं। यह दूसरी बात है हिंदू देश के पश्चाती तथा लगभग धोरों वाले प्रदेशों, जैसे आगाम-उर्द्धीया, मध्यप्रदेश आदि में ये बढ़िनाइर्या अधिक हैं। गगा, बमुना के भैदान, विहार आदि में ये बहुत ही कम हैं।

भारत में दर्शन-भेद तथा जाति-संबंध का भेद बहुत अधिक है। अनियार्ये गिरा हो देंसे रामाज में इमिग्रेशन में विस्तृत तथा प्रगारित की जा रही है

उग्रम दर्शनभेद नहीं। अनियार्ये गिरा में ऊँच नीच का भेद-

भाग्यादिक भाव काम नहीं करता किंतु सभी शास्त्र शास्त्र में आने तथा

कारण गिरा दाते हैं। इस प्रकार अनियार्ये गिरा एक सौइन्द्रियों-पर

प्रकृति हो जाती है। इससे भाग्यादि गमाज में, लो अनेक दृगों तथा जातियों के गदर्शी के मैत्र में देना है, इस प्रकार की प्रकृति अभी तरह नहीं आई है। रिटार्न के जन तथा शास्त्रज्ञ गवाहार के गवर्नर्स ने इससे देश के दर्शनभेद को बहुत अवश्य किया है। मध्यस्थ गाँधी के दर्शनों तथा मर्माण्डों के उत्पानन से द्रव्यों के प्रस्तुत्याप भी दर्शनियति में अन्वर आगा तथा गुरुकृष्ण गुप्तार हुआ है। तिस भौ भाग्यादि गर्भियों की युगी दशा अनियार्ये गिरा परे रिटार्न में दर्दी तथा रही है। याद रिटार्न का गवाह, रिटार्न रिटार्न पर गेह, दर्दी भाग्य भद्रियों की गिरा के मार्यों के दर्द रही है। इस यह जानो है कि मर्दी ये गिरा ही कुटुम्ब की गिरा है, इसीकी दस्तों का नाम-पान मर्माण्डों ही करती है। भवतः मर्माण्डों गिरा के भाग्य में गमाज में दर्शन गिरा प्रकार गमधर ही न हो सका।

इसीन गमधर भी देश में अनियार्ये प्रायमिक गिरा के गवाह में साध्य होती है। इसीन गरीब, गम्भीर दर्दी दर्शनों में सहने दर्दने तथा गवाह के अन्य भौमि-

के द्वारा न छुए जाने पोग्य ही भाने जाते रहे हैं। समाज में हरिजन उच्च वर्ग की कृपा पर ही आश्रित रहते आये हैं। आज महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं द्वारा प्रयत्नों के पदार्थकल्प इनकी परिस्थिति पांडुली की अपेक्षा अधिक अच्छी है, परं पिर भी इनकी शिक्षा-व्यवस्था इनकी गरीबी आदि के कारण आज भी रामस्या ही बनी हुई है।

हरिजनों के समान आदिग तथा जगही जातियों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। इनका जीवन सरल तथा अविकासित है। शिक्षा की हाफि से ये बहुत ही अधिक पिछड़े हुए हैं। इनकी भाषा भी अलग होती है तथा ये किसी भी प्रकार के सुधार के लिए तैयार नहीं होते हैं। इनकी शिक्षा-रामस्या भी भारतीय अनिवार्य शिक्षा के विकास में योग्य रही है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय गामाजिक परिस्थितियाँ, विशेषतः भारतीय रामाज का वर्ग-भेद, भारतीय महिलाओं की हीन दशा, हरिजनों की निम्न परिस्थिति तथा आदिग और जगही जातियों का अत्यन्त पिछड़ा एवं अविकासित होना अनिवार्य-शिक्षा के समुचित विकास में योग्य रहे हैं।

गाम्भुनिक हाफि से अनिवार्य शिक्षा के विकास में भारतीय भाषाओं तथा चोलियों की विद्युत्ता एवं विविधता एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में रही है।

अनेक भानों की चोलियों का न तो कोई लिखित राहित्य भास्कृतिक है और न लिपि। अतः ऐसी परिस्थिति में इन सांस्कृतिक कारण फौं किस भाषा के माध्यम में शिक्षित किया जाये वह बड़ी कठिन गमस्या है। इन धेनों की चोलियों की लिपि तथा साहित्र का विकास कर के शिक्षा देना भी कोई गाराण्य काम नहीं है।

यह सो अविकासित चोलियों तथा भाषाओं के गमन्ध की वटिनारं हुई। विरामित भाषाओं वो अधिकतर तथा एक ही धेन में दो या अधिक भाषाओं के उपयोग के कारण भी अनेक अठिनाइयों उपस्थित होती हैं। इन दिमारी या चम्पारी धेनों में अपर्गमन्यरूप वीं भाषा के माध्यम में शिक्षा देना आर्थिक हाफि से बड़ा महगा पड़ता है, क्योंकि इनकी सम्बन्ध कार्य होती है।

भाषाओं तथा चोलियों वीं अधिकता के गाथ-गाथ भारतीय जनता का अग्रन भी अनिवार्य शिक्षा के विकास में योग्य रहा है। हम यह जानते हैं कि

गिरित अभिभावक अनिवित अभिभावक की अवेद्धा अपने यज्ञों परी शिखा-दोषों के लिए अधिक लम्हर तथा उन्नुक होता है। आज भी अधिकतर भारतीय जनता अशिवित तथा अज है। अतः ग्राम्यभाविक था कि अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में ये एक यंत्र रंगड़े के रूप में रहते।

धन की कमी भारतीय अनिवार्य शिक्षा के विराम में सब गे वटी तथा अनुरूपरूपी शाखा रही है। यह धन की कमी दोतरा है। एक तो गत्तरे पास

धन की कमी रही तथा दूसरे अभिभावक रीति रहे। यदि आविष्ट कारण गत्तरे धन देखी महत्वा लो शापद भारतीय अभिभावक यज्ञों के विराम अपने यज्ञों को शायद न भेज रखता। अप्रेती शायन यात्रा में तो भारतीयों की गर्दी की ओर भी अधिक यद गढ़ थी। इन्हीं शृङ्खिले कारणों में जलगत्ता की शृङ्खिल, देवी उत्तीर्णों वा हाथ, अप्रेतों द्वारा भारतीयों का शोरण, दूरी को दृश्य का दीरु न होना प्रमुख थे।

भारतीय जनता के पास धन की कमी के कारण श्वासन मन्त्रों में भी जनता पर अनिवार्य शिक्षा के लिये कर रखाने की हिम्मत नहीं रखती थी। धन की कमी के कारण श्वासन भी अनिवार्य शिक्षा की अपेक्षा यात्रिनाओं की स्वीकार नहीं करता था। अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य यह है कि उस दीप के गमों यात्रियों को शान्ति में भासन दिये। एस दीप की जलगत्ता की शृङ्खिल के कारण उहाँ अनिवार्य शिक्षा नाम की भी यद यहाँ इन्हीं मुरिशाएं उपरक्ष नहीं की जा सकती। अनिवार्य शिक्षा में दीपक ग्राम्यभर यज्ञ की दृष्टि से ही काम नहीं जाए गत्तला है। इसोहि भारतीय में कारणों की गत्तला की शृङ्खिल द्वारा श्वासन तथा शिक्षा की गत्तला शृङ्खिल भी आवश्यक होती है। यदि इन्हीं श्वासन न की जाए तो अनिवार्यका पर यह न दैनंदिन के कारण अनिवार्य शिक्षा संस्कृत शिक्षा ही रह जाती है।

इस प्रकार इस देशों के आविष्ट बिनाइयों अनिवार्य शिक्षे के विवाह में अनेक प्रकार से शायद शृङ्खिल होती है। वर्ष १९५० में दैनंदिन शिक्षान में १० प्रती पे और १८ प्रती की आयु तक यज्ञों के लिए अनिवार्य शिक्षा की शरणगत्ता का निभाय रखा गया था। यह शरण तथा शिक्षा दैनंदिन पश्चरात्रि दीक्षाओं में ग्राम्यक शिक्षा के विवाह के आधार पर है। वह गत्तों हैं कि इन के

अमाव के कारण ही सभी को ६ मे १० बर्पं तक शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं की जा सकी तथा नृतीय पञ्चवर्षीय योजना काट के अन्त तक भी शायद यह समझ न हो सकेगा।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से हमारी भारतीय शब्दनीतिक परिवर्त्ति बदल गई है पर इसके पूर्व अग्रेज सरकार इगलैंड की सरकार के प्रति उत्तरदायी थी।

आतः ऐसी विदेशी सरकार मे तो देश की भवित्वाद्वारा तथा हित राजनीतिक कारण के लिए अनिवार्य शिक्षा को महस्त देने की चात केवल दुराचार थी। पर आज भी स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश के राजनीतिक दल अनिवार्य शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते हैं। यही कारण कि अनिवार्य शिक्षा का प्रभ देवता ही जा रहा है।

अनिवार्य शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि शाला जाने योग्य शालकों की गणना की जाये, शिक्षा के लिए शालाओं की व्यवस्था की जाये तथा उन्हे अनिवार्य शिक्षा की अवधि तक शाला मे रखने की व्यवस्था प्रशासनात्मक हो। इन सब कारों से अनेक प्रकार की प्रशासकीय समस्याएँ कारण सम्बन्धित हैं, जैसे शिक्षा का स्थान, शिक्षा के संगठन तथा व्यवस्था में प्रायमरी शिक्षा का स्थान, शिक्षा-व्यवस्था की संस्थाएँ, अनिवार्यता दरगू करने की विधियाँ आदि।

शालाओं की उचित व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि शैक्षणिक संवेदन किया जाये तथा इस संवेदन के आधार पर उचित स्थानों पर शालाओं को स्थान जाये। अग्रेज सरकार ने तो सन् १९११ में ही इस प्रकार के संवेदन को उपयोगिता प्रदर्शित की थी, पर अभी दो बर्पं ही हुए समयों में इस प्रकार का संवेदन किया जा रहा, जिसके आधार पर अनिवार्य शिक्षा योजनाएँ बनाई गई हैं।

सभूत शालन के संगठन में शिक्षा के स्थान तथा शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के स्थान का प्रभ भी शालन से ही सम्बन्धित है। अग्रेज सरकार तो एक विदेशी सरकार थी तथा स्वामानिक था कि यह पुलिंग, न्याय, गजव विभाग को अधिक महस्त देनी। गड़कों, यातायात आदि के लिए भी वह अपने शालन को कानून रखने के लिए ही अधिक महस्त देनी थी। इसके बाद कहीं शिक्षा का

प्रश्न आता था । पर वर्तमान जनता की सरकार भी शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देती है । प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रावधानों पर जब हम विचार करते हैं तो पता चलता है कि कृषि, उद्योग आदि के बाद ही शिक्षा का नम्बर आता है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो शिक्षा पर कुल बजट का चौथांश प्रतिशत न्यून करने का ही प्रावधान था । तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसे अवश्य बढ़ाया गया है ।

शिक्षा के अन्तर्गत जब प्राथमिक शिक्षा के स्थान पर हम विचार करते हैं तो पता चलता है कि प्राथमिक शिक्षा पर माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा से कम व्यवहार किया जाता है । इससे पता चलता है कि शिक्षा के मद में ही प्राथमिक शिक्षा को कम महत्वपूर्ण माना जाता है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर किये जाने वाले कुल व्यय का तगड़ाभग ५८ प्रतिशत व्यय अवश्य ही प्राथमिक शिक्षा पर किये जाने का प्रावधान रखा जा रहा है ।

अभी हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा स्वायत्त शासन-सम्बन्धी संस्थाओं के अधिकार में है । इन संस्थाओं के आय के साधन सीमित हैं तथा अधिकारी ये शिक्षा के लिए सरकारी आर्थिक सहायता पर ही अवश्यकित रहती है । ऐसी दशा में इनमें अनिवार्य शिक्षा पर समुचित स्थान देने की आदा करना व्यर्थ है । यदि हम यान्त्र में इन स्वायत्त संस्थाओं से अनिवार्य शिक्षा-गम्भीर ठोकरा पायें फरवाना चाहते हैं तब यह आवश्यक है कि इनकी आय के साधनों में समुचित वृद्धि की जाये । आय के अभाव में अनिवार्य शिक्षा का बायं-भार उठाने में स्वायत्त गंभीर असमर्थ ही रहेगी ।

अनिवार्य शिक्षा के लिए बहुत अधिक संख्या में प्रशिक्षित शिक्षक आवश्यक होंगे । इनके प्रणाली तथा तनाव्वाह आदि की व्यवस्था भी शासन में ही मम्पित है । शाला-भवन के निर्माण का प्रदन भी चौथांश निजी प्रयासों से हो नहीं हो सकता है ।

शालाओं का निरोधण, उनित पाठ्यपत्र, पुस्तकें आदि अनेक बातों का गम्भीर शासन में ही अधिक है । अतः जब तक शासन इनके गम्भीर में उनित तथा दोग पदम नहीं उठाता तब तक अनिवार्य शिक्षा भी समुचित प्रगति नहीं हो सकती ।

१६२ :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

अभाव के कारण ही ममी को ६ से १० वर्ष तक शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं
की जा सकी तथा तृतीय पनवार्षीय योजना काट के अन्त तक भी शायद यह
सम्भव न हो सकेगा।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से हमारी भारतीय राजनीतिक परिस्थिति बदल गई
है पर इसके पूर्व अप्रेज़ सरकार द्वारा ही सरकार के प्रति उत्तरदायी थी।
राजनीतिक कारण अतः ऐसी विदेशी सरकार से तो देश की भलाई तथा हित
दुरुआशा थी। पर आज भी स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश के
राजनीतिक दल अनिवार्य शिक्षा को प्रार्थनिका नहीं देते हैं। यही कारण कि
अनिवार्य शिक्षा का प्रभु दबता ही जा रहा है।

अनिवार्य शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि शाला जाने योग्य शालाओं
की गणना की जाये, शिक्षा के लिए शालाओं की व्यवस्था की जाये तथा उन्हें
अनिवार्य शिक्षा दी अधिक तक शाला में रखने की व्यवस्था
प्रशासनात्मक हो। इन सब कारों से अनेक प्रकार वी प्रशासनीय समस्याएँ
सम्भव हैं, जैसे शिक्षा का स्थान, शिक्षा के संगठन तथा
व्यवस्था में प्रायमर्गे शिक्षा का स्थान, शिक्षा-व्यवस्था की
सम्भार्यता दार्शन करने की विधियाँ आदि।

शालाओं की उनित व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि दीर्घालक सर्वेश्वरा
किया जाये तथा इन सर्वेश्वर के आधार पर उनित म्यानों पर शालाओं को
स्थान जाये। अप्रेज़ सरकार ने तो सन् १९११ में ही इस प्रकार के सर्वेश्वर की
उत्तरोगिता प्रदर्शित की थी, पर अभी दो वर्ष ही हुए, राज्यों में इस प्रकार का
सर्वेश्वर किया जा सका, जिसके आधार पर अनिवार्य शिक्षा योजनाएँ बनाई
गई हैं।

नगरपालिका के संगठन में शिक्षा के स्थान तथा शिक्षा में प्रार्थनिक शिक्षा
के स्थान का प्रभु भी शामन में ही सम्भवित है। अप्रेज़ सरकार तो एक विदेशी
सरकार भी तथा स्वाभाविक भा फि यह पुरुष, न्याय, राजस्व विभाग को
अधिक महत्व देती। सट्टों, यातायात आदि के लिए भी यह अपने शामन को
बाहर रखने के लिए ही अधिक महत्व देती थी। इसके बाद कहीं शिक्षा का

प्रश्न आता था। पर वर्तमान जनता की सरकार भी शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देती है। प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रावधानों पर जब हम विचार करते हैं तो पता चलता है कि कृषि, उद्योग आदि के बाद ही शिक्षा का नम्बर आता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो शिक्षा पर कुल बजट का देवन ८ प्रतिशत न्यून करने का ही प्रावधान था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसे अवश्य बढ़ाया गया है।

शिक्षा के अन्तर्गत जब प्राथमिक शिक्षा के स्थान पर हम विचार करते हैं तो पता चलता है कि प्राथमिक शिक्षा पर माथ्यमिक तथा उच्च शिक्षा से कम व्यय किया जाता है। इससे पता चलता है कि शिक्षा के मद में ही प्राथमिक शिक्षा को कम महस्तपणी माना जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर किये जाने वाले कुल व्यय का उत्तरभाग ५१ प्रतिशत व्यय अवश्य ही प्राथमिक शिक्षा पर किये जाने का प्रावधान रखा जा रहा है।

अभी हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा स्वायत्त शासन-सम्बन्धी संस्थाओं के अधिकार में है। इन सम्पादों के आय के साधन सीमित है तथा अधिकारी ये शिक्षा के लिए सरकारी आर्थिक रुदायता पर ही अवलम्बित रहती है। ऐसी दशा में इनमे अनिवार्य शिक्षा पर समुचित ध्यान देने की आगा करना व्यर्थ है। यदि हम यान्त्र भौमिक तथा यह आवश्यक है कि इनमी आय के साधनों में समुचित शुद्धि की जाये। आय के अभाव में अनिवार्य शिक्षा का कार्य-भार उठाने में स्वायत्त संस्थाएँ अगमर्थ ही रहेंगी।

अनिवार्य शिक्षा के लिए बहुत अधिक सख्ता में प्रशिक्षित शिक्षक आवश्यक होंगे। इनके प्रशिक्षण तथा तनाव्वाह आदि की व्यवस्था भी शासन से ही मान्यन्वित है। शाला-भवन के निर्माण का प्रदन भी केवल निर्जी प्रयोगों से हट नहीं हो सकता है।

शालाओं का निरीक्षण, उचित पाठ्यक्रम, पुस्तकों आदि अनेक वार्ताओं का मम्बन्ध शासन ने ही अधिक है। अतः जब तक शासन इनके सम्बन्ध में उचित तथा टोक कदम नहीं उठाता तब तक अनिवार्य शिक्षा की समुचित प्रगति नहीं हो सकती।

इस प्रकार अनिवार्य शिक्षा के विकास में अनेक प्रकार की वाधाएँ तथा वटिन इयों हैं जिनका उचित निराकरण आवश्यक है। जब तक इनकी ओर समृच्छा घान नहीं दिया जायेगा इस दिक्षा में टीक प्रगति न ही सकेगी।

अनिवार्य शिक्षा के विकास के लिए सुझाव

भारतीय शिक्षा में अनिवार्य शिक्षा की समस्या सबसे कठिन तथा बुरा है। अर्थात् भाव ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण कठिनाई है। यदि यह कठिनाई हट हो जाये तो अन्य कठिनाईयों भी ऐसे हट हो जायेगी। अनिवार्य शिक्षा की विकास-सम्बन्धी कठिनाईयों का हट निम्न उपायों द्वारा गम्भीर है :

मार्जिट रिपोर्ट में २०० करोड रुपये भारत की तत्कालीन परिव्यवितियों के

अनुमान अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के हेतु लगने वा सरकार द्वारा धन अनुमान लगाया गया था। आज परिव्यवितियाँ बदल गई हुटाने के उपाय हैं। कोर्मन बहुत अधिक बढ़ गए हैं। शिक्षकों को बेतन भी अधिक देना आवश्यक हो गया है। श्री देवार्द ने अपनी पुस्तक Compulsory Education in India में अनिवार्य शिक्षा-सम्बन्धी रन्न के निम्न आनुमानिक औंकड़े प्रस्तुत किये हैं :

आयु	बालहों की संख्या	प्रति बालक स्वर्च	कुलस्वर्च
६ से ११ वर्ष	६ करोड़	५० रुपया	३०० करोड़ रुपये
११ से १४ वर्ष	२ करोड़	५० रुपया	१०० करोड़ रुपये
६ से १५ वर्ष	८ करोड़	५० रुपया	४०० करोड़ रुपये

४०० करोड़ रुपये आरंभिक केवल अनिवार्य प्राप्तिक शिक्षा के लिए जुटाना देना वी धमता के बाहर है। यिर भी निम्न उपायों से धन वी व्यवस्था बहुत जुछ अधीन में हो गरेगी :

(१) केन्द्र अनिवार्य शिक्षा-सम्बन्धी धनी जिम्मेदारी वो समझे तथा अर्थरक्षण रूप में रखेंगे में अनिवार्य प्राप्तिक शिक्षा पर होने वाले दायर का ३० प्रतिशत रन्न बहन बरे।

(२) गज़ी में अभी विभिन्न परिषाल में शिक्षा, विदेशी प्राप्तिक शिक्षा पर दायर किया जाता है। अन्दमान-निकोबार में ६४६२ रुपये

प्रति वालक वर्च होता है तो विहार में ०'८१७ रुपये प्रति वालक। प्राप्त ओंकड़ों के अनुसार सभी राज्यों का प्रति वालक औंसत रव्वे १'८ रुपया आता है। राज्य की आमदनी का अजमेर में २६ प्रतिशत से लेकर अन्दमान में १०३ प्रतिशत व्यय किया जाता है। इसका औंसत १'४८ प्रतिशत ही आता है। प्राथमिक शिक्षा पर व्यय भी विभिन्न राज्यों में विभिन्न परिमाण में किया जाता है। यमर्द ६६'५ प्रतिशत व्यय करता है। शिक्षा को भद्र के प्रावधान में भी प्राथमिक शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय का सम्पूर्ण देश का औंसत ५०'२ प्रतिशत आता है। यदि इस प्रतिशत को बढ़ा दिया जाये तो घन की कमों कुछ अद्यों में तो दूर होगी ही। श्री देसाई ने सुझाया है कि प्रत्येक राज्य अपने कुछ राजस्व का २० प्रतिशत दिया पर व्यय करें तथा शिक्षा के लिए निश्चित की गई रकम का ७५ प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाये। मेरी राय में यह प्रत्येक राज्य के लिए सम्भव होगा तथा इसमें कोई विशेष कठिनाई उपस्थित न होगी। इसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए कानून घन मिलने होंगे।

(३) स्वायत्त संस्थाओं के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है कि अनेक धोनों की ये मस्थाएँ शिक्षा पर चिन्हित ही व्यय नहीं करनी क्योंकि ये 'व' तथा 'म' श्रेणी के गण्यों में पहले थीं तथा इनमें सभी शालाएँ सरकारी होती थीं। अतः यह आवश्यक है कि स्वायत्त शासन संस्थाओं के सम्बन्ध में भी यह निश्चित कर दिया जाये कि उन्हें अपनी आमदनी का कम-में-कम वितना भाग प्राथमिक शिक्षा पर व्यय दरना होगा। पर इसके लिए यह आवश्यक है कि उनसे आमदनी के गाधनों परों बढ़ाया जाये। यह किये विना उनसे यह आशा करना ठीक नहीं है।

(४) पींग में भी खोड़ी-चटुत आमदनों की जा सकती है। पर मुख्यांग प्राथमिक शालाओं में कोई पींग न ही जाये। निजी प्रवासी से जो प्राथमिक शालाएँ चल रही हैं उनमें पींग रीं जा सकती हैं तथा अनेक पालक ऐसे मिल सकते हैं जो पींग देंसर अपने वन्धनों को पढ़ायेंगे।

१६६ :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

इसके साथ-साथ आयु के अनुसार युवक मास करके कठा के अनुसार युवक मास की जानी चाहिए, जैसे अनिवार्य शिक्षा पहली तथा दूसरी तक ही है तो ७ वर्ष तक की आयु के बालकों का युवक मास करके पहली तथा दूसरी में पढ़ने वाले बालकों का युवक ही मास है।

उपर्युक्त मुक्ताय केल्ड्र, रज्य, स्वायत्त संस्थाओं तथा युवक आदि के द्वारा धन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में हुए, पर कुछ अन्य उपाय भी ऐसे किये जा सकते हैं जिनसे अनिवार्य शिक्षा पर धन कम व्यय हो। इस सम्बन्ध में श्री पहलकर महोदय ने जो मुक्ताय दिये हैं उनमें से निम्न मुख्य हैं :

१. अनिवार्य शिक्षा को अवधि ७ वर्ष की न रखकर केवल ४ वर्ष की ही रखी जाये तथा जैम-जैम देश की आधिक स्थिति मुधरती जाये।

२. अनिवार्य शिक्षा ६ वर्ष से प्रारम्भ न करके ७ वर्ष की आयु से प्रारम्भ की जाये। क्योंकि इस आयु में भारतीय बालक बीमारियां आदि को जल्दी न पकड़ता तथा स्वस्थ रह सकता है। भारतीय बीमारियां तथा प्राचीन शिक्षण-पद्धतियों के कारण इस आयु में वह टीक से पढ़ भी सकेगा। कनाडा, अस्ट्रेलिया, किन्लैण्ड, ग्रीस, तुर्की आदि अनेक देशों में अनिवार्य शिक्षा की निम्नतम आयु ७ वर्ष ही है। अतः हमारे देश में भी इसे मान्य किया जा सकता है।

३. एक शिक्षक के पास ३० बालक ही न रखकर ५० या ६० बालक रखे जायें। अन्य देशों में निम्न संख्या में प्रति शिक्षक बालक रखे जाते हैं :

देश का नाम

प्रति शिक्षक अधिक-से-अधिक
बालकों की संख्या

इंग्लैण्ड	(१८०४ के बाद)	६०
फ्रान्स	(१८०६)	५०
जर्मनी	(१८०६)	४०
जर्मनी	(१८०९)	३०

जर्मनी	(१९२३)	६०
हगरी	(१०.१०)	६०
इटली	(१९३२)	६०
वेस्टोस्त्रीयार्किया (१९२४)		५०
जापान	(१९१६)	५० (माधारण प्राथमिक शाला)
जापान	(१९२३)	६० (उच्च प्राथमिक शाला)

(इसके अतिरिक्त अमेरिका में अनेक विद्यालयों ने प्रोजेक्ट करके यह मिड किसा है कि ६० से अधिक यात्रक-वालिका यात्री कक्षा में सहयोग, भार्ट-चारे को भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास कम यात्रों की कक्षा के यात्रक-वालिका और उन्हें अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है। साथ-ही-साथ ये पदार्थ में भी पिछड़े नहीं रहते हैं। इस दृष्टि से यदि भारत में भी प्रति शिक्षक ६० यात्रों के पदार्थ की व्यवस्था की जाये तो कम शिक्षक अधिक यात्रों को पढ़ा सकेंगे। फलस्वरूप अनियार्य शिक्षा में शिक्षकों पर किये जानेवाले व्यवहार का आधा ही आवश्यक होगा ।)

४. श्री जै० पी० नायक का मुकाबला है कि पदार्थ के पाठ्यों को घटाकर केवल तीन ही रुपों जाये तथा इन्हें स्थानोंवाले अवश्यकताओं के अनुसार दिन में कभी भी रुपा जा सकता है। इसमें गरीब यात्रक अपने दूर्ज्यों की शाला भेज सकेंगे तथा उनका अधिक तुरन्तान भी नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षा इतर के लिए तीन घण्टे वा शिखण्ड समुचित हैं। इसमें एक शिक्षकवार्ता शालाओं में एक शिक्षक को ५ करताएँ पदार्थ पढ़ती हैं तथा वह प्रति कक्षा मुक्तिकल में १ प्रश्ना दे पाता है। यदि शाला दो बार रुग्मार्ह जाये तथा तीन घण्टे ही पदार्थ की जाये तो प्रति कक्षा अधिक समर दिया जा सकेगा तथा यात्रों का गमन व्यर्थ न न होगा। इसमें शालाओं पा अपनार भी कम होगा वज्रोंकि अनेक गरीब शालक अपने दूर्ज्यों को शाला में इसलिए निकाल लेते हैं कि ये पूरे गमन के लिए अधिक वर्षों सक्षम यात्रक को शिक्षा के लिए घर के बाहर में छुट्टी

१६४ : : भारतीय शिक्षा तथा भाषुनिक विचारधाराएँ

नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार इस विधि से भी धन का अध्य कम किया जा सकता है।

५. श्री राजगोपालचार्य ने भी अपना एक मौनिक और अनोखा मुश्वाव इस सम्बन्ध में दिया है। उनका कथन है कि शास्त्र तो पूरे समय रागार्द जाये पर हफ्ते में केवल तीन दिन ही रागार्द जाये, याको ४ दिन वालक अपने परों से माँ-बाप के काम में हाथ बढ़ाये। इससे दो बार में दूने वालक शिक्षा प्राप्त कर गकेंगे तथा एक दिन बीच में छुट्टी का भी मिल जायेगा।

६. गाँधीजी ने उत्ताप्त-उद्योग के माध्यम से शिक्षा का मुश्वाव शिक्षा को स्वावलम्बी बनाने की दृष्टि से दिया है। अब तो यह राहीय शिक्षा की निरूपित कर दी गई है। यहाँ इसके स्वावलम्बी पक्ष पर विस्तार से चर्चा करना तो सम्भव नहीं है पर अपेक्षा द्वारा यह निर्द दिया जा चुका है कि विद्यार्थ में बुनियादी शिक्षा ने ५५ प्रतिशत स्वावलम्बन प्राप्त किया है। कहीं-कहीं यह अधिक भी हुआ है। यदि इतना स्वावलम्बन न भी हो तो कम-से-कम ३० प्रतिशत तो ही हो गेगा। इस दृष्टि से भी बुनियादी शिक्षा अनिवार्य शिक्षा-सम्बन्धी आधिक कठिनाई को हट कर गकेगी।

७. इस मुश्वाओं के मिश्राय अनेक विद्यालय दोषी पाती में कथाओं को लगाने का मुश्वाव देते हैं। इसमें इमारत, पर्सीचर आदि का गच्छ वन नहीं है। शास्त्रों में तो आजकल यह आम मिश्रा-भा भी हो गया है।

मौनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक कठिनाइयों का हल

१. भाविक कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवागमन के साधनों का विकास, गाँधी के जीवन को स्वयं और मनोरंजक बनाने, वहाँ अस्तनाम, डाकघर, प्रांद शिक्षा-केन्द्र आदि गोले जाने की व्यवस्था होना आवश्यक है। जब तक ऐसा नहीं होगा शिक्षक गाँधी में रहना पर्यन्त नहीं करेंगे तथा अनेक गाँधी से उपयुक्त शिक्षा-व्यवस्था गम्भीरी नहीं होगी। यदि शास्त्र खुल ही गई तो वालक शीमारी आदि के

कारण यहां में कम दिन आरंगे तथा अनिवार्यता सागृ करने में कठिनाई होगी। पनवर्णी योजनाओं के अन्तर्गत अनेक विकास कार्य चल रहे हैं तथा आशा है कि मैं कठिनाइयों तीव्र ही दूर हो गकरी।

८. भास्माजिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए तो भास्माजिक दौखे में ही अमृत परिवर्तन करना आवश्यक है। बुनियादी शिक्षा भास्माज में क्रान्तिकारी परिवर्तन तो अवश्य लायेगी पर अभी तो उसके प्रभार का ही प्रमाण है। पटित जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य नेताओं के प्रयत्नों के पन्द्रहवें अभी बुद्ध वर्ष हुए हिन्दू कांड बिल बहाँ कठिनाई में पाप हो रहा है। इस बिल ने समाज में महिलाओं की स्थिति, अधिकार आदि के सम्बन्ध में बड़े अनुकूल प्रार्थनारी परिवर्तन किये हैं। इससे महिलाओं की दशा मुश्वारने में बढ़ा योग मिलेगा।

बाल-शिवाह के लिए भी 'शारदा एकट' चाहूँ है, पर उसका और अधिक कडाई ने पाठ्यन किया जाना आवश्यक है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद सुधार के अन्य देशों के साथ अधिकाधिक गम्भीर के कारण भारतीय दरियानूर्गी दृष्टिरोध स्वत्त्व रूप से विकासित हो रहा है।

हरिहरन-उद्घार, आदिम तथा लगानी जातियों के कान्याण के प्रति भी अदिक्षणे-अधिक किये जा रहे हैं।

अतः इन सब सुवार्यों से हम यह अशा बर गर्ने हैं कि भारतीय भास्माज वा अनुकूलता अवश्य होगा, पर आवश्यकता इत जात वी है कि प्राप्त निवित दिशा में किये जाने चाहिए; कर्तृक छिन्नी बान्धू यों कनासर ही भास्माजिक उन्धान वा वार्य गम्भीर नहीं किया जा सकता।

९. देश के राजनीतिक दलों दो अनिवार्य भास्माजिक गिरग के दिशाग को अपना प्रमुख कार्य मानना चाहिए। कम-में-कम गम्भीर दृग्में दाँड़ दल को रोंटेग मानसर ही चलना चाहिए।

प्रशासन तथा संसदन मध्यमधीय कठिनाइयों पर हल्ल

१०. गर्ने दृढ़ता तो भास्माजिक गर्नेग रिया जाना चाहिए जिससे यह परा-

100 :: मार्तीय दिशा तथा भाषुनिक विचारपत्राएँ

लग रहे कि किस क्षेत्र में शालाएँ कम हैं तथा कहो किस प्रकार शालाएँ बोली जानी चाहिए। अभी दोनों घर्ष हुए शैशविक सर्वेक्षण किया गया था तथा उसके आधार पर अनिवार्य दिशा की योजना भी तैयार की गई थी, पर इस दिशा में कार्य होता ही रहना चाहिए, जिससे कि रास्ते की कठिनाइयाँ दूर होती रहें। सर्वेक्षण-समन्वय द्वारा कार्य भी किया जाना उपयोगी होगा; इससे सर्वेक्षण की कमिंती का पता चल सकेगा।

2. अनिवार्य दिशा की क्रमसः लागू किया जाये जैसे ६ से ७ घर्ष की आयु तक सभी स्तानों में तथा बाट में धीरे-धीरे अवधि बढ़ाइ जाये। कुछ क्षेत्रों में सम्पूर्ण अवधि तक अनिवार्य दिशा लागू वी जाये। सांखेय आयोग के प्रतिवेदन में यही सुझाव दिया गया है। पर इसमें क्षेत्रों के चुनाव में बड़ी कठिनाइ देती है। श्री जै० पी० नायक के निम्न चार सुझाव अनिवार्य दिशा को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में हैं:

(क) ऐसे क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाये जहाँ कोई शालाएँ नहीं हैं तथा वहाँ शालाएँ बोलने की योजना बनाइ जाये। प्रतिवर्ष आवश्यक शालाओं की २० प्रतिशत शालाएँ खोती जायें।

(प) जिन क्षेत्रों की शालाओं में जनसंख्या के ८ से १० प्रतिशत वार्षिकी वी हाजिरी नहीं है वहाँ जनता के द्वारा दिशा में धर्च हन्ने के लिए प्रचार कार्य किया जाना चाहिए। १० घरों में इन क्षेत्रों में जनसंख्या का कम-से-कम १० प्रतिशत भाग शालाओं में पढ़ने के लिए जाने लगाना चाहिए।

(ग) जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का ८ से १० प्रतिशत भाग हाजिर होता है वहाँ ४ या ५ घर्ष की अनिवार्य दिशा प्रारम्भ करना चाहिए।

(घ) जहाँ ४ या ५ घर्ष की अनिवार्य दिशा चल रही है तथा कार्य अच्छा है वहाँ ७ या ८ घर्ष की अनिवार्य दिशा अवधि करना चाहिए। यह चार गूर्हों योजना लान्दायक है। इससे पिछले क्षेत्रों में शालाएँ ही लायेंगी ताकि अनिवार्य दिशा का कार्य भी आगे बढ़ता जायेगा। इससे प्रदर्श अधिक घर्ष की आवश्यकता भी नहीं होगी।

३. शिल्पियों की कमी के लिए अधिक योग्य शिक्षकों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे भी शिक्षक मिले कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए तथा धीरे-धीरे उनके स्तर-मुधार के प्रयत्न होते रहने चाहिए।
४. शालाओं की इमारतों की व्यवस्था के लिए निम्न उपाय काम में लाये जा सकते हैं :
 - (अ) शाला भवन बनाने के लिए जनता से कर्ज लिया जाये।
 - (आ) स्थानीय उत्तराह तथा उद्यारला का उचित उपयोग करके इमारत तैयार कराई जाये।
 - (इ) सर्ते तथा उपयोगी प्रकार की इमारतें बनवाई जायें।
 - (ई) दुर्घटी पाली में शालाएँ लगाई जायें।
 - (उ) प्रारम्भ में ग्राम पंचायत भवन, मन्दिर आदि में ही कुछ समय तक शालाएँ लगाई जायें।
५. जनता शिक्षा में सचि देने के लिए नमाज-शिक्षा की उचित व्यवस्था भी जाये। अमेरिका में प्रयोगों तथा शोध-कार्य द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 'प्रौढ़ शिक्षा से शाला में यादों वी हाजिरी का सीधा-मध्यम है।' अतः प्रौढ़ या नमाज-शिक्षा की उचित व्यवस्था से अनिवार्य शिक्षा का कार्य हल्का होगा।
६. प्रारम्भ में केवल शालियों के लिए ही शिक्षा अनिवार्य की जाये तथा बाद में शालियों पर भी ही व्याय किया जाये या अनिवार्यता अवगति के अनुगार निर्धारित भी जाये।
७. शालियों वी शाला में हाजिरी के मुधार के प्रपन्न किये जाएं। गैरहाजिरी के आर्थिक, गामाजिक, शिक्षा-व्यवस्था का असचिवर होना, पालड़ों की उत्तेजा आदि कारण ही हो सकते हैं। इन वारणों पर पठा लगाकर इन्हें दूर करने के उपाय किये जाने चाहिए।
८. इनके गायनाभ अनिवार्य शिक्षा-भेदों के गैरहाजिर शालियों के प्रति वार्षिकाही परन्ते वा तरीका भी गुरुत तथा मुगम बनाया जाना चाहिए, जिसमें शीघ्र तथा उचित वार्षिकाही शिक्षक या गौव के लोग रह सकें।

इन उपरोक्त मुद्दाओं के आधार पर भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उचित विकास हिया जा सकता है। आज बालतन्त्र में आवश्यकता इस बात की है कि सभी को अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जा सके। सभी हमारा लोकतन्त्र टिक सकेगा। अतः स्तर तथा गुणात्मक उन्नति का प्राप्त रखने कर गमी को शिक्षित करने का ध्यान अधिक होना चाहिए। धीरे-धीरे स्तर तो बन ही जायेगा। अनिवार्य शिक्षा हमारे भारतीय जीवन के विकास की नींव है, यह हमारे लोकतन्त्र की मुरक्खा की दारा है, यह हमारे वर्ग-भेद को मिटाने वाली अभिन्न है। अतः हमें हर प्रकार शोशिष्ठ करके इसे खाकार बनाना चाहिए। सभी कठिनाइयों के हल के लिए यदि हम बैठे रहेंगे तो यह कार्य ही ही नहीं रहेगा। अतः हमें कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए। आज विरासई देने वाली कठिनाइयों में से अनेक तो आगे चलकर उपस्थित ही नहीं होंगी।

मध्यप्रदेश में अनिवार्य शिक्षा

गणपूर्ण देश में तृतीय पञ्चवर्षीय योजना काल के अन्त तक देश के ६ से ११ वर्ष की आयु तक के बालक-बालिकाओं को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की सुविधाएँ पुष्टाने की व्यवस्था के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस दृष्टि से मध्यप्रदेश में भी अनिवार्य शिक्षा की व्यापकता अवश्यकता स्थिरपूर्ति के प्रयास किये जा रहे हैं।

सन् १९५६ के पूर्व राज्य के महाकोशल धोन में १२ जनपदों के ४०४ देहाती धोनों तथा २४ बाहरी धोनों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा चल रही थी। पुराने मध्यप्रदेश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कानून १३ मार्च १९२० में दागू दिया गया था। अतः इस यह कह गहरते हैं कि पुराने मध्यप्रदेश के महाकोशल धोन में दागू दिन २६ नवंग्रे में केवल उपरोक्त धोनों में ही अनिवार्य शिक्षा नामूनी का गया था। जल्दी पुर नगर-निगम धोन में भी पड़नी तथा दूगरी दो कस्तों में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ की गई है। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र धोन के अन्य गमी शासी धोनों द्वारा ६५ सामुदायिक विकास रणनीति में भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। गढ़कोशल के शहरी धोनों में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ करने में विदेशी अवश्यक नहीं आ रही है। दूर देशानी धोनों में गरीबी आदि के बाल अनेक गमनागण उद्दीप्ती हैं।

मध्यभारत धोर में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून नं. १९८९ में बना था। इस कानून के अनुसार सन् १९५३-५४ में ६ से ११ वर्ष तक के बालक-बालिकाओं की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के प्रयोग के निया प्रत्येक जिले के आम-प्राप्ति के ५ से १० फील के लेट्रों तथा कुछ तहसील के केन्द्रों में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ की गई थी। इन लेट्रों में १०६५ नई प्राथमिक शालाएँ खोली गई, ३२२० नये शिक्षकों उपा १३ असिलेंट अंडरेंस अपमानग की नियुक्तियाँ दी गई थी। जिन ऑकेंड मध्यभारत धोर में अनिवार्य शिक्षा की प्रारंभिक क्रम के सूचक हैं :

	धोर	शालाओं की संख्या	छाड़ों की संख्या	दर
१	मध्य धोर	८३६	६७,५६६	१२,००,१४२
२	देहाती धोर	७३०	३४,१५६	६,७०,८६०

बिहार धोर में सन् ५३-५४ से २६ तहसीलों के केन्द्रों में अनिवार्य शिक्षा लागू की गई। अनिवार्य शिक्षा के विकास के लिए यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक कानूनी हॉले में एक मठत्वावृत्ति गाँव में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ की जाये। बाद में गवर्नर ने बिहारप्रदेश धोर के सभी सानुदारिक विनाय क्षणों के धोरों में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ करने का निधर दिया। विनाय क्षणों में नई शालाएँ न खोलकर वो शालाएँ थीं उन्हीं में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्तियाँ इसके अनिवार्य शिक्षा का कार्य चलाया गया। इस प्रकार नं. १९५७ में बिहारप्रदेश धोर में ८३० अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा केंद्र स्थापित हो जुके थे।

तीसरे एक दर्शाव योजना में ६ से ११ वर्ष के बालक-बालिकाओं के लिए अनिवार्य निःसुन्दर प्राथमिक शिक्षा की प्राथमिकता दी गई। इसके लिए सन् १९५८ में शैक्षणिक बोर्डेलग भी किया गया था। इसके बाद पर यान्त्र की अनिवार्य शिक्षा योजना तैयार की गई है। इस द्वेष जो योजना बनारं गई है वह निम्न प्रकार है :

१७४ :: भारतीय निक्षा तथा आनुविक विचारभाराएँ

वालक-वालिकाओं की संख्या :

मध्यप्रदेश का शेषफल १,७१,२०० वर्गमील तथा जनसंख्या (१९५१ की गणना के अनुसार) २,६१,००,००० है। रान् १९५५-५६ में यह अनुमानतः २,९६,१०,००० हो जायेगी, जिसमें पुष्प ३,६०,५२,००० तथा छिपों १,४२,६७,००० होगी। इस जनसंख्या में से वालक-वालिकाओं की संख्या रामबग १५ प्रतिशत आँकी गई है, जो ४३५५ लाख होगी। उन् १९५७ में कुल वालक-वालिकाओं की संख्या ११'२१ लाख आँकी गई थी।

कार्यक्रम का विभाजन :

राज्य के ६ से ११ वर्ष दफ्तर के वालक-वालिकाओं को अनिवार्य निःशुल्क योजना के अन्तर्गत समिलित किया जायेगा तथा समूर्ज कार्य पाँच वर्षों में विभाजित होगा।

योजना के कार्यान्वय के लिए ध्यय का अनुमान :

क्रमांक	शीर्षक	ध्यय करोड़ रुपयों में
१.	प्रशासन	१५६
२.	प्राथमिक शालाओं के निक्षक	२०५७
३.	निरीक्षक	७६
४.	उपनियोगी अधिकारी	१८६
५.	मज्जाद्वारा योजना, शालेय सामग्री तथा अन्य सुविधाएँ अनुगृह्यित वालक-वालिकाओं के लिए	१०७७
६.	ग्रामीण थोजों के निक्षकों के लिए नियात-गृहों वी व्यवस्था	१७७
७.	वानिकाधा वी शास्त्राओं के लिए शिविराओं वी व्यवस्था	७२
८.	निक्षकाओं के प्रगिधारण की व्यवस्था	१६
९.	अतिरिक्त निक्षकों के प्रगिधारण की व्यवस्था	२७१
		२०९८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों के लिए १६७.८० लाख रुपयों का नवच आँकड़ा गया है। इस नवच का घोरा निम्न प्रकार है :

लाख रुपये

१.	प्रशासन	३९.०९
२.	आविर्भूत शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था	१२३.६९
३.	शिक्षिकाज्ञों के प्रशिक्षण की व्यवस्था	५०.२०
	योग	१६७.८०

इस व्यवस्था में ५०-६० के लिए ८७.४३ लाख तथा ६०-६१ के लिए ७१.३० लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है। इस व्यवस्था के लिए १०० प्रतिशत अनुदान के आधार पर केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की गई है। यदि केन्द्र में सहायता न मिल सकी तो ८७.४३ (अनावर्ती रूप) लाख रुपयों की निधि को तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा।

इस प्रस्ताव राज्य में अनिवार्य प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा के लिए समर्पित प्रयत्न किये जा रहे हैं।

बुनियादी शिक्षा का स्वरूप तथा प्रगति

बुनियादी शिक्षा का स्वरूप

बुनियादी शिक्षा के स्वरूप के सम्बन्ध में विद्वानों तथा जनता में बड़ा विचार वैभिन्न है। इसलिए विभिन्न लोग बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार से सोचते हैं। साधारण जनता इने 'ठक्की या चरखा दारा शिक्षा' नमश्नी है, इसलिए, जिन शास्त्रों में ठक्की तथा चरखा चलनाया जाता है वे शालाएं, बुनियादी मानी जाती हैं। बुद्ध लोग इसे एक पैदान या झुक के रूप में मानते हैं। बुद्ध अन्यभक्त लोग केवल गांधीजी के नाम से चलनेवाली तरफी या चरण की शिक्षा मानते हैं तथा इसके वास्तविक स्वरूप की ओर ऐसे हुए विद्वान इसे मरीन युग में वेदगाढ़ी का रूप मानते हैं।

यह आग जनता की, जो शिक्षा के विद्वानों के सम्बन्ध में अधिक जान नहीं रखती, वात हुआ। पौड़िग्रन्थ शिक्षा-विद्वान्त के ज्ञाना भी, जिन्हें बुनियादी शिक्षा पर पुरुषके पत्ती है, इसे योजना-प्रणाली का भारतीयकरण कहते हैं। बुद्ध गमनाय पर वहुत अधिक विचार करते रहते हैं तथा इसे समझायी प्रणाली ही मानते हैं। बुद्ध गांधीजी के "ठक्की की एक अच्छा गिलीना" कहने पर इसे बेल प्रणाली वा एक भित्र रूप ही मानते हैं। अन्य विद्वान इसे औद्योगिक शिक्षा वा रूप या उसी पृथ्वीसारी मानते हैं।

बुद्ध पौड़िग्रन्थ, शिक्षा-प्रणाली गमनाओं में कार्य करने वाले विद्वान इने अन्य प्रशिक्षण गमनाओं के लिए बुनियादी कार्यकर्ताओं एवं शिक्षरों का निर्माण करने में भी गहाढ़क मानते हैं। उनके अनुग्रह यह सब बुनियादी-बुनियादी वेदार है तथा देख दो मार्गान्विक शालाओं तथा उच्च शिक्षा के लिए इनसा कोइ उपयोग नहीं है।

इस प्रकार युनियादी शिक्षा के मम्बन्ध में जनता तथा विद्यान दोनों की अलग-अलग धारणाएँ हैं। जनता यदि नहीं समझती है तो एक तरह से क्षम्भो है; पर विद्यानों तथा विद्योक्तर गिरण-प्रशिक्षण संस्थाओं के बड़े-बड़े उपाधिधारी विद्यानों के कम अवधन, दूषित दृष्टिकोण पर दरस आता है। युनियादी शिक्षा पर एकाग्रे दृष्टिकोण से विचार करने के कारण ही ऐसा होता है। युनियादी शिक्षा के किसी एक अंग को विशेष महत्व देने के बारण ही इस नरह की भावनियाँ उत्पन्न होती हैं। युनियादी शिक्षा की स्फट कल्पना तथा स्पष्टेया समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम यह जानकारी करें कि युनियादी शिक्षा के प्रगताओं ने इसे किस रूप में मान्य किया है तथा उनके अनुगार इसका क्या स्वरूप होना चाहिए।

२२-२३ अक्टूबर १९३७ को वर्धा में अग्रिम भारतीय शिक्षा परिषद् के नामने भाषण करने हुए गाँधीजी ने युनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में आपने विचार दृष्ट किये थे। उन विचारों का गार तत्त्व निम्न है-

१. प्राथमिक शिक्षा कम-भै-कम ७ वर्ष की हो।

२. शिक्षा का मात्रम मानूभाग हो।

३. शिक्षा का मात्रम मूल्येय हो।

४. शिक्षा स्वावलम्बी हो।

इन प्रमुख चारों तथा युनियादी शिक्षा के स्वरूप पर विचार करने के लिए डॉ जाफिर हुमैन की अपेक्षा में एक ममिति गठित भी गई थी। इस ममिति ने वारीरा से छानीन करके आपना प्रतिवेदन गाँधीजी के नामने रखा। जाफिर हुमैन ममिति के प्रतिवेदन को ग्रन्थ १९३१ में हरियुग कालेन अधिकारम में स्वीकार किया गया। यही जाफिर हुमैन ममिति का प्रतिवेदन युनियादी शिक्षा का प्रमुख ढाँचा है। इसी ढाँचे के ओरपोर पर युनियादी शिक्षा का महल रहा है। इस ढाँचे का स्वरूप भी यही है जो गाँधीजी ने १९३७ में २२ तथा २३ अक्टूबर को अपने मारण में दरक्त लिया था।

इस प्रारम्भिक ढाँचे में अनेक परिच्छेद तथा युनियादी शिक्षा-ढाँचे में अनेक प्रकार के विवर लुप्त हैं। इनमें विश्वविद्यालयों से 'युनियादी शिक्षा का विकास' शीर्षक के अन्तर्गत यों जारीगों, पर यर्जन यदि विचार करना आवश्यक

१०८ :::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

है कि केन्द्रीय सरकार ने बुनियादी शिक्षा के स्वरूप को विस रूप में माना है, क्योंकि यही रूप हमारी बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा का है तथा भविष्य में भी रहेगा।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् के अन्तर्गत बुनियादी शिक्षा उपसमिति ने बुनियादी शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट करने तथा उसके सम्बन्ध में जनता तथा विद्यालयों की आनंदितियों वो दूर करने के लिए एक प्रपत्रक १९५५-५६ में तैयार किया था। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने उसे स्वीकार किया। इस प्रपत्रक में बुनियादी शिक्षा के प्रमुख तत्वों को निम्न प्रकार वराया गया है :

बुनियादी शिक्षा का स्वरूप ऐसा ही है जैसा कि जाकिर हुसैन समिति के प्रतिवेदन में वराया गया है तथा जिसे केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् ने स्पष्ट किया है। अतः यह स्पष्ट है कि जाकिर हुसैन समिति के प्रतिवेदन में दर्शाये गए बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त तथा विधियों ही हमारी भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा के पुनर्गठन के आधार होंगे। जाकिर हुसैन समिति के प्रतिवेदन में दर्शाये गए आठवर्षीय (जाकिर हुसैन समिति ने यातवर्षीय बुनियादी शिक्षा की कल्पना वी थी)। बाद में १९५९ में गंगर समिति ने इसे आठवर्षीय बनाने की सिफारिश की जिसे मान्य किया गया।) अनिवार्य नियमुक्त शिक्षा तथा मानूभाषा को माध्यम बनाने के सिद्धान्तों में न तो कोई मतभेद है और न कोई घाति। दो केवल इस बात का ध्यान रखा जाये कि बुनियादी शिक्षा जनियर तथा नीनियर वेगिक सार दोनों को मिलाकर मानी जाये।

बुनियादी शिक्षा के अन्य सिद्धान्तों पर मतभेद अविक है। अतः उनके निम्न स्वरूप को उपयुक्त उमड़ना ठीक होगा :

गांधीजी बुनियादी शिक्षा को लीजन द्वारा जीवन की शिक्षा मानते हैं। यह नामाव में जीवन द्वारा शिक्षा अविक है। यह शिक्षा के द्वारा एक ऐसे रामाज का नियमांश करना चाहती है जो स्वतन्त्र हो, जिसमें दोस्तान हो, जीवन की तथा कोई मेद न हो। ऐसे दोषण विदीन, यांदीन, अद्विग्नात्मक शिक्षा विदीन, तथा 'बुनियादी शिक्षण रिशि' नाम पुनर्के देखिए।

जीवन द्वारा न्यतन्त्र समाज के निर्माण के लिए ही उत्पादक सामाजिक शिक्षा है उद्योग वर्गमें छोड़कर सभी वात्सल्यानिवार्ता की शिक्षा का माध्यम रखा गया है।

युनियार्दी शिक्षा-नर पर किसी उत्पादक मूल्यशोग के माध्यम से शिक्षा आवश्यक तथा प्रभावी होनी है। यदि उपर्युक्त रीति ने यह विधिवत् चले तो हमसे मन्दनिक्षत वातों का ज्ञान ठोग तथा वास्तविक होता है।

उत्पादक उद्योग बढ़ दूंग चरित्र तथा व्यक्तित्व के विकास में बहुत अधिक शिक्षा का माध्यम सहायक भी होता तथा उपरोगी सामाजिक वार्य या श्रम के

प्रति आदर या आस्था दी भावनाओं का विकास भी करता है। वातों द्वारा बनाये गए सामान की दिनी से जो व्यापदनी होगी वह जाता है कुछ गर्व के लिए उपरोग में आयेगी या बनाया गया उत्पादित सामान वातों के दोषहर के भोजन, सूक्ष्म-देव या शात्रा फनोचर तथा सामान-सज्जा बुद्धने के काम में आयेगा।

युनियार्दी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आरक्ष या वानिकों के समूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है तथा साथ-ही-ग्राथ उरार्ही उत्पादक-क्षमता की वृद्धि करना

भी। उत्पादक मूल्यशोग के विकास नर को अच्छा रखने तथा उत्पादक मूलों- उगम्य वातों का कौशल बढ़ाने के साथ-साथ श्रीअणिक शोग की युनियार्दी सम्भावनाओं का समुचित उपरोग करने के लिए यह आवश्यक में नियति रख है कि बनाया गया सामान अच्छे नर का हो। वहने

का तार्क्य यह है कि उस नर का हो जैना कि उग आयु तथा अन्य दृष्टि में विस्तीर्ण द्वारा बना रहते हैं। बनाया गया सामान गामाजिक दृष्टि में उपरोगी तथा बेचने योग्य भी होना चाहिए। सामान्यतः किसीओं को महत्व देने वाली शालाओं में कर्त्त्व सामान तथा उपरोगों से बेनने की तरफ ही अधिक ध्यान दिया जाता है। परं यद्यपि बेनने में अधिक श्रीअणिक महत्व हो उद्योग की किसीओं में कौशल प्राप्त करना तथा अच्छा कार्य बरने की योग्यता प्राप्त करना है। अतः उत्पादन के इन तत्त्वों को कम महत्वपूर्ण मानने अनुयोगी न गमनना चाहिए। मन्दस तथा पर्याप्त रूप से दिली भी उद्योग में कौशल शारक दी वृद्धि करता है तथा सभी दृष्टियों में उग्रा विकास

१८० :::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारपत्रापै
 करने में सहायक होता है। कहने का तासर्ये यह है कि उद्योग के अन्यसे से प्राप्त कौशल से बाटक को सर्वानीण विकास में सहायता मिलती है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि उद्योग के उत्पादन के पश्च को उसके शैक्षणिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा जाये। उत्पादन कार्य को आवश्यक महत्व देने से बाटक की उत्पादन धमता का विकास होता, उसमें काम करने की टीक तथा उपयोगी आदतों का विकास होता, उसकी रुचियाँ और प्रवृत्तियाँ विवित दो कठर वाचनीय दिशाओं की ओर उन्मुख होती हैं, उसमें पदाप्रता, दग्धन, परिव्राम, अच्यवनाय, विवेक से कार्य करने तथा योजना बनाने की आदतों और प्रवृत्तियों का विकास होता है। मूलोद्योग-सम्बन्धी दृष्ट्य गिराव अपनी स्थानीय परिस्थितियों को देखकर निर्धारित कर नकते हैं। पर उत्पादक उद्योग के शैक्षणिक उद्देश्यों को कभी भी कम महत्वपूर्ण न माना जाये। प्रवेक राज्य को जनियर तथा गीनियर वैसिक न्यर के लिए अनुभवों के आधार पर लक्ष्य निर्धारण करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

बुनियादी ज्ञान के लिए मूलोद्योग का चुनाव उनकी शैक्षणिक उपरोक्तिता, गम्भावनाओं तथा ज्ञान के प्रमाण विकास के आधार तथा व्यावहारिक योग्यता तथा धमता बढ़ाने की गम्भावनाओं को देखकर करना उत्पादक उन्नित होगा। मूलोद्योग बुनियादी ज्ञान के गम्भाजिक और स्वाभाविक बातावरण के अनुकूल हो तथा - नसे शैक्षणिक गम्भावनाएँ अधिक होनी चाहिए। यह गति विचार है। गुणादं या गुनादं मूलोद्योग के रूप में बढ़ाने पर ही शाल बुनियादी बढ़ाने होगी। उद्योग कोई भी हो गक्ता है केवल उसमें निम्न गुण होने चाहिए:

१. शैक्षणिक गम्भावनाएँ।

२. ज्ञान के प्रमाणः विद्याय वी धमता।

३. गम्भाज तथा प्राइविक बातावरण के अनुकूल।

४. व्यावहारिक धमता के विद्याय वी धमति।

गमी प्रकार वी अच्छी शिक्षा, विद्यालः बुनियादी शिक्षा, में ज्ञान का गम्भा।

समवाय किया, अनुभव तथा अक्षयेकन से होना आवश्यक है। इन दृष्टि से शुनियादी शिक्षा में ज्ञान को निम्न रीन केन्द्रों से समवायित करने का मिडान्ट बनाया गया है :

१. मूलोद्योग
२. समाज
३. प्रसूति

शुनियादों शिक्षक यदि योग्य हैं तो वह इनमें में किसी भी केन्द्र से समवाय करके शिक्षा दे सकेंगा या अपने पाठ्यक्रम के विषयों को पढ़ा सकेंगा, क्योंकि ये हीन केन्द्र वालक की रचि तथा प्रत्यक्षियों के स्वाभाविक केन्द्र हैं। पर यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके निम्न दो कारण हो सकते हैं :

१. उसमें आवश्यक योग्यता की कमी है; या
२. पाठ्यक्रम में स्तर-विशेष की दृष्टि से अनावश्यक वार्ते भर दी गई हैं।

पर यदि ये दोनों वार्ते नहीं हैं तथा पाठ्यक्रम में ये सी वार्तों का समावेश निया गया है तो उसकी किसी भी वेन्ड में समवाय बरके नहीं पढ़ाई जा सकतीं और ऐसी वार्तों का पढाना आवश्यक है तब ऐसे ज्ञान को किसी अच्छी शाला में पटाये जाने वाले दूर या विधि में देना चाहिए। पर ऐसे पाठ्यों में भी रचि, उत्प्रेरण, रचनात्मक तथा स्वयं अभिनवक्षित-सम्बन्धी कारों पर सनुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

यहुथा दोगों वा विचार रखता है कि शुनियादी शिक्षा में उत्पादन पर अधिक वर्ण दिया जाता है अनः पुस्तकों के पठन तथा उपरोक्त दो आवश्यकता नहीं है। शुनियादी शिक्षा पुस्तकों को ही ज्ञान प्रदान करने का गाधन नहीं मानती। कह पुस्तकों को ही मनूषिति का जन करनेमात्री भी नहीं मानती। शुनियादी शिक्षा तो यह मानती है कि उचित त्य, व्यवस्थित उत्पादक उत्पादक उत्पादक यात्रक के अनिन्द्र के विकास तथा ज्ञान-प्राप्ति में और भी अधिक प्रभावी दृग में गतारक होता है। पर व्यवस्थित ज्ञान देने के अक्षयित मनोरेत्न बरने के गाधन के लए में पुस्तकों का भी मजब्द है। इस दृष्टि ने शुनियादी शाला में एक दर्शन-पत्र और अच्छा प्रश्नालय होना अनन्त आवश्यक है।

१८२ :: मारतीय शिक्षा तथा आनुनिक विचारधारा^ए

बुनियादी शिक्षा शाला तथा समाज के ऐसे समन्वय की अवेद्धा करती है जो शिक्षा तथा बालक की सामाजिक तथा साहस्रोगी बनाती है इसलिए बुनियादी शिक्षा इस द्वेष की पूर्ति के लिए निम्न दो साधनों वा उप-शाला तथा योग करती है :

१. शाला की एक कर्मशील जीवित समुदाय वा समाज समाज का समन्वय २. शाला की एक कर्मशील जीवित समुदाय वा समाज के रूप में रखना = रक्षण

२. बालक-नाटिकाओं को आसापास के सामाजिक जीवन में भाग लेने के अवसर देकर तथा उस समाज वी सेवा करने को प्रोत्साहित करके।

इस प्रकार बुनियादी शिक्षा बुनियादी शाला को समाज वा एक अभियान तथा उपयोगी अंग बनाने पर बल देती है।

बुनियादी शिक्षा वी विशेषता उसके बालक बालिकाओं का स्थायत्त शासन है। वह एक लगातार चलने वाला कार्यक्रम है जो बालक-नाटिकाओं को उत्तरदायित्वपूर्ण दोस्तत्रात्मक जीवन व्यतीत करने के बालकों का अवसर देता रहता है। इस तरह बुनियादी शिक्षा बाल-स्थायत्त शासन नाटिकाओं को आत्मविश्वास, सहवारिता, शम के महत्व आदि से परिचित ही नहीं करती है वह एक प्रगतिशील नामाज-व्यवस्था करने में वहाँ प्रमाणोत्तरादक तथा महत्वपूर्ण साधन का बायं करती है।

यह गमनशाना भी मारी भूल होगी कि बुनियादी शिक्षा वेवल ग्रामीण दोस्तों के लिए ही उपयोगी होगी। यह शहरी तथा देहाती दोस्तों द्वेषों के लिए समान रूप से उपयोगी है तथा दोस्तों प्रभार के द्वेषों में लागू वी बुनियादी शिक्षा जाना चाहिए। इससे होगों वा यह विचार वा भ्रम दूर बैठक ग्रामों के लिए होगा कि ग्रामों के लिए योद्दे निम्न प्रभार वी शिक्षा-दी नहीं व्यवस्था वी जा रही है। इसके लिए यह आवश्यक है कि शहरों के लिए उपयोगी उपयोग तुने जायें तथा पाठ्यनम में आदर्श वाले वर्तन दिये जायें। पर बुनियादी शिक्षा के सामान्य विद्यालय जॉन-रीनों रद्दनी चाहिए।

बुनियादी शिक्षा का विकास तथा प्रगति

बुनियादी शिक्षा के लिए महात्मा गांधी ने शोण-विहीन, बर्गीन, कर्मयोगी, स्वतंत्र भारत-व्यवस्था को आवश्यक माना है। बुनियादी शिक्षा की योजना को देश के सामने रखने से पहिले महात्मा गांधी ने इसके मूल सिद्धान्तों तथा इनकी अच्छाइयों के सम्बन्ध में प्रयोग कर लिये थे। अपने इन प्रयोगों की सफलता के आधार पर उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उनके इन प्रयोगकाल को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहिला काल गांधीजी के अभीका-निवास से प्रारम्भ होता है। वहाँ 'टाल्मटाप फार्म' में इसी तरीके से शिक्षा का कार्य प्रारम्भ किया गया था। इसके पश्चात् सन् १९२० में जब विदेशी शासन का अन्त बरने के लिए सहयोग आन्दोलन आरम्भ किया गया तब से राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा का यह प्रयोग भारत में मी प्रारम्भ हो गया। इस कार्य में गुजरात विद्यारीड़, कान्ती विद्यारीड़, तिलक विद्यालय, नामापुर तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। राजनीतिक आन्दोलनों के बारण इन संस्थाओं का कार्य अधिक संगठित हुये में आगे न बढ़ पाता था क्योंकि आन्दोलनों के प्रारम्भ होते ही इन संस्थाओं में काम बरने थाने विद्युक तथा द्याव राजनीतिक कारों में लग जाते थे। इतना होने हुए भी इन प्रयोगों में गांधीजी के भन में शिक्षा वो यह योजना एक निश्चित और स्थायी रूप घारण बरखी गई।

सन् १९३५ के संविधान के अनुसार तुनाव होने पर सन् १९३७ में भारत के अधिकार प्रान्तों में कांग्रेसी भिन्नभाष्टा बन गए। इसी अद्यतर पर अपनी शिक्षा योजना की ओर देश के विद्यानां का धान रोकने के लिए गांधीजी ने 'हितन' नामक संविधा में शिक्षा-ग्रन्थालयी देश नियकर इस विभाग पर चर्चा आरम्भ की। इसी के बाद सन् १९३७ में २२ तथा २३ अक्टूबर को वर्षों में असिंह भारतीय नियोजनारूप बुलाई गई। इसमें भिन्न-भिन्न शास्त्रों के शिक्षा-मन्त्री तथा ग्रन्थीर शिक्षा का कार्य करने वाले शिक्षा-ग्रन्थियों ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने इस परिदृ के सामने नई शिक्षा प्रणाली के गमन्यमें आने विचार करे। उन्होंने दूसरे के शिक्षा-ग्रन्थियों द्वारा मान्य 'किस द्वारा शिक्षा' के शिक्षान्तर वो आधार कहाता। पर अन्य देशों में निज बेन्दू किया

करने के लिए तथा मनोरजन के लिए करवाई जाती है। पाश्चात्य देशों में धन तथा साधन प्रसुर हैं, अतः वहाँ यह सब सम्भव है। भारत तो गरीब देश है। यहाँ तो अभी प्राथृतिक साधनों का उपयोग भी साधनों के अभाव में पूर्ण ल्पण नहीं हो पा रहा है। अतः गरीबी तथा साधनों की कमी के कारण महात्मा गांधी ने किंवा का सम्बन्ध एक उत्तम किंवा सेंजोड़ा। यह किंवा सभाज में प्रचलित उत्तोग के स्पष्ट में होगी तथा इस उत्तादक उत्तोग की किंवाओं की शीशुगिक सम्भावनाओं के उचित उपयोग से जो शान प्राप्त होगा वह ठीक तथा व्याख्यिक भी होगा। इसके साथ-साथ गोंधोड़ी ने शिक्षा में स्वावलम्बन को आवश्यक माना। दैश यी गरीबी को दूर करने तथा इतने बहुत् देश में सभी को शिक्षित करने के लिए यह बड़ा व्यावहारिक साधन है। इसीनिए गोंधोड़ी ने कहा था कि “शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के शारीरिक, बांदिक तथा नैतिक विकास से है। बालक की आनंदिक शनि और सौन्दर्य को विभित्ति करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। साक्षरता न हो शिक्षा का आदि है और न अन्त। वह हो मनुष्य की शिक्षित बनाने वा साधन-मात्र है अतः मेरे बालक की शिक्षा का प्रारम्भ उसे उपरोक्ती उत्तोग गिरजाहर द्या उसे अपनी शिक्षा के प्रारम्भ से ही उत्पादन करने योग्य बनाकर करूँगा। इस प्रकार, शतवेक शाला स्वावलम्बों वन रखेंगी।

“मेरा विद्यालय है कि ऐसी शिक्षा से बालक के मनिक तथा आत्मा का विकास सम्भव हो सकेंगा। ये बड़ा आवश्यकता इस घात की है कि उत्तोग बनवान्, जैसा कि आजरन फिल्म जाता है, आपचारिक रूप से ही न पढ़ाया जावे वरन् उसे वैज्ञानिक विधि से उसमें सम्बन्धित ऐसे तथा क्यों का ज्ञान कराने हुए पढ़ाया जाना चाहिए।

“मनिक की उत्तरणा का प्रमुख साधन शारीरिक थम होना चाहिए।”

इन विचारों वो उन्होंने लिए ‘हरिगंग’ में व्यक्त किया रुप्ता वर्षा में होने वाली शारीरिक मार्गीय शिक्षा परिषद् में अपनी बुनियादी शिक्षा योजना की सांकेति प्रस्तुत की। गोंधोड़ी यी योजना के प्रमुख गत्य निम्न थे :

१. प्राथमिक शिक्षा कम-से-कम ७ दर्ज की हो।

२. शिक्षा का प्रारम्भ मातृसाधन हो।

३. यह शिक्षा विसी मृतोद्योग के माध्यम से दी जाये।
 ४. शिक्षा स्थानकाली हो अर्थात् पूरी अवधि में बालकों के वार्ष से शिक्षक का वेतन निरल सके।
- अग्रिम भारतीय शिक्षा परिषद् में गाँधीजी द्वारा शिक्षा-योजना पर विचार-विमर्श हुआ तथा अन्त में निम्न प्रस्ताव पास किये गए :
१. परिषद् का मत है कि सम्पूर्ण देश के लिए ७ वर्षीय निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था दी जाये।
 २. शिक्षा का माध्यम मानवमापा ही।
 ३. परिषद् गाँधीजी के इस भत्ते से सहमत है कि इस आयु के बालकों को शिक्षा किनी प्रश्नार के शारीरिक उत्पादक कार्य द्वारा केन्द्र मानवर दी जाये तथा अन्य धर्मतार्थ, जिनका विकास करना है या प्रशिक्षण द्वारा दिया जाना है, जहाँ तक हो सके, बालक के वार्ताधरण के अनुकूल छुने हुए इस केन्द्रीय उद्योग से ही प्रदान किया जाये।
 ४. इस परिषद् द्वारा घोषित है कि यह शिक्षा-विविध ममता: शिक्षकों के वेतन का वर्च दो निम्नल ही होगी।

अग्रिम भारतीय शिक्षा परिषद् के इन विवाहे तथा प्रस्तावों पर एवं वार्षिकी में विचार करने के लिए डा० जाकिर हुमें दी अव्यक्तता में एक समिति गठित की गई। इस समिति में १० सदस्य थे। इस समिति ने काफी धान-चीन के बाद अपना प्रतिवेदन गाँधीजी के सामने रखा। महात्मा गाँधी के द्वारा स्वीकृत होने पर जाकिर हुमें समिति का प्रतिवेदन परम्परा रुपम् १०.३८ के अग्रिम भारतीय राष्ट्रीय कार्येन्द्रिय के हरियुग अधिकारिय में प्रस्तुत किया गया। दायेश ने इस प्रतिवेदन को मंजूर किया तथा निम्न प्रस्ताव पारित किया गया :

- “...कि काङ्गे वा मत है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए बुनियादी शिक्षा निम्न गिरावङ्गों के आधार पर दी जाये :
१. निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अग्रिम भारतीय स्तर पर ७ वर्ष की दी जाये।
 २. शिक्षा का माध्यम अनिवार्य हृष में मानवमापा ही।
 ३. इस शिक्षा-अवधि में शिक्षा किंवा हृष में शारीरिक अम तथा उत्पादक

१८९ :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारणाएँ
कार्य को केन्द्र मानकर दी जाये तथा अन्य क्रियाएँ तथा प्रशिक्षण
जो दिया जाना हो वह बालक के बातोंदरण के अनुकूल नुने हुए इस
केन्द्रीय उद्योग से पूर्णतः समन्वित हो।

वे ही बुनियादी शिक्षा के प्रमुख तत्व हैं। काप्रेस ने टा० जाकिर हुसैन
तथा ई० डब्बू० आयंनायकम् को अधिकार दिये कि गौरीजी के निवेशन
तथा सहाइता रो शीघ्र ही एक अखिल भारतीय शिक्षा-संघ या बोर्ड की स्थापना
करें जिससे कि बुनियादी शिक्षा का कार्यक्रम सुमर्गठित किया जा सके तथा
जो राज्य या निजी संस्थाएँ शिक्षा के अधिकार में हैं उन्हें उचित परामर्श दिया
जा सके।

हरिपुर काप्रेस अधिकेशन के प्रस्तावों तथा अखिल भारतीय शिक्षा-परिषद्
के प्रस्तावों में साम्य होने हुए भी बुद्ध अन्तर दिसाई देता है। अखिल भारतीय
शिक्षा-परिषद् के प्रस्तावों में स्थावलम्बन पर वल दिया गया है तथा अपेक्षा की
गई है कि बुनियादी शिक्षा कम-से-कम शिक्षाओं के वेतन का व्यय तो निकाल
ही सकेगी, पर हरिपुर काप्रेस के प्रस्तावों में स्थावलम्बन की बात नहीं रखी
गई है।

हरिपुर काप्रेस के प्रस्ताव के अनुसार अप्रैल सन् १९३८ में हिन्दुनानी
वालीमी संघ के नाम से एक अखिल भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना ऐवामास,
वर्ष में की गई। प्रारम्भ से ही यह सब बुनियादी शिक्षाओं के प्रशिक्षण, बुनियादी
शासाओं की व्यवस्था, बुनियादी-सम्बन्धी प्रयोग तथा शोधकार्य कर रहा है।
बुनियादी शिक्षा वी इन नई योजना को देख के अनेक प्राचीरों में प्रथम
प्राप्त हुआ, तथा इसके विस्तार तथा विकास पर लिए अनेक कार्य किये गए।
देश के उच्चप्रान्त, मध्यप्रान्त, दक्षिण, देश के उच्चीयों तथा उल्लास से प्रारम्भ की गई।
बड़े उत्तराधि से प्रारम्भ की गई। पर इस बुनियादी शिक्षा-योजना वी राज्यों
अधिक प्रगति विद्यार में हुई।

बुनियादी शिक्षा का प्रथम वर्ष तो प्रमुखतः नेहरू शिक्षार्थी के प्रशिक्षण में
भी वर्कीव किया गया। दूसरे वर्ष बुद्ध बुनियादी शासाओं की स्थापना की गई
तथा उन शासाओं में बुनियादी में प्रशिक्षित शिक्षकों को समा गया। इस प्रकार
बुनियादी शिक्षा के प्रयोग प्रारम्भ किये गए। सन् १९३९ तक देश में बुनियादी

गिराफ़-प्रशिक्षण सम्पादो की संख्या १४ हो गई थी तथा विद्यार के चण्डालन जिन्हें में ३० नवं बुनियादी शालाएँ, बम्बर्द में ५८ जिला बोर्ड शालाएँ तथा २८ बुनियादी शालाएँ, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में, एवं मध्यप्रदेश में ९८ विद्यामन्दिर स्थापित किये गए।

इसी बीच में अनेक प्रान्तों में बुनियादी शिक्षा की जाँच आठि के द्वारा अनेक शिक्षा-समितियों का गठन हुआ। इनमें उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई गोन्द्रादेव समिति उल्लेखनीय है। इन सभी समितियों ने प्रायः ७ या ८ वर्ष की अनियार्थ निःशुल्क शिक्षा तथा इस पूर्व अवधि तक किसी उत्तादक उद्योग को केन्द्र मानकर शिक्षा देने का सुझाव दिया। यह केन्द्रीय उद्योग वालक के प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण के अनुकूल तथा उसमें सम्बन्धित होना भी आवश्यक माना गया।

केन्द्रीय शिक्षा सलादकार परिषद् के अन्तर्गत समितियाँ

जनवरी मन् १९३८ में केन्द्रीय शिक्षा सलादकार परिषद् ने यम्बर्द के तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री श्री शो. ली. गोर की अव्यभता में एक शिक्षा उपसमिति की स्थापना की। इस समिति का कार्य बुनियादी शिक्षा-योजना वी जाँच, बुड़ तथा ऐवड रिपोर्ट को व्यावसायिक तथा मामाल्य शिक्षा-सम्बन्धी मुश्तकों वी शूलभूमि में करना था। डा. जारिर हुसीन भी इस समिति के गदरस्य थे तथा उन्होंने प्रारम्भ से ही यह सट्ट किया कि बुनियादी शिक्षा-योजना “शिक्षा की योजना है न कि उत्थान की!” उन्होंने बुनियादी शिक्षा-युग्मन्धी अन्य भ्रान्तियों का निराकरण करने हुए बताया कि बुनियादी शिक्षा का प्रमुख ल्येप उद्योग कार्य में निहित शैक्षणिक गम्भादनाओं का उचित उपयोग करना है न कि १४ वर्ष वी आयु में उद्योग सीमे वालक उपयन करना। अतः यह आवश्यक है कि उद्योग या उत्तादक कार्य में शैक्षणिक गम्भादनाएँ अदिक्ष-ऐ-अधिक होनी चाहिए, तथा उगमें मानव संविधानों तथा कार्यों में स्थानादिक स्पष्ट से सम्बन्ध रखने वी धमता भी होना आवश्यक है।

गोर समिति ने गोदौद रचनात्मक विज्ञानों पै. माल्यम में जो सम्मान उत्तादक उद्योग या कार्य के स्पष्ट में विस्तृत हो जायेगी, शान्ति को विधित करने के

मिदान्त को मान्य किया। दरका सालर्थ यह हुआ कि प्रारम्भिक कक्षाओं में विभिन्न प्रकार की अनेक रचनात्मक क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बालक-जालिकाएँ अपनी दृष्टि के अनुरूप क्रियाएँ चुने तथा आगे चलकर ये रचनात्मक क्रियाएँ उत्पादक उद्योग में परिणत हो जायें। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा की सफलता प्रारम्भिक कक्षाओं में उपयोगी तथा विभिन्न प्रकार की रचनात्मक क्रियाओं के समुचित तथा उपयुक्त बुनाव पर ही आधारित रहेगी। रोमनभिति की चिपारिशों ने बुनियादी शिक्षा की प्रसुत सिद्धान्तों-सम्बन्धी अनेक अमर्स्थाओं को सुनकाकर बुनियादी शिक्षा के नये युग का प्रारम्भ किया। रोमनभिति की प्रसुत गिरारिशों निम्न हैं :

१. बुनियादी शिक्षा की योजना पहिले शामिल धेत्रों में लागू की जाये।
२. शिक्षा को अनिवार्य करने की अवधि ६ से १५ वर्ष तक की आयु रही जाये। पर बुनियादी शान्ति में ५ वर्ष की आयु के बालक भी भरती किये जा सकेंगे।
३. बुनियादी शान्ति से ११ वर्ष की आयु के बाद या ५वीं कक्षा के बाद यान्तक अन्य शास्त्राओं में जा सकेंगे।
४. शिक्षा का माध्यम प्राची की भाषा होगी।
५. हिन्दुस्तानी—उर्दू तथा हिन्दी के मेल से बनी—भाषा का होना भारत के लिए आवश्यक है। इसी हिन्दी तथा उर्दू दोनों लिपियाँ होंगी। शिक्षक को दोनों लिपियों पा जान हो पर बालक अपनी दृष्टि के अनुगार लिपि चुन रहेंगे।
६. बुनियादी शिक्षा-योजना युड तथा ऐवट रिपोर्ट ने, जहाँ तक क्रिया द्वारा शिक्षा का गिदान्त है, पूरी साम्य रखती है। प्रारम्भिक कक्षाओं में क्रियाएँ विभिन्न प्रकार की हीं तथा ऊँची कक्षाओं में ये किसी ऐसे उत्पादक उद्योग की ओर बदल़ा: विभिन्न हीं जितना बनाया गया थाल पिछ रहे। इन आमदनी को शान्ति की व्यवस्था में व्यवस्थित किया जाये।
७. युड नाइटिक रिपोर्ट मूर्तीर्कग में गणवाणित नहीं किये जा सकते हैं अतः इन्हें ग्राहन रूप में पढ़ाया जाये।

८. गिरक-प्रदिव्युत का स्तर उन्नत करके उसे पुनर्गठित किया जाए।
 ९. प्रत्येक विद्यक को २० रुपया माहवार से कम नहीं मिलना चाहिए।
 १०. शुनियादी शास्त्राएँ उपयुक्त प्रदिव्युत विद्यक मिलने पर ही सोनी जायें।
 ११. पाठ्यक्रम में अनुभव के आधार पर परिवर्तन किये जायें। शुनियादी शालाओं में अपेक्षी वैकल्पिक विषय के रूप में रखी जायें।
 १२. बाह्य परीक्षा न रखी जायें। कक्षावार वर्ग-उच्चार द्वाला निवित करेंगी जो निरीचुक के आधार पर आन्तरिक परीक्षा द्वारा वी जायें।
- सेर समिति ने शुनियादी शिक्षा के स्वावलम्बन ने पश्च में भी अपने विचार लगा किये। उन्होंने कहा कि शुनियादी शिक्षा का प्रदुष सिद्धान्त उत्तादक उत्तोग के माध्यम से हिता देना है। 'उत्तादक' के म्थान पर 'प्रचलनात्मक' शब्द अधिक उत्तोगी होगा क्योंकि 'उत्तादक' शब्द में आधिक उत्तादन ने पश्च को दीर्घगिर पश्च से अविक महस्य मिल जाता है। समिति इन मानों है कि शुनियादी शिक्षा वैकल्पिक पश्च को ही अधिक बढ़ा देती है। उत्तादित वस्तु शिक्षी योग्य हो तथा उच्च कक्षाओं में निर्मित होनी चाहिए, क्योंकि उप तक चलनुएँ विर्त पाय न होगी उत्तादक उत्तोग को दीर्घगिर मध्यावलनाओं का गुन्हाचित उत्तोग न किया जा सकता। यितरे से जो आमदनी हो उसे शास्त्र को स्वरूप के लिए व्यव दिया जायें। इन प्रकार गंभीर निर्मिति ने मध्यावलन के पश्च का समर्थन किया।

जनवरी १९२१ में केन्ट्रीय शिक्षा बुलादार परिवर्तन ने श्री नेर की अपेक्षिता में एक और गमिति की स्थापना की। इस गमिति का कार्य शुनियादी शिक्षा का माध्यमिक शिक्षा में समर्थन करने के साथसे में सुझाव देना था। इस गमिति ने ग्रन्ति स्वामी से सुझाव कि शुनियादी शिक्षा की अवधि ८ वर्ष हो दी हो। इन अवधि की सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त किया जाये—एक उनियर वैकल्पिक ५ वर्ष की उपरा दूसरी गमिति परिवर्तन ३ वर्ष हो। पर यह मानूर्ध अवधि पूर्णतया एक ही है, ऐसल व्यावहारिक दृष्टा मुक्षिया के लिए ही भागों में विभाग नहीं हो जाये।

दोनों ऐरे समितियों की रिपोर्ट को केन्द्रीय शिक्षा रचनाहकार परिषद् ने अधीकार कर निया तथा इन दोनों समितियों के मुशाव द्वितीय महायुद्ध के बाद भारतीय शिक्षा के विकास तथा पुनर्गठन की योजना में, जिसे सार्जेण्ट रिपोर्ट बहने हैं, गमाविष्ट कर दिये गए।

सार्जेण्ट रिपोर्ट (१९४४)

सार्जेण्ट रिपोर्ट भारतीय शिक्षा सम्बन्धी वृहत् तथा प्रथम बार सभी सम्मानाओं और आन्द्रज्ञकलाओं को देखकर बनाई गई है। इस रिपोर्ट में बुनियादी शिक्षा के प्रमुख गिडान्ट 'किया या उद्योग द्वारा शिक्षा' को मान्यता दी गई है। इसमें ऐरे उमितियों की सिफारिशों को आधार मानकर ४० वर्ष की अवधि में गम्भीर मारत में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा-व्यवस्था की योजना बनाई गई है।

सार्जेण्ट रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा का समृद्ध पाठ्यक्रम इसी 'किया द्वारा शिक्षा' के गिडान्ट पर विस्तृत करने का मुशाव दिया गया है। पर सार्जेण्ट रिपोर्ट में स्पष्ट लक्ष किया गया है कि शिक्षा के किसी भी चरण, विशेषतः प्राथमिक शिक्षा-स्तर पर स्वाधारण्यन नहीं अपनाया जाना चाहिए। छात्रों के उन्नादन में अधिक-ने-अधिक उद्योग का गमन गरीदा जा सकता है।

सार्जेण्ट रिपोर्ट में इस प्रकार बुनियादी शिक्षा के स्वाभाव के गिडान्ट को छोड़कर यादी गम्भीर प्रमुख तत्त्वों तथा गिडान्टों को मान्यता दी गई। सार्जेण्ट रिपोर्ट बो केन्द्रीय तथा प्रान्तीय गम्भीर गरकारों ने मान्यता दी तथा इसी के आधार पर ४० वर्ष की गम्भीर अवधि के लिए ५-५ वर्ष की योजनाएँ बनाई गई। ये योजनाएँ गन् १९४६-४७ से प्रारम्भ भी की गईं।

प्रान्तीय नर पर ये समितियों द्वारा तथा इनके मुशावों के अनुगार अधिक भारतीय नीतियाँ दीती गईं। पर प्रारम्भ में टेट या दो वर्षों के प्रयोगों के बाद यह गोना गया कि बुनियादी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का गम्भीर बुनाया जाये जिनमें अनुभवों

सम्बलन दा एक-दोष हो तथा एक मिनी-डुपी नोति निर्धारित वी ला गरे। यार्ड गरफार के अनुरूप पर पूरा में गन् १९३८ में अगिल

भारतीय बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन बुलाया गया। इसमें देश के विभिन्न प्रान्तों से शिक्षा-ग्राहकी भी आये थे। सम्मेलन में विचारों का स्वतंत्रता से आठान-प्रदान हुआ तथा निम्न वांत निर्दिष्ट की गई :

१. अंग्रेजी के जटी प्रारम्भ होने से देश की शिक्षा की प्रगति बढ़ी कम हो सकी है। इससे भारतीय भाषाओं को भी धृति पहुँची है। अतः बुनियादी तथा अन्य शास्त्रों में उच्च की शिक्षा के पूर्ण अंग्रेजी प्रारम्भ न की जाये।
२. पिछले दो वर्षों में बुनियादी शिक्षा ने अच्छी प्रगति की है।
३. देश के भवित्व के लिए बुनियादी शिक्षा का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। अतः इसे विना किसी वाधा के आगे बढ़ाया जाये। बैलड्र तथा प्रान्तीय सरकार इसके लिए आवश्यक धर्य की व्यवस्था कर।
४. बुनियादी शिक्षकों की निम्नतम प्रशिक्षण अवधि ? वर्ष हो। शिक्षकों को ग्राम सहृदयि के प्रति आस्था रखने के लिए प्रेरित किया जाये।
५. कुछ नुने हुए खेतों में नियंत्रित प्रयोग तथा गधन कार्य किये जायें। इन प्रयोगों के आधार पर अन्य शास्त्रों को चलाया जाये।
६. शहरी तथा देहाती शिक्षकों का एक ही प्रशिक्षण सद्वा में प्रशिक्षण किया जाये, जिससे उनमें एक सा ही उत्तिरोग विकसित हो।
७. पिछले दो वर्षों के अनुभवों ने प्रदर्शित किया है कि उद्योग में गमवाय वर ये शिक्षा कार्य किया जा सकता है। पर गमवाय जवरटमती न किया जाये।
८. गमवाय के लिए मूल्यांकन ही नहीं बरन् वालक के ग्रामाञ्जिक तथा प्राहृतिक वालागरण का भी गमनित उपयोग किया जाये।
९. मूल्यांकन गमवाय में प्रचलित उपयोग ही हो।
१०. गरम खेतों के लिए अग्रणी नियोजक रणे जारें।

इस प्रथम अंग्रेजी भारतीय बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन ने अनुभवों के आधार पर कुछ नियंत्रण किये। पर गमवाय पर मदायुद्ध के बादल दायें हुए थे। मार्ग एवं भी इतना गमवाय पटा। अनेक गमनीतिह परिस्थितियों के कारण कम्पेगी मविभाग्यों ने त्यागपत्र दे दिये। पलाश्वरप यह गोना लाने लगा कि

१९२ :: मारतीय शिक्षा तथा भाषुनिक विचारधाराएँ

बुनियादी शिक्षा का कार्य सुदूर तथा काग्रेसी मत्रिमंडलों के न रहने से शिथि पड़ जायेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। द्वितीय वर्ष तो कार्य ईक चला पर तृतीय वर्ष में (१९४०-४१) कार्य की मत मन्द पड़ गई। उठिस के शिक्षा-चर्चा-टक ने तो बुनियादी शिक्षा बोड़ को ही भेंग कर दिया तथा उभी बुनियादी शालाएँ बन्द करवा दी। पर श्री गोपालवन्नु चौधरी ने जो उरा समय उड़ीसा के बुनियादी शिक्षा बोड़ के सविव थे, सरकारी नौकरी छोड़कर स्वतन्त्र रूप से बुनियादी का कार्य प्रारन्न किया।

सीमरे वर्ष १९४१ में जामिश नगर में द्वितीय अखिल मारतीय बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन हुआ। इसमें यह निकर्प निकारा गया कि अनुभवों ने यह सिद्ध किया है कि बुनियादी शिक्षा से छात्रों के स्वास्थ्य तथा व्यवहार में पर्याप्त युवार हुआ है। उनका आत्मभिश्वास बढ़ा है। तथा वे स्वतंत्रता से अच्छी तरह विचार व्यक्त कर सकते हैं। उनमें महोपोगी तथा सामाजिक भावनाओं का भी विकास हुआ है। मत्रिप में इसमें भी अच्छे परिणाम दृष्टि शिक्षा से दिखाई देंगे।

सन् १९४२ के 'मारत थोड़े' आन्दोलन ने सम्पूर्ण देश को उत्तेजित रखा किसानीय किया था। अबः सभी नेताओं तथा लोगों का ध्यान आन्दोलन की ओर ही रहा तथा बुनियादी धेत्र के कार्यकर्ताओं तथा सभी नेताओं के जेर में होने के कारण बुनियादी शिक्षा का काम बन्द-सा हो गया।

बुनियादी शिक्षा की नई परिभाषा

जेल से आने के बाद गांधीजी ने कहा कि बुनियादी शिक्षा केवल ७ या ८ वर्षों तक ही मीमित नहीं रहनी चाहिए। इसे तो 'जीवन-भर चलाना' कहिए। बुनियादी शिक्षा हमा उन जीवन-ग्राम्य नहेंगे। इस प्रारंभ बुनियादी शिक्षा 'जीवन ढाप, जीवन की शिक्षा' वर्णी।

बुनियादी शिक्षा के इन नये अर्थ से शिक्षागिर्दों को परिवर्त करने तथा शिक्षा ५ वर्षों के लियां पर दृश्यात करने के लिए सेवामाम में जनवरी १९४८ में तृतीय अखिल मारतीय बुनियादी शिक्षा-सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा वी नई वस्तु उद्घाटन उपर्याक्त किया।

मुमोलन ने विचार-विमर्श के बाद बुनियादी शिक्षा की निम्न चार अवस्थाएँ मान्य कीं :

१. प्रौढ़ शिक्षा—इसे प्रथम स्थान दिया गया क्योंकि कोई भी देश अग्रिम नागरिकों के रहते हुए विस्मित नहीं हो सकता।
२. पूर्व-बुनियादी शिक्षा उ वर्ष से कम आयु के बच्चों को।
३. बुनियादी शिक्षा उ में १४ वर्ष की आयु के बच्चों को।
४. उत्तर-बुनियादी बुनियादी स्तर के बाद।

मुमोलन में इन चारों स्तरों के लिए पाठ्यक्रम बनाने रुधा इसकी रूपरैख्य नीतिकरण आदि के लिए चार समितियाँ बनाई गई रुधा सेवाप्राप्ति नई कल्पना के अनुसार बुनियादी के मान्यता स्तरों के प्रयोग वा केन्द्र चुना गया। इसके बाद सेवाप्राप्ति में पूर्व-बुनियादी तथा प्रौढ़ शिक्षा वा कार्य भी प्रारम्भ किया गया।

सन् १९४३ में विद्यार तथा सेवाप्राप्ति में बुनियादी शिक्षा-स्तर में शिक्षा पानेवालों ने अपना उचित पाठ्यक्रम पूर्ण किया। अतः यह आवश्यक हो गया था कि उत्तर-बुनियादी का पाठ्यक्रम तैयार किया जाये। अतः इसके लिए एक समिति की स्थापना की गई। इसके पूर्व उचित बुनियादी शिक्षा को द्वितीय में बदलने तथा उन्हें बदलने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए भी समिति गठित की जा सुनी थी।

उत्तर-बुनियादी रसिति की दर्जा गाँधीजी में भी हुई तथा उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तर-बुनियादी शिक्षा समृद्धतः स्वाभाविक होनी चाहिए। इस दृष्टि से गाँधीजी के अनुरोध पर बुमारवाग (चमारन, विहार) तथा सेवाप्राप्ति में दो उत्तर-बुनियादी संस्थाएँ प्रयोग के लिए स्थापित थीं गईं। इन प्रयोगों ने मिल किया कि उत्तर-बुनियादी संस्थाएँ स्वाभाविक हो गईं हैं।

इस समय तक देश की अभी प्रान्तीय सरकारों ने बुनियादी शिक्षा प्रयोग के लौट पर प्रारम्भ पर दी थी पर इसे अभी प्राथमिक स्तर पर ५ वर्ष के लिए रखा था। इसका कारण यह था कि द्वितीय बनाने में घन अधिक दूर होता था तथा उनकी कमी थी तथा गरकारों शिक्षा विभागीय उच्च अधिकारी बुनियादी का प्रगार अधिक चाहते भी नहीं थे। अतः मनस्तुता प्राप्ति उक्त

१९४ :::: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विद्यारथाराएँ

प्रमुखतः बुनियादी शिक्षा प्रयोग के तोर पर ४ या ५ कक्षाओं तक ही प्राप्ति में जागृ रही।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद बुनियादी शिक्षा

सन् १९४८ में स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद अंग्रेजी शिक्षा मरी ल्यार्ड आजाद ने कहा कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व की पोवनाएँ आज की परिवर्तित परिस्थितियों के लिए अनुग्रहीयी निर्द रहींगी। अतः अनियार्थ बुनियादी शिक्षा को मुख्य देश में लागू करने के लिए ४० वर्षों की अवधि तक ठहरना ठीक न होगा।

सत्त्वानीन शिक्षा-मरी और मीदाना आजाद प्रशिक्षित शिक्षकों तथा शास्त्र-भवनों की कमी से भी अवगत थे। इसके लिए उन्होंने मुशाया कि जब तक शिक्षक प्रशिक्षित निये जायेंगे स्वतंत्रता से की गई सेवाओं से कार्य लिया जाये, तथा शास्त्र-भवनों के नक्शों में परिवर्तन करके कच्ची इमारतों से काम चलाया जाये। भवन इत्यादि में साधनों का उपयोग न करके जनता की शिक्षा के लिए माध्यम लुटाना अधिक उपयोगी तथा आवश्यक है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद प्रतिवर्ष नियमित रूप से अविन भारतीय बुनियादी शिक्षा-नामेन्न होने लगे। इसमें बुनियादी शिक्षा के प्रमार तथा प्रचार में बड़ा गहरोग मिला। देश के विभिन्न शेषों में किये जा रहे बुनियादी शिक्षा-नामकरणी प्रयोगों द्वारा प्रसारित कर जान भी इसमें हो जाता है।

७ ने १ जून १९४९ में कोयम्बटूर के पाम परियानैकनाम्यायम् में पौन्तों अविन भारतीय बुनियादी शिक्षा-नामेन्न हुआ। इस नामेन्न का उदारन करते हुए श्री विनोदा मारे ने बुनियादी शिक्षा की नई गिमोदारी की ओर सोची का लाल आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि बुनियादी शिक्षा के लिये मार्ग द्वारा ही सर्वोदयी समाज का निर्माण हो गवता है। इसी समय विनोदा-जी का बग्नियारो भूगत आन्दोलन आरम्भ हुआ। इस भूदान आन्दोलन में ग्रामदान की प्रतिक्रिया निकली, जो समाज में सामुदायिक समाज बनाने का एक नया मार्ग उत्पन्न घर रही है। ग्रामदान तथा भूदान के विनार ने बुनियादी लालीम को एक नया मोड़ दिया, जोकि ग्रामदान आन्दोलन में

एक निर्देश दोक्यानीति तथा स्वाचलम्बी अर्थ-नीति का जो नया विचार निकला है, उससे हमारे बुनियादी शिक्षा का क्षेत्र बढ़ गया है। इसके पूर्व बुनियादी शिक्षा का क्षेत्र विभिन्न बुनियादी शालाएँ तथा उसके आस-पास का समाज था, पर अब इन छोटे-छोटे घेरों में निकलकर ग्रामदान ने उसे मण्डां जन-समाज-सभी समृद्ध में द्वा रखा किया है। कामव में बुनियादी शिक्षा की 'सर्वी की जन्म से मृत्यु तक की शिक्षा' की जो परिकल्पना है उसे रूपायित करने के लिए बुनियादी शालाओं को जन-जीवन के बीच रखकर उन्हे दैमा ही स्वप्न देना होगा जैमा कि समाज है। पर इसके लिए हमें अपने समाज को 'सर्वजन-मुग्याय' बनाना होगा अर्थात् सर्वोदयी समाज की स्थापना करनी होगी। यहाँ बुनियादी शिक्षा की जिम्मेदारी है। इस प्रकार अब बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य सर्वोदयी समाज की स्थापना करना निश्चित किया गया।

मन् १९५० में बुनियादी शिक्षा में विद्यविद्यालयों शिक्षा के स्थान तथा स्वरूप पर बड़ी जर्नां होने लगी थी। मन् १९४८ में राष्ट्राकृष्णन् आयोग ने अपने प्रानियेदन में आर्म्णि विद्यविद्यालयों का सुशाव दिया था। श्रद्ध: १९५१ के भारतीय अग्निय भारतीय बुनियादी शिक्षा-नग्यमोन्नन में बुनियादी शिक्षा में विद्यविद्यालयों शिक्षा पर विचार किया गया तथा तारीखी संघ ने 'उच्च शिक्षा समिति' संवादाम में विद्यविद्यालयीन विद्यालय को योजना बनाने के हेतु निर्मित की। इस समिति ने विद्यविद्यालयीन शिक्षा को बुनियादी शिक्षा तथा भारतीय गौधी के उच्च शिक्षा-नग्यमधी विद्यार्थों में समर्पित करके एक योजना बनाई। इस प्रकार उत्तम बुनियादी शिक्षा का गूच्छार हुआ। प्रथम उनम बुनियादी केन्द्र संवादाम में गोप्य गया तथा इसमें १८ द्वार भरवी किये गए।

गतवर्षा-प्राप्ति के बाद देश में बुनियादी शिक्षा पर विचार करने के लिए अनेक गमितियों वो रासना वो गईं। एक समिति उत्तरादन तथा स्वावलम्बन पर विचार करने के लिए बनाई गई। इसने शिक्षार तथा व्यवर्द्धन को बुनियादी शालाओं का बार्य देना तथा सुशाव प्रस्तुत किये। केन्द्रीय शिक्षा-नग्याकार-मार्ग ने इन पर भार्च १९५२ को आग्नी दैशक में विचार किया तथा निर्णय किये :

१. शुनियादी शिक्षा में जो उत्तरादक उद्योग रखे गए हैं उनका शैक्षणिक महत्व इतना अधिक है कि यदि आर्थिक व्याप विलक्षण ही न हो तो भी शुनियादी शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है।

२. राजन आठ छात्र की पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करे।

३. शैक्षणिक तथा उत्तरादक दोनों दृष्टियों से उद्योग पर वर्त दिया जाये।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद शुनियादी शिक्षा वा काम वहूत धड़ गया था। शिक्षकों के प्रगतियों के लिए सुस्थाप्त तथा शुनियादी शालाओं के अधिक-से-अधिक सम्भास में खुल्ने के कारण सन् १९५८ में शुनियादी शिक्षा तथा प्री-इंशिक्षा का एक अलग उपविभाग शिक्षा-भवालय में शोला गया।

सन् १९५५ के आरम्भ में केन्द्रीय शिक्षा सचिवहकार परिषद् के अन्तर्गत एक शुनियादी शिक्षा उपमिमिति घनाई गई, जो शुनियादी शिक्षा में सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को मुशाव देती है।

शुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी शोध कार्य करने के लिए एक राष्ट्रीय अन्वेषण केन्द्र भी योला गया है।

देश में शुनियादी शिक्षा वी प्रगति की जांच करने के लिए चेन्ट्रीय सरकार ने सन् १९५५ में श्री रामचन्द्रन् की अधिकारी में शुनियादी शुनियादी शिक्षा-भवालय मिमिति की स्थापना की। इस समिति का मूल्यांकन समिति प्रसुप कार्य देश में शुनियादी शिक्षा को वर्तमान प्रगति वी (१९५५-५६) जांच करके भावी विकास के लिए मुशाव देना था। इस समिति के मुशाव यहौ वहूमूल्य है तथा केन्द्र और राज्य सरकार इसके अनुगार अपना कार्य आरो यदा रही है।

सन् १९५६ में शुनियादी शिक्षा समिति के मुशाव पर देश के संगों वा ध्यान शुनियादी शिक्षा को और आर्थिकत करने के लिए दिसंबर में २८ अप्रैल से ७ मई तक एक शुनियादी शिक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन गृहांति ने किया गया। इसमें २४ राज्यों और छुट्टी राज्याओं ने भाग लिया गया। इसी अवसर पर ३० अप्रैल से २ मई १९५६ तक राज्यों के प्रमुख शिक्षा अधिकारियों वी एक परिवार डॉ जाफिर

हमें अन्न के संचालन में नई दिलों में हुआ। इस परिपद में प्रमुखतः बुनियादी शिक्षा की कागजान का स्वरूपरण, बुनियादी शिक्षा विकास, सुधार, सुगठन, संचालन, नियंत्रण आदि पर विचार किया गया।

देश में बुनियादी शिक्षा के प्रभार तथा विकास के लिए केन्द्र राज्य सरकार यो आर्थिक सहायता देता है। १९५० में भारतीय समवेत के संविधान में १०

वर्षों के अन्दर समृद्धि देश में ६ में १४ वर्ष वाली आयु तक प्रथम पंचवर्षीय अनियाय नियुक्त बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था का सम्मोजन देश में उल्लेख किया गया है। इस दृष्टि से केन्द्र सरकार ने बुनियादी शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के न्यून में स्वीकार किया है तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना में बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की गईं।

बुनियादी शिक्षा में प्रयोग करके उपयुक्त सहारीक का विकास दरने के लिए एक योजना बनाई गई है। इसने आगे चलकर दूसरी बुनियादी शालाओं में इस सहारीक वा उपयोग किया जा सकेगा। इन योजना के अन्तर्गत सबन के द्वारा बुनियादी तथा समाज-शिक्षा वो निम्न मंत्रालयों वालों द्वारा गया है :

१. (अ) एक स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय—बुनियादी प्रशिक्षण विद्यार्थ्यों तथा संचालन कार्य के विद्युत कार्यकर्ता तैयार करने के लिए।

(ब) एक नीनियर बुनियादी शाला—अन्याय के लिए।

२. (अ) बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय—प्रायोगिक शालाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए।

(ब) दो जनियर बुनियादी शाला—अन्याय के लिए।

३. पांच आदर्श सामुदायिक केन्द्र।

४. एक संगठित युवाभालय—आमामाल के लोदों को सामान्यित करने के लिए।

५. एक जनवाकालेज।

गरम ऐश वी कुछ कर्त्तव्य प्रायोगिक शालाओं को बुनियादी में प्रविद्वित करने का समर्पण भी इस योजना में है। इस योजना वो प्रयोग के रूप में

१९८ : : : भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

स्नातकोत्तर मत्र तक की बुनियादी शिक्षा का काम देखने के लिए चालू किया गया है। अभी २७ राज्यों में ३८ ऐसे सचन क्षेत्रों में कार्य चल रहा है।

इस योजना को कार्यान्वयित करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्यों को अनावर्तक सर्व का ६६ प्रतिशत तथा आवर्तक सर्व का ६० प्रतिशत, ५० प्रतिशत तथा ३३ $\frac{1}{3}$ प्रतिशत आगामी वर्षों में देती रहेगी।

एक दूसरी योजना के अनुमार इहरी क्षेत्रों में बुनियादी शालाएँ, सोन्ने का शावधान रखा गया है। योजना आयोग की एक योजना के अनुमार बुनियादी शिक्षा के प्रभार के लिए किये गए आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का ३० प्रतिशत राज्य की दिया जाता है।

वेन्द्र गांधी को नई बुनियादी शालाएँ बोलने, गैर-बुनियादी शालाओं को बुनियादी में परिवर्तित करने, उद्योग शिक्षणों के प्रशिक्षण, बुनियादी शालाओं में शिक्षा गामी तैयार करने आदि के लिए १९५४-५५ में अनुदान देता है। बुद्ध गैर-मन्गारी महायात्रा को भी बुनियादी शिक्षा का प्रभार करने के हेतु किये गए कार्यों के लिए अनावर्तक व्यय का ६६ प्रतिशत तथा आवर्तक व्यय का ५० प्रतिशत दिया जाता है।

मन् १९६० में ऐसे राज्यों के लिए, जिन्होंने बुनियादी का कोर्ट कार्य तक तक प्रारम्भ नहीं किया था, एक पाठ्यक्रम प्रकाशित किया गया था। बुनियादी शिक्षणों के मार्गदर्शन के लिए एक भंडारिका का प्रकाशन भी किया गया है। बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी आन्तिकों के नियारण के लिए 'बुनियादी शिक्षा की कल्याना' नामक युभिका भी प्रकाशित की गई है। इसके माध्यम सुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी अन्वयनीय गामी भी गृही भी प्रकाशित हुई है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी ऐसे ही कार्यक्रम यन्माये गए हैं। ये यह अन्वय इतना ही है कि ये वार्षिक द्वितीय पंचवर्षीय यूट्सूप्रैमाने पर आयोजित होंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना-योजना कानून तक बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी नियम शिक्षण हुआ है। इसी के आधार पर योजना आयोग ने नियन्त्रित लक्ष्य रखे हैं :

बुनियादी शिक्षा का स्वरूप तथा प्रगति :::: १९९

	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१
१. बुनियादी शालाएँ	१,७५१	३०,०००	३८,४००
२. दर्ज संख्या	१,८५,०००	११,००,०००	४२,२४,०००
३. बुनियादी शिक्षण संस्थाएँ	११४	४४९	७२०

उपरोक्त आँकड़ों से पता चलता है कि सन् १९५०-५१ में प्राथमिक स्तर के दर्जे छात्रों की संख्या का १ प्रतिशत बुनियादी शालाओं में दर्ज था। यह प्रतिशत प्रथम योजना काल के बाद ५५-५६ में ४ प्रतिशत हो गया तथा द्वितीय योजना काल के बाद १९६०-६१ में ११ प्रतिशत होने की आशा है।

इस सम्बन्ध की प्राप्ति के लिए द्वितीय योजना काल में अधिक-से-अधिक बुनियादी शालाएँ खोलने, गैर-बुनियादी शालाओं को बुनियादी में परिवर्तित करने, बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाएँ खोलने, गैर-बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं को बुनियादी में परिवर्तित करने, बुनियादी शिक्षा-क्षेत्र के निरोक्तों को प्रशिक्षण देने, बुनियादी शालाएँ तैयार करने, महिलाओं को बुनियादी में प्रशिक्षित करने आदि की योजनाएँ बनाई गई हैं। द्वितीय योजना काल में जहाँ तक होगा भव्यां बुनियादी शालाएँ व्या कथा तक स्थापित की जायेंगी। बुनियादी शालाओं को जन-जीवन केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिए बुनियादी शिक्षा को कृति, आमोण उद्योग, सहकारिता सम्बन्ध गाम्भीर्यक विवास आदि योजनाओं के कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जायेगा। माध्यमिक शिक्षा-परिषद् के समान प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा-परिषद् की स्थापना भी की जायेगी।

माध्यमिक स्तर पर बुनियादी शिक्षा को समर्पित करने के लिए चंडीगढ़ीय शिक्षा विभाग कार परिषद् ने एक नीति का गठन भी द्वितीय योजना काल में किया है, जो समय-नामय पर उत्तिष्ठत रहता है। इस में उत्तर-बुनियादी शालाएँ अधिक संख्या में खोलने की योजना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखी गई है।

मध्यप्रदेश में बुनियादी शिक्षा

मध्यप्रदेश की बुनियादी शिक्षा पर हम निम्नांकित दृष्टिकोणों में विचार कर सकते हैं :

१. नई बुनियादी शालाएँ खोलना ।

२. प्रचलित प्राथमिक शालाओं को बुनियादी में परिवर्तित करना ।

३. बुनियादी शिक्षकों तथा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ।

नई बुनियादी शालाएँ खोलना :

नवीन मध्यप्रदेश के गहाकोशल धोन में सन् १९३९ में ८७ विद्यामन्दिर खोले गए थे । इन विद्यामन्दिरों में बुनियादी शिक्षा का सुछ अनु सम्मिलित था । पर इन्हे पूर्ण बुनियादी नहीं कह सकते हैं । सन् '४७ में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद महाकोशल धोन की प्रत्येक तहसील में एक-एक बुनियादी शाला प्रयोग के लिए रखोली गई । मध्यमारत धोन में ५१-५२ तथा विन्ध्यप्रदेश और भोपाल धोन में ५२-५३ से इस दिशा में कार्य हुआ । इन धोनों की सभी बुनियादी शालाओं में हिन्दुस्तानी तारीखी सप्त द्वारा निर्धारित अट्टवर्तीय बुनियादी पाठ्यक्रम ही चलता है । इन बुनियादी शालाओं के अतिरिक्त अन्य नई बुनियादी शालाओं की स्थापना को गर्दं तथा की जा रही है । मध्यप्रदेश शासन ने बुनियादी शालाओं की संख्या-वृद्धि के लिए प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों का न्यूनतम वेतनमान भी बढ़ाकर ४० रुपए भारिक कर दिया है । इससे शिक्षकों तथा अन्य कार्यकर्ताओं को अधिक प्रोत्ताहन मिला है । राष्ट्र-ही-राष्ट्र बुनियादी शालाओं की वृद्धि के लिए उच्च धोनों का निर्माण भी किया गया है । इस शासन धोनों की शालाओं को बुनियादी बनाया गया है जिससे आरपात्र की गैर-बुनियादी शालाओं पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है । पर अभी भी गैर-बुनियादी शालाओं की संख्या बहुत अधिक होने से बुनियादी तथा गैर-बुनियादी दो भेद हो गए हैं । इस भेद तथा अन्तर को दूर करने के लिए मध्यप्रदेश शासन ने एक नवीन पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसके आधारभूत गिद्धान्त अट्टवर्तीय बुनियादी पाठ्यक्रम के अनुकूल ही है । इस पाठ्यक्रम को समस्त राज्य की प्राथमिक शालाओं में लागू किया गया है । इससे गंगूरं राज्य की प्राथमिक शिक्षा का एकीरण हो दोगा ही, राष्ट्र-ही-राष्ट्र इससे बुनियादी तथा गैर-बुनियादी का भेद भी कम होगा । शिक्षा-विमान वाहनी, जिस तथा राज्य-सर पर गोमीनार्थों या गंगोठिरों वा आर्यन भी समग्र-राष्ट्र पर करता है ।

बुनियादी शिक्षा का स्वरूप तथा प्रगति : : : २०१

इन संगोष्ठियों में शालाओं के अधिगाठक संघ शिक्षा-सेवा में कार्य करनेवाले कर्मचारी-गण बुनियादी तथा गैर-बुनियादी के भेद को कम करने के उपायों पर विचार वरते हैं। इनके निकायों के आधार पर शासन आदेशक कार्रवादें करके बुनियादी शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने के लिए प्रयत्नशील है।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना काल में प्रान्त में ८० बुनियादी शालाएँ खोली गईं। तथा द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना काल में इसके लिए भोपाल विभाग में ६२४६९ लाख रुपयों का प्रावधान है। इसके साथ-साथ एक हजार कक्षाएँ खोलने की योजना भी है। मध्यभारत विभाग में ६७० शालाएँ खोलने के लिए ४५८ लाख रुपयों का प्रावधान रखा रखा है। इनमें से ५८ के अन्त तक ३५६ शालाएँ खोली जा चुकी हैं। बिहारप्रदेश विभाग में भी ८८२ लिए १००० लाख रुपये रखने की घटवस्था भी गई है। महाकोशल क्षेत्र में ५८० बैन्द्रीय शालाएँ खोलने का लक्ष्य रखा गया है। यन् १९५७ तक १८० बैन्द्रीय शालाएँ स्थापित की जा चुकी हैं। इस योजना के अनुसार बैन्द्रीय शालाओं के प्रधानाध्यापक वो ३०) माहवार अलगउन्म दिया जाता है तथा वह अपने आगरात के ५, भील के क्षेत्र में स्थित शालाओं के शिक्षकों का मार्गदर्शन वरता है।

प्रधालित प्राथमिक शालाओं को बुनियादी में परिवर्तित करना :

प्रधालित प्राथमिक शालाओं वो बुनियादी में परिवर्तित करने के लिए मध्यप्रदेश शासन निम्नान्वित कार्य कर रहा है :

१. प्रधालित प्राथमिक शालाओं के गणितित शिक्षकों को बुनियादी में प्रगतिशील बनाना।
२. अधिवारियों तथा शिक्षकों के प्रगतिशील लिए शिक्षिंग तथा विचार-संगोष्ठियों का आयोजन।
३. शालाओं में उद्योग तथा अन्य गाज-मजा की व्यवस्था करना।
४. शिक्षितों वी देशान्तरी नियारणार्थ कार्यान्वित योजना के अनुरूप नियुक्त शिक्षकों को बुनियादी में प्रगतिशील करना।
५. बुनियादी शालाओं में प्रतिनिधि भेजना।

प्रचलित प्राथमिक शालाओं के प्रशिक्षित शिक्षकों को बुनियादी में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों वी स्थापना सिवनी तथा रायगढ़ में की गई है। इन केन्द्रों में प्रशिक्षण की अवधि ४५ दिनों वी होगी तथा प्रत्येक छोटे में ७५ शिक्षक प्रशिक्षित होते हैं। राज्य में गैर-बुनियादी शालाओं की संख्या देरते हुए इस प्रकार के और भी केन्द्र योजना आवश्यक है।

अधिकारियों तथा शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण के लिए राज्य के सभी विभागों में शीर्म तथा शरदकालीन अवकाशों में शिविर तथा विचार संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। इस योजना के अनुसार रान् १९५७-५८ तक ३०३ शिविर आयोजित किये जा चुके हैं।

शासन ने प्रतिवर्ष ४५० शालाओं को बुनियादी की साज-सज्जा देने की व्यवस्था की है। द्वितीय पचवर्षीय योजना काल में साधन-सज्जा के लिए २,०३,००० रुपयों का प्रावधान है। शालाओं को कृषि के लिए भूमि उपलब्ध बराने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं।

रान् १९५८-५९ में शरदकालीन अवकाश के गमय से सम्पूर्ण राज्य के प्रशिक्षण विभालयों में शिक्षित वेकारी उम्मूलन योजना के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों को दो माह के अल्पकालीन प्रशिक्षण वी व्यवस्था भी की गई थी।

द्वितीय योजना काल में भोपाल विभाग की ४०० शालाओं, विन्ध्यप्रदेश की २००० कक्षाओं, मध्यमारत विभाग की १५०० शालाओं को बुनियादी में परिवर्तित करने की योजना है।

इसके गाय-गाय देश में जहाँ वहाँ भी बुनियादी शिक्षा-गम्भेजन या संगोष्ठियों होती है वहाँ शासन अपने प्रतिनिधि कार्यालयों में भेजता है। इसमें राज्य के इन छोटे के कार्यकर्ता बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी नवोन गतिविधियों में गतिशिव द्वाते हैं।

शिक्षकों तथा कार्यकर्ताओं का बुनियादी में प्रशिक्षण

मण्डपदेश में बुनियादी छोटे में वार्ष करने के लिए शिक्षकों तथा अन्य कार्यकर्ताओं वी प्रशिक्षण के लिए निम्ननिमित्त रीन प्रकार को लाग्याएँ री गई हैं :

१. बुनियादी शालाओं के गिरजांहों तथा इन शालाओं में निर्माण करनेवालों के प्रशिक्षण की व्यवस्था ।
२. बुनियादी प्रशिक्षण शालाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण की बुनियादी में व्यवस्था ।
३. बतंमान प्राथमिक शालाओं में कार्य करनेवाले प्रशिक्षित शिक्षकों को पुनः प्रशिक्षित करने की व्यवस्था ।

इसके लिए स्नातकोचर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय (जबलपुर, भोपाल तथा उड़ीसा) और २३ बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय गोदे गए हैं। महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए राज्य में चार महिला प्रशिक्षण विद्यालय चल रहे हैं। गन् १९६०-६१ में जुलाई से १ स्नातकोचर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय खालियर तथा २७ बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय राज्य के विभिन्न स्थानों में गोदे जायेंगे। इन प्रशिक्षण विद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों में विभिन्न कानून के ज्ञान के साथ-साथ सामाजिक जीवन की शिक्षा भी दी जाती है। शारन ने प्रनेश किंतु में एक प्रशिक्षण विद्यालय गोदाने की नीति ही बना ती है। इसके गाप-साथ अल्पसालीन प्रशिक्षण केन्द्र भी रायगढ़ तथा सिवनी में गोदे गए हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भोपाल में २ प्रशिक्षण महाविद्यालय, बिहू-प्रदेश में ८ प्रशिक्षण विद्यालय, मध्यभारत में ६ प्रशिक्षण विद्यालय, ३ प्रशिक्षण महाविद्यालय, तथा १ महिला प्रशिक्षण विद्यालय गोदाने का प्रावधान है। इनमें से प्रायः सभी प्रसार की प्रशिक्षण संस्थाएँ गोली जा चुकी हैं। अगले वर्ष खालियर में बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा कुण्डेश्वर के बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय को स्नातकोचर सर का बनाने की योजना भी है। भोपाल के स्नातकोचर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय के लिए ५७५८ में दीन टारप रखी था प्रावधान था।

राज्य के मध्यभारत धोन के प्रशिक्षण विद्यालयों तथा उनके शिक्षकों के लिए गवन निर्माण की योजना भी है। इसके लिए कलाप: १००, लास रुपा ४५० साल रखी था प्रावधान है।

मध्यबोगत धोन में बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों के भरन-निर्माण के लिए ३२ साल रखी था प्रावधान है। नित्यप्रदेश धोन में बुनियादी प्रशिक्षण

२०४ : : : भारतीय शिक्षा तथा अधुनिक विचारधाराएँ

शास्त्राओं के लाभवाचार के निर् ११५० लाख लागत के १२ भवन बनाने की योजना है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यप्रदेश में बुनियादी शिक्षा की अच्छी प्रगति हो रही है। शाहीकीय तथा सार्वजनिक निजी प्रश्नलों को उमनित करने के लिए महारोशल में सन् '४७ से तथा मध्यमारत में सन् '५४ में 'बुनियादी शिक्षा समिति' का निर्माण किया गया था। नदीन राज्य के निर्माण के बाद सन् '५८ में इन समितियों का एकीकरण करके रामपूर्ण राज्य के लिए एक 'बुनियादी शिक्षा समिति' बनाई गई। बुनियादी साहित्य की बड़ी कमी है। अतः शासन ने बुनियादी भाषित-निर्माण में योगदान देने के लिए दो शिक्षकों की गोदाएँ दिनुस्तानी तालिमी संघ को दी थीं। शासन भी शास्त्राओं के लिए उप-योगी एवं सही पुस्तक प्रकाशित करता है। राज्य के बुनियादी धोनों में वार्ष करने वारे कार्यकर्ताओं ने भी बुनियादी भाषित थीं और ज्ञान दिया है। या बुनियादी की तुल अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन भी हुआ है। इस दिशा में और अधिक कार्य करने तथा शासन की ओर से बुनियादी साहित्य प्रकाशन को विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। शिक्षा-विभाग एक बुनियादी ऐमार्मिक पत्रिका निकालने के लिए भी प्रयत्नशील है।

अध्याय १०

बुनियादी शिक्षा के विभिन्न प्रयोगों में विद्वभारती, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, गाँधीग्राम तथा जामिया मिलिया का योगदान

बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य वर्तमान समाज वो बदलवर पक शांशण विहीन सर्वोदयी समाज का निर्माण करना है। अतः इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को ताने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान समाज-व्यवस्था के आधारों में आमूल परिवर्तन किये जायें, क्योंकि समाज के समाज के आधारों पर हम इस नये जागृत शोषण विदीन समाज के महल को रखा नहीं कर सकते। वर्तमान समाज के आधार तो मानव की प्रसुग आवश्यकताओं तथा प्रवृत्तियों के ही अनुकूल नहीं है। आज के समाज वी प्रतिस्पर्धा, नर्गमेट, जटिलता आदि ने उसे कृत्रिम रूप दे दिया है। इसे महायोग, सरस्वता, स्वाभाविकता, चर्मदीनता आदि पर आधारित करने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान समाज के दोनों ओर दूर किया जाये तथा नये समाज की पुनर्जनन प्रारम्भ की जाये। इन दोनों प्रकार के वारों के लिए शिक्षा में आमूल परिवर्तन आवश्यक है। शिक्षा में आमूल परिवर्तन का मतलब यह होगा कि शान्ति के साथैने, ज्ञान पाने, पाठ्यक्रम, चर्मस्त्रज, परीक्षा, पुस्तकें, प्रतिस्पर्धा आदि अनेक वारों में आमूल परिवर्तन होगा तथा इन गर्भी का अधार प्रनवध जीवन तथा जीवन की दोष परिस्थितियों दोनों न कि जान, जैगा कि अभी शालाओं में होवा है।

वर्तमान समाज का स्वरूप बदलने वी दिग्गजों में सारन के अनेक विश्वासी तथा संस्थाओं ने आज अनेक वरों पूर्व ही वार्य प्रारम्भ कर दिया था। प्रारम्भ में ही इन विद्यालयों तथा गंदधारों ने अपनी गीमाओं में आचार-व्यवहार वी पढ़ानी भासीर आवश्यकताओं के अनुकूल ही रखी। पर आगे चलाकर इन्होंने शिक्षा-सम्बन्धी प्रयोग स्वतन्त्रता में उत्तम प्रारम्भ किया। राम-जयो गाँधीय शक्ति-

वटकी गर्दं और राष्ट्रीयता के भावों का विकास होता गया इन राष्ट्रीय शिक्षा-गंत्याओं का रूप भी बदलता गया। इन संस्थाओं में से अनेक संस्थाएँ बुनियादी शिक्षा के स्वरूप निर्धारित होने के पूर्व से ही चल रही थीं, जैसे विद्वभारती, जामिया मिलिया आदि, पर हिन्दुस्तानी तालीमी राष्ट्र तथा गाँधीग्राम आदि तो बुनियादी शिक्षा के प्रयोगस्थलों के रूप में ही स्थापित की गई थीं। जो राष्ट्रीय शिक्षण गंत्याएँ १९३७ के पूर्व अर्थात् बुनियादी शिक्षा के भारत में प्रयोग प्रारम्भ होने के पूर्व से चल रही थीं, उन्होंने बुनियादी शिक्षा के लिंगान्वय विधियों का प्रयोग भी यथासमय प्रारम्भ किया। इस अस्थाय में हम इन राष्ट्रीय शिक्षण गंत्याओं में से विद्वभारती, जामिया मिलिया, हिन्दुस्तानी तालीमी राष्ट्र तथा गाँधीग्राम के बुनियादी शिक्षा के विभिन्न प्रयोगों के सम्बन्ध में ही विस्तार में चर्चा करेंगे।

विद्वभारती

आज जो विद्वभारती एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का केन्द्र बनकर मंगार की, विरोपतया पश्चिया भी सम्पत्ताओं का केन्द्र बन रहा है, उसका प्रारम्भ महरिं टैगोर के द्वारा शान्तिनिवेनन नाम के छोटे-से विद्यालय के रूप में १९०१ में हुआ था। यह विद्यालय वर्तमान शिक्षा की बुगद्यों को दूर करने के लिए प्राचीन भारतीय प्रणाली से वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल शिक्षा देने के उद्देश्य से गोपना गया था। धीरे-धीरे यह विद्यालय उच्चति बरता गया। अन् १९१९ में महरिं टैगोर ने इस विद्यालय के भाष्य एक ऐसी राष्ट्रों को समाजिक करना चाहा जो पूर्ण देशों की सम्पत्ता वा केन्द्र हो। इसी उद्देश्य से अन् १९२१ में इसमें वैदिक गाटिल्य, ग्रन्थालय, चौड़ा गाटिल्य, अरवी, पार्टी, प्राकृत लाइटि के अध्ययन की स्थवरण की गई। याद में चीनी तथा निष्ठती भाषाओं और चित्रशला, गमीत-बना आदि के अध्ययन की स्थवरण भी इसमें की गई। अन् १९२०-२१ के यूरोप-भ्रमण के उपरान्त टैगोर गोदावरी को पूर्व और पर्न्नम के मिलन स्थल के निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसी उद्देश्य से अन् १९२१ में २५ डिसेम्बर को विद्वभारती भी स्थापना हुई। विभभारती के मुख्य प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं :

शुनियादी शिक्षा के विभिन्न प्रयोगों में... योगदान : : : २०७

१. मानव के विविध इतिहास में गुल्म के विभिन्न स्थानों का सरकार करने की विधियों का जान प्राप्त करने के लिए मानस-चित्त का अनु-शीलन करना ।
२. पूर्व की विविध सम्भालों में मौजिक एवं ता के आधार पर मुहूर्म सम्बन्ध स्थापित करना ।
३. एशिया के जीवन और विचार की इस एकता की हड़ि से परिचय दा निरीक्षण करना ।
४. पूर्व और पर्वत की एकता का प्रराज करना ।
५. पूर्व और परिचय की एकता तथा विचारों के स्वतंत्र, स्वच्छ आदान-प्रदान के हेतु एक केन्द्र स्थापित करना ।

विश्वभारती का कार्य शान्तिनिर्भेदन और श्रीनिवेदन नामक दो संस्थाओं द्वारा सम्पन्न होता है। शान्तिनिर्भेदन के अन्तर्गत विद्याभवन, शिक्षा विभाग तथा कला-भवन हैं। श्रीनिवेदन में हृषि और द्राम-नुधार-सम्बन्धों प्रयोग और शिक्षा-शास्त्राएँ हैं। इनके अतिरिक्त करारक्ते में द्वापारामाना, वैमानिक दर्शिका और पुनर्जन्म-प्रकाशन विभाग भी इनके अन्तर्गत हैं।

विद्याभवन में विद्यानों द्वारा पुण्यतत्त्व और शोज-मन्त्रन्धी इत्य-वाज होते हैं। ऐसे में विभिन्न देशों के विद्यान शोध-कार्य करने हैं। शिक्षा-विभाग के अन्तर्गत शान्ति की प्रथम भेणी में लैंगर भट्टाचार्यालयीन शिक्षा की वर्तमान है। यहाँ चर्चा आदि के दिनों को छोड़कर प्रायः वर्ष-भर पेटों के नीचे ही कड़ाएँ रखती है। गाधारणतः एक कड़ा में १५ नियार्थी रहते हैं तथा गहरिश्वा है। शूली शिक्षा में दम्युक्तार्थी की शिक्षा अनिवार्य है। प्रहृति-नियोगन तथा श्राव्य-जीवन के परिचय पर शारण से ही दून दिखा जाता है। पास के ही गांव में सारिपाठदाला भी हमर्ता है, जहो चालक-चालिकाएँ पार्ये-नारी ने जाकर शिक्षा देने का बाम करती हैं। कठग में शिक्षा या शन-प्राप्ति पर अधिक दूर न देढ़र वर्षों आधार के जीवन की अधिक महत्व दिखा जाता है। शान्तिनाथों का दावायाम धन्य है। १२ वर्ष से हीटे चालक भी अन्नम गरे जाते हैं। अस्तराप आदि वर्जन पर विद्यार्थियों की नमाएँ ही दम्ड आदि का निर्गम करती हैं। मोजन तथा अन्य वस्त्राभा भी शाल-नामिनीयों द्वारा ही होती है। ये सुमित्रियों शिक्षाएँ,

२०८ : : : भारतीय विज्ञा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

के मार्गउद्देश में कार्य करती है। इन प्रमार हम देखते हैं कि विज्ञा-विभाग का नामकरण ही बुनियादी नहीं है वाकी सभी काम बुनियादी विज्ञा के भिन्नात्मा के अनुकूल ही चलता है। ऊँच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के लिए अनभ्य पर यह दिया जाता है। भारतीयता के अनुकूल ही यहाँ का वातावरण रहता है।

कला-मन्दन में पुस्तकालय तथा सुप्राहारण है, जिनमें भारत तथा अन्य देशों की वस्तुएँ भी रहती हैं। यहाँ उच्च कोटि की चिकित्सा-सम्बन्धी विज्ञा भी जाती है। यह सर्वीत तथा सूत्य-शिक्षण का भी उच्चकोटि का चेन्ड्र है।

इसके अतिरिक्त ज्ञानिनिषेतन में गहराई दुकान, विज्ञीश्वर, अस्पताल, अतिथियादा आदि भी हैं।

विज्ञमार्गी के द्वारे अग श्रीनिवेतन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

१. ग्रामवापियों में इनि देते हुए उन्होंने समस्याओं का उचित हल करना।
२. ऐसी प्रयोगशालाएँ तथा शास्त्रार्थ सोन्ना जौ गांवों की समस्याओं का अध्ययन करे, तथा धृष्टिसम्बन्धी प्रयोग करें।
३. ज्ञान के अध्ययन तथा प्रयोगशाला के प्रयोगों से डॉ. जान प्राप्त हो उससे ग्रामवापियों की सहाद, कृपि, व्यास्था आदि का गुधार बरना।

श्रीनिवेतन का कार्य ग्राम-मुधार, कृपि, उच्चीग, विज्ञा आदि विभागों में विभागित है। श्रीनिवेतन में महाराजी संसारे स्थापित करने, रोग-निवारण, प्रौढ-विज्ञा, वाणिज वाणिज का व्यवस्थापन करना, गामजिक उत्थान के कार्य करना आदि अनेक प्रमार के ग्राम-जेवा तथा सुधार के कार्य किये जाते हैं। इसमें विज्ञमार्गी के ज्ञानिनिषेतन एवं श्रीनिवेतन वी विभिन्न परीक्षाओं तथा पाठ्यक्रम आदि वी व्यवस्था विज्ञमार्गी जैसे यहाँ वी परीक्षाएँ होती थीं।

विज्ञमार्गी के कार्यों, विज्ञा की व्यवस्था आदि के उत्तरान् विवरण में हम यह सर्व सामन होता है कि यहाँ वी विज्ञा भारतीय वातावरण के अनुकूल होना प्रवर्त अनुपर व्या जीवन के माध्यम में दी जाती है। यहाँ के विज्ञा-सम्बन्धी सभी कार्य देश व्या गांवों के सुधार के देशु स्थित जाते हैं। इनका मी

बुनियादी शिक्षा के विभिन्न प्रयोगों में...योगदान :::: २०९

ध्येय समाज में देशेश्वरति के लिए आवश्यक परिवर्तन लाना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वभागती तथा बुनियादी शिक्षा के मिलानों में साम्य है तथा दोनों एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो धार्मिक रूप में भारतीय हो तथा वी समानता, भाईचारे की भावना, सहयोग तथा न्वर्तत्वता पर आधारित हों। इस प्रकार हम कह मरकते हैं कि दोनों एक ही पथ के परिक देखते हैं तथा विश्वभागती का शिक्षा-सम्बन्धी प्रयोग बुनियादी शिक्षा में ही सम्बन्धित एक प्रयोग है।

जामिया मिलिया दिल्ली

जामिया मिलिया की स्थापना सन् १९२० में २० अक्टूबर को अंग्रेजी में हुई थी। प्रारम्भ में इसे केंट्रीय विद्यालय कोटो ने सहायता मिलती थी। इसके कार्यकर्ता न्वर्त पूर्ण न्वत्र दोनों के लिए अलग से एक पण्ड स्थापित करना चाहते थे। लगातार प्रयोगों के बाद भी इसे धन की कमी बनी रही तथा फलस्वरूप यह स्थाया दृष्टानुग्राह विकसित न हो सकी। * जुलाई सन् १९२५ को जामिया मिलिया संस्था अंग्रेजी में शिल्पी लाइब्रेरी में उत्पन्न हो गई। उस से यह दिल्ली में ही स्थित है।

जामिया में पहिले एक महाविद्यालय संघ एक शाला थी। इनके अंतिरिक्ष दिल्ली में एक शाला थाला, पेशावर और ग़ढ़ में एक-एक हाईस्कूल जामिया ने स्थापित थे। अब इनका विनायर एक विश्वविद्यालय के रूप में हो गया है। जामिया वी विदेशी वर्दों की धार्मिक शिक्षा थी जो सुदूरके लिए अनिवार्य है जाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान। हिन्दुओं को संकृत, धर्मशास्त्र, भगवद्गीता, रामायण आदि पढ़ाये जाते हैं।

बुनियादी शिक्षा की हाई से जामिया मिलिया एक बहुत महत्वपूर्ण केन्द्र गठा है। हिन्दुओं तात्त्वीयी मंद के बाद जामिया का नाम ही बुनियादी शिक्षा के प्रयोग की हाई से महत्वपूर्ण है। आजस्त यड़ों बुनियादी शिक्षा के लिये दो प्रश्न के पाठ्यक्रम चाहे रहे हैं : (१) स्नातकों के लिए उच्च पाठ्यक्रम तथा (२) मेंट्रियल-उच्चीयों के लिए निम्नांचित पाठ्यक्रम हैं :

जामिया अनेक वर्दों ने बुनियादी शिक्षा के लिए में स्नातक-स्नातक वे प्रयोग

२१० :: भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारणाएँ

कर रहा है। यहाँ आसाम, बम्बई, राजस्थान, पंजाब, मध्यभारत, उत्तरप्रदेश

आदि राज्यों से स्नातक शिक्षक युनियांडी के प्रशिक्षण की स्नातकों के लिए भेजे जाते रहे हैं। जामिया के स्नातक शिक्षक-प्रशिक्षण को दूसरे पाठ्यक्रम अंग्रेजीय भरकार ने १९५० में मान्यता दी थी। दब से इस सम्या में भरती के लिए अधिक भीड़ होने लगी।

जामिया गार्ड के स्नातक कोर्स ने भीनियर वैसिक शालाओं के शिक्षकों, निरीधर्यों, युनियांडी प्रशिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों तथा निरीक्षकों को प्रशिक्षण मिलता है। प्रारम्भ में तो युनियांडी शिक्षा के सिद्धान्त तथा विधियों से परिचित कहाया जाता है तथा याट में विदेशीहृत कोर्स में प्रशिक्षण उनके इच्छानुकूल दिया जाता है।

यह पाठ्यक्रम मैट्रिक गार्ड ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो शैक्षणिक कार्य करना चाहते हैं। यिन्हें युछ वर्षों में इग्नोरी कापी तृदि हुई है। इस पाठ्यक्रम में

गिडान्त, घनव्याहार तथा मूलोद्योग—तीनों प्रकार की शिक्षा मैट्रिक उच्चीर्ण पर समान बल दिया जाता है। इसमें वार्य ढारा शिक्षा के लिए निम्न तथा उद्योग तथा शिक्षा-मनोविज्ञान को अधिक महत्व पाठ्यक्रम दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम में इस बात पर हमेशा ध्यान दिया जाता है कि शिक्षा किस प्रकार नवोन सामाजिक रचना लाने में सहायता हो गती है। इसमें प्रशिक्षार्थी सुनागारिक बनते हैं।

यहाँ गमी के लिए दो मूलोद्योग अनियार्थ हैं—(१) वतार्द राया (२) शूषि। इनके साथ-साथ अनेक गोण उद्योगों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ भी यहाँ हैं—जैसे बहाई-सुनार्ह, बाटुचोर्ह तथा गने का काम, यागायानी तथा शूषि, लाटडी का बाम, बागज का बाम, मिट्टी का काम आदि। प्रतिदिन आधा गमण उद्योग तथा आपा गमण गैदान्तिक तथा व्यावहारिक शिक्षण में व्यवस्थित जाता है।

मूलज्ञान के लिए गैदान्तिक, व्यावहारिक तथा उद्योग परीक्षा पर यह वर्ष अहं रहे गए हैं। इस प्राप्त यहाँ तीनों को एक-जा महत्व दिया गया।

है। व्यावहारिक तथा मित्रवर्तिता का यहाँ पूर्ण व्यान रखा जाता है। यहाँ भी निर्मित अनेक वस्तुओं की व्यपत्र संस्था में ही ही जाती है।

इन दो प्रकार के पाठ्यक्रमों तथा प्रशिक्षण के अतिरिक्त जामिया संस्था अन्यकालीन बुनियादी का प्रशिक्षण तथा संगोष्ठियों का आयोजन भी करती है। इनमें विभिन्न राज्यों में शिक्षक तथा शिक्षाविकारी आते हैं।

इसके साथ-साथ यहाँ बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी साहित्य निर्माण, शोध-कार्य, प्रयोग आदि भी चलते रहते हैं। इन प्रकार जामिया बुनियादी शिक्षा का एक बहुत ही मन्त्वपूर्ण केन्द्र है।

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ गौड़ीजी द्वारा सन् १९३७ में प्रतिषादित बुनियादी शिक्षा के लिदान्तों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करनेवाली एक धैर्यगिक संस्था है। इसकी स्थापना सन् १९३८ में अग्रिम भारतीय कानून के प्रस्ताव के पास होने पर भेवान्नाम में बुनियादी शिक्षा के प्रयोग तथा उसमें सम्बन्धित शोध कार्य करने के लिए की गई थी। सन् १९३८ के उपरान्त यह तालीमी संघ श्री आर्यनानन्दकुमारी अध्यक्षता में भेवान्नाम तथा आमदाम अपनी निजी शालाएँ तथा प्रशिक्षण संस्थाएँ चला रहा है। यह देश में कहाँ सी चल रहे बुनियादी शिक्षा-सम्बन्धी प्रयोगों में सहायता देता तथा उचित भार्गदर्शन करता है। सरकारी तथा गैर-सरकारी सभी प्रकार के शिक्षा में सम्बन्धित विभागों में यह सहयोग करता तथा विभिन्न राज्यों में भेजे गए शिक्षकों और अधिकारियों को बुनियादी में प्रशिक्षण देता है। इस प्रकार प्रारम्भ में ही तालीमी सरदारों प्रकार के उत्तराधिकारी को बढ़ान करता रहा है।

२. अपनी गंधारी, रथान्ति वर्क स्वयं प्रयोग करना, उनमें संगोष्ठन तथा विभिन्न शिखियों का निर्माण करके उन्हें इन गंधारों में स्थान प्रदान करना। यह सर संसद भेवान्नाम तथा आमदाम के बाल्डों तथा ग्रामीण नामाविक जीवन के गमर्फे के अनुमति के भाष्यार पर करना चाहा है।

२. अपने कार्यक्रम के अनुभवों के द्वारा देश की सरकारी तथा नैर-सुरकारी बुनियादी संस्थाओं का उचित सार्वदर्शन करना।

तो ऐसी सेव को ये दोनों कार्य परस्पर एक-दूसरे से सम्बन्धित है। आज सेव के गमाज के पास सेवाग्राम में १०० प्र०० एकड़ भूमि है। इस भूमि पर उत्पादन करके भी यहाँ की सहार्ह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मई १९५३ में यहाँ एक दौरी भी प्रारम्भ की गई थी। इससे सब की सहायों की दूध, मटा, दही वी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा अतिरिक्त दूध दही से धी तैयार किया जाता है। सेवाग्राम में इन सभी उद्योगों को चलाने तथा आवश्यकता पड़ने पर औंजारो आदि की मरम्मत के लिए कार्यगताएँ भी हैं।

गन् १९४३ में सेवाग्राम तथा देश के अन्य धोनों में विशेषतः विहार में दानों ने बुनियादी का अद्वयीय शिक्षण पूर्ण कर लिया था तथा इनमें से कुछ उत्तर-बुनियादी तात्त्वीम प्राप्त करना चाहते थे। इस दृष्टि से १६ से १९ वर्ष के युवकों के लिए उत्तर-बुनियादी शिक्षा देने के लिए यहाँ एक उत्तर-बुनियादी भवन की स्थापना की गई। गन् १९५१ तथा १९५२ में एक एक दल वार्षीय उत्तर-बुनियादी पाठ्यनाम पूर्ण करके यहाँ में निकला। उत्तर बुनियादी तात्त्वीम का ऐसा बुनियादी शिक्षा के समान केवल शिक्षकों वी समख्याद तथा कुछ ऊपरी ग्रन्त निमालना-मात्र नहीं है। यहाँ उत्तर-बुनियादी संस्था तो एक 'खूनी गाँव' है जहाँ शिक्षक तथा शिक्षार्थी अपना एक समाज बनाकर रहते हैं। याँ ६५ प्रतिशत जीवन का रसायनमूलन प्राप्त हो सका है। यहाँ इसी मृदोवांग के रूप में लियाई जाती है तथा बालक को ग्रोद जीवन के उत्तराधिकारों का ज्ञान तथा प्रगतिशाली दिया जाता है।

गन् १९४९ में प्रधान मंत्री पद्मिनी ज्याहरलाल नेहरू के आग्रह पर तात्त्वीमी सर ने वर्षीदावाद तथा गजयुग में विश्वाशियों के शिक्षा-केन्द्रों वी स्थापना का काम अपने हाथ में लिया। अब यहाँ आदर्श ग्राम स्थापित हुए हैं। यह ग्राम के लिए नई तात्त्वीमे एवं नये प्रयोग का अवगत था, क्योंकि इन स्थानों में कुरारी, कह द्वारे हुए विश्वाशियों के गमाज में नई तात्त्वीम के गिरान्ती के प्रयोग किये गए।

गन् १९५० में विश्वाशियाशीन शिक्षा ना बुनियादी तात्त्वीम के द्वेष में

स्थान तथा स्वरूप पर बहुत अधिक चर्चा होने लगी। मन् १९४८ में राधा-कृष्णन् कमीशन ने अपने प्राविदेन में ग्रामीण विद्यविद्यालयों पर अधिक वल दिया था। इसमें टा० मार्गन ने बड़ा योग दिया था। अतः सन् १९५१ में सातवें अधिन्द भारतीय शुनियादी विद्या-सम्मेलन में शुनियादी विद्या में विद्यविद्यालयीन निकाय का विषय बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इस सम्मेलन के उपरान्त तालीमी संघ ने मेवायाम में विद्यविद्यालयों विद्यालय की याजना बनाने के हेतु 'उच्च शिक्षा उपसमिति' का निर्माण किया। इस प्रकार उच्च शिक्षा को शुनियादी तालीम तथा महात्मा गांधी के उच्च विद्या-भूम्यन्धी विचारों से समन्वित करने का प्रयत्न किया गया। इस घेय में इस समिति ने निम्नान्वित सात विद्या तथा औध के केन्द्र चुने, जिन्हें तालीमी मंथन ने मान्यता दी :

१. कृषि।
२. पशुप्रबन्धन तथा डंरी।
३. ग्रामीण इंजीनियरिंग।
४. ग्रामीण उद्योग (ग्रामीण विद्या)।
५. ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य।
६. भोजन टेक्नालॉजी तथा पोषण।
७. ग्रामीण शिक्षा।

इस प्रकार १९५२ में उत्तम शुनियादी विद्या का गूढ़वात १८ युवकों की भरती गई हुआ।

प्रारम्भ से ही यालीमी मंथन शुनियादी विद्याओं के लिए विभिन्नों के तथा विद्यारियों व अधिकारियों के प्रशिक्षण में सम्बन्धित रहा है। सब का नदे तालीम भवन विद्यारीय वार्ष की समस्याओं के हल का केन्द्र रहा है। १९४२ के बाद से यहाँ नियमित रूप से बी० टी० वा उसके समरूप विद्याका विद्यालय-प्रशिक्षण स्नातक विद्यकों को दिया जाता रहा है। यहाँ शुनियादी विद्या में प्रशिक्षित होने के लिए विभिन्न गण्डों तथा निर्जी मंस्थाओं से विभक्त तथा अधिकारी-गण भेजे जाते रहे हैं। इनके भाष्य-भाग शुनियादी शास्त्रों के लिए आठवीं पाठ विभागों तथा विभिन्न विद्याओं के प्रशिक्षण की वक्ष्यता है।

२१४ : : : भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराएँ

तातीमी रथ का यह सौभाग्य रहा है कि इसे अन्तर्राष्ट्रीय समर्क के अवगत प्रारम्भ से ही मिलते रहे हैं तथा वहाँ के कार्यकर्ता भी विदेशों में गये हैं।

गांधीग्राम

अक्टूबर सन् १९४७ में चिन्नलम्बी ग्राम के कुछ सजनों द्वारा दान दी गई जमीन पर गांधीग्राम की स्थापना हुई थी। इसका उदादान श्री बाल गगाधर देव बघई के तत्कालीन मुख्य मन्त्री द्वारा हुआ था। प्रारम्भ में यदों महिल बुनियादी प्रशिक्षण शाला और कल्याण ग्राम ऐनिका विद्यालय ही थे। अब यह संस्था रननात्मक स्थायों की एक समन्वित संस्था बन गई है। उन् १९५४ में इसके पास ३११२५ एकड़ जमीन थी। अब तो इसके कर्द लाप लागत के मकान हैं। इस पर ५० हजार मकान और घर गण हैं।

गांधीग्राम की साड़ियों प्रतिदूर हैं। यहाँ करवे चलते तथा कताई केन्द्र भी है। गांधीग्राम में सन् १९५४ तक ३००० गुणी यह प्रति मास काता जाता था तथा ३५,००० दूपयों की गाड़ी का उत्पादन होता था। अब तो इसमें पर्यान वृद्धि कर दी गई है।

गांधीग्राम के समन लेन में बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय, जनता कानेज के समान विद्यालय, अम्यास्याला आदि चलते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ दाई प्रशिक्षण, सेविकाश्रम, ग्राम-निर्देशक प्रशिक्षण, गमाज संयोजक प्रशिक्षण, एक रननात्मक कार्यकर्ता घास आदि भी चलते हैं।

गांधीग्राम में इषि पार्म के अतिरिक्त एक गोदाला, बदूंगिरी, दाख वागड़, तेलगानी, मुमुक्षु-गान, मगन चूचा, कुम्हार काम, चमड़ का बाम, गिलाई, चिन्नलम्बी गांव में कल्याण प्रसूतिशृंखला चलता है इसमें स्थी डाक्टर तथा दाहों वार्ग करती है।

गांधीग्राम में अस्पताल भाउज तथा गांधीग्राम गास्ट्रिक गर्भाति भी कार्य करती है। यहाँ गर्व-धर्म प्रारंभना चलती है क्योंकि यहाँ गर्भी धर्म के लोग रहते हैं। ग्राम गवरर ने प्रारंभिक राष्ट्र-विद्यालय योजना भी आयोर गाउज में

कार्यान्वयित करने का भार गांधीग्राम को दिया था, जिसे इसने दो शर्प तक हिला।

गांधीग्राम विनार और गङ्गर से कार्य करते हुए गांधीजी के भेदान्वयी की वृद्धि करने के लिए प्रयत्नमानं रहता है। यहाँ पर अनेक प्रान्तों से विद्यालयों अधिकारी, समाज दिक्षा सुगठक तथा निर्यातक, बुनियादी दिक्षा शिक्षक तथा सुगठक प्रशिक्षण के लिए आते हैं। इस प्रवार यह रचनात्मक प्रवृत्तियों का कार्य करते हुए बुनियादी दिक्षा के प्रभार में बहुत महयोग दे रहा है। गांधीग्राम के मन्त्रालय थीं यमज्जनन् तो बुनियादी दिक्षा के माने हुए विद्वान् हैं तथा दक्षिण भारत में बुनियादी दिक्षा के प्रभार तथा विकास में इनका प्रमुख हाथ रहा है। ये केन्द्रीय भरपार द्वारा १९५५ में बुनियादी दिक्षा की जाँच तथा सुसाय देने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष भी थे।

प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा

अर्थ

प्रौढ़ या समाज-शिक्षा क्या है इस सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। इसका कारण यह है कि विभिन्न समाजों में इसका अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न अर्थ लगाया जाता है। प्रौढ़ या समाज-शिक्षा का विभिन्न अन्दोर्द्वय से यहुत आधुनिक है पर इसका प्रचार यहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। अमर्य तथा जगती जातियों में भी प्रौढ़ या समाज शिक्षा रीति-रिवाजों, परम्पराओं आदि का शान देने के रूप में चला चरती है। इस प्रकार अपनी गहराई का संरक्षण तथा उसका अपनी आनेवाली पोटी को इमान्तरण किया जाता है। प्रौढ़-शिक्षा तथा समाज-शिक्षा का सामाजिक-साहृदारीक आधार कितना रहा है यह तो निश्चित नहीं कहा जा सकता पर प्राचीन काल से आज तक इसके अर्थ और स्वरूप में वडा परिवर्तन तथा विकास हुआ है, इसकी विधियों, उद्देश्यों आदि में भी यहुत परिवर्तन हो रहे हैं।

प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा वीरभाषा भी गमय के अनुसार बदलती रही है। प्राचीन काल में प्रौढ़-शिक्षा का अर्थ जमाज तथा सहृदारी-गमनन्धी वालों का शान करने तक ही सीमित रहता था। इसमें प्रौढ़ की शक्तियों, प्रशुलियों एवं व्यक्तियों के स्वतन्त्र विकास की कोई व्येषण नहीं की जाती थी। समाज तथा गहराई का संरक्षण ही प्रमुख था। चर्तमान काल में इसका यहुत विस्तृत अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रौढ़ शिक्षा उन गमी गति विधियों को ही मानता है जो मानव के डारा शीघ्रगिक उद्देश्य से जीवन से सम्बन्धित कार्यों के लिए रही जाती हैं तथा जिनके लिए अन्यकाल का गमय तथा दृष्टि ही नहीं लाई जाती है। अन्य विद्वान् इसे बोर्ड वडा कार्य न गमणने हुए, जिन अनिवार्यता ने व्यक्तियों के विकास के लिए गोदानप्रपत्तियों को ही प्रौढ़-शिक्षा मानते

है। इस प्रकार आजकल प्रौढ़-शिक्षा वहुत विस्तृत अर्थे रखती है। मन्त्रकाल में हखरा अर्थ के बहुत साधनता से था। परं अब तो साधनता दूसरा ऐसा साधन-प्राप्त रह गई है।

प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा की आवश्यकता

आज सामाजिक जीवन बड़ा जटिल होता जा रहा है। दूसरे हमारे आवश्यकताएँ भी यह गई हैं तथा जीवन की जटिलता भी। इस जटिलता तथा विविधता के जीवन को मुचाकर हूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि नियोजन किया जाये। नियोजन—आर्थिक, सामाजिक, तथा राजनीतिक—सभी प्रकार का आवश्यक है। नियोजन—एवं, यद्यु तथा अन्तर्गत—सभी सारे पर दिया जाना आवश्यक है।

विज्ञान के विशाल से जीवन में परिवर्तन भी अर्द्धक तथा शीघ्रता से हो रहे हैं। इस परिवर्तनसंगत जगत में अपने घटनाएँ बातावरण तथा परिवर्तनियों से उचित संमति (adjustment) करने की धमती का विकास करना भी आवश्यक है।

हमारे समाज में वही सद्गति में बेशार बनकि पायी जाने हैं। इनकी उचित शिक्षा के लिए भी प्रौढ़ तथा समाज शिक्षा आवश्यक है। जो व्यक्ति बार-नामों एवं घटनाओं में काम कर रहे हैं उनकी व्याकुन्तरित कुशलता तथा कीदूष बदाने, उनसे असर धोने के नये ज्ञान तथा प्रवृत्तियों से परिवर्तित करने के लिए भी प्रौढ़ तथा समाज शिक्षा आवश्यक है।

महीनों तथा विज्ञान के उत्तरोत्तर से नोयों के काम जीवी तथा प्रस्तुती उठा गमन रही रहते हैं। अतः उनके पाये अनुकाय का समय भी बहुत अर्द्धक बनते रहते हैं। इस अनुकाय के गुमान के गुमानों के लिए तथा विभिन्न रूपों का विज्ञान करके योगों के लंबन को मुकर और सुमो बनाने के लिए भी प्रौढ़ तथा समाज शिक्षा आवश्यक है।

प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा हमारे समाज में रहनेवाले अनेक प्रकार के विकासांग दर्शाने के लिए भी आवश्यक है। आज विज्ञान ने हमारे ज्ञानस्त्रे में सुगम फूरने तथा दीमारीदों में दबने के अनेक गतिप्रस्तुत दिये।

बोया आयु बहुत बढ़ गई है। फलस्वरूप समाज में दिन-पर-दिन घूटे लोगों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इनके अनुभवों से लाभ उठाने, इन बूढ़ों की नवीन परिवासितियों से समंजन करने की क्षमता बढ़ाने तथा इनके जीवन को सुखी बनाये रखने के लिए भी इसकी आवश्यकता है।

हमारे देश में तो जेन के कैदियों की शिक्षा की इतनी अच्छी तथा अधिक व्यवस्था नहीं है पर अन्य सम्प्रदाय तथा निकासित देशों में इस ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह भी प्रीढ़ तथा समाज-शिक्षा का ही एक रूप है।

हमारे देश में सन् १९४७ में स्वतंत्रता-ग्रामी के बाद देश के विभाजन के पलस्वरूप विद्यार्थियों की सख्ता बहुत बढ़ गई है। ये बैचारे हुए तथा कष्ट फैले हुए हैं। ये अपना परवार छोड़कर आये हैं, इनकी आँखों के रामने इनके परवार जलाये गए, रितेदारों को मारा गया तथा महिलाओं की इज्जत लटी गई है। अतः स्वाभाविक है कि इनकी भावनाएँ उद्देशित, परिवर्तित तथा खिल हों। देश के लालों ऐसे विद्यार्थियों को प्रीढ़ तथा समाज-शिक्षा द्वारा सही रास्ते पर लाने की आवश्यकता है। यदि ऐसा न किया गया तो हमारे देश में शान्ति और सुख न हो सकेगा। समाज के व्यक्तियों का व्यावसायिक निर्देशन करना, नौकरी प्रिलाना तथा परामर्श देना प्रीढ़-शिक्षा से ही सम्बन्धित है।

लोकतंत्र की गमत्ता शानदान तथा विवेकी नामस्वरूप पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से भी देश में प्रीढ़-शिक्षा तथा समाज-शिक्षा की आवश्यकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आज प्रीढ़ तथा समाज-शिक्षा पहिले वी अपेक्षा अधिक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है।

प्रीढ़ तथा समाज-शिक्षा के उद्देश्य

प्रीढ़ तथा समाज-शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं—(१) व्यक्ति का वैयक्तिक विकास तथा (२) विकासित सामाजिक नियशण।

व्यक्ति को व्यक्ति के मा में उप्रगत तथा प्रभावशाली बनाना आवश्यक है। इसके लिए उमरें शन, बौद्धन, गोचरन-विचारने की शक्ति, विचेक, भावनाओं, चरित्रों आदि वह समुचित विद्याएं किया जाना आवश्यक है। इनमें व्यक्ति 'ऐसों' के लानवर्गों तथा अपने दैनिक जीवन यी चर्ची से ऊपर उठार शन,

कौशल, अच्छाईं तथा सौन्दर्य के राज्य में पहुँचेगा।^३ पर व्यक्ति के वैयक्तिक विकास का तात्पर्य यह नहीं है कि उसका समाज के अनुकूल विकास न हो। उसका ऐसा वैयक्तिक-विकास करना बाहनीय है जो उसे समाज का उपयोगी तथा प्रभावशाली सदस्य बना दे।

अभी तक प्रीढ़ तथा समाज शिक्षा के कार्य कमी की पूर्ति के रूप में ही होते थे जैसे शाला की शिक्षा को कमी की पूर्ति, अपरंग या विकल्पग द्वाने को कमी की पूर्ति, नागरिक गुणों का विकास, जिससे समाज से उपयुक्त समंजन हो सके, स्वास्थ्य, मनोरजन, आत्म-प्रकाशन आदि की वृद्धि, इच्छों तथा शान की वृद्धि, व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना आदि। इस रुची को और भी बढ़ाया जा सकता है। पर आजस्त शिक्षा को जीवनपर्यन्त चलनेवाली प्रक्रिया माना जाता है। इस दृष्टि से प्रीढ़ तथा समाज-शिक्षा केवल कमी पूर्ति करनेवाली ही नहीं मानी जा सकती। अब तो इसका उद्देश्य व्यक्ति का यथाशक्ति आपनी इच्छों के अनुसार ऐसा वैयक्तिक विकास करना है जो समाज के विकास तथा उन्नति में योग्यक हो।

विश्व में प्रीढ़ तथा समाज-शिक्षा

वैसे तो प्रीढ़ तथा समाज-शिक्षा अपि प्राचीन काल से चली आ रही है, पर विभिन्न देशों में परिस्थिति तथा आवश्यकतानुगार इसने विभिन्न तथा विविध रूप धारण किये हैं। यूरोप में १९वीं सदी में फ्रेनमार्क में प्रीढ़-शिक्षा का कियात्मक रूप किगानों के अन्ते समाज का पुनर्गठन करने के लिए अपनाया गया था। हैंडेंड तथा यूरोप के अन्य औद्योगिक देशों में प्रीढ़-शिक्षा कारीगर नागरिक तथा ट्रेड यूनियन के सदस्य बनने तथा इन लियतियों में अपने बीशुल और शान की वृद्धि करने के लिए दी जाती रही है। जमीनी तथा टेनमार्क में 'कोक शूल' या जमता महाविद्यालय सुवर्णों के लिए रोले गए थे। इनका प्रधानतः योस्त्रिक उद्देश्य ही था। हैंडेंड में पोपुल् मुवमेंट, स्ट्रीट्स में पीपुल् दार्सन्स तथा स्टडी गर्फिट, फ्रान्स में पापुलर ब्लडर तथा 'Ligne-de l'Enseignement', उर्फ़ेस्नोवाइट्स में फ्रन्याल्यों का जल, बापान में द्वौरियन बपाएँ तथा करेगारेंग सूल, विभविद्यालय विनार केन्द्र, मेसिस्को

में कारीगरों की कल्पाएँ प्रोट तथा समाज शिक्षा के विवेर रूप हो हैं। अमेरिका में चेटू इस्टीट्यूशन्स् कम्यूनिटी पब्लिक लायब्रेरी, विश्वविद्यालय विद्यार सेवा, व्यावसायिक स्कूल, टाउन मीटिंग, यंगमेन तथा बोमेन किन्चियन असोसिएशन आर्मी विभिन्न प्रकार से प्रीट तथा समाज-शिक्षा का कार्य किया जाता रहा है। द्वितीय महायुद्ध तथा उसके बाद तो अनेक संगठन इसके लिए चले हैं।

भारत की समस्या

हमारे देश की प्रीट तथा समाज-शिक्षा की समस्या अन्य पास्चात्य देशों से भिन्न है। अन्य देशों में जहाँ प्रीटों को साधर यनाने की समस्या है ही नहीं वहाँ भारत में अशिक्षा के कारण साधरता की समस्या भी है। अन्य देशों में तो १४, १५ या १६ वर्ष तक की आयु तक अनिवार्य रूप से व्यक्तियों को शिक्षा मिल जाती है। हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था अभी नहीं हो रही है। तृतीय पंचवांशीय योजना कानून के अन्त तक भी देश के सभी शासक-शातिकाओं की ६ से ११ वर्ष वी आयु तक शिक्षा सम्बन्ध न हो गरेगी।

इसके साथ-साथ हमारे देश में आगढ़ प्रीटों को संख्या भी अधिक है। हमारे यहाँ देश में विभिन्न भाषाएँ उपयोग में तारे जाती हैं। हमारा देश गाँवों का देश है। गाँवों में तथा यहाँ तक पहुँचने के लिए आवागमन के साधन भी अच्छे तथा समुचित नहीं हैं। हमारे देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य के अच्छे न होने के पालन लग्न तथा मरण का प्रतिशत अधिक है। औपन आयु भी अन्य देशों की ओरेगा कम है। गर्याहो भी हमारे देश में अधिक हैं।

इन गलत कारणों से हमारे देश में प्रीट तथा समाज-शिक्षा की समस्या बहुत कठिन तथा बहुत है। हमारे देश की इस समस्या के हृत के लिए निम्नलिखित पांचों की आवश्यकता है :

१. बहुत अधिक धन।

२. युवाओं तथा प्रविशित शिक्षक।

३. प्रमाणी सभा नमान अधिकर प्रदान करने वाली शिक्षा नीति।

इन गलतों के बहुत पर ही देश के प्रीट-शिक्षा के लिए प्रीट-शिक्षा के स्तर में

हम केवल साक्षरता, मानवी सामान्य ज्ञान तथा सुन्दर दे सकेंगे। पर हसे भी हम बर्तमान में गुण्ठनी समझी जाने वाली प्रौढ़-शिक्षा न कह सकेंगे।

प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा विधियाँ

प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा विधियों विभिन्न स्थानों में विभिन्न ही रहती हैं। ये परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं पर निर्भर रहती हैं। अमेरिका में प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा का पाठ्यक्रम बहुत ही विभिन्न है। वहाँ पाठ्यक्रम के विषय दिन-घर-दिन बदलते ही जा रहे हैं। वहाँ नहं राजि या शाम की शालाओं में विषयों के चुनाव के लिए बहुत अधिक व्यवस्था है। बर्तमान गतिविधियों, गामाजिक, राजनीतिक समस्याएँ, दर्शन, गामाजिक अन्यतन, समाज विज्ञान आदि अनेक नये-नये विषयों के शिक्षण की व्यवस्था वहाँ काफी गुणवत्ता में की जाने रखी है। वकाल बनने की शिक्षा, शार्ट हेड, टाइपिंग, घर-सजावट, फोटोग्राफी, सामाजिक, गामृतिक, नागरिक, आधिक समझाओं वा अध्ययन, नाच, गाना आदि अनेक प्रसार को शिक्षा देनेशाली कक्षाओं में वहाँ काफी भीड़ होती है।

शिक्षण-विधियों के सम्बन्ध में भी उच्चनी शिक्षण-विधियों को लागतर स्वरूप किया, वास्तविक, विनार-विमर्श, प्रतिवेदन, पठन, अक्ष्योक्तन, प्रदर्शन, अत्य, हस्त-सामग्री का उपयोग, योजना आदि विधियों पर ही अधिक बहुत दिया जाता है। इन प्रौढ़ कक्षाओं के शिक्षक प्रायः समाज के इन क्षेत्रों के कुशल कलाकार, शाता तथा कार्यीगर होते हैं। शिक्षक तथा प्रौढ़ का सम्बन्ध गुह-शिक्षा का न होकर एक मिस्र संरेखा होता है। शिक्षा में व्यक्ति के सामाजी-करण द्वारा उनकी प्रवृत्तियों सभा रुचियों के उचित विकास पर अधिक बहुत दिया जाता है।

अन्य यूरोपीय देशों में भी प्रायः इन्हों विधियों वा उपयोग किया जाता है पर वहाँ के पाठ्यक्रम में इतनी विकिष्टता नहीं पाई जाती। इमरे देश के प्रौढ़-शिक्षा तथा समाज शिक्षा पाठ्यक्रम में साधार बनाने-गमन्यी वालों का समारेग आवश्यक है। गाथर बनाने के साथ-नाथ पढ़ने की ओर इन्हि विद्यालय बनाने के लिए गुरुभिष्टां गर्व छोटी पुस्तके पढ़ने की ओर प्रोत्साहन को प्रेरित किया जाएगा।

है। इसके गाथ ही उन्हें देश की योजनाओं, गति-विधियों, कृषि, समाज-उत्थान, नागरिक गुणों आदि से माप्रभित वार्तां का ज्ञान भी कराया जाता है। प्राय-सिक्क तथा मिट्टि शास्त्रों के शिक्षक-शिक्षिकाएँ ही प्रायः शिक्षक का काम करती हैं। विधियों में कठा शिक्षण-पद्धति के साथ विचार-चिमर्दी, बाद-विवाद विधियों वा उपयोग भी किया जाता है। रेडियो, सिनेमा, समाचारपत्रों आदि पा उपयोग भी किया जाता है। पर इनका उपयोग अभी हीमित-सा ही है।

भारत में प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा

हमारे देश में प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा बहुत शान्ति काल से चली आ रही है। समाज में प्रचलित अनेक प्रकार के गत्कार सत्कृति के सरक्षण के लिए ही प्रचलित किये गए थे। हमारे समाज में संन्यासी प्राधीन काल तथा साधु यनना जीवन की चतुर्थ अवस्था में आवश्यकता ही माना जाता रहा है। ये संन्यासी-साधु कभी एक स्थान पर जमकर न रहते थे। ये भजन-कीर्तन करते तथा धूम-धूमकर जनता को उपदेश देने थे। अपने आदर्श जीवन तथा उपदेशों से ये जन-जीवन को उपर बनाते थे। इस प्रकार ये धूमती-किरती पाठशालाएँ ही थीं। आज भी इनका भारतीय जीवन पर काफ़ी प्रभाव है।

मध्यकाल में भारतीय जीवन में युद्ध, वाहर से अनेक जातियों के आने से संगम अधिक रहे हैं। पश्चिमरूप प्राचीन काल से चाहे आये संन्यासियों तथा गायुओं के रूप में जन-नामान्य के जीवन को उन्नत बनाने मध्य बल वाला सौत धीर हो गया। पर वह गणा नहीं, किंवी न-किंवी रूप में बना अन्दर रहा। यदि ऐसा न होता तो अपेक्षा के भारत आने पर उनके प्रागभिक सुग में जो श्रीशिङ्क सौभाग्य हुआ था उसमें देवी शिक्षा की सिंहति २०वीं शताब्दी की सिंहति से अच्छी न मिलती। इसलिए कि इस गोंडला में शुट्टियाँ अवश्य अधिक रही होंगी, पर इसे दिल्लुल निराधार नहीं माना जा सकता है।

अपेक्षा के आने के बाद देवी शिक्षा के नए होने से मारुतीप शिक्षा की वर्ती धरि गुई। जनता निरभार होती गई तथा यातांत्रि के निए नई प्रागभिक

गिराव की भी उत्तरुक व्यवस्था न हो सकी। इन हाइ से यदि हम भारतीय प्रौढ़-
गिरा के इतिहास को देखें तो यह अनेकानुल आधुनिक ही
वर्तमान काल प्रतीत होती है। अब्रेजी ग्रामन-काल में १८५४ के बुह दिसंबर
में जनता के अज्ञनस्थी श्राव को दूर करने का उत्तरण
आया है। पर सम्पूर्ण अब्रेजी ग्रामन-काल में उस समय में आज तक के १००
वर्षों में इस दिग्गज में कोई निश्चय कार्य सम्भव नहीं हो गुजा। दूसरा, मिशन,
शार्चलनिक संस्थाओं आदि के द्वारा स्पान-स्थान में छोट-छोट प्रभाव इस
दिक्षा में अवश्य किये जाते रहे हैं। पर फिर भी यह निश्चय ये कहा जा
सकता है कि २०वीं सदी के पूर्व भारत में प्रौढ़ों को उचित गिरा की व्यवस्था
पर बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया।

१८९८ में ब्राह्मणरोर तथा बड़ीग रियायतों में शहरे तथा गाँवों में
ग्रन्थालय बोले गए, पर इनमें पढ़े-लिये लोगों को ही अदिक् लाभ हुआ। मद्रास
में पहिले-बाल ईगांड पाठ्यसिंग ने भारतीय ईगांड प्रौढ़ों के लाभ के लिए प्रौढ़
शालाएँ नोची। भावनगर में निरक्षरता उन्मूलन के हेतु गुवायली, सहयो
गिरा टर्ड में पुस्तके तीवार की गई थी जो आज भी प्रचारित है। मैसूर के
दीगाम भावितव्यग्राम्या ने १९१२ में मैसूर राज में यात्रि पाठ्यालय
तथा चलने विरते इन्द्रालय की योजना रखाई। पर इनसी मृत्यु के बाद यह
योजना समाप्त हो गई। विद्य-कावि ईगोर ने शान्तिनिरोगन के आवश्यक के
गाँवों में नक्षत्रवर्षों को नक्षायता से प्रौढ़-गिरा के प्रभार में बड़ा योग दिया।

प्रथम बहासुद से भी प्रौढ़-गिरा को बड़ा बड़ा मिला। अनेक रैनिट
प्रौढ़ों में लड़ने गए थे। हाइने पर उभयति करने तथा आगे बढ़ने की इच्छा
उनमें जाएग हर्द। फलस्वरूप यज्ञाव में १९२१ में प्रौढ़-गिरा की यात्रि बाहाय
प्रारम्भ की गई। इसी वीच १९११ के एकट के अनुगार भारत की राज्य-
स्वरूप में वर्स्टरेन हुआ तथा गिरा का काम भारतीय मंत्री देखने रखे।
फलस्वरूप अनियाये गिरा तथा प्रौढ़-गिरा के प्रबन्ध आरम्भ हुए।

पर बास्तव में दिवित द्वारा इस दिग्गज में लभो भी प्रारम्भ नहीं हुआ था।
१९२३ में ईगांड की यात्रों प्रौढ़-गिरा यूनियन ने भी वी० ए० वी० विलियम को
भारतीय प्रौढ़ों की गिरा से गदान्तर के विए भेजा। पन्द्रहवें भारत में शास्त्र-

स्थानों में प्रौढ़-शिक्षा-रामितियों बना रहा अरिहं भारतीय सर की प्रौढ़-शिक्षा-समिति भी गठित हुई। इसकी प्रथम बैठक दिल्ली में सन् १९३८ के मार्च महीने में हुई थी। सन् १९३७ में उबरे पहिले राष्ट्रता-आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। सभी प्राज्ञों में साक्षरता-विषय तथा शिक्षा समाह मनाये गए। इमी समय श्री लोबक ने अनेक भाषाओं में प्रौढ़-शिक्षा के चार्ट बनवाये रहा राष्ट्रता-प्रणार के प्रयान किये।

प्रौढ़-शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आन्दोलन तो १९३९ में बिहार में चला। इस वर्ष लगभग ३ हाल प्रौदी को पटने-लिपने का ज्ञान दिया गया। गया जेन का कार्य तो और भी सराहनीय रहा, जहाँ सभी कौदियों को, जिनकी आरंडीक तथा मानविक दोष न थे, लिखना-पटना सिराया गया। टा० लोबक ने इसकी मुनाफ़ा से प्रशंसा दी है।

गया जेन के बाद तो देश के अनेक प्रान्तों में प्रौढ़-शिक्षा का कार्य आगे यादाया गया। इसका प्रमुख कारण १९३५ के संविधान के अनुसार देश के अनेक प्रान्तों में कान्डेयी मनिमाण्डलों की स्थापना थी। देश के अनेक प्रान्तों में प्रौढ़-शिक्षा का कार्य चल रहा था अतः केन्द्रीय ग्राकार ने इन सभी प्रपत्नों को रामिति करने के लिए दिसंप्तर १९३८ में टा० मैदद महमूद की अधिकता में एक प्रौढ़-शिक्षा रामिति की स्थापना की। इस रामिति ने निम्नलिखित लिखारिएँ दीं :

१. प्रौदी को गाढ़ बनाना।

२. शिक्षित प्रौदी को और अधिक शिक्षा के लिए प्रोलाहित करना तथा मुक्तिपाएँ देना।

३. इन दिग्नदने वाले प्रौदों को उच्च शिक्षा पाने के लिए प्रेरित करना।

दिल्ली महायुद्ध के कारण प्रौढ़-शिक्षा की आरंभन नहीं हुया जा सका, पर ऐना अवश्य अपने भौतिकों की कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से लियने, पटने तथा गणित के ज्ञान को उत्तोरी गणज्ञान रही। इस प्रकार दिल्ली महायुद्ध काल में ऐना ही प्रौढ़-शिक्षा की गर्म प्रमुख तथा किशानी रह गयी है। यानि दीनाय जापिय लिखा और मैग्न प्रौढ़-शिक्षा-परिषद् आपना प्रौढ़-शिक्षा-सम्बन्धी महत्वपूर्ण तथा वर्दमान कार्य परदी रहा।

द्वितीय महायुद्ध के बाद देश की सरसे शृंखला शिक्षा-योजना में, जिसे सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, प्रौढ़-शिक्षा को महत्व दिया गया। इस योजना में १० से ४० वर्ष की आयु के प्राइंटों की शिक्षा-व्यवस्था का प्रावधान है तथा इसके लिए अन्य साधनों के साथ-साथ इस्य अन्य साधनों के उपयोग की चिनारियों की गई है। परं परिस्थिति-वश इस योजना पर कोई विशेष कार्य न हो सका।

सन् १९४७ में स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद सन् १९४८ में अंगिल भारतीय सर की एक प्रौढ़-शिक्षा-समिति की स्थापना थी मोहनलाल सरकारी की अध्यधता में की गई। इस समिति ने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये तथा प्रौढ़-शिक्षा के स्थान पर समाज-शिक्षा का नाम अधिक उपयुक्त समझा। इस समिति ने समाज-शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किये तथा कार्य-प्रणाली और आर्थिक पक्षों पर भी मत व्यक्त किये एवं सुझाव दिये। इन समिति की योजना की अधिकांश घातों को सन् १९४९ की जनवरी में प्रान्तीय शिक्षा-भविधियों की बैठक में स्वीकृत किया गया। कल्पनात्मक अपेक्षा सन् १९४९ में यह योजना कार्यान्वित की गई।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने से समाज-शिक्षा का कार्य और भी तेजी से चला। गामुदायिक विकास रणनीतों में भी समाज शिक्षा कार्य को महत्व दिया गया। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में समाज शिक्षा पर ६ करोड़ रुपया अवय करने का प्रावधान है। देश की इस शृंखला गुमस्ता को देखते हुए यह शृंखला कम प्रतीत होता है।

मध्यप्रदेश में प्रौढ़ और समाज शिक्षा

मध्यप्रदेश मध्यभारत, भोपाल, शिव्यप्रदेश तथा पुणे मध्यप्रदेश के महाकोशल धोन को मिलाकर बना है। महारोगन धोन में प्रौढ़-शिक्षा का कार्य अनेक घातों से चल रहा है। सन् १९४७-४८ की गमाज शिक्षा योजना के पृष्ठ पुणे मध्यप्रदेश में ५० प्रौढ़-शिक्षा कार्यालय चलती थीं, जिन पर प्रतिरां मध्य-प्रदेश शाखा दी हजार रुपय करता था। प्रति प्रौढ़ काला पर ४०/- वार्षिक अव दीते थे, जिनमें ३/- गिराक यो तथा ५/- दीगर ऊपरी रार्न के लिए होते थे। इस काल में प्रौढ़-शिक्षा का कोई निश्चित सार्वत्रम नहीं था। इसके

शिक्षाय भिड़वकाले भी कुछ-न-कुछ कार्य किया करते थे। जयलपुर में ग्रिहिणी राहेंड्रा ने अपने कालेज (ग्रावर्टन) के विद्यार्थियों को आचारास के प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया था। इसी प्रकार से जयलपुर विधोनार्ड घोल्डिकल बालेज तथा हाउवाग महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ने भी अच्छा कार्य किया था।

नन् १९३५ के एक के बाद तो इस धेन में प्रौढ़-शिक्षा का अच्छा कार्य हुआ। सन् १९३८ में रामोलियों, होशगांवाद में श्री आर० एम० चेतनिह ने मरणप्रदेश तथा बरार को प्रौढ़-शिक्षा यूनियन की बैठक बुलाई थी। इसके बाद प्रौढ़ कार्याएँ न्योटी गई तथा कार्य आगे बढ़ा। पर द्वितीय महायुद्ध के बारण प्रशति पर रुक गई।

नन् १९४७ में मध्यप्रदेश सरकार ने समाज-शिक्षा योजना बनाई तथा उसे रान् १९४८ से कार्यान्वित किया गया। इस योजना के अनुसार समूर्ज धेन में समाज-शिक्षा कार्याएँ तथा सभ्र नहे। इस योजना के बाद ही विधिवत कार्य हुआ। इस योजना का पाठ्यक्रम निर्दित था, वर्ष में दो माह तथा ६-६ माह के सब्र हुआ करते थे। प्रारम्भ में एक प्रौढ़ को उत्तीर्ण कराने पर २) तथा एक प्रौढ़ को उत्तीर्ण कराने पर ५) शिक्षकों को दिया जाता था। बाद में यह कम कर दिया और मासिक भत्ता दिया जाने लगा। प्रौढ़-शिक्षा के लिए गमन-नित गाहित भी तैयार किया गया तथा मिनेमा, रेडियो, पांस्टर, मेजिङ लाल्डेन आदि इश्य और अन्य साधनों का उपयोग भी प्रयुक्ता से हुआ। पहले समाज-शिक्षा का कार्य, शिक्षा-विभाग के अन्तर्गत ही था। पर अब इसे समाज-वल्याण-विभाग का अंग बना दिया गया है।

नन् १९५७ में भोपाल धेन में कुन मिलाफर ६५ (५० पुष्ट तथा १५ मरिदा) प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा के फेन्द्र थे। इन फेन्द्रों के कार्य को देखरेत ४ विधायक बरते थे, जो दिन की बाल्कों को पढ़ाते तथा उन्हें को प्रौढ़ों को। इसके अतिरिक्त एक जनता मदाविद्यालय गाँधी में तथा ५ आदर्श समाज यूनियन, एक फेन्द्री और मन्दिर द्वारा देखरता था। इनका कार्य एक समाज शिक्षा गणराज विभाग द्वारा नियोजित देखरता था।

मध्यमारत धेन में समाज शिक्षा का कार्य विभाग योजना के अन्तर्गत

प्रारम्भ किया गया था। इस ध्वेत में अन् १९५३ में दो प्रकार के समाज-शिक्षा केन्द्र थे :

१. अहंकारीन समाज-शिक्षा-केन्द्र।

२. पूर्णकालिक समाज शिक्षा-केन्द्र।

अन्यस्थालीन केन्द्रों में शिशुक या न्यानोय शिक्षित व्यक्ति श्रीड़ कलाएँ जगाया था। उसे १०] प्रति मास अलाउन्य तथा ८] प्रति केन्द्र दीगर व्यव के लिए दिये जाते थे।

पूर्णकालिक केन्द्रों में पूर्ण वैतनिक व्यक्ति कार्य को देखरेख करते थे। इनमें श्रीड़-शिक्षा गत्र ४ माह का चलता था। इन अवधि के बाद परीक्षा होती तथा प्रमाणपत्र दिये जाते थे।

इस क्षेत्र में श्रीड़-शिक्षा के इस पाठ्यनम की पढाई के बाद वी शिक्षा के लिए भी पाठ्यक्रम बनाया गया था, जिसमें नागरिकता, स्वास्थ्य, सुसाई आदि से सम्बन्धित जानकारी के विषय रहते थे।

नवगाथुर श्रीड़ों को पुनः निराकार न होने देने के उद्देश्य में इस क्षेत्र में के आमीण क्षेत्रों में ४१८ ग्रन्थालय तथा २७७ पट्टन कमर्यों की स्थापना सरकार द्वारा अन् १९५७ तक की गई थी। टवरा में एक केन्द्रीय ग्रन्थालय की स्थापना भी की गई है। इसके अन्तर्गत ५० चलते-प्रिये ग्रन्थालय टवरा के आसपास ५ मील के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन ग्रन्थालयों को देखरेख करनेवाले कार्यकार्ताओं की १०] प्रति माह अलाउन्य दिया जाता है।

अन् १९५६ में पुस्तकों, चार्ट, समाचारपत्र आदि पर २,११,८६० रुपये गर्व हिते गए थे। प्रनायादि के लिए तीन मोटरों भी भृत्यभारत के तीन गम्भारों के लिए हैं। इनमें दृष्ट-अन्न गाम्भीर है। टवरा गान्दुदारिक विद्यालय गार्ड में ५ गान्दुदारिक केन्द्र भी हैं। इनमें गान्दुदारिक संगठक तथा क्षेत्र अधिकारी कार्य करते हैं। प्रत्येक जिले में एक-एक शास्त्र से संबंध गान्दुदारिक केन्द्र भी है।

यहाँ के विष्यवदेश क्षेत्र में समाज-शिक्षा का कार्य १९५२ से प्रारम्भ हुआ। इस क्षेत्र के ८ ज़िलों के लिए एक समाज-शिक्षा अधिकारी तथा प्रत्येक दो ज़िलों के लिए चार ज़िला समाज-शिक्षा अधिकारी नियुक्त किये गए थे।

धेन के तहसील केन्द्र में समाज-शिक्षा का कार्य करने के लिए समाज शिक्षा केन्द्र प्रारम्भ किये गए। प्रत्येक केन्द्र में एक पूर्णकालिक शिक्षक या कार्यकर्ता रहा राया। ये समाज-शिक्षा केन्द्र पढाई की कथाएँ, भास्तुतिक कार्यभग, अमदान, सफाई के कार्यक्रम तथा अनेक विकास कार्यक्रम करते थे। इस प्रकार ये केन्द्र सुधार के केन्द्र बन गए। इस धेन में सन् १९५५-५६ में समाज-शिक्षा पर २३,००० रुपए व्यय किये गए थे।

इस धेन के प्रत्येक कानूनगो धेन के लिए एक-एक रात्रि ग्रीष्म शात्रा की व्यवस्था भी की गई। इस प्रकार इस धेन में २५० ऐसी शात्राएँ चलती हैं, इनमें ६ माह का सब चलता है। जब एक गाँव के ग्रोड शिक्षित हो सुकते हैं तो वह शाला पाठ के अन्य गाँव को चली जाती है। ये शालाएँ प्रायः ग्रामीण या दुनियादी शाला के शिक्षकों द्वारा चलाई जाती हैं। इन शालाओं में हाजिरी के आधार पर प्रति ग्रीष्म १० रुपया या अधिक-अधिक ३० रुपया या अधिक दूसरी रात्रियों में भी ऐसी ही रात्रि शालाएँ चलती हैं। यहाँ शिक्षकों की प्रतिमाह १० रुपया से १५ तक अप्रतिम दिया जाता है।

समाज-शिक्षा तथा यूनेस्को

अधिकार या कम शिक्षित जनता में न केवल स्थानीय समाज या देश को हानि होती है बरन् इसले विश्व-शान्ति के भग होने का भय भी रहता है। प्रचार के शाखाओं की कृदि ऐसे तो पह दर और भी अधिक बढ़ गया है। इसी दृष्टि से गुजरात में शिक्षा-प्रसार के द्वेषु अनेक अन्तर्राष्ट्रीय गंतव्याएँ कार्य कर रही हैं जिनमें यूनेस्को प्रमुख है। यह गुजरात के कम-शिक्षा-प्रसार कानून धेनों में शिक्षा-प्रसार के प्रबन्ध करती है। इसके अन्तर्गत इन धेनों को जनता के लिए निम्नतम विद्या की व्यवस्था के प्रबन्ध किये जाते हैं।

यूनेस्को गंतव्य ने संग्राम के विभिन्न देशों में गांधी-गांधी और कई दी गगना भी की है। इससे यह पा चला है कि संग्राम के दो निटाई गांधी समाजारप्र पड़ने की उम्मा भी नदो गमते हैं। गुजरात में गांधी लोगों की

संख्या में वृद्धि अवश्य हुर्दे है पर जनसंख्या की द्रुतगति में वृद्धि होने के कारण निरधार्यों को संख्या घटने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।

३० दूसरे इत्यान्मुक्त, जो यूनेस्को के द्वादशवटर जनरल हैं, कथन है कि हमारी निरधारना के विशद प्रगति बहुत धीमी है। यह हम निराशर्गों की संख्या कम करना चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित तीन उपाय करना चाहिए:

१. जनसंख्या की वृद्धि को रोकना।
२. ग्रामीक शालाओं में विद्यार्थियों की संख्या घटाना।
३. सक्रिय कार्यों से निरक्षर प्रीडों की संख्या कम करना।

यूनेस्को संख्या निरक्षरता का अध्ययन करके शीम भाऊर बनाने की विवियों का अध्ययन घर रही है। भागत, कम्बोडिया, मिय, कांसिया, पेर, थाइलैंड, तुर्की, वियतनाम आदि देशों में यूनेस्को की सहायता से ग्रामरता तथा मूल गिज़ा-प्रभार का कार्य चल रहा है।

नवजागरण के लिए गाहिन्द तैयार करने के हेतु यूनेस्को ने अमिन भारतीय प्रौढ़-शिक्षा-गंथ को पर्याप्त व्याख्या दी है। भारतीय प्रौढ़-शिक्षा-मुद्र ने इस सम्बन्ध में एक समांडि का आवोलन किया या इसमें गाहिन्द-मुर, विरप आदि के सम्बन्ध में निर्गम किये गए थे। इसमें नवजागरण के गियरों की गदानार्थ निर्देश पुनिया तैयार करने के सम्बन्ध में भी निर्गम किये गए थे।

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्णीय योजनाओं में शिक्षा

संभार के अन्य देशों की सुलभा में हमारे देश की शिक्षा-सुविधाएँ अपराह्न हैं। हमारे देश में केवल १७०२ प्रतिशत बालों को ही शिक्षा प्राप्त हो सकते हैं जब कि इंग्लैण्ड, अमेरिका, रूस आदि देशों में ८० से ९५ प्रतिशत बोल्ड शिक्षित हैं। हमारे देश ने ट्रोकत्रोप्रधर्मनिररोपण गणतन्त्र होने का निश्चय किया है। अतः जैसा कि योजना आयोग ने कहा है यह आवश्यक है कि देश में जनताविक प्रगती को समर्पित बनाने तथा उसे सुरक्षा और समृद्ध करने के लिए देशवासियों को अधिक-से-अधिक शिक्षा-सुविधाएँ प्रदान की जायें। हमसे जनता की साहस्रित तथा सूजनात्मक प्रवृत्तियों का परिकार और पोषण होगा, उसमें नागरिक गुण विकसित होंगे, तथा उचित विवेक एवं बौद्धिक सहस्रोग प्राप्त होगा। इसी उद्देश्य से पंचवर्णीय योजनाओं को कार्यान्वयित किया गया है, जिसमें शिक्षा-व्यवस्था भी है।

प्रथम पंचवर्णीय योजना में शिक्षा

योजना आयोग ने तन्वार्दीन शिक्षा-नायनी आवश्यकताओं तथा देश के साधनों का विचार करके शासन को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रेरित किये हैं :

- (१) बुनियादी तथा जामाजिक शिक्षा का प्रशार। ग्रामिष्ठ देश व्यावसा-रिह शिक्षा को नया और परिसार्जित रूप देना।
- (२) माध्यमिक तथा विद्यविद्यालयीन शिक्षा को मुख्यस्थिति और टीक करके इन स्तरों की शिक्षा को ग्रामीण थेनों की आवश्यकतानुभार परिवर्तित बरना।
- (३) देश में स्त्री-शिक्षा का प्रशार। ग्रामीण थेनों में हमरी अधिक-से-अधिक सुविधाएँ प्रदान परना।

- (५) शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में अच्छा सम्बन्ध स्थापित करना।
- (६) शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित स्वयंस्था करना और बुनियादी तथा महिला शिक्षकों के लिए इन सुविधाओं का विनार करना।
- (७) शिक्षा में रिट्रैट राज्यों में शिक्षा-प्रसार को अधिक सुविधाएं देना।

योजना आयोग का विचार या कि शिक्षा को योजनाओं में प्रायमिक शिक्षा, विशेषकर बुनियादी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बुनियादी शिक्षा के प्रभार से माध्यमिक भर पर विसाम आप-से-आप होगा। उच्च शिक्षा के प्रभार की अपेक्षा उसे टोम तथा सुव्यवस्थित करके भर सुधारने की आवश्यकता अविक्षित है। माध्य-ही-माध्य शिक्षा के विभिन्न भरों में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने पर भी उन्होंने बहु दिया। योजना आयोग ने विज्ञविश्वालयों का पर अक्षर रोकने, पर्यायों को अधिक भवन्न न देने, देश की सात्कृतिक उत्तरति के लिए प्रयत्न करने पर अधिक ध्यान देना उत्तरोर्मी चलन्तरा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा-योजना के लक्ष्य

शिक्षा के विभिन्न भरों पर प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में निम्नलिखित लक्ष्य-प्राप्ति की आशा की गई थी :

	५०-५१	५५-५६
१. प्रायमिक विद्यालय	१५३.१ लाख	१८३.१ लाख
२. जूनियर बुनियादी शाखाओं में शिक्षार्थी	२९ लाख	५२.८ लाख
३. माध्यमिक शाखाओं में सालक	२१८ लाख	४३९ लाख
४. प्राविदिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रशिक्षार्थी	२६७ हजार	४३६ हजार

इसके अतिरिक्त प्राविधिक, व्याख्यायिक शिक्षा के प्रभार की व्यवस्था, दोपुक्त बालकों की शिक्षा, राज्य-भाषाओं तथा साहित्य का विकास, सैनिक शिक्षा-प्रशिक्षण आदि भी राज्य के कार्यक्रमों के अन्तर्गत थे।

अर्थ-व्यवस्था

योजना काल के लिए कुल १५१६६ करोड़ रुपयों का ग्रावधान था जिसमें ३९०२ करोड़ रुपये बैंक तथा ११२६४ करोड़ रुपये राज्य सरकारी के लिए थे।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना काल के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रमों की विवेचना

यह शास्त्र में एक अच्छी बात थी कि शिक्षा के क्षेत्र में इतने व्यापक दंग से योजना बनाकर कार्य करने का प्रयत्न किया गया। इस राष्ट्रव्यापी कार्य में स्माराविक था कि कई त्रुटियाँ रह जाती या उचित दिशा में विकास न हो पाता। पर कार्य आगे बढ़ा यही बहुत था। कार्य अच्छा होते हुए भी इस योजना-कार्य में निम्नलिखित दोष आ गए थे। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना प्रारम्भ होने के पूर्व शिक्षा-विकास-सम्बन्धी जो योजनाएँ चल रही थीं उन्हीं को पूर्ण करने पर प्रथम पञ्चवर्षीय योजना काल में यह दिया गया। कार्य की गति मन्द रही। योजना के अन्तर्गत शिक्षा के प्रत्येक न्यर पर कारी विकास एवं विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, पर इतना अधिक कार्य किया नहीं जा सका। केसे ४ से ११ वर्ष की आयु के ६० प्रतिशत बालकों को शिक्षा देने का लक्ष्य या जो पृथु नहीं किया जा सका। इसी प्रकार चूहुउद्देश्यीय शालार्थी तथा जनता विद्यालयों की स्थापना मात्र ही हुई। इनके कार्यों में कोई प्रगति न हो सकी। प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रारम्भ ही किया जा सका। और-शिक्षा के निए पन्ना विशालायी बोगव्या भी अधिक नहीं बढ़ाई जा सकी।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना काल में देश की आवश्यकतानुगार शिक्षा के भी भारी में आमूर्त परिवर्तन परना आवश्यक था, पर इस काल में कुछ भारी का प्रभार ही लटक रहा, जिसमें शिक्षा के दोनों को दूर नहीं किया जा सका।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना काल में पूर्ण प्रायमित्र शिक्षा की ओर चूहुत कम ज्ञान किया गया। यह शिक्षा देश के मानी जानीसिंग के विज्ञान के लिए

प्रथम पूर्व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा : : : २३५

अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार शिक्षकों की दशा-मुशार, उनके चेतनमान की वृद्धि आदि की ओर ध्यान नहीं दिया गया। यिन्हा शिक्षकों की दशा मुशारे कोई भी शिक्षा-योजना टीक-टीक कैसे चल सकती है?

अनेक योजनाओं को प्रारम्भ करने के पूर्व उन पर टीक से विचार नहीं किया गया, जैसे जनता विद्यालय रोलना आदि, जिससे आगे चलकर उन्हे बन्द करना पड़ा तथा देश का धन व्यर्थ नष्ट हुआ।

देश की विद्यालय तथा शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता की अधिकता के होते हुए भी शिक्षा पर बेबल १५५-५६ करोड़ रुपयों के व्यय वी व्यवस्था की गई। यह अपर्याप्त थी। साथ-ही-साथ व्यय का वितरण टीक न होने से अनेक कार्य बन्द या स्थगित करना पड़े। इसे तो कम-से-कम रोका ही जा सकता था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में शिक्षा के कुछ दोषों को दूर करके उसके प्रभार के प्रबन्ध किये गए थे। परन्तु उनमें आशिक सफलता ही प्राप्त हो सकी थी। सन् १९५४ में अंतिम भारतीय शिक्षा-नाम्रेन्ज आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में शिक्षा के दोषों, प्रगति तथा प्रसार आदि और भविष्य के लिए शिक्षा के पुनर्निर्माण वी योजना पर विचार किया गया। इन वार्यक्रमों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया। इनके अनुसार निम्न-लिखित कार्य करने का निश्चय किया गया था :

१. बुनियादी शिक्षा का विस्तार तथा विस्तार करना।
२. मार्यादिक शिक्षा में विविधता ताना तथा उसे यहुउद्दीय बनाना।
३. उच्च शिक्षा को व्यवस्थित एवं टोक बनाना।
४. ग्रामान्तर, सारदृष्टिक तथा सेनिट शिक्षा को विस्तृत रूप देना।
५. धीरोगिन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा का विकास तथा उचित व्यवस्था करना।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा-योजना के लक्ष्य

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में निर्धारित दस्तों वी पूर्ति नहीं हो पाए

प्रथम पूर्व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा :: २३७

४. प्राथमिक एवं व्यावसायिक	२३ करोड़	४८ करोड़
५. सामाजिक शिक्षा	५ करोड़	५ करोड़
६. प्रगतिशील तथा अन्य	११ करोड़	५७ करोड़

इसके साथ-साथ द्वितीय योजना काल में मानुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विकास योजनाओं के लिए निर्धारित रकम से १२ करोड़ रुपये सामान्य शिक्षा तथा १० करोड़ रुपये सामाजिक शिक्षा पर व्यय किये जायेगे। इतना ही नहीं, हीरि, स्वास्थ्य, पिछड़ी जानि-कान्चण, विस्थापितों को पुनर्स्थापना आदि की योजनाओं में भी शिक्षा के लिए काफी धन की व्यवस्था की गई है।

द्वितीय योजना काल में शिक्षा-योजना-सम्बन्धी कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र की दो गमत्याएँ हैं :

१. प्राथमिक शिक्षा का विकास।

प्राथमिक शिक्षा २. प्राथमिक शालाओं को बुनियादी में परिवर्तित करना।

इसके साथ-साथ और शिक्षा के विकास के लिए प्राथमिक भौतिक शिक्षकों की कमी, शाला-भवनों का निर्माण, अन्तर्राष्ट्रीय और लिंगता आदि घटिनादों को दूर करना भी आवश्यक था। इन कठिनादों का प्लान रखने हुए योजना आयोग ने उपलब्धि भी कि शालाओं को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए शिक्षण पद्धति में सुधार किया जाना चाहिए। साधारण-साथ शिक्षा को अनिवार्य करने की ओर प्लान दिया जाये।

भवनों तथा प्रयोगित शिक्षकों दी कमी को दूर करने के लिए आयोग ने गिरजाह-प्रगतिशील, भवनों के निर्माण पंचायत-भर, मन्दिर आदि में शाला लगाने तथा अध्यापकों के रहने के क्वार्टर शाला के समीकर योगाने, तो पाली में शाला लगाने, उन्मुक्त वातावरण में, सुविधानुग्रह पेट्रो के नामे, शाला लगाने का सुझाव दिया। शिक्षा भी अनिवार्य करने के लिए धन-याहि भी व्यवस्था के लिए शिक्षा-उपकर लगाने का सुझाव भी दिया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक ६ से ११ वर्ष के ६३ प्रतिशत, ११ से १४ वर्ष के २३ प्रतिशत योजनाओं में शिक्षा देने के लिए वीर्य पूर्ति की आवश्यकी गई है। इसके लिए ५३,००० नये जनिमद शारमर्यी तथा ३,५००

(मिडिल) सीनियर स्कूल रोले जाने की व्यवस्था है। इनमें से ३८,४०० बुनियादी शालाएँ होंगी।

प्रथम पचवार्षीय योजना काल में बुनियादी शिक्षा की सभी दिशाओं में अच्छी प्रगति हुई, जो निम्न अँकड़ों से पता चलता है। बुनियादी शिक्षा अतः द्वितीय योजना काल में ६०-६१ तक के लक्ष्य भी अधिक रहे गए हैं :

	५०-५१	५५-५६	६०-६१
बुनियादी शाला	१,७५१	१०,०००	३८,४००
वालकों की संख्या	१,८५,०००	११,००,०००	४२,२४,०००
प्रशिक्षण शालाएँ	११४	४४९	७२९
बुनियादी शालाओं में जाने वाले वालकों का प्रतिशत	१	५	११

पहली योजना काल में दिशाओं के प्रशिक्षण की सुविधाएँ अधिक हुई। शास्त्रीयों में उद्योग-शिक्षण की सुविधाएँ भी अधिक दी गईं। अतः द्वितीय योजना काल में बुनियादी में प्रशिक्षित दिशाओं की संख्या-वृद्धि परने तथा निर्गीतों आदि को बुनियादी में प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं को रोलने, प्रशिक्षण वोर्स चलाने, सेर्वानार गोष्ठियों आदि की व्यवस्था करने पर यह दिशा गया है। अभी यन्हीं में १ से ५ कक्षाओं तक ही बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था है, अतः बाद में आगे की शिक्षाओं में वालकों को गैर-बुनियादी शिक्षा टेक्सी पढ़ती है। इसलिए यह आवश्यक है कि टेक्सी तक बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था अधिक-से-अधिक दी जाये। बुनियादी शालाओं को जन-जीवन के पेनद के रूप में विविधि किया जाना चाहिए। इसके लिए बुनियादी शिक्षा को वृत्ति, ग्रामीण-उद्योग, सद्वारारिता और सामुदायिक विकास आदि कार्यों से माझपितृ परने के अधिक प्रयत्न किये जाना चाहिए; गाय-ही-साथ निर्देशन आदि के लिए माझपितृ शिक्षा-परिवर्त के गमन प्रायमिक तथा बुनियादी शिक्षा-परिवर्त की रणनीति भी जानी चाहिए।

बुनियादी शिक्षा को माझपितृ शिक्षा-स्तर पर उग शिक्षा से समन्वित करने-गमनकी गमता भी परि-परि बढ़ती जाती है। इसके लिए केन्द्रीय शिक्षा बलाइटर

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा :: : २३९

बोड ने एक भविति की स्थापना की है जो समन्वय पर उचित संग्रह देगा। द्वितीय योजना काल में उत्तर-शुनिश्चारी शालाएँ योजने की भी व्यवस्था इसी उद्देश से दी गई है।

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित हुआ था, माध्यमिक शिक्षा को जीवन से सम्बन्धित करने, देश के आर्थिक सुधार

तथा विद्यालय के लिए बहुमुखी बनाने पर बल दिया था। अतः माध्यमिक शिक्षा द्वितीय योजना काल में माध्यमिक शिक्षा को बहुमुखी बनाने

के लिए कलात्मक, व्यावसायिक, प्राविधिक तथा वैज्ञानिक विभागों की सुविधाएँ बढ़ाने, वालों को विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षित करने का ज्ञान रखा गया है। प्रथम योजना काल में प्रारम्भ किये गए पुनर्गठन कार्य भी जारी रखे गए हैं। यह उद्देश्य शालाओं की संख्या ६०-६१ रुप १,१८७ करने की व्यवस्था भी है। इसके साथ-साथ १,२०० माध्यमिक शालाओं को उच्चतर माध्यमिक बनाने की व्यवस्था की गई है।

वानिकाओं की शिक्षा व्यवस्था की वृद्धि करने के उद्देश से कन्या-शालाओं की संख्या में १५ प्रतिशत वृद्धि करने का निश्चय किया गया है। साथ ही साथ वानिकाओं की विदेश व्यवसायों की शिक्षा के लिए उन्दे नव, अष्टाविंशी, स्वास्थ्य-नियंत्रिका, ग्राम-संविका आदि बनने के लिए दात्रृत्यसियों में भी वृद्धि करने का प्रावधान है।

प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या द्वितीय योजना काल में ६८ प्रतिशत बरने की है, जो प्रथम योजना में ६० प्रतिशत ही थी।

देशी में इस-शिक्षा के लिए २०० हरि के तथा माध्यमिक शिक्षा के शाल छिंगी उपर्योग में जाने के लिए १० जूनिशर टेक्नोरल शालाएँ बोर्ड जारेगी। प्राविधिक या टेक्नोरल विभागों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की ओर भी विदेश ज्ञान दिया जायेगा। इसके लिए ५०० शार्ट्स्कूल रुप १,००० टिल्लोंमा पांच शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए ६४ करोड रुपये रखे गए हैं।

अद्वितीय भारत-भारी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आर्थिक गहाना का प्रावधान भी किया गया है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिए ५७ करोड़ रुपयों की व्यवस्था है।

उच्च शिक्षा इसे शिक्षा के स्तर को उच्च बनाने तथा विश्वविद्यालयों में

प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षण में ही व्यय किया जायेगा।

देश के उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम क्षेत्र में उच्च प्राविधिक शिक्षा देने के
लिए तीन संस्थाएँ सोली जायेगी। दिग्ग्री तथा डिप्लोमा देने

शिक्षा के अन्य

वाली इंजीनियरिंग संस्थाओं की संख्या, जो प्रथम योजना

कार्यक्रम

काल में १२८ थी, १५८ की जायेगी। खान-इंजीनियरिंग

संस्था सम्बद्ध विषयों की शिक्षा के लिए धनबाद के इडियन
स्कूल आफ माइन एण्ट एप्लाइ जियोलॉजी की संस्था का विस्तार किया जायेगा।

द्वितीय योजना में रुमाज-शिक्षा-केन्द्र, साहित्य-प्रकाशन, दस्य-शब्द शिक्षा,
रुमाज-शिक्षा कार्यकर्त्ताओं और संगठकों के प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध-योगिन्द्र के विकास-कार्यक्रम के
लिए २० करोड़ रुपयों की व्यवस्था है। अनुशक्ति विभाग के लिए भी समुचित धन वी
व्यवस्था है। देहानी क्षेत्रों में ९० या १०० विज्ञान मन्दिर देहातियों को विज्ञान
का ज्ञान देने के लिए तैयार जायेंगे। इससे वे स्नात्य, हिंग और सफाई के
कार्यक्रमों से अधिक लाभान्वित हो सकेंगे।

इसके साथ प्रादेशिक भाषाओं का विकास, संस्कृत का पुनरुद्धार, साहित्य,
कला, संस्कृत आदि का विकास तथा प्रगति भी किया जायेगा। इसके साथ-साथ
में यूनेस्को से भी सम्बन्ध स्थापित किया जायेगा।

द्वितीय योजना काल की शिक्षा-योजना की विवेचना

द्वितीय योजना काल में देश की आवश्यकताओं के अनुकूल ही शिक्षा का
विभाग किया जा रहा है। देश में प्राविधिक शिक्षा-प्राप्त लक्षियों की आव-
श्यकता अधिक है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के द्वारा प्राविधिक शिक्षा पर
व्यय की जाने वाली रकम को दुगनी कर दिया गया है। पर प्राविधिक शिक्षा
की रकम प्रथम योजना काल से कम ही है। देश की आवश्यकता तो यह भी
**है कि सभी यान्त्रिकों को प्राविधिक शिक्षा मिल री पर इस योजना काल में इस लक्ष्य
की पूर्ति नहीं हो गक्ती है।**

प्रथम द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा :: : २४१

इसी प्रकार प्रथम योजना में प्रशासन तथा अन्य व्यवस्था-सम्बन्धी कायों के लिए ११ करोड़ रुपयों का प्रावधान था, पर द्वितीय योजना में इसके लिए ५७ करोड़ रुपयों का प्रावधान है। इतनो बड़ी रुम प्रशासन आदि पर धर्च करने से तो राजतंत्र की ही शुद्धि होगी।

शिक्षकों की दशा मुधारने तथा प्रबन्ध-समितियों के सम्बन्ध में भी द्वितीय योजना काल में कोई ठोस कदम उठाने की व्यवस्था नहीं की गई है। सामाजिक शिक्षा पर भी अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जा रहा है। केवल ५ करोड़ रुपये इसके लिए रखे हैं जो बहुत कम प्रतीत होते हैं।

द्वितीय योजना काल में प्रथम योजना काल को अनेक त्रुटियों के निराकरण की ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है तथा अनेक शिक्षा कार्यक्रम अभी समुचित रैति से योजनावद नहीं हैं। यदि शिक्षा में आमूल परिवर्तन की ओर लक्ष्य रखा जाता न कि केवल विभिन्न शिक्षा-स्तरों पर अधिक व्यय करने का तो अधिक लाभ होता।



कमीनियस का शिक्षादर्दन

उनहोंने शताव्दी में चारों ओर वैज्ञानिक उद्घाटित हो रही थी। अतः गिरावर्दियों ने भी वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए विज्ञान की महायता लेना चाही, पर अभी तक जो भी वैज्ञानिक सोचें हो रही थी उनमें कोई व्यवस्थित प्रगति नहीं था। अन्यानक किसी व्यक्ति को कुछ अनुभव हो जाता था और उसी के आधार से कोइं वैज्ञानिक तथ्य निरूपित कर दिया जाता था। प्राग्नियस वेक्न ने सबसे पहले वैज्ञानिक सोच में व्यवस्था लाने के लिए परिणाम-पद्धति (Method of Induction) निरूपिती। अभी तक योग पहले से चाहे आपे किसी एक मिदान्त को आधार मानकर उसे सिद्ध करने के लिए हासान्त देने थे, पर वेक्न ने इस पद्धति को बदलकर एक ही साथ परिणामों के आधार पर मिदान्त की स्थापना की। वेक्न की इस पद्धति का प्रयोग करके उनके एक-ने परिणामों के आधार पर मिदान्त की स्थापना की। वेक्न ने गिरावर्दियों की विद्या के क्षेत्र में किया। राटिय ने प्रकृति के अनुग्राह चलने, प्रयोग और परिणाम के द्वारा सीमने को बहुत महत्व दिया। उन्होंने इटरर सुछ भी बंटाय न बरने पर भी दल दिया। राटिय ने यात्रण शिक्षा की पद्धति का ही स्वरूप स्थिर किया, पर मुराविया-निवारी कमीनियस ने शिक्षण में कमेन्ट्रियों के द्वारा गिरावर्दियों की विद्या के लिए भी इस पद्धति की उपयुक्त मुमदरहर स्थानुभव तथा तप्तशाद में अनेक सुधार किये। उन्होंने अर्थी निम्न तीन पुस्तरों में शिक्षा-नाम्बवन्धी विचारों और पद्धति का विस्तृत वर्णन किया है।

१. जानुवालिगनारमैगेराता, २. दि मेट डाइटेरिड और ३. फैय-योपिया। इनमें से 'जानुवालिगनारमैगेराता' नामक पुस्तक में उन्हें हैटिन भाषा के अध्ययन की विधि दियी गई है। इसमें ग्राम, गुरोप, याचिन वर्जन-

द्वारा लैटिन के शब्दों का ज्ञान कराया गया है। उसने अपनी पुस्तक 'आरचिस-पिस्टक' में, जो कि 'जानूया' का ही एक संचित्र संस्करण था, चित्रों की सहायता से अनेक यातों को समझाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार इस पुस्तक में देखने की इन्द्रिय, औंख, की सहायता शिक्षण के लिए भी गई है, क्योंकि इस पुस्तक में दिये गए प्रत्येक शब्द के लिए सम्बन्धित चित्र उसके याजू में दिया गया है। उसने अपनी दूसरी पुस्तक 'दि ग्रेट डाइडेक्टिक' में शिक्षा के सम्बन्ध में अपने यामान्य सिद्धान्तों का विस्तृत वर्णन किया है। इसमें उसने बतलाया है कि शिक्षण की अवधि कितनी होनी चाहिए और कितने वर्षों तक शिक्षा दी जानी चाहिए। इस पुस्तक में उसने धनी-निर्धन, अच्छे-बुरे, बालक और यात्रिका सभी भी शिक्षा का समर्थन किया है। इस पुस्तक में उसने बतलाया है कि सभी शिक्षण इन्द्रियों के माध्यम से दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उसने शिक्षण के समय एक से अधिक इन्द्रियों के उपयोग को बड़ा लाभप्रद माना है। क्योंकि ऐसा करने से विभिन्न इन्द्रियों की सहायता सुरक्षित हो जाती है तथा उनसे बालक जल्दी समर्थता है। कमीनियस का कहना यह कि बालक के ज्ञान के द्वारा ज्ञानेन्द्रियों ही हैं, अतः शिक्षण में भी ज्ञानेन्द्रियों की सहायता अवश्य रहना चाहिए। इसके आध-आध इन्द्रियों द्वारा शिक्षण में सुरक्षा से कठिन की ओर जाने का गिरावट भी उपयोग में लाया जाता है। इससे शिक्षण मुलभ तथा रोचक हो जाता है। इन्द्रिय-ज्ञान प्राप्त होने पर उसने कठिन करने के बाद समझने तथा अन्त में निष्कार्य निकालने की विधि को उपयुक्त माना।

कमीनियस का कहना यह कि इन्द्रियों के माध्यम द्वारा उनकी उदायता से विज्ञान के धोर में संचार के अनेक तर्फों की गोली की गई है। अतः हमारे शिक्षण में भी इन्द्रियों की सहायता से शिक्षण करके गहरी तथा गम्भीर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रसार कमीनियस ने घेवन की एक-सी परिणाम घाले अनेक उदाहरणों से गिरावट की ग्याना तथा स्वयं अनुभव गे वृष्ट जानने पी शिक्षियों को और पर्याप्त किया। कमीनियस के इन्द्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की विधि फो परीक्षित करने में राष्ट्रव्य के प्रशोग बरके निष्कार्य या गिरावट प्रतिवादित करने की विधि से जटाकला मिली। कमीनियस के विज्ञान को उग्रों शाद के अनेक शिक्षा वातियों ने आगे बढ़ाया तथा मुख्य बाहु तक तो प्रत्यक्ष

वसुओं के द्वारा शिक्षा देने का बड़ा महत्व रहा। इसके परिणामस्वरूप शालाओं में जहाज, इमारतें, मरीनें तथा अनेक प्रकार के वसुओं के मोडल एकत्रित किये जाने लगे। इतना ही नहीं, वसुओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्यटन आदि के आयोजन भी प्रारम्भ हुए।

पर्यटन आदि के कारण शालाओं में चले आ रहे अनुशासन-सम्बन्धी विचारों में बड़ा परिवर्तन हुआ। अनेक शिक्षकों ने अनुशासन-सम्बन्धी घारणाओं में नम्रता का समावेश किया तथा शिक्षक को सहनशील, स्नेही तथा धैर्यवान होने का परामर्श दिया।

कमीनिष्पत्ति तथा अन्य शिक्षा-वाचनिकों के प्रत्यक्ष वसुओं या उनके मैडल इत्यादि के द्वारा इन्द्रियजनित ज्ञान-प्राप्ति की विधि ने उस खाल के समाज में एक क्रान्ति-भी उन्नत कर दी, क्योंकि इस विधि ने अभी तक चले आये अल्लू के अनेक भिडान्तों को अन्तर्य निरूपित किया। अतः विद्वानों ने सोचा कि जब इस विधि के द्वारा अभी तक मान्य सत्यों में मुधार दिया जा सकता है तब इस विधि के द्वारा प्रतिशादित यथार्थवाद का उपर्योग समाज के दोषों को दूर करने के लिए भी हो सकता है। विदेशसः प्राप्ति में इस विचारधारा ने यही प्राप्ति पैदा भी। विद्वानों ने यथार्थ को ही सत्य माना और कहा कि हमारे मस्तिष्क में धर्तमान वसुओं का ही ज्ञान रहता है, अतः इसे प्रत्यक्ष सत्य की ओर ही जाना चाहिए। परिणामस्वरूप बालकों की शिक्षा के लिए गृह विचारों से प्रारम्भ होनेवाली विधि अनुग्रहक मानी जाने लगी।

कांटीनैक नामक विद्वान ने भी इन्द्रिय-जनित ज्ञानविधि को अधिक महत्व दिया। उसने काष्ठस्त्र करने की विधि को अनुग्रहक माना तथा कहा कि यद्या ज्ञान के बन रहने से नहीं आता वह तो विचार करने से प्राप्त होता है।

रसो का शिक्षा-दर्शन

अठारहवीं शताब्दी में जीवन को नये तथा स्वाभाविक दृष्टिकोण से देखने तथा पुण्यनी परम्पराओं और संस्थाओं को मान्यता न देने का एक आन्दोलन-सा चला था। इह शताब्दी में अधिकार तथा व्यक्ति के दासत्व के विषद्, जो मध्ययुग से चला आ रहा था, विद्रोह-सा हुआ। इतिहास दृमें बताता है कि मध्ययुग की गामन्त्रशाही के विषद् विद्रोह तथा विज्ञान की प्रगति ने पुनर्जीवरण, खीदोगिक भान्ति, यथार्थवाद आदि को जन्म दिया। इनके पलस्वरूप व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर बढ़ा तथा उसके अधिकार पुनः स्थापित हुए।

इस तरह हम देखते हैं कि अठारहवीं शताब्दी में राजनीति, सामान्य विचार तथा धर्म आदि सभी में भान्ति हुई। अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में विचारों और धर्मों के द्वेष में तथा अन्तिम पचास वर्षों में शिक्षा तथा अन्य देशों में भी इनका प्रभाव पड़ा; पलस्वरूप विज्ञा में भी यथार्थवाद का प्रभाव बढ़ा। इससे विज्ञा वेकल युद्ध धनी-मानी व्यक्तियों तक ही सीमित न रहकर गामान्य जनता के लिए भी उपलब्ध मानी जाने लगी तथा उग्रा आधार भी यथार्थ तथा प्रहृति ही गए। विज्ञा के द्वेष में यथार्थवाद तथा प्रहृति यों अधिक महत्व देने वाले विद्वानों में स्वो (१७१२ से १७७८) प्रमुख हैं। यह २५ जन अन् १७१२ की इटली के जेनेवा नगर में उत्तम हुए थे। इनसी गाता का देशान्तर बचपन में ही हो गया था तथा इनके पिता एकछड़ प्रहृति के थे। वचपन से ही स्वो समितिशास्त्री तथा अर्थनीति और गैर-जिम्मेदारी के बातावरण में रहे। इस बातावरण में रद्दर भी प्रहृति के गोन्दर्य ने उन्हें बड़ा आटौर किया। अन् १७२० में स्वो के पिता ने स्वो को उसके मामा के पाण बोगी गौव में लोड़ दिया। वहाँ उनका प्रहृति-येम और भी बड़ गया। पर एक बार उन पर दुष्टा परने का गुड़ आरोप लगाया गया तथा दण्ड भी दिया गया। इस दण्ड

का उसके हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उसका मन विद्रोह से भर गया और उसने परिणाम निकाला कि “मनुष्य की गति में निश्चयददता, बाह्य-आडम्बर, उपदेश और दण्ड का प्रयोग करके जब उसे प्रश्नति से दूर रखा जाता है तभी उसके स्वामानिक मन में विश्वार उत्तम होता है और उसकी सरलता एवं स्वामानिकता नष्ट हो जाती है।” रुपो ने इन्हीं विचारों को सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन का आधार भी माना और इसीलिए उसने अपनी ‘इमील’ नामक पुस्तक में लिखा है, “प्रत्येक वस्तु प्रश्नति के हाथ में सुन्दर, स्वच्छ और पवित्र रहती है, परन्तु मनुष्य के हाथ में आते ही उसमें विकार आने लगता है।”

रुपो पर निरकुश तथा उदाहरण जीवन का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा। उसके युगकड़ जीवन के कारण उसे शिक्षा भी विधिवत् नहीं मिल पाई। उसके अनिर्दिष्ट जीवन तथा कुरी ब्रिंदों की संगति ने सभी प्रकार के कुकर्म सिखा दिये थे। उसका विवाह एक दुश्चरित्र लड़ी में हो गया था और दोनों में बड़ा झगड़ा होना था। इस तरह विविध प्रकार का जीवन व्यतीत करता हुआ जब वह पेरिय में रहने लगा तब उसके हृदय पर उसके प्रारंभिक जीवन की इतनी गहरी छाप लगी थी कि उसने कृतिमता, अमितव्ययता के विश्वद, जो उस समय के दुनीन सोंगों में बहुत अधिक पाई जाती थी, अपनी आवाज बुलन्द की, तथा गरीबों ये गाथ महानुभूति प्रकट की। सन् १७५० में उसने अपने लेख ‘विज्ञान और कल्याणों की उन्नति’ में लिखा था कि समाज की वर्तमान गरीबी हालत तथा उससी उन्नति का प्रमुख कारण वर्तमान सम्पत्ता का विकास है। इसके बाद उसने जो लेख प्रकाशित कराये थे प्रायः समाज के प्रति विद्रोह की भावना में अनुपाणित थे। उसने ‘गामाजिक समझौते’ (Social Contract) तथा ‘इमील’ नामक दो प्रगिद पुस्तक लिखा। ‘इमील’ में उसके शिक्षा-गम्भीर विचार तथा ‘सामाजिक समझौते’ में समाज और राज्य के सम्बन्ध में मत हैं। ‘गामाजिक समझौते’ में रुपो ने निम्न भत प्रकट किये हैं :

(१) विज्ञान और कला ने मनुष्य के आचार तथा नीति को बड़ी दानि पहुंचाई है।

(२) पन-नंग्रह की प्रश्नति के कारण समाज में विस्तार आ गई।

(३) राजा और प्रजा में आत्मीयता का समन्वय होना चाहिए तथा यदि राजा जनता के मुख्य-दुःख का ज्ञान नहीं रखता है तो जनता को उसे अपना राजा न मानने का पूर्ण अधिकार है।

इस प्रकार रुग्गो ने अपने विचारों के द्वारा राजनीतिक तथा सामाजिक धोन में कानूनि मत्ता दी। इतना ही नहीं, उसने शिक्षा के क्षेत्र में भी 'इमील' पुस्तक के द्वारा इतिहास को दूखबर बच्चे के मन, दिमाग और दृष्टि को स्वतंत्रता से विकसित होने के अवसर पर खेल दिया है। उसने "प्रकृति की ओर जाओ" का भी नारा द्वायाया तथा प्रकृति की शिक्षा को सर्वोन्नत माना। उस काल में यात्रक और यात्रिकाएँ गमाज के पुराण और महिलाओं के समान कपड़े पहनने तथा उन्हीं के समान आचार-न्यवहार करते थे। शिक्षा में भी कंटेस करने की विधि तथा लैटिन व्याकरण का अधिक महत्व था।

रुग्गो ने अपने शिक्षा-नाम्बन्धी विचार, अपनी प्रामिद्द धोन के 'इमील' में, इमील यात्रक की शिक्षा वा सर्वान बरते हुए, गंगार के सामने रखे। इस पुस्तक के पौंछ भाग है, जिनमें से चार भाग में इमील के जन्म से ५ वर्ष, ६ से १२ वर्ष, १३ से १५ वर्ष तथा १६ से २० वर्ष, ऐसी चार अवस्थाओं की शिक्षा का विवरण है। पौंछवे भाग में इमील की ज्ञो की शिक्षा के आधार पर यात्रिकाओं की शिक्षा का विवरण है। जन्म से ५ वर्ष तक की अवधि में शिक्षा स्वतंत्र शारीरिक क्रियाओं के आधार पर दी गई है। ६ से १२ वर्ष तक की आयु में इमील वी शिक्षा हाथ, पैर, आंख, कान आदि दिनियों के द्वारा दी जाने वी अवस्था है। लोगों पुस्तक, जिनमें १३ से १५ वर्ष तक की आयु वी शिक्षा का विवरण है प्रमुखता: योग्यिक तथा नियोगी शिक्षा ही होती। १६ से २० वर्ष तक की आयु वी शिक्षा का न्यून नीतिक है। यात्रिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में रुग्गो ने विचार उत्तुक नहीं है, वर्गांशि उसने श्रियों को पुरुषों पर निर्भाव तथा उन्होंना आगाकारी माना है।

सभों द्वारा प्रश्ननि-पर्यवेक्षण विधि महत्वपूर्ण और मान्य

रुग्गो वी 'इमील' पुस्तक में दर्शित शिक्षा-नाम्बन्धी विचारों में पका चम्पा है छि रुग्गो यात्रक वी स्वास्थ्य नामारिक इत्या को अपिह महत्वपूर्ण मानता था। रुग्गो के अनुगामी जन्म के गमर दान्तक निर्मल और शिकारदान दोता है,

अतः उसका निर्मल तथा स्वाभाविक विकास दूर रखने पर ही सम्भव है इसीलिए रसो शिक्षक तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बालक की शिक्षा के पथ में न था। वह तो बालक की आवश्यकता और उसकी प्रहृति के अनुकूल शिक्षा चाहता था। उसका कहना था कि बालक के आचार-व्यवहार में उपदेश तथा शिक्षा से इतना सुधार नहीं हो सकता जितना कि बालक अपने स्वयं के अनुभव से कर सकता है, इसीलिए वह बालक की १२ वर्ष की अवस्था तक उसे प्रहृति के हाथ में स्वतंत्र तथा स्वाभाविक विचरण के लिए छोड़ देने के पथ में था, जिससे उसकी जानेन्द्रियों का विकास तथा सर्वांग हो।

नैूकि उसने बालक के चरित्र के विकास का आधार उसके स्वयं के अनुभव को माना है, इसलिए वह उसके स्वाभाविक विकास पर समाज की ढाया भी नहीं पड़ने देना चाहता है। रूमो ने प्रहृति, मनुष्य और पदार्थ इन तीनों को मानव का गुण माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रसो ने पुरुषों के लिए प्राहृतिक व्यक्तिवादी शिक्षा, तथा जियों के लिए आत्म-त्याग तथा आत्म-समर्पण वीं शिक्षा निर्धारित की है।

रसो के इन शिक्षा-सम्बन्धी विचारों को बर्नार्ड बास्टो उपयोग में लाया। बास्टो के मुशाव से अनेक मानवीय विद्यालय खुले, जिनमें पाठ्य-विषयों को आधारित तथा पाठ्य-प्रणाली को ब्लैन्क-कूट से रोचक बनाया गया। इन विद्यालयों में बाल-बच्चों को प्रहृति और प्रहृति के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। इनमें योल्यूडकर भाषा, चातचोत तथा नाटक आदि से लैटिन, मौरिक विधि में गणित, शुद्ध रेतानित से रेतागणित तथा आसुपास के चातावरण से महाद्वीप तक एक क्रम से भूगोल का ज्ञान कराया जाता था।

इस तरह हम देखते हैं कि रसो वीं शिक्षण-विधि स्वयं ज्ञानांजन के अनुरूप ही थी, पर यह ज्ञानविकृत रूप में स्वयं ज्ञानांजन विधि नहीं कही जा सकती। यह नई रोज़ करने की विधि कही जा सकती है। हालाँकि इसमें नई रोज़ करनेवाले जो विधि अपनाने हैं वह नहीं अपनार्द जाती। रसो की प्रहृति-पर्यावरण विधि यहूँ युछ छपूर्द की प्रयोग-विधि से समानता रखती है, कश्चिकि इसीलिए वो मन्त्र या ज्ञान का शिक्षण नहीं कराया जाता है, वह प्रहृति-पर्यावरण विधि के द्वारा स्वयं गोंजता है।

पेस्टालाजी का शिक्षा-दर्शन

रुगों के, बालक को समझने की अभिभूत महत्व देने के, आनंदोलन का फल यह हुआ कि शिक्षा-शैव में काम करनेवाले अनेक शिक्षानां ने मनोविज्ञान के गिडान्तों का उपयोग बालक के समझने तथा उसके सीखने की प्रक्रियाओं की जीवन्यन्तराल के लिए किया। शिक्षा के क्षेत्र में बालक को समझने के लिए इस मनोवैज्ञानिक आनंदोलन के कार्यकर्ताओं में पेस्टालाजी, एर्वार्ट तथा फ्रान्केन प्रमुख हैं। मनोवैज्ञानिक आनंदोलन के कार्यकर्ताओं में ने शिक्षा देने तथा सीखने की प्रक्रियाओं को मनोविज्ञान की एक्सप्रेस को मधीन से यारीसे ने देखा तथा जीवन्यन्तरालकर शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रियाओं को मनोवैज्ञानिक आधार दिया। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग करनेवाले मर्यादप्रद विद्वान ऐस्टालाजी थे। ये ज्यूरिच में नम् १७४६ में पैदा हुए थे। तथा वहने प्रारम्भिक जीवन में रुगों से प्रमाणित रहे थे। पेस्टालाजी ने स्वयं अपने ही बच्चे को स्त्री के दूधील के अनुग्राह शिक्षण देकर परिणामों की जीवन्यन्तराल बी। अपने बच्चे की शिक्षा के गमन वर्द नए अनुभव निरसा जाता था, परस्परप यह इस निष्ठां पर पहुँचा हि स्त्री के शिक्षान्तों में मंथोधन करने की आवश्यकता है। उपने यह अनुभव किया कि बालक को स्वाभाविक बालावरण पर मैं ही मिलता है तथा पुस्तकों के आधार पर शिक्षा देना उचित नहीं है। यदि बालक दो उपित्र शिक्षा दो जाये तो बालक की आजोविका तथा चरित्र का विकास गम्भीर है।

पेस्टालाजी ने दरिद्र बच्चों को अपने गाग नूकान (नया गें) में रखकर नहीं बर भोजन देकर शिक्षण करना प्रारम्भ किया। यही बालकों को शिक्षा-प्रदान, गतिशीलता और परिप्रकार का कार्य कराया जाता था। यही पाठ्यग्रन्थों की पाठ्यक्रम और शिक्षण भी काही थी। पर

पनाभाव के कारण पेट्रालाजी को इह शाला को बन्द करना पड़ा। पर पेट्रालाजी का उल्लास शिक्षा की तरफ बना ही रहा और उसने शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक पुस्तकें भी लियां, जिनमें ने 'ऐवमार्ट एण्ड गार्डिशूट' (१७८१) तथा 'इंग गार्डिशूट ट्रीनिंग हर चिल्ड्रेन' (१८०१) में उसने अपने शिक्षा-सम्बन्धी चिनारों को प्रतिपादित किया है।

पेट्रालाजी के अनुभाव शिक्षा वालक की शक्ति तथा प्रकृतियों का स्वाभाविक विकासात्मक तथा व्यात्मक विकास या प्रगति है। इस प्रकार उसका तात्पर्य यह था कि वालक की शिक्षा में हाथ और हृदय के साथ-साथ मन के विकास का ज्ञान भी रखा जाना चाहिए। पेट्रालाजी रसो के समान धार्मिक शिक्षा देने के पश्च में नहीं था। वह चाहता था कि शिक्षा मामाजिक उत्थान में अवसर सहायक होनी चाहिए। वह रसो के समान यात्रक के स्वभाव के अनुकूल स्वतंत्र शिक्षा के पश्च में अवश्य था, पर वह 'प्रकृति की ओर जा न प्रो' के पूर्ण पथ में न था। हाँ, वह यह अवसर मानता था कि मानव का विकास प्रकृति के नियमों पर आश्रित अवश्य है। पेट्रालाजी इस तरह से शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाना चाहता था। इसलिए उसने बाल-स्वभाव के अध्ययन तथा शिक्षण-विधियों के विकास के लिए बड़ा परिश्रम किया। शिक्षण-विधियों के विकास के लिए उसने शिक्षा के सम्बन्ध में अमीं तक चले आये मर्तों को मानवता न देकर उभी चारों दी नई घोष की। उसका विकास था कि ज्ञानेन्द्रियों ही ज्ञान का भाष्टार है तथा उन्हीं के द्वारा वालक सुरक्षा से जान प्राप्त कर सकता है। परस्परत्व उसने शिक्षण में यथार्थ बस्तुओं वा उपयोग उपरोक्ती बतलाया। यथार्थ बस्तुओं दी सद्यात्ता से ही शिक्षण 'बस्तु पाठ विधि' के नाम ने प्राप्ति हुआ।

पेट्रालाजी ने शिक्षों के प्रणितान पर बड़ा बल दिया। उस काल में शिक्षों के प्रणितान की आवश्यकता ही नहीं समझी जाती थी। शिक्षों का अच्छे दीनदैनंदी वा होना तथा तेज आवाज में घोलने में समर्थ होना ही अच्छे प्रियदर्श के गुण माने जाने थे। पर पेट्रालाजी ने ही बाल का अनुभव किया कि शिक्षक में स्वरं इस बात की योग्यता होनी चाहिए कि वह दीनांगक प्रविधि-याओं का निर्वाह अच्छी तरह कर सके। अतः उसने शिक्षरों के प्रशिक्षण को

मृत्युगृही माना रखा 'बुर्जों' तथा 'इवडें' में शिक्षण के प्रशिक्षण यी द्यवस्था थी। इन केन्द्रों में विषय देशों से अनेक शिक्षक आते रहा शिक्षण-ग्रन्थालय प्रशिक्षण पाते थे। कालान्तर में ये केन्द्र मध्यार के प्रसिद्ध शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र हो गए।

पेट्रालाजी ने स्त्रों के पूर्णतः स्वतंत्र तथा निर्बाध होड़ देने के शिक्षान्त की वक्तव्यता तथा स्वद दिया। उसने स्त्रों के इस सिद्धान्त को शास्त्राओं में उपयोग के योग्य बनाया। इस प्रभार पेट्रालाजी ने शिक्षा के धोत्र में नये प्रयोग करके नये दंगा से गोचरने विचारने तथा प्रयोग करने की विधि का निर्माण किया। इतना ही नहीं, उसने अन्य विद्वानों के लिए भी शिक्षा के धोत्र में प्रयोग तथा अनुगमनान करने के लिए सार्व प्रशस्ति किया। पेट्रालाजी ने शास्त्राओं में अभी तक नहीं आये कठोर दड़ में अनुगमन रखने की प्रथा को भी अनुचित माना। उसना कहा था कि अनुगमन जिस प्रकार घरों तथा कुटुम्बों में देखा, सहजनुभूति तथा दिवेश में रखा जाता है उसी प्रकार शास्त्राओं में भी अनुगमन राखा जाना चाहिए। शास्त्राओं में अवश्यक अनुगमन कठोरता तथा सहजनुभूति, ग्रन्थ आदि का व्यवहार होना चाहिए। पेट्रालाजी ने न केवल इस शिद्धान्त का प्रतिसर्वन किया बरन् उसने अन्यों शास्त्राओं में इसे व्यवहारिक रूप देकर उन्हें घरों के वालावरण से ओत-प्रोत कर दिया।

पेट्रालाजी ने स्त्रों में प्रभावित होकर वालों की प्रहृति तथा स्वभूति के आधार पर शिक्षा देना तथा शिक्षा को मनुष्य के आने भीतर गे ही स्वयं गढ़वन की दिया मानना तथा शिक्षण-प्रशिक्षण अनुमति पर रहने वाली तथा प्रसंगगिर्द देना आवश्यक माना। हर्दी शिद्धान्तों के आधार पर पेट्रालाजी ने अन्य शिक्षण आदि शिद्धान्तों की रखना भी। इन शिद्धान्तों ने कंठग्रन्थ बनने तथा गुनाओं के गठन वाले काम करके वालों को स्वयं प्रत्येक यन्त्र को देखने, गमताहर उन्होंना आवश्यक करने रुपा उपांत् गमन्य में गर शाते जान लेने की अविष्ट मद्दतगृही माना।

पेट्रालाजी के इस मनोवैज्ञानिक आधार को 'पैट्रिय मनोविज्ञान' के नाम से जाना जाता है। यह पैट्रिय मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यक्तिगत करना

तथा उनके अन्ना-अङ्ग स्वतंत्र विकास पर बहु देता है। इन विभेदों को पैकल्पी कहा जाता है। जैसे—मरण, विवेक आदि। यत्मान काल में इस पैकल्पी मनोविज्ञान को मान्यता नहीं दी जाती है, पर पेस्टालाजी के धैर्य, दया, गदानुभूति तथा व्यक्ति के निष्ठा आदर आदि गुणों ने उसे उस काल का बहुत ही बड़ा तथा अच्छा शिथ्रक बनाया।

फ्रान्सेल का शिक्षा-दर्शन

हरवार्ट ने वौद्दिकता की अधिक महत्व दिया। हरवार्ट तथा उसके समर्थकों ने माना कि हचि बहुमुली होती है तथा उसका उद्देश्य नीतिक होता है। हरवार्ट की पंचपदी में यह मान्य किया गया है कि बालक की हचि दिये जानेवाले ज्ञान की ओर दोना चाहिए। या उस ओर को जाना चाहिए तथा ज्ञान-श्रापण पर कुछ प्रबोगों द्वारा उभरा उपरोग कराया जाना चाहिए। पर इन सब प्रक्रियाओं का उद्देश्य समाज की गंतव्यति से बालक को परिचित करने का था। इस परिचय के लिए बालकों को ज्ञान देना आवश्यक माना गया था। न तो इसमें पेश्यालाजी आदि के समान बालकों को हिंगी उत्तोग वी शिक्षा देने आर्थिक विधि सुधारने का प्रबल किया गया था और न बालक के विकास के लिए रूपों के समान वौद्दिकता में दूर प्रहृति की गोद में वित्तग्राम प्राप्त करने की बात थी। बालक के विकास तथा ज्ञानरूपन के लिए इतिहास, गाहित्य तथा अन्य विषयों का ज्ञान विभिन्न रूप में देना ही हरवार्ट तथा उसके समर्थकों का उद्देश्य था। इनका उद्देश्य बालकों को नीतिक बनाना था शा पर वे नीतिकता के विकास के लिए युवकों आदि का आधार ही उपयुक्त मानते थे। उन्होंने जीवन की व्यापर्य परिवर्तिता को नीतिकता की विज्ञा का आधार जहाँ बनाया। उन्होंने गीतने को गीतने वा आधार मी नहीं बनाया। पर फ्रान्सेल ने व्यापर्य जीवन की विकाशों तथा गीतों को गीतने वाला भी विज्ञा का आधार बनाया।

फ्रान्सेल का बनान दुखों रहा। उसके विज्ञा वी व्यक्तिगत के काले उगाचे विज्ञा प्रमाणद नहीं रह गई। पर उसके पर का जीवन धार्मिक वा जिग्यारा धर्मार्थ पर्यावरण पर अधिक पड़ा। यज्ञान में मौन-वाच की उत्तोता के काले पर प्रहृति वी गोद में रिचर्ज एकला रहा। प्रहृति के विरीज्ञा ताणा गलाहं से उगां-

मन में एक सहस्र की भावना उद्भूत हुए तथा भग्नां विद्य की अवधि अभिन्नता तथा एकता की गोज की प्रहृति का उदय हुआ। उसने अनुमति किया कि संमार की समस्त वस्तुओं तथा पदार्थों में एक आवृत्ति नियम व्याप्त है। यह मार्व-मौम शाश्वत नियम मार्वभौमिक नेतृत्वा तथा अभिन्नता पर आधारित है। वही अभिन्नता तथा एकत्व हैंवर है। संमार के सभी पश्चार्य इसी एकत्व या हैंवर से उत्पन्न हुए तथा भमी का जीवन इसी पर अवलम्बित है। प्रत्येक वस्तु में होने वाला दैती सुरण ही उसका नेतृत्व व्याप्त है। यही प्राच्येन का आध्यात्मिक निदान है। इस प्रकार उसने संमार की प्रत्येक वस्तु में एक ही दैती, मर्वदानि-मान का आमान पाया तथा संमार की वस्तुओं में एकत्व की झल्क देखी।

प्राच्येन के दूसी आध्यात्मिक निदान पर उसका निष्ठा-दर्शन आधारित है। उसका कथन है कि प्रत्येक जीव या प्राणी में मानवता का वास है, पर उसका विकास तथा उदय प्रत्येक प्राणी असने ही दंग से करता है। अतः उसका कथन है कि प्रत्येक प्राणी में विकसित चरित्र की एक सुखुक सुमुद्र योजना रहती है। यदि इसमें योग्य उत्पन्न न की जाये या उसे नष्ट न किया जाये तो वह मृतः असने-आप विकसित होती है। यद्यपि प्राच्येन इस तथ्य का निष्पत्ति करार्द्ध से नहीं कहता है तथा कमी-कमी इस विकास के लिए प्रयत्न करने की सलाह देता है पर वह प्रसुरतः सभों के 'प्रहृति ही मृत्यु है' के निदान को मानवता देता है। इसीलिए वह मूलप्रहृतिमें के मृत्युंच तथा पूर्ण प्रकाशन को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। इसीलिए वह निष्ठा को निर्माण करन, विना किसी के द्वारा कियन तथा आरोपित, वालक की मृतः निष्ठा से उद्भूत होने वाली मानवता है। वह वालक के उनित विकास के लिए विधि का निष्पत्ति करते हुए कहता है कि विकास अन्धानुवरण न होवर भजन, आत्मप्रेरित मृतःनिष्ठा द्वारा होना उत्पुक होता है। पर इस स्वतः-निष्ठा का तात्पर्य यह नहीं है कि यित्तुक या माता-पिता, वालक जो कुछ भी कहे देया ही उसे करने दें, वरज् वह जाहता है कि वालक मृतः असने मन में सकिन होकर अमी व्रेण्याओं तथा मात्राओं को पूर्ण करने के लिए कार्य करे।

इस प्रकार इस देखते हैं कि प्राच्येन का 'त्यतः-निष्ठा' का निदान नये न्यौं, विभागें आदि का निर्माण तथा मैट करने वाली 'रचनान्मनता' के विद्यान्त

ने सम्बन्धित है। इसीलिए उग्रने वाली तथा विचारों के साथ कर्म को करने के लिए महत्वपूर्ण माना है। उसका कथन है कि मिट्टी या अन्य पदार्थों से कर्म करा वरने की अभिव्यक्ति वालक के द्वारा केवल मौरिक अभिव्यक्ति से अधिक विकासात्मक तथा उन्नतिशील होती है। यही प्राव्येल का 'स्वतः-क्रिया' तथा 'रचनात्मकता' के द्वारा अभिव्यक्ति का मनोवैज्ञानिक विद्वान् है। यही गिरावंत प्राव्येल की विज्ञा-प्रणाली का मूल आधार है, जिस पर उसने अपनी विज्ञा-पद्धति को आधारित किया है।

प्राव्येल ने समाज को भी महत्व दिया है। यही उम्मीद विशेषता है। वे ने भी नियात्मकता को विज्ञा का आधार बताया था, पर वह इसील को समाज से दूर निर्जन द्वान्त प्रवृत्ति की ओर भी विभिन्न करने के पश्च में था वह उसे समाज से दूर ही रखना चाहता था। पर प्राव्येल विज्ञा से सामाजिक आधार को भी बहुत महत्वपूर्ण मानता है। वास्तव में वह चाहता है कि सालक वी स्त्री: क्रिया या आत्माभिव्यक्ति तथा रपनिल का निर्माण सम्प्रदाय के माध्यम से ही हो। वह मानता है कि स्वतः में सामाजिक प्रवृत्ति प्रसुर है तथा उम्मीद विज्ञा समाज के रास्तों के समर्पण विज्ञा वीच में रहकर ही अच्छी तरह हो सकती है। इसीलिए उग्रता कथन है कि जीवन में स्वतः की विज्ञा प्रातः परन्तु के चाहे समाज भी गंभीरों, पर, कुटुम्ब, व्यवसाय-वास्तवाओं आदि में ही रहना पड़ता है। ये ही उम्रके जीवनव्यापक के आधार हैं। उन्हींके द्वारा उसे सामाजिक वर्गों, नियमों, परमाणुओं आदि वा शब्द होता है। उन्हींके द्वारा उसे अपने वर्तमान तथा भवित्व के विकास की विज्ञा तथा आधार भिन्नता है। यास्त क यहदोग ने विभिन्न क्रियाओं को करना तथा गंभीर हुआ न येत्वा नारीरिक सूर्यी प्राप्त करता है, वरन् जैनिक तथा योद्धिक विज्ञान भी प्राप्त परता है। उसके समान प्राव्येल का विचार यह है कि यास्त क्रियारूप जीवित प्राणी है तथा योद्धिक विज्ञान के पूर्व उग्रता नारीरिक विज्ञान होता है। इसी-विज्ञा-प्राव्येल की विड्यार्थीन विधि में स्वयं क्रिया के वापरों एवं गंभीरों वा यहुवापन में गमावेगा विषय गया है। 'कोरक्ष्मृ' में उग्रने वीक्षा उठाने, रीचने, गोस्तने, पाढ़ने आदि अनेक गोदू परिव्रक्त के वायों वी करने की व्यवस्था की गयी।

फ्रांसेल का कथन है कि अपनी को अपने स्वतः के आन्तरिक तथा बाहरी गमाज के अन्य सुदृश्यों के साथ मानव-प्रहृष्टि के अनुकूल गाम्य स्थापित करना चाहिए। उसके जीवन का विकास उसकी प्रवृत्ति परिस्थिति में—यर, शाला, गमाज—इसी प्रकार होना चाहिए। अपने इन विवरणों को मूर्त रूप देने तथा गमाज की किरातमुक अभियन्ति, सामाजिक आचरण तथा व्याचारात्मिक शिक्षा के लिए फ्रांसेल ने 'किंटरगार्टन शिक्षण-विधि' का निर्माण किया। इस प्रकार शोधिति का उत्तरोग करनेवाली शालाओं के द्वारा उसने बालकों को शिक्षा के लिए ऐसा म्यान देने का प्रयत्न किया जहाँ वस्त्रों का गुण हो तथा जहाँ शिक्षा नागरिक अपने अन्य साधियों को मुखियाओं वा चान गमने हुए स्वतंत्र कियाओं में रह रहे। यहाँ न सों पुस्तक हो, न वैद्य घंटे हों, न वैदिक पाठ हों। बरन् यहाँ स्वतंत्र गेल-बूढ़, विचरण तथा उदासमय गीत आदि हों। इस प्रकार फ्रांसेल ने स्वतंत्र, स्वतः-किता, सामाजिक सहयोग व आदि शिक्षान्तों का समावेश अपनी किंटरगार्टन-विधि में किया। इस विधि में किता, खेल, गीत, कहानी, विभिन्न प्रकार की शाला समाज का छोटा रूप बन जाती है। इस विधि में अभियन्ति के परम्पर सम्बद्ध दीन रूप है—(१) गीत, (२) गति तथा (३) रजना। ये साधन अन्तर-अन्तर रहते हुए भी एक-दूसरे के मुद्दोंमें चलते रहा समृद्ध धार्दनम् मिलकर एक पूर्णता को प्राप्त होता है।

फ्रांसेल की रचनात्मक शिक्षाएँ, जैसे मुर्द-धारे का कार्य, बुनना, कागज का कार्य, गेल-मिट्टी तथा रंगों आदि के बायों ने आगे चलकर इनकार्य का एक आनंदोन्नति चला दिया। इस आनंदोन्नति को कार्य रूप में परिवर्त करने वाला प्रथम देश निर्माण हो। इसके बाद स्वीडन ने इसे अपनाया। स्वीडन ने न फेशन इसे रैम्पिंग आधार बनाया, पर इसे आर्थिक आधार भी दिया। इसके बाद रूप तथा सुन वै. मार्कम के अन्तरिया में इसे अपनाया।

मैडम मार्टेसरी का शिक्षा-दर्शन

१९वीं तथा २०वीं शताब्दियों में विज्ञान की घटुत प्रगति हुई। इस प्रगति ने संसार के विभिन्न देशों की दूरी को घटुत कर दिया। ये देश अब एक-दूसरे पर निर्मल भी रहने लगे। परम्परागत विश्व-नन्दुत्त की भावना का उदय हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक रोज़ हुई। मनोविज्ञान के प्रयोगों द्वारा सुदृढ़-परीभाषा ने अनेक तथ्यों का निरूपण किया। परम्परागत दी जाने वाली विज्ञा अपर्याप्त मानी जाने लगी। विज्ञा जनतारिक होने लगी। अब विज्ञा फैब्रल धनी-मानी व्यक्तियों के चालकों तक सीमित न रही। 'सभी यो विज्ञा दी जानी चाहिए।' का नारा लगाया जाने लगा। असंग, विकलाग, मृद, चूंगे आदि की विज्ञा में अनेक टाकटर्णे ने वटी गहायता पहुँचाई। मैडम मार्टेसरी भी इन्हीं टाकटर्णों में से एक था, जिन्होंने मन्द सुदृढ़तावालों की चिकित्सा करने तथा छामान्य बालकों की विज्ञा की एक ऐसी विधि निराली जो आज गंगार के अनेक देशों में प्रचलित है।

फ्रान्सेल तथा मार्टेसरी की मृत्यु में लगभग १०० वर्षों का अन्तर है। फ्रान्सेल भन् १८५२ में तथा मैडम मार्टेसरी १९५२ में स्वर्गवासी हुए; पर इन १०० वर्षों में विज्ञा के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हुए। फ्रान्सेल विज्ञा में चालक पर विभाग तथा वंश-परम्परा वो अधिक महत्वपूर्ण रहनता था। पर मार्टेसरी यातानगण वो प्रमुख मानी रही हैं। उन्होंने लानी पुनरङ् 'The Secret of Childhood' में यातानगण की विज्ञान-विधि का केन्द्र माना।

मैडम मार्टेसरी पर गंगुदन की पुस्तक 'Idiocy : Causes and its Treatment by Psychological Methods' पा घटुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने रीम में मन्द सुदृढ़तावालों की विज्ञा की व्यवस्था के गमन विभाग-विधियों-गमन-पी अनेक प्रयोग किये। इन प्रयोगों का उन मन्दसुदृढ़ लोगों वालों

त अच्छा असर हुआ। इन अनुभवों की सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने एक ज्ञान-विधि का निर्माण किया जिसे 'मार्टेमरी विधि' कहने हैं।

मन्द शुद्धिवाले चालकों की शिक्षा के समय मार्टेमरी ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले :

- (१) चालक को अन्य चालकों पर आधित न रहकर स्वतंत्र जीवन विताने योग्य होने का प्रशिक्षण देना चाहिए।
- (२) मन्द शुद्धि चालक के मस्तिष्क की पहुँच के लिए सामान्य चालक के स्तर वी ओरेशा निम्न स्तर से पहुँच प्राप्त करना चाहिए।
- (३) मन्द शुद्धि चालक की किसी एक इनिद्रिय को अन्य दूसरों इनिद्रिय का कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।
- (४) सर्व इनिद्रिय वहुत महत्वपूर्ण रथा प्रमुख है।
- (५) सर्व-इनिद्रिय का विकास कम आयु में अधिक हो सकता है रथा इस आयु में इसकी उत्तेजा करने से इसका उचित विकास नहीं किया जा सकता।

इन उत्तरोक्त निष्कर्षों का प्रभाव हम मार्टेमरी विधि में पाने हैं तथा ये निष्कर्ष हमें मार्टेमरी शिक्षा-दर्शन को समझने में सहायक भी होंगे।

ऐश्वराजी ने शिक्षा को मनोविज्ञान का आधार देने का प्रयत्न किया था। पर उसके गमन में चाल-मनोविज्ञान का उत्तना विकास नहीं हुआ था। अतः यह शिक्षा-दर्शन का मुख्य वरके ही रह गया था। पर मार्टेमरी ने अपनी विधि को स्थानान्विक रूप से मनोवैज्ञानिक बनाया रथा इस विधि को हम मनो-वैज्ञानिक कह सकते हैं। मार्टेमरी पर वैकानिक मनोविज्ञान का प्रभाव अधिक है। वैकानिक मनोविज्ञान शैक्षणिक प्रक्रिया को चालक के मानविक विकास तथा संविधों के अनुकूल बनाने को महत्वपूर्ण मानता है। इसमें शैक्षणिक प्रक्रिया पाठ्यक्रम की या शिक्षक की पाठ्योड्जना के आधित नहीं रहती। इसलिए मार्टेमरी का काम है कि शिक्षा चालक के सामान्य विकास के लिए दी गई सामग्री सहायता है। तथा शैक्षणिक प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक धरण तभी आहा है जब कि चालक स्वयं उपको आवश्यकता का अनुभव करता है। इसलिए मार्टेमरी ने चालक पे विकास वी आवश्यकताओं के अनुकूल प्रक्रियाओं को

अधिक महसूर्य माना है। उनका विश्वास है कि यदि बालक किसी प्रक्रिया को नहीं करता है या करना भूल जाता है या समझता नहीं है तो हमें यह समझना चाहिए कि अभी तक बालक उसे करने के लिए शूर्ण रूप से विस्तृत नहीं हुआ है, अतः शिक्षक को पाठ दुष्टाकर जगरदस्ती बालक को उस प्रक्रिया को करने या समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

माटेगरी किसी भी प्रक्रिया की अवधि का निर्धारण धंडों या समय-विभाग-चक्र में दी गई सारिणी के अनुगार निश्चित करने के पक्ष में नहीं है। उसका कथन है कि बालक वीर्य को ही इस प्रक्रिया की अवधि को निश्चित करना चाहिए। यही कारण है कि माटेगरी-शास्त्राओं में बालकों के लिए धंटा, समय थादि का वर्णन नहीं रहता है। वहाँ तो बालक किसी भी क्रिया को आजीं री शब्द से करने तथा उसमें स्वतंत्रता से जितना चाहे समय लगा सकते हैं।

मेडम माटेगरी बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता देने के लक्ष्य में हैं। उनका कथन है कि बालक वीर्य अपने स्वयं के विकास के नियमों का पालन करने में निश्चित है। अतः बालकों की स्वतंत्रता का प्रदर्शन उनकी स्वयं स्वतंत्रता क्रियाओं द्वाय प्रदर्शित होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि बालक अपनी शब्दों के अनुगार कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहे। यही स्वतंत्रता माटेगरी शास्त्राओं के अनुग्रहण की दृष्टि है। माटेगरी शास्त्राओं में ४०-५० वार्ता-वाचिकाओं के होते हुए, भी आपको पूर्ण शान्ति तथा विना शोर-गुल वा वार्ता-दरण मिलता। वहाँ बालक विभिन्न कार्य करने में इतने दृढ़ रहते हैं कि उनके अनित्य वा पता भी आपाम शान्ति को नहीं लग पाता है।

भट्टिगी वा गिनार है कि जिग प्रकार शिखण्ड विधि को शालक के विकास के अनुग्रह होना चाहिए, उभी प्रकार शालक वा शाहावरण भी उसके विकास से गाहर ग्रानेशाश्व देना आवश्यक है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शालक वो उसके अनुग्रह होगा नातारण, जिनमें गमी यात्र, वस्तुएँ उसके विकास में गाहर ग्रानेशाश्वी हों, देने से शालक में एक ऐसे गरिमा जीवन या विकास होता है जिसमें न देना थे किसी प्रक्रिया या क्रिया पो करने लगा देनते हैं यरन उसमें एक आप्ताभिमुख जीवन के दर्शन होते हैं। इसलियं उनका कथन है कि

इस प्रकार का वाचावण वालक को केवल स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है वह उसे स्वयं शिक्षा भी प्राप्त कराता है।

प्रसिद्ध दार्शनिक 'ट्रॉक' ने इन्द्रियों को 'जान का द्वार' माना है। माटेसरी ने भी इन्द्रियों की इस उपयोगिता को समझा है तथा वालक-वालिकाओं की इन्द्रियों को सशम सुधा सघन बनाने का महत्व प्रतिपादित किया है। इत्तिए उन्होंने अपनी शिक्षा-विधि में इन्द्रियों की शिक्षा को व्युत्त महत्वपूर्ण माना है। इन इन्द्रियों के विकास के लिए उन्होंने वाचावण को भी एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना है।

माटेसरी ने भ्रम को भी अधिक महत्व दिया है। वे भ्रम को वालक के मानविक विकास को पूर्ण करनेवाला मानते हैं, क्योंकि वह सोचने तथा अंगों की पुष्टि, दोनों पर निर्भर है। भ्रम सोचने तथा अंगों की पुष्टि दोनों कियाओं को उत्तेजना देता है। भ्रम से वालक प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देते हैं तथा उसे दूसरे आनन्द भी आता है। अतः माटेसरी भ्रम को स्वाभाविक मानती है।

मैडम माटेसरी दिखी कार्य को दर्शन में करने को ही उभुक्ता पारितोषिक मानती है, अतः उन्होंने अलग से पारितोषिक देने की भव्यता की है। वे उसे अनुपयोगी मानती हैं।

ट्यूर्ड का शिक्षा-दर्शन

१९वीं शताब्दी में विज्ञान की अधिक प्रगति हुई। शिक्षा के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान सम्पर्क विज्ञान की सौजन्य का प्रभाव पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के विद्यालय खोले गए। इन विद्यालयों में पेस्टालाजी, हस्टार्ट, पाल्येल, मटिसरी आदि शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा प्रभाव पड़ना स्थानाधिक ही था। अपेंग, अन्पे तथा मन्ल बुद्धिवाले बालकों के लिए भी अनेक स्थानों में विद्यालय खोले गए। विभिन्न प्रकार के विद्यालयों, विज्ञान की प्रगति और जीवन की जटिलता के कारण अनेक प्रकार की विभिन्न परिस्थितियों उत्पन्न हुई। पहलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में नवीन दृष्टि से विनार करना आवश्यक हो गया। अभी तक शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा यह जाना चाहिए। पहलस्वरूप शालाओं में बालकों को मात्री ही यात्रों का शब्द दिया जाता था जो उनके भवित्व के लिए उपयोगी होती थी। इसमें बालकों के वर्तमान जीवन का फोर्म सूच्य नहीं था। इसमें बालकों के भवित्व को उत्पन्न तथा बनाने के लोम में आमं वर्तमान की उपेक्षा करके उग्रे विद्यार्थ बनाना पड़ता था।

जोन ट्यूर्ड ने इन विचारों का रखने दिया तथा शिक्षा एवं जीवन की सम्बन्धियों पर दार्शनिक विधि से विचार किया। ट्यूर्ड ने आमं विचारों को जीवन आवेदन में आपर ही प्रमुख नहीं किया था यान् ये विनार उग्ने स्वार्थ आमे यातायरण द्वारा परिचालियों गे ग्रात दिये गे; अतः उनमें स्थानिल, जो वह दिया द्वारा दारिद्रिरता है। गामातिक जीवन द्वारा उग्ने पुर्दि के महत्व वो प्रदर्शित करते हुए उग्ने किया है कि उग्ने अमे विचारों द्वारा देवल आरिक्कार-भाष ही नहीं किया है यान् उग्ने कियार द्वारा वित्ताग हो उग्ने उग्ने आगाम देव यातायरण गे ग्राम हूँ है।

जॉन ड्यूई का प्रारम्भिक तथा शैक्षणिक जीवन सादा तथा साधारण था। इस्वर में उत्सर्गी आत्मा थी। पर उसके विचारों पर हस्ताले के भौतिकवाद तथा दार्शनिक विकासवाद-सम्बन्धी सिद्धान्तों का बढ़ा प्रभाव पड़ा था। इस्वर में धारणा रखने के कारण उसका विकास था कि मानव-जीवन के विकास में भौतिकता का बहुत अधिक महत्व नहीं है। नीतिवाठा तथा भौतिकवाद और विकासवाद की स्थाई की पृति के प्रयास ने जॉन ड्यूई को अपने शैक्षणिक जीवन के अन्तिम चरणों में एक नई दिशा की ओर मोड़ा तथा अपने कॉलेज जीवन से ही वह अच्छा दार्शनिक बन गया।

वाल्टीमूर में अध्ययन करते समय ड्यूई स्टेनलेहाल पीयर्स तथा जॉर्ज सिन्येस्टर मॉरिस के समर्पक में आया। मॉरिस हीगेल के विचारों का समर्थक था। परस्परपृष्ठ उसका शिष्य जान ड्यूई भी हीगेल से प्रभावित हुआ। हीगेल आदर्शवादी था। उसके 'विपरीत में संश्लेषण' (synthesis of opposites), दैवी तथा मानवीय, आच्यात्मिक तथा भौतिक के संश्लेषण के सिद्धान्त का प्रभाव जॉन ड्यूई पर बहुत अधिक पड़ा। इस प्रकार जॉन ड्यूई का प्रारम्भिक दार्शनिक जीवन हीगेल से प्रभावित रहा, पर वह प्रयोगवादी (pragmatist) बन गया तथा अन्त-अन्त में तो प्रयोगवादी (experimentalist) हो गया।

जॉन ड्यूई के अनुसार दर्शन का उद्देश्य यह बताना नहीं है कि हम सहार को किन प्रकार जानते या समझते हैं, बरन् यह बताना है कि हम लोग उसे ऐसा प्रकार नियत्रित और अधिक उपयोगी बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण से विचार करने पर दर्शन का उद्देश्य वर्तमान ग्रामाजिक जीवन की प्रमुख शक्तियाँ विद्योत्ततः दोषतंत्र, वित्त तथा उद्योग के सम्बन्धों का अध्ययन करना ही होगा। इस प्रकार दर्शन पा उद्देश्य मानव की वर्तमान ग्रामाजिक तथा नीतिक ममस्थाओं का स्पष्टीकरण होना चाहिए। अतः इसके लिए सामाजिक समस्याओं के हल के लिए प्रयोगवादी दृष्टिकोण ग्रामना आवश्यक है। जॉन ड्यूई ने इसी प्रयोगवाद को महत्वपूर्ण घण्टाया है। इग्नियर जॉन ड्यूई इस वक्ता तथा उसका कामना किया कि संसार के किसी भी दल में स्थापित नहीं है। गणतंत्र गणराज्य अधिकर तथा अन्तः किसी भी दल में स्थापित नहीं है। गणतंत्र गणराज्य अधिकर तथा अन्तः किसी अदर्शवादी ग्रामना नहीं है। गणतंत्र गणराज्य अधिकर तथा अन्तः किसी अदर्शवादी ग्रामना नहीं है।

अतः वह अलौकिक संसार को असत्य मानता तथा कहता है कि मानव को स्वयं अपना मार्ग निर्धारित करना चाहिए। उसका विश्वास था कि इस प्रयोग-यादी दृष्टिकोण से अपनी सामाजिक गमत्याओं को हल कर के ही मानव अपने सामाजिक जीवन को उन्नतिशील बना सकता है। जॉन ड्यूर्ड सासार में परिचर्तनशील परिस्थितियों पर नियन्त्रण करने के लिए मानव को अपनी सक्रिय शुद्धि का उपयोग करने के लिए उपयोगी मानता था। इस प्रकार वह दर्शन को मानव की वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों के सुधारने तथा उन्नतिशील बनाने योग्य मानता था। इसलिए उसने 'Reconstruction in Philosophy' में लिखा है कि दर्शन का प्रमुख प्रयोजन अनुभव, विद्येष्ठतः सामृद्धिक मानव-अनुभवों की सम्माननाओं का विरेसीकरण है।

इसके लिए जॉन ड्यूर्ड सोचने-विचारने को आवश्यक मानता है। पर उसके लिए वास्तविक परिस्थितियों में रोचना ही महत्व रखता है, क्योंकि मनुष्य वास्तविक परिस्थिति को अपने अनुमूल बनाने के प्रयत्न करता है। दूसरे शब्दों में हम वह मानते हैं कि मानव अपने जीवन-यापन के लिए रोचता-विचारता है। इस दृष्टि से जीवन को एक अमृत तथा आदर्श रूप में देखना उपयुक्त नहीं है, अगले समस्याओं के आदर्श हलों को भोज निरर्थक है। क्योंकि आनेवाली परिस्थितियाँ आज की परिस्थितियों से भिन्न होंगी तथा आज की परिस्थितियों के लिए उपयोगी गति कल के काम के लिए उपयोगी नहीं होंगे। कोई भी विचार स्थिर परिवर्तन के लिए उपयोगी होता है तथा उसके बदलते ही वह उतना उत्तमोग्मी नहीं रह जाता है।

ड्यूर्ड जन को अनुभव के स्वयं में मानता है। उसका विश्वास था कि अनुभव ही जन है तथा अनुभव किया गे प्राप्त होता है। अतः किया गे अलग कोई जन नहीं है। आज हमारे पाण जो भी जन भी जित है वह अभी वह मानव के पर, वर्ष, व्यवस्था, जीवन एवं रक्षा व भोजन पाने के लिए वही गई कियाओं के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ है। अतः उसने अपनी प्रगिद गुमाक 'Democracy and Education' में लिखा है कि गला जन वही है जो हमारी जेनाना गे सामंजस्य व्यवस्था वरके हमारी परिस्थितियों को हमारी आवश्यकताओं-इच्छाओं तथा उद्देश्यों के अनुरूप बनाने में गश्तपक होता है। इस प्रकार हम देखते हैं

कि ड्यूर्द मानवों पर बुद्धि वा उपरोग उसकी उन्नति तथा उसके संवेदन की दृष्टि दबाने के लिए करने के पश्च में था। इसके लिए वह प्राप्तिगतिविद्या उत्तरार्थी मानता था। वह सिद्धान्तों तथा सूच को भी परिवर्तनशील मानता था। यह किसी भी विचार को परिवर्तित तथा मानव-अनुभव में अन्य नहीं मानता था। इसी विषय को जैन ने निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। जैन का कथन है कि आत्म से सूच प्राप्त होता है उसी के अनुमार हमें आज इन्हाँ हैं तथा कल भी उसी मूल को अनुभव करने के लिए भी तैयार रहना है।

ड्यूर्द की दर्शन-सम्बन्धी उपरोक्त बाँधे उसके शिक्षा-सम्बन्धी विचारों को प्रदर्शित करती है। क्योंकि उसके दर्शन के सिद्धान्त सामाजिक मूल्यों, तथा शिक्षा-निदान इन्हीं मूल्यों को प्राप्त करने वीं विधियों को प्रतिपादित करते हैं। ड्यूर्द का विश्वास है कि शिक्षा हमें किसी जाक्षर सूच की ओर नहीं ले जाती है। यह यों स्पष्टातर चलने वाली है। उसके अनुमार शिक्षा संप्रदीन अनुमतों वा पुनर्निर्माण (reconstruction of accumulated experience)। पर वह चाहता है कि अनुमतों वा यह पुनर्निर्माण सामाजिक उत्थान की दृष्टि से होना चाहिए। इन प्रकार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया का रूप ले लेती है। अतः याला ग्रन्ति तथा ऐसी होनी चाहिए जहाँ बालक अन्य साधियों के सम्पर्क में आकर अपने अनुमतों से भीदे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ड्यूर्द शिक्षा को जीवन सी मानता है। याला में जीवन-यापन करते हुए बालक का विकास होता चाहता है तथा निराम को एक इकाई आनेवाली विकास वीं इकाई के लिए सहायक रोती है। इसमें शिक्षा परिवर्तियों से स्पष्टातर साम्य स्थापित करने वीं प्रक्रिया हो जाती है। ड्यूर्द की शिक्षा वीं इस प्रक्रिया में दो पक्ष महत्वपूर्ण हैं : (१) मनोवैशाखिक और (२) गामाजिक।

इजार्यों यरों गे इस पृष्ठी पर प्रभावद्व शीघ्रन नल रहा है। इसकि इस जीवन की जीनेवाला रहा है। अतः अगो राहु में जीघ्रन गे निराम में मानव ने जो मुठ शीघ्रा है पर वासी बनाना घो भरोहर के स्पर्श में मनोवैशाखिक पक्ष देता है। यापी ताह जीघ्रन गे निराम-ज्ञम में जो कुछ होता रहा है वही मानव गोप्यगि गे इस में सुरक्षित है। इसी संगृहित गे यार्यों वां परिवर्तन प्राप्तना शिक्षा है। रण्मित ड्यूर्द जे

दिला को अनिश्चय किया के रूप में माना है, पर वह यात्रक को महत्वपूर्ण मानता है—वह होते हुए कि पूर्वजों का ज्ञान तथा विवेक यात्रों को दिये जाने वाले ज्ञान को मात्रा या पाठ्य विषय निश्चित करेंगे। तो भी ट्यूर्ड यात्रक को अनोखा मानता है। उसका कथन है कि यात्रक का स्वयं का जीवन है तथा उसके भविष्य की नई तथा अपनी स्वयं की समझाएँ होती हैं। अतः शिक्षा यात्रक का पूर्ण ज्ञान करके ही दी जानी चाहिए। अतः यात्रक के मनोविश्वास का दृष्टिपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इसके लिए उसकी दचियों, शक्तियों, आदतों तथा हस्तोंओं का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। ट्यूर्ड ने यात्रक की चार दचियों को बहुत महत्वपूर्ण माना है :

- (१) यात्रीनाय तथा विचारों के आदान-प्रदान की दचि।
- (२) यस्तुओं के गुम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा या दचि।
- (३) यस्तुओं को बनाने या निर्माण करने की दचि।
- (४) बलात्मक प्रदर्शन की दचि।

ट्यूर्ड का विश्वास है कि मानव को इन चार प्रकारों की दचियों वा पाठ्यात्मक में यदा महत्व होना चाहिए। ट्यूर्ड का कथन है कि गीर्वने की प्रक्रिया वो गतिय बनाने के लिए यात्रों वो अपनी समृद्धि से नियाओं का सुन लेकरके उनसे पुनः सुन्दरभित्ति बरना चाहिए। इतना ही नहीं, उसे अपनी गाहृतिक घोषणे के लियाओं का सुनाय करके अपनी तथा इस परिवर्तनशील गमार की आवश्यकताओं के अनुकूल उपयोगी बनाने के लिए स्वरूप प्रदान करना चाहिए। इसके लिए ट्यूर्ड खननालम्ब कियाओं वो प्रोलाइट खरने को यदा महत्व देता है, पर वह कियाओं को अवश्यक टमगे खरने के पक्ष में नहीं है। यात्रक की कियाओं को शितक का उत्तिर विदेशन तथा राष्ट्रायता भी प्राप्त होनी चाहिए, पर टमगे यह न भूलना चाहिए कि यात्रक वो कियाएँ पेवल दैनिक ही नहीं होनी चाहिए, वे कियाएँ तो ज्ञान को ग्राज के लिए दिये जा रहे प्रयत्नों तथा कायों के स्पष्ट में होनी चाहिए।

एस प्रसार टम देखते हैं कि ट्यूर्ड यह मानता है कि यात्रक या अतिरिक्त गमार ने ट्यूर्ड प्राप्ती नहीं है। पद गमार से रिस्क्यूल विल्स नहीं

किया जा सकता, अतः उसका कथन है कि शिक्षा में समाज सामाजिक पश्च में प्रचलित नियाओं का समावेश अवश्य होना चाहिए।

इतना ही नहीं, वह तो दैशणिक प्रवित्रा का प्रारम्भ ही समाज में प्रचलित इन नियाओं से कराये जाने के पश्च में है। क्योंकि सामाजिक सम्बन्धों ने युक्त इन नियाओं के द्वारा वालकों के व्यक्तिगत तथा वैयक्तिकता का विकास सुरक्षा से किया जा सकता है।

'प्रजातंत्र तथा शिक्षा' में ड्यूर्इ शिक्षा को सामाजिक शिक्षा मानता हुआ वर्णन करता है कि शिक्षा मानव-नियाओं की उत्प्रेरणा के तीन प्रमुख तत्वों का संगम है, क्योंकि यहाँ सद्वावरण तथा प्यार का प्रतीक वालक रहता है। यहाँ सच्ची तथा वास्तविक शिवियों में समाज-कल्याण के प्रबन्ध किये जाते हैं तथा यहाँ जान में सच्ची रुचि भी पाई जाती है। इस प्रसार ये तीन तत्त्व स्लेष, सामाजिक उन्नति तथा विकास एवं जान के लिए वैशाखिक जॉन्च-पट्टवाल एक स्पात में एकत्रित होकर शिक्षा को प्रेरणा देते हैं। लोकतंत्र तथा स्वतंत्र युद्ध के विकास के लिए इन तीनों तत्वों का संगठन आवश्यक है।

ड्यूर्इ वातावरण को बड़ा महत्व देता है। वह वातावरण को बड़ा शक्तिशाली भावना है, क्योंकि वातावरण वालक का उन्नित या अनुचित विकास कर सकता है। वातावरण का वालक के बाह्य व्यवहार तथा चेतन-अचेतन मन पर गहन प्रभाव पड़ता है। यही वातावरण उसी सुरक्षा, असफलता, मान, अपमान तथा अन्य मार्दों का विकास करता है। वातावरण ही उसे भारा भिजलाता है; उसी रुचियों का विकास करता तथा उसके आचरण के लिए परिवर्थितियाँ उत्पन्न करता है।

इस प्रसार ड्यूर्इ के लिए वातावरण एक विदेश महत्व रखता है। उसने वातावरण का बड़ा व्यापक अर्थ लिया है। ड्यूर्इ को समाज की कल्याण भी हमारे समाज की यत्नता से भिन्न है। वह संगठन-विद्वीन एक-न्युमरे की सहायता न करनेवाले लोगों के समूह को समाज नहीं मानता है। उसे वह 'समूह' ही कहता है। ड्यूर्इ का समाज तो सहयोग, सदानुभूति, सुमानता, स्वतंत्रता तथा स्वतंत्र के आधार को मानता देनेचाला है। ड्यूर्इ का विचार है कि शिक्षा के द्वारा इस प्रसार के समाज वा निर्माण सुरक्षा से हो सकता है क्योंकि

के सुनियोजित वातावरण में बालक को लोकतंत्र की शिक्षा दी जा सकती है। ऐसा वातावरण अन्यदि मिलना कठिन है, क्योंकि शाला में पुस्तकों आदि के द्वारा बालक का राष्ट्रगृह भूत, वर्तमान तथा भवित्व सीरीज़ से स्पष्टित करने का प्रयत्न किया जाता है। कुटुम्ब आदि में से बालक बेबत दैनिक जीवन से सम्बन्धित वातीं का ही ज्ञान प्राप्त करता है। शाला में ज्ञान की जटिलता दूर घरके उसे बोधग्राह्य बना दिया जाता है। शाला वातावरण से स्वस्थ बातें ही तुनकर बालकों के समझ प्रस्तुत करती हैं, अतः बालक समाज की गम्भीर तथा दुरुदृश्यों से बच जाता है। शाला का जीवन एकाग्री नहीं होता, क्योंकि वहाँ जीवन के विभिन्न घोड़ों से सभी प्रकार के अनुभवों को तुनकर बालक को देने का प्रयत्न किया जाता है।

इस प्रसार शाला की समूर्ण शिक्षा सामाजिक वातावरण में शिक्षा का रूप रेखर समाज के उत्थान में बहायक होती है। इसलिए, छूर्द समूर्ण शिक्षा को एक प्रकार का वातावरण (environment) मानता है। उसने शिक्षा को पथ-प्रदर्शक के रूप में माना है। इस दृष्टि से शिक्षा के तीन बार्य होते हैं—(१) निष्पत्ति (२) निर्देशन (३) पथ-प्रदर्शन। निर्देशन बालकों का व्यान जीवन के लिए आवश्यक बालनीय वायों की ओर आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। इससे बालक अनावश्यक वायों में अपनी जाति का अपनाय नहीं करते। बालकों को अपनी दुप्रशृंखियों पर अनुभागन रखना आवश्यक है। उनसी प्रशृंखियों परी सन्तुष्टि वी स्वतंत्रता वा तात्पर्य मनमानी करने देना नहीं है। छूर्द बालकों के स्वयं आगे निष्पत्ति को अभिह महत्व देता है। योजना एक प्रसार गे परोक्ष निष्पत्ति होते, क्योंकि योजना के अनुग्रह बार्य बरते रहने से कुरी मायनाओं तथा वायों के लिए बालकों को असर नहीं मिल पाता है। छूर्द दृष्टि संभव यो अनुपुत्ति मानता है। यह जनरदस्ती विभी बात या वाम वा बालकों के ऊपर लाने के पक्ष में नहीं है। यह सो मुकाबल तथा समादर के द्वारा पर प्रदर्शन की जाता है। इसके लिए बालकों वो अनुपर्ण प्रौढ़िया साम उदाया काना चाहिए।

छूर्द पाठ्य शिरो वाया शिक्षा तिपि पों पासार गम्भूद मान डा है। उसने 'प्रोत्तर उपा शिक्षा' में सम्बन्धित विचारों को लक्ष किया है। यह रुपों के

न्नन नेतृत्वे द्रष्टव्ये विद्योप तथा प्रभावशाली अनुभवी पी महाप्रदान करता है। उनके कल्प हैं कि बालक का समर्पण प्रत्यक्ष विधिभित्री हो परामा जाना चाहिए, जिसने वह कियाशील रहे। पर याकाम पी भी खाने खाली नियम में रहे रखा चाहिए। ड्यूर्स राजि को महालाली गानता है, अपेक्षित जब उन्हें इन्हें किया में सचि नहीं रखोगा तब तक उसे बोलने॥ यही आनन्द नहीं छोड़, पर फिर भी ड्यूर्स राजि उमा प्राप्ति पी मूल गानता है। अपेक्षित द्रष्टव्ये भूत्त्वे प्रयत्न कियी फार्मे में गहरी तथा आवाहित, जिसे नहीं किया जाना चाहिए है। दूसरे शब्दों में हम यह बताने हैं, कि यह गति में आगे आगे आगे हो जाता है तो उससे यह प्रदर्शित होता है कि यह गति में आगे आगे आगे हो जाता है। ड्यूर्स ने सुनियोजित नियम पी भी महाप्रदान किया है। उन्नीसवीं विधा नियमित तथा प्रायोगिक रहती है। ड्यूर्स का विधान है कि आपका नियम भी यही अच्छी तरह सीख रखता है जो कि नियम अपेक्षित विद्या विद्यार्थी ही। ड्यूर्स इन्हें को विभाजित करने के पक्ष में नहीं है। प्राप्ति गति है कि इन्हें भी यह नियम जन न करके उनका मंदिरेश्वर गत्या भावित (जिसी वृत्तिका वर्तमान है)। यह भी सुने, क्योंकि जीवन के प्रयोग धोप में वृषभगुम, गाँवे विद्या जाना आवश्यक है।

शिक्षण-विधि के राष्ट्रमें ड्यूर्स पा विधान है। यही भारतीय विधि पी कार्य सोचने विचारने की अच्छी गारंटी देताना है। यह गति का भी कि यह अनुभव भी विधि गानता है। इस गत्या विधान विधि के नाम नीति विधान विधि के तत्त्वों में गमानता रहते हैं। विधान विधि के नाम विधानीय विधि है।

१. यात्रक का अनुभव पी गति में विधानिती ही प्राप्ति का विधान है। इत्यावार ऐसी नियम में गति विधि द्वारा दिया गया है।

२. की जानेवाली नियम यात्रा में विधानीय पा विधान विधान की राज्यीय गमरस्या का निर्माण है।

३. गमरस्या के इन के लिए आवश्यक है। यात्रा विधान का काम गमरस्या की प्राप्ति करे।

४. यात्रक गमरस्या का इन विधिगृहीती में विधाने।

५. उपरोक्त विधि से प्राप्त विधि गति विधानीय पा विधाने।

अवगत प्रश्न में किस जाये जिससे वह स्पष्ट हो ग्राम ज्ञान की गतिशीलता की जाँच करे तथा उनका ज्ञान सप्त हो सके।

इन्हीं शिक्षक को शिक्षा-रूपी नाटक का युवधार मानता है तथा शिक्षण में उसे महत्वपूर्ण समझा है। शिक्षक चौंक विदार्, अध्ययनशील, मनोविज्ञान का ज्ञान होता है अतः वह बालकों की आवश्यकताओं का अध्ययन कर लेता है तथा आवश्यकतानुसार उन्हें भूलों से बचाता है। योजना के कार्यालय में वह बालकों का उचित निर्देशन तथा पथ-प्रदर्शन करता है।

इन्हीं द्वारा तथा ज्ञान में अन्तर मानता है तथा पाठ्य-सामग्री का चुनाव ज्ञान के आधार पर करने को उपयुक्त मानता है। वह वस्तुओं के साधारण ज्ञान तथा परिचय को दूर्घटना मानता है। उसके अनुगार दूर्घटना ज्ञान की प्रेरणाएँ ही दे सकती हैं। पर वस्तुओं की वास्तविकता का ज्ञान सच्चा ज्ञान है। वस्तु पीछे रखता या वास्तविकता का ज्ञान युगों से हजारों लाखों मनुष्यों के परीक्षणों द्वारा निर्धारित होता है। अतः हमारे पाठ्यक्रम में वास्तविक ज्ञान के विषय होना चाहिए। ये विषय ऐसे होना आवश्यक है जिनमें गति के गोष्ठ या जाँच करने के अवगत प्राप्त हों। अतः इन्हीं वैज्ञानिक तथा ग्रामाजिक विषय को पढ़ाना उपयुक्त समझता है। वैज्ञानिक विषय बालक में जिग्नासा, प्रयोग या मुनाफ़ा के साथ कार्य करने की प्रकृति का विकास करते हैं। ग्रामाजिक विषय बालकों वो अभी तक चले आये ग्रामाजिक जीवन के द्वारा सचित गुणकृति का ज्ञान करते हैं। गाय ही-नाम बालक अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग गमाज पर उन्नाम के लिए करते हैं।

इन्हीं वा यथन है कि कोई भी विषय पूर्णस्वरूप से वीड़िक या पूर्ण स्वरूप से वार्षिक नहीं होता है। प्राचीन वाल में चाहे हाथ में किये जानेवाले कार्य में भुदि का कम प्रयोग वरन्तो पड़ता हो पर आज के वैज्ञानिक गुण में यह गम्भीर नहीं है। गाय ही-नाम मनोवैज्ञानिक लोगों ने भी मानविक तथा ग्रामाजिक विषयों में गतरी जानेवाले अन्तर वो अगल्य मिट्ट पर दिया है। अतः उन्होंने वीड़िक विषय ग्रामाजिक विषयों में उपयोग गमाजित करते हैं लिए छह। इसके लिए उन्होंने ग्रामाजिक विषय का विद्यालय प्रशिक्षित

किया। वह कैंचनीच, धनी-निधन आदि का भेद-भाव नहीं मानता है। इस टण्ड वट समाज में प्रचलित भेद-भावों को दूर करने के पश्च में है।

वह शिक्षा में व्यावसायिक तन्त्रों को भी मानवता देता है। हाँ, वह यह अवधि मानता है कि बालकों को शुद्ध व्यावसायिक शिक्षा न दी जाये, पर वह बालकों की व्यावसायिक क्षमता के पश्च में अवश्य है। उसका कथन है कि समाज में नियुक्ता आर्थिक सम्बन्धों तथा क्षमता की वृद्धि करती है और दंडन को सुन्दरी बनाती है। साथ-ही-भाय आज के वैज्ञानिक युग में विद्योपी-दर्शन के होने से प्रशिक्षण भी आवश्यक हो गया है। अठः व्यावसायिक शिक्षा में दैदिक तथा सामिक तन्त्र अवश्य मिले होना चाहिए।

गाँधीजी का शिक्षा-दर्शन

दर्शन को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षा आवश्यक है तथा शिक्षा का मार्गदर्शन दर्शन ही करता है। शायद इसीलिए महात्मा गांधी शिक्षा को न केवल सामाजिक वरन्, राजनीतिक, आर्थिक आदि विकास के लिए आवश्यक मानते थे। इस दृष्टि से महात्मा गांधी एक महान् शिक्षा-शास्त्री थे। उनके द्वारा निर्मित तथा प्रतिषादित बुनियादी शिक्षा-प्रोजेक्ट उनके शिक्षा-दर्शन का मूर्त रूप था। इस शिक्षा का उद्देश देश की पनता का हटाय तथा मन परिवर्तित करके एक शोणग-विहीन समाज की स्थापना करना था।

गांधीजी वा ईश्वर में अटल विभाग था। वे मानव में ईश्वर का वास मानते थे। पलम्बरूप उन्हें ईश्वर तथा मानव के एकत्र में विश्वास था। इसी-लिए वे राम, रहीम, बुढ़, ईश्वर तथा अल्लाह को ईश्वर के विभिन्न नाम ही मानते थे। वे जीवन की विभिन्नता में भी एकता का दर्शन करते थे। उनका कथन था कि जैव गूर्ह वीरिणी अनेक हैं पर उनका लोक एक ही है, इसी प्रमाण रूपार में विभिन्नता के होते हुए भी उनका रचयिता एक ही है अतः वे गृहार के भेद-भाव को दूर करने के पक्ष में थे। इस प्रमाण द्वारा दंगते हैं कि वे मुख्ये मानवतावादी थे। वे ईश्वर के अभिन्न वा प्रमाण अनावश्यक समझते थे, क्योंकि उनका कथन था कि ईश्वर वीरों अनुभूति ही वीर जा गर्ती है। वे गति को ही ईश्वर तथा रुपार को माया या अगल्य मानते थे। अतः वे ईश्वरामि का ग्रन्थ 'गा०१' को समझते थे। उनका रिक्षार था कि गति का पालन अद्वितीय के द्वारा ही सम्भव है। उनका कथन था कि गति ही ईश्वर है तथा उग्रती प्राप्ति मानव जीवन का साध्य होना चाहिए। इस साध्य को प्राप्ति अद्वितीय के द्वारा ही वीर जा गर्ती है। इस प्रमाण गांधीजी मन एवं अद्वितीय को एक दूसरे से गम्भीरत मानते थे। चौकिगार ही ईश्वर है तथा उसे अद्वितीय के द्वारा

ही प्राप्त किया जा सकता है, अतः इंश्वर की अनुभूति शुद्ध हृदयवाले व्यक्ति को ही सम्भव है। हृदय के लिए वे 'तप' को आवश्यक मानते थे वर्तमान कि उनका विश्वास था कि तप या कष्ट आत्मा को सरल तथा शुद्ध बनाते हैं।

गांधीजी समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व का मानते थे। पर यह समझना भूल होगी कि गांधीजी व्यक्ति को इतना महत्व देते थे कि वह सत्य की रोज स्वार्थी बनकर करे तथा समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान न रखे। वे तो सभी की स्वतंत्रता तथा वरदारी में विश्वास रखते थे। उनका उद्देश्य शोण-विहीन ऐसे समाज की स्थापना फरना या जिसमें जाति, धर्म, रंग, धन आदि की असमानता तथा भेद-भाव न रहे। इस प्रकार वे विद्वन्युत्त्व के भूमिका तथा मानवेवाले थे। इसीलिए वह चाहते थे कि व्यक्ति अपने पूर्ण विकास के लिए ऐसे आध्यात्मिक समाज पर आश्रित रहे तथा इस प्रकार के समाज का आधार ऐसे सिद्धान्त, जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा न्याय आदि हों, जो मानव को उसके देवी उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हों। इस प्रकार का समाज उपरी प्रकार के शोण तथा अन्याय से मुक्त होगा।

शोणविहीन समाज के लिए गांधीजी ने विवेकानन्द ग्रामोद्योग तथा कृषि का सहारा लिया। गांधीजी यंत्रों के विवर नहीं थे। उनका आशय यह था कि यंत्रों वा उपयोग हुआ नहीं है। पर उन पर निर्भर या आश्रित होना चुप्ता है। ग्रामोद्योग केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में धन एकत्रित न होने देंगे। छोटे उद्योग-धन्यों को अपनाकर व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपना जीवन नेवांट करेगा तथा किसी प्रकार से शोण का साधन न बन सकेगा।

गांधीजी के इस प्रकार के शोण-विहीन समाज में व्यक्ति की सेवा ही इंश्वर की सेवा होगी। इसीलिए गांधीजी कहते थे कि मेरा उद्देश्य ईश्वर-सेवा है तथा इसीलिए मानव-सेवा भी; यद्योऽपि मानव में इंश्वर का वास है। उनका विद्वास था कि मानव वा उद्देश्य अपनी सभी प्रकार की क्रियाओं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक फैलाय ईश्वर-प्राप्ति करना है। अतः व्यक्ति के लिए अन्य व्यक्तियों भी सेवा करना आवश्यक है, क्योंकि इसी एक विधि से वह ईश्वर को पा सकता है। मानव-सेवा करने का लातर्य है कि ईश्वर की कृति के साथ

वादात्मक स्पष्टिक करके उमड़वी अनुभूति प्राप्त करना, क्योंकि ईश्वर मानव से अलग नहीं है। उनके अनुगार व्यक्ति अपने गाधियों की सेवा के अनुग्रात में ही उच्च बनता है।

गांधीजी ने चरित्र को भी बहुत महत्वपूर्ण माना है। उनका कथन है कि हमारे साथ एवं साधन दोनों परिव्र छोड़ा जाएँ। केवल साथ अच्छा और परिव्र छोड़ने में वास्तव न चलेगा। इस परिव्र साथ की प्राप्ति के साधन भी परिव्र सपा सही छोड़ा आवश्यक है। इसीलिए, गांधीजी हमेशा सही मार्ग अस्ताने को उचित मानते थे। उनका कथन था कि जीवन का कोई भी धैर्य हो—अजनीति, गमाज, शिक्षा, पर्म—जट या गही मार्ग अस्ताना ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए, गांधीजी ने अपने सभी कार्यक्रमों में अद्यूतोदार, खादी-उत्पादन, स्वराज्य-प्राप्ति, आन्दोलन, नशाशब्दी, शिक्षा, ग्राम-सुधार में अहिंसा-पूर्वक सत्य मार्ग का अनुसरण किया। पर इस सत्य मार्ग पर चलने के लिए अभ्यास आवश्यक है। यिन पूर्य-अभ्यास के द्वारा मैं इन गुणों का विकास होना कठिन है। अतः इन गुणों के विकास तथा शोषण-विदीन सत्य नियमित रामाज वीर रखना के लिए गांधीजी ने बुनियादी विद्या के रूप में एक ऐसी योजना बनाई जो उनके दर्शन के मिदानतों का एहु मूल रूप ही है।

गांधीजी शालक भी समस्त शक्तियों के समुचित विकास परनेवाली विद्या को ही सच्ची विद्या मानते थे। समुचित विद्याम् गे उनका तात्पर्य शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास में था। साक्षरता को वे न लें विद्या का प्रारम्भ मानते थे और न अन्त। उसे वह द्वितीय यी विद्या का एक साधन मानते हैं। इसीलिए उनका कथन था कि गाधरता कोई विद्या नहीं है। इसीलिए उन्होंने विद्या पढ़-लियों बिगान थो, जिसका चरित्र ऊँचा है, ऐसा माना है और उसे उच्च नहो माना जिसने आधुनिक शाला तथा महाविद्यालयों परी दिप्रियों प्राप्त की है, पर जो चरित्रबान नहीं। इसीलिए भी मधुवाला ने पहा दे कि गाधरता जन नहीं है। यह जन का माध्यम भी नहीं है। यह गो शन-आशन का गोप्यतात्मक प्रतीक है। इस प्रधार दूम देखते हैं कि गाधरता विद्या का उद्देश्य तथा गाधा कभी हो रही नहीं गती है। गांधीजी के विद्या-दर्शन में लो शास्त्र के गोप्यतात्मक विद्याएँ ही प्रमुख विद्या अन्त गाधन कीं हैं।

इस प्रसार दृम दंपते हैं कि गाँधीजी ने पश्चिमी शिक्षा-वालियों के समान बालक को महत्वपूर्ण माना है। स्व० श्री महादेव देशार्द ने लिखा है गाँधीजी का विश्वास यह कि शिक्षा को बालक का समुचित विकास करके पूर्ण व्यक्ति बनाने में समर्प्त होना चाहिए। जो शिक्षा बालक को पूर्ण उपयोगी नागरिक नहीं बना सकती वह अच्छी शिक्षा नहीं हो सकती। यहाँ पूर्ण व्यक्ति का अर्थ व्यक्तित्व के चारों तर्फ़ा, शरीर, हृदय, मन तथा आत्मा के समुचित विकास से है। इसलिए गाँधीजी कहते थे कि मूल्यी शिक्षा वही है जो बालक के आध्यात्मिक, मानविक या बौद्धिक तथा आरोग्यिक गुणों को उत्तेजित तथा उनका समुचित विकास करती है। इस प्रसार बुनियादी शिक्षा के अनुसार उपरोक्त तत्त्वों में से किसी एक तत्त्व पर वह दर्शनेवाली या किसी एक का विकास करनेवाली शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का आगूण एवं एकाशी विकास करेगी।

बालक के सर्वोन्नति विकास के लिए गाँधीजी ने उद्योग या दस्तकारी के माध्यम से शिक्षा देने को उपयुक्त माना है। वह उद्योग जिसके सहारे बालक को समूर्ण ज्ञान दिया जायेगा उसमें स्वावलम्बन का भाव उत्पन्न करेगा। २२ अक्टूबर सन् १९३७ को बर्धा शिक्षाप्रशासन में गाँधीजी ने भाषण देते हुए कहा था कि बर्धामन शिक्षा-प्रणाली से शास्त्रों में जो ज्ञान दिया जाता है वह न केवल निरर्थक है बरन् बालकों के लिए हानिप्रद भी है। उससे गाँव की हानि होती है। बालक अपने घर तथा समाज से विटण्ह हो जाते हैं। आज की प्राथमिक शिक्षा में कोई भी ऐसी वात दियलाई नहीं देती जो गाँव के बालक गीते तथा उसका उपयोग अपने गाँव में ही कर सकें। अतः गाँधीजी ने प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का समन्वय कर उठे उद्योग के माध्यम से देने की मनाद दी।

पर उद्योग या दस्तकारी का आधार लेने का तत्त्व यह नहीं था कि पदार्द के गाथ-साथ एक उद्योग या धन्धा भी नियम दिया जाये। उनका तात्पर्य यह कि मूल्यपूर्ण शिक्षा का आधार उद्योग या दस्तकारी हो। हमारे देश में मध्ययुग में बालकों वो केवल धन्धे नियम जाते थे। उस जमाने में इन उद्योगों या धन्धों के हाथ शिक्षा नहीं दी जाती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय वाला या उद्योग, उद्योग के हाथ ही नियमाया जाता था। पर गाँधीजी उद्योग

या धर्मों वी मदद से तथा उनके माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे। पलस्वरूप उन्होंने केवल उद्योग या दस्तकारी को छिपलाने पर यह न देकर बालकों को समूर्ण शिक्षा उद्योग के द्वारा दिये जाने का महत्व माना।

वहुधा लोग तकरी या चरणा या रुत-कताई को ही उद्योग बनाने के समन्वय में आलोचना किया करते हैं। गाँधीजी ने तो समाज में प्रचलित विचारी भी उद्योग को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए कहा। बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम बनानेवालों ने सुविधा के लिए ७ उद्योगों को चुन लिया तथा बुनियादी पाठ्यक्रम में उन्हें स्थान दिया। पर तकरी-चरणा बलाने पर गाँधीजी ने बहुत जोर इसलिए दिया कि तकरी बलाने में न आर्थिक रुचि पड़ता है और न अधिक व्यवस्था या सेवारी की आवश्यकता होती है। देश की मिस्र हुई हालत को उठाने में भी तकरी मदद कर सकती है। किसी भी अन्य घने की व्यवस्था करने तथा गामान खुटाने में बड़ी कठिनाई होती है। इन सब बातों को सोचकर उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा तकरी में ही प्रारम्भ की जाये। उन्होंने बहा कि पहले साल बालकों को मन-कुछ तकली के ही बारे में बताया जाये। उनका विचार या कि बालक अपने लिए कपड़ा बना नकेगा।

गाँधीजी के विचार से शिक्षा का पाठ्यक्रम ७ बातों का होना चाहिए तथा कम से कम १४ साल वी आयु तक शिक्षा दी जानी चाहिए। शाश्वतों में प्रार्थिक शिक्षा को उन्होंने आवश्यक माना। गाँधीजी का इंधर में अटल विधान था, अतः उन्होंने अपनी बुनियादी शिक्षा में इंधर-प्रार्थना वा विशेष स्थान दिया। पर उनका कथन था कि मूल उद्योग, जिसके माध्यम से समूर्ण जन दिया जायेगा, चालाकों में स्वायत्तमन का भाव पैदा करेगा। यही स्वायत्तमन का धर्म गिरावचा हमारा ढेन्हय रहेगा। उपर गाँधीजी के विचारों से भर्तों या अनुकूली स्पष्ट भी यही सायकलमन गिरावचा है।

समूर्ण जन देनेवाले उद्योग तथा सायकलमन के समन्वय में बड़ी ग्रान्ति पैदी है। जैला कि अभी दर्भांगा गासा है कि केवल उद्योग रागा भन रिसों का जन अन्य-अन्य देना बुनियादी शिक्षा में वाई महत्व नहीं रखता है। यदि हो उद्योग के मालाम से अन्य विषयों के ज्ञान पर बह दीर्घी है। युद्ध वर्त्तिः स्वायत्तमन के लिए उद्योग या इतना महत्व देते हैं कि उनकी गतार्थ-

गांधीजी का शिक्षा-दर्शन :::: २३१

केवल उत्थादन करनेवाले कारखाने बन जाते हैं। उनियादी शालाएँ कोई आरम्भने योग्य ही हैं, जहाँ वालक किसी उत्थादक उद्योग में लगे रहते हैं। गांधीजी का मतलब तो यह था कि उद्योग के द्वारा वालकों का सर्वोगीण विकास किया जाये।

उनियादी शाल के उद्योग का सम्बन्ध स्वावलम्बन से भी अधिक है। गांधीजी यह अवस्था चाहते थे कि उद्योग वालक के समूण्ड विकास के साथ-साथ यिक्षा का कुछ रचन भी निकाले। इस प्रकार वे यिक्षा को कम स्वचौलीचय स्वावलम्बी बनाना चाहते थे। यिक्षा के स्वावलम्बन के दो रूप हो सकते हैं:

(१) वालक के शाल के जीवन के बाद के जीवन को स्वावलम्बी बनाने योग्य; तथा

(२) यिक्षा वा समूण्ड रचन बहन करने योग्य।

गांधीजी का कथन था कि यिक्षा वेतनी के बीमे के रूप में होना चाहिए। वह चाहते थे कि ७ वर्ष की यिक्षा के बाद वालक को समाज तथा कुटुम्ब का उन्नादक अग हो जाना चाहिए। इसके साथ-साथ उनका वह विश्वास था कि यान्मर्दों द्वारा बनारं गर्द बस्तुओं के मूल्य से यिक्षकों के वेतन का संचय तो निकल ही आयेगा। इस प्रकार गांधीजी शाल को कारखाना नहीं बनाना चाहते थे, वह लो उद्योग के द्वारा वालक का सर्वोगीण विकास तथा यिक्षकों के वेतन का सर्व निकालने के पश्च में थे। वह श्रम को महत्व अवस्था देते थे और श्रम का तात्पर्य कुली के समान कार्य करने का नहीं था। वह चाहते थे कि अम अपनी तथा शाल की आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में ही हो। इसीलिए उनका कथन था कि 'भूमि काम समाज के लिए' हैं। इस सिद्धान्त से समाज में मुआद्दत तथा ऊँच-नीच के भेद-भाव को भी दूर किया जा सकता है।

टैगोर का शिक्षा-दर्शन

रवीन्द्रनाथ टैगोर ६ मई सन् १८६१ को कलकत्ते में उत्पन्न हुए थे। इन्हे यज्ञान से ही कविता करने में रुचि थी। इनकी अधिकास शिक्षा घर पर ही हुई थी। टैगोर की कविता का आदर उन्हें सन् १९१३ में उनकी 'गीताजली' पर नोबेल पुरस्कार देकर किया गया। टैगोर कवि के साथ-गाय उच्च कोटि के दार्शनिक, नाय्यकार, विचार तथा शिक्षा-शास्त्री भी थे। अपनी लेरनी के द्वारा, उन्होंने न केवल बँगला गाहित्य को धनी बनाया बरन् अप्रेज़ी गाहित्य का भदार भी भरा। कवि तथा शिक्षा-शास्त्री आदि के अतिरिक्त टैगोर मानवता के उच्च कोटि के सत्त भी थे। मानव के प्रेम उनका धर्म था। उन्हें भारतीय परण्य के अनुमूल आभ्रम-पद्धति बड़ी प्रिय थी। एनी उद्देश्य से उन्होंने शान्ति-निरोत्तन में लगभग ४० शर्प की आयु में एक शाला की स्थापना की थी। उन्होंने 'My School' नामक रचना में अपने शिक्षा-पद्धति का प्रतिवादन किया है। उनका कथन था कि यदि हम अपनी बहानान आवश्य-कर्ताओं को भर्तीमात्रा बमराते ही तो हम ऐसी अवश्य करना चाहिए कि हमारी शालाएँ पर का बाम दे गरें। पदार्थ के गाय शिक्षा की रीतियों का भी आनन्द ले गरं। इस प्राचार शिक्षाओं का बाम 'विषयों का ज्ञान देना तथा शालाओं के हृदयों को मुखार्मा' दोनों हैं।

यशस्व पाठ्य युक्त के पड़ना ही शिक्षा नहीं है। अग्नि, वायु, जल तथा निर्दो आदि से बने झूँप जग्गे को चाकून्हंक देगाना, उनके महसूस को उगाहना ही शास्त्रिक शिक्षा है।

'गमी पशुओं में गाम्य' (harmony) टैगोर-दर्शन का प्रमुख शिक्षान्तर है। इस गाम्य के उन्होंने यीन क्ष्य माने हैं—(१) प्रहृष्टि में गाम्य, (२) मानवी शान्तरण से गाम्य हुआ (३) रिख में गाम्य। अतः टैगोर की हृषि में गन्धी

टैगोर का शिक्षा-दर्शन :::: २०१

शिक्षा वही है जो व्यक्ति के जीवन का सुधि की सभी वस्तुओं से साम्य स्थापित करे। उन्होंने चचपन से ही शाला को छोड़ दिया था तथा उसी समय से वे चत्तालीन शिक्षण-विधि के विरुद्ध हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देरेना कि उस समय भी शिक्षा सुधि की वस्तुओं से साम्य स्थापित करने में सहायक नहीं होती थी। टैगोर की इसी सुधि से शैक्षणिक संस्कार का प्रमुख उद्देश्य बालक की सुधार तथा जीवन से एक स्वतंत्रता या समता स्थापित करना होना चाहिए। टैगोर ने अपनी बोलपुर की शाला में इस उद्देश्य को पूर्ति की। इसी शाला ने आज विकसित होकर विश्वमारती का रूप धारण कर लिया है।

इम टैगोर के शिक्षा-दर्शन में तीन प्रमुख तत्त्व पाते हैं—(१) प्राकृतिवाद,
 (२) मानवतावाद तथा (३) विश्वव्युत्पत्ति।

प्राकृतिवाद

वह चाहते हैं कि बालक की शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में सम्भव होनी चाहिए। टैगोर का विश्वास है कि प्राकृतिक वातावरण में दी जानेवाली शिक्षा के द्वारा संसार से बालक का सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। प्राकृति के इन सामंजस्य तथा समर्पक से बालक उससे यगात्मक सम्बन्ध भी स्थापित कर सकता है। सच्च आत्माया, खुली वासु तथा पूर्ण-पूर्ण मानव के शरीर, मन और मस्तिष्क को उचित सौचे में डालने वाले उन्हें शक्ति देने के लिए वह आवश्यक है। सच्च आत्माया, खुली वासु तथा पूर्ण-पूर्ण मानव के दूध की भाँति उससे उप है, यह युग्मके स्थापित कर देना चाहिए। माता के दूध की भाँति उससे अमृत-रय चूमने उससे विशालता और अमय की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऐसा करने से ही इस सच्चे राया पूर्ण मानव बन सकते। टैगोर ने 'Religion of Man' में कहा है कि संग्राम के समर्पक में बालक अपनी इन्द्रियों वो राजगी ऐसा करने से ही इस सच्चे राया पूर्ण मानव बन सकते। यही करना चाहिए तथा उससे अपना प्रनिष्ठ रामकं स्थापित करना चाहिए। यही कारण है कि टैगोर बालकों को इन्द्रियों को शहरों वातावरण से दूरित नहीं करना चाहते हैं। इग्नियर उन्दे प्रार्थन भारत वी 'गुद्धुल घार्नी' वर्णी निय है। अपने प्रहृष्टि-प्रेम के बारां वे 'राधिनयन पूर्णों' पुन्नर में यह प्रमाणित हैं।

टेगोर को संस्था की ओरांगा व्यक्ति में अधिक विश्वास है। इसीलिए वे शिक्षा में सभों के गमन व्यतिवाद को अच्छा गमनते हैं। वे वाटक को शिक्षण-विधि के बोझ में दूर ही रखना अच्छा समझते हैं। उन्हें शिक्षण-विधि पुस्तक तथा शिक्षक से व्यक्तिगत वाटक अधिक प्रिय थे। उनका विश्वास था कि आत्म-प्रशादान, आत्म-विकास, आत्म-नुष्ठि (self-salvation) रामी व्यक्तिगत है तथा व्यक्ति अकेले अपने प्रवत्तों से इन्हें पा सकता है। इसलिए वे शिक्षा में व्यक्ति को बद्योचन तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं।

टेगोर के प्रहृतिवाद से सम्बन्धित उनका आप्यात्मवाद भी है। आप्यात्मवाद के विकास के लिए वे समीत थे उपसुक्त मानते थे। इसलिए वे जोरदार शब्दों में कहा चरते थे कि प्राहृतिक वातावरण में बोलपुर में शाला स्थापित करते समय उनका उद्देश्य वाटकों को आप्यात्मिक सहजति से परिचित कराना था।

मानवतावाद

टेगोर के लिए मानव ही गमी वस्तुओं के मूल्यांकन का माध्यम था। अपने जीवन में वे इसी सत्य को प्रतिगादित करते रहे। गगार के राम्य में उनकी कल्पना भी मानवतावादी है। उनका कथन था कि रामी गुण तथा मूल्य मानव के माध्यम से ही प्राप्त किये जा सकते हैं। सत्य, शिव तथा मुन्द्र की मानव ही अनुभव करता है। उनका वर्थन या कि जब हमारी सृष्टि मानव से, जो अनन्त है, जिसे हम मत्त के रूप में जानते हैं, सामग्र व्यापित करती है तभी मुन्द्र की सृष्टि होती है। वे गगार को मानव गगार के रूप में मानते थे। टेगोर मानवता के गार्वलीकिक मन वो भी मानते थे। यह गार्वलीकिक मन विभिन्न जीवित मनों पे पड़े है। टेगोर मानव पे ईश्वर भी मानते थे। इसीलिए उनका कथन था कि ईश्वर अनन्त व्यक्ति है जो गमी मानवों में दिलाई देता है। उन्होंने कहा भी है कि ईश्वर वही है जहां मजदूर कठी भूमि गोद रहा है तथा गमा यमानेवाला पक्षर वी गिटी लोट रहा है। टेगोर गमता के निचाग पों पैगानिक गोंगा या आविकारी की अधिकाता में न आँखेश्वर मानव वो दिये जानेवाले मूल या महत्व में औंगना उपसुक्त गमनते थे। मानव के प्रभु इस प्रेम ने ही उन्हें बोलपुर में शाश्वता गति के लिए प्रेरित किया।

वे अपने जीवन-मर पूर्व तथा पश्चिम के दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहे। वह नाहीं थे कि पूर्व को अच्छाई पश्चिम बाटों को मिले तथा पूर्ववाले पश्चिम की अच्छाई को ग्रहण कर। उनका विश्वास था कि संसार की समस्याएँ विश्व के सभी मानों के मेल से ही मुलाकाई जा सकती हैं। अपनी विश्वभारती में भी उन्होंने इस मेल के प्रयत्न किये। इसीलिए विश्वभारती में जाति, पर्म, रग, लिंग आदि का काई मेद-मात्र नहीं पाया जाता।

टैगोर आदर्शवादी

टैगोर का दर्शन तथा शिक्षा-नामन्धी विचार आदर्शवादी थे। वे सुष्ठु की एकता को प्राप्ति इंधर के माध्यम से उन्नत्य करना चाहते थे। जब वे कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य गम्भौत सुष्ठु से साम्य स्थापित करना है तब वे सच्चे आदर्शवादी बन जाते हैं। टैगोर के निए शिक्षा प्रेम तथा सार्वजीविकता-प्राप्ति के निए सनातन राज थे। इसीलिए उन्होंने अपनी संस्कृता का नाम 'विश्वभारती' रखा था।

पर टैगोर का आदर्शवाद शिक्षा तथा भगवान का भुला देनेवाला नहीं था। वह चाहते थे कि शिक्षा का गम्भौत सानव-जीवन से अवगम होना चाहिए।

इसीलिए उन्होंने यहा था कि 'हमारी संरक्षित वा खेद-शिक्षा जीवन में विन्दु खेल भारतीय वीद्विक जीवन का खेन्द्र ही नहीं होना चाहिए व्यादिए घरन् उनके आर्थिक जीवन का खेन्द्र भी ही नहीं होना चाहिए।' यहाँ इस टैगोर के शिक्षा-नामन्धी विचारों में प्रयोग-शादी दृष्टिरोध पाते हैं।

टैगोर का विभास था कि भाज्ञ का इत रुदि से उपर्युक्त शब्द उनके गहल स्थान में गम्भीर है। जमरे ही उन दूसरों के गाग आगे गम्भीरों

पाउड एवं जीवन में गहने करता है। पर आगे जाकर फैलय की प्राप्ति के प्रतीक होते हैं। उने प्रेम से गूँजि गे गाम्य स्थानित घरना पढ़ता है।

इसीलिए टैगोर याहाँ है कि याकूफ को अपने जीवन-प्राप्ति में दूर सारजा प्रदान को आगे नहीं चाहिए। उनका विचार भी या कि याकूफ

को अपने जीवन को पूर्णतः तथा स्वतंत्रता से व्यतीत करने की चाह भी रहती है। इसीलिए ट्रैगोर ऐसी बतमान जानकारी के, जो वालक द्वा प्राप्तिक वाचा-वरण से दूर करके समाज के अन्यामाविक वाचावरण में रख करके दिखा देती है, वह विशद थे। इसमें वालक के व्यक्तित्व का हनन होता है तथा मध्यन के समान एक-सी बस्तुएँ ही उन्नन होती हैं।

ट्रैगोर को आँखत वालक में विश्वास न था। वे प्रत्येक वालक के व्यक्तित्व को मिल-भिल मानते थे तथा चाहते थे कि प्रत्येक वालक का अन्य-अन्य उद्देश्य व्यान रखा जावे। उनका कथन था कि दिखा दा उद्देश्य वालक विभिन्न केवल ज्ञान देना ही नहीं है कर्तोंकि ज्ञान मनुष्य को शक्ति-तथा पूर्ण स्वतंत्र शाली अवध्य बना देता है पर वह उसे पूर्ण मानत नहीं सकता। उनका विश्वास था कि आधुनिक धाराएँ वालकों को ज्ञान देने के उद्द्याह में यह भूल रही है कि उन्हें (वालकों को) पूर्ण व्यक्ति बने बनाया जाये। उनका विचार था कि वज्ञानना के द्वाया ही वालक पूर्णता की प्राप्त हो सकता है। ट्रैगोर उम्मूल्य सुधि से याम स्थापित करने को ही मन्द्रावना मानते थे। इसीलिए उनके अनुसार गच्छा हिता वही है जो न केवल ज्ञान बढ़ाता है वरन् जो व्यक्ति का उम्मूल्य सुधि से याम स्थापित करती है। इस हित से ट्रैगोर मन्द्रावना की दिखा को आकरक मानते थे।

ट्रैगोर वालक द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि वालक को किसी वात को आदत ही न ढारी जाये। उसे प्रहृति से दूर मी न किया जाये। वालक प्रहृति-प्रेम से ही ज्ञान की प्राप्ति करें। विश्वास की बस्तुएँ वालक के लिए बोझ हैं अतः गिरा में भी इनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वे वालक की स्वतंत्र स्वर्ण-विश्वासों के पक्ष में थे, कर्तोंकि इन्हें उनका शारीरिक तथा मानविक विश्वास होता है।

ट्रैगोर का पक्षन था कि दिखा दा उद्देश्य मनुष्य को सब द्वा एकत्र प्रदान करना है। वह एकत्र चौदिस, शारीरिक तथा आध्यात्मिक दोषों के लह-मन्दनहैं द्वारा प्रदर्शित करके प्राप्त करना चाहता है। ट्रैगोर आध्यात्मिक मन्दों में प्राप्ति से ही इनको उत्तेजित की

मुलाया जाता है। अतः बालक को आधारित जीवन व्यर्तीत करके तथा पार्मिक विद्यक के द्वारा इसी प्राप्ति करनी चाहिए। इस प्रकार टैगोर विज्ञा का उद्देश्य मनुष्य का सम्पूर्ण विकास तथा आत्मा की स्वतंत्रता मानते थे। इमार देश की आश्रम-पद्धति ने इस धर्म की पूर्ति की। देश में धर्मो भी यह विग्रहमान है तथा इसी प्राप्ति करना हमारे विज्ञा का उद्देश्य होना चाहिए।

टैगोर का विज्ञास या कि बालक का अनेतर मन चेतन की ओरेआ अधिक समिल रहता है। बालक अनेतर मन से बहुत अधिक गीगते हैं। अतः बालकों को अनेतर मन से अच्छी बात शीघ्रते की प्रेरणा देने के विज्ञा स्पाभाविक लिए बातावरण अच्छा तथा विज्ञाप्रद होना चाहिए। उन्हें होनी चाहिए पुस्तकों से गीगते के लिए भी ज्यरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उन्हें स्पाभाविक बातावरण से ही गीगते भी प्रेरणा देनी चाहिए। ऐसों के ग्रन्ति के ग्रन्ति भी विज्ञाम करने थे कि पुस्तकों बालक तथा सूडि के बीच में वापक बनती है। अतः टैगोर चाहते थे कि बचपन में बालकों वो गीपे व्यक्ति तथा घनुओं से विज्ञा प्रदृशण बरनी चाहिए। ये इस पर इतना विज्ञान करते थे कि उन्होंने अपनी शाला में विचारों का बातावरण ही तैयार करने का प्रयत्न किया। उन्होंने स्वयं शाला वो आला घर बनाया तथा वहाँ रहे। उन्हीं नाद की कगिताएँ वहाँ लियी गई तथा वहाँ बाटक लिये तथा न्हें भी गए।

टैगोर के अनुगार में ही स्वतंत्रता विज्ञा का उद्देश्य होना चाहिए। यह मन की स्वतंत्रता स्वतंत्रता में ही प्राप्त हो सकती है। मन मन की स्वतंत्रता वी स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत प्रेम आवश्यक है। बालकों में प्रेम रखनेर ही विज्ञक बालकों वो मन की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है।

टैगोर का कथन या कि विज्ञान में गिरनी योग्यता होती उगते अधिक यह बालकों को न दे गोपा। पर आज गिर योग्यता गे विज्ञान कार्य कर रहा है उन्हीं अविह क्षेय तथा योग्यता में भी देश उगते योग्य से विझ्ड देने हीं। गरजा है। केरल आवश्यक इन यात्र की है कि विज्ञान में उचित गिरियों में जाम निःश जाये तथा उगे उपर विज्ञा

दी जाये। जैसे घड़े का लाभ प्रयोग करने की रुचि के अनुमार कम या अधिक होता है, उसी प्रकार शिक्षक से लाभ भी कम या अधिक होना उसके उपयोग पर निर्भर है। आजकल शिक्षक का उपयोग इन प्रकार होता है कि उनके मन तथा मस्तिष्क का चहूत थोड़ा भाग कार्यान्वित होता है। आज शिक्षक कल या मरणीन को तरह काम करने हैं। आमोसी और मरणीन के साथ यदि हम एक छड़ी तथा योड़ा-म्या मन्त्रिक और जोड़ दें तो वह शिक्षक का काम कर सकेगी। पर शिक्षक का काम केवल यहीं तक सो भोगित नहीं है। यदि उसे वास्तव में हमारी प्राचीन परम्परा के अनुमार गुह बनना है तो असी मृग्यं शक्ति तथा वोगता को स्वामाविक स्पष्ट से बालकों वीं और दाँड़ाना आवश्यक है।

आजकल यात्र कुछ उलटी हो रही है। बालक शिक्षक के पास न जाकर शिक्षक ही बालक के पास जाने हैं। इन प्रकार शिक्षक एक बाधार्य बन गया है तथा यित्ता देना और विद्या पढ़ाना उसका चबूताव बन गया है। परम्परा गुह और शिक्षा का पहिले के समान सुन्दर नहीं रहा है। शिक्षकों को ही यह समझना चाहिए कि वे गुह के आसन पर ऐठे हैं तथा उन्हें अपने जीवन द्वारा अपने बच्चों में जीवात्मा पूर्णनी है। अपने जान द्वारा उनके हृदय में जान और विद्या की जोति लगानी है—अपने प्रेम द्वारा बालकों का उडार करना है, उनके अमृत्यु जीवन का सुखार करना है। ऐसा होने पर ही शिक्षक गुच्छे स्पष्ट से स्वाभिमान के अधिकारी बन गए हैं। तभी वे ऐसी वस्तुएं बालकों को दे सकेंगे जो वेचो तथा गरेशी नहीं जा सकती है—जो किसी भी मृत्यु में प्राप्त नहीं की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक धर्म के विधान और प्रारूपित निर्मानुग्रह पूर्ण तथा सम्मान के पात्र बन सकेंगे।

विनोदाजी का शिक्षान्दर्शन

विनोदाजी का जन्म महाराष्ट्र की बीरभूमि में गानोदा में ११ शितमंग
१८९५ की हुआ था। सन् १९०१ में कुल वी परम्परा के अनुगार इनका यस्ता-
पर्वत हुआ। विनोदाजी पर उनकी माँ का प्रभाव बहुत अधिक था। विनोदाजी
के जीवन में अच्छे-अच्छे सक्षार ढालने का भेष उनकी माँ को ही है। उच्च
गंस्तारों का जीवन में यड़ा महसूस है। वे जितने अधिक होते हैं, जीवन उतना
ही सुख बनता है। विनोदाजी इसीलिए जीवन को 'संत्वार-सञ्चय' ही मानते
हैं। विनोदाजी की हरिजन-प्रेम, ब्रह्मानन्द का महसूल आदि उनकी माँ की
प्रेरणा से ही प्राप्त हुए। उनकी आयु में विनोदाजी पढ़ने के लिए बड़ीदा
आये। वे बचपन से ही पढ़ने में तेज रुपा गणित में बहुत होशियार थे। वे
कक्षा में हमेशा प्रथम आते थे। बचपन से ही उन्हें घूमने रुपा खोलने का बड़ा
दंड रहा है। बुरी आदतों से बो उन्हें स्वप्नावतः बड़ी गुण रही है। इनके पर
पा चावारणा राष्ट्रीय था। अज्ञन में उनकी बचपन से ही शक्ति थी।

विनोदाजी का विद्यार्थी जीवन बड़ा बटोर रुपा रही था। वे जमीन पर
चारों ओर लोने, पैरों में कुछ नहीं पहिले और भीड़ी चोरे नहीं रहते थे। हारं-
दूरं-दूर परीक्षा पास करके वे घानेज में भरती हुए। अब उनके विद्यार्थी में गहराई
आने लगी थी, पर मनाव अपी भी बहुत तेज था। इस आयु में गाड़ीकरा रुपा
आणामिह निरना बड़ी तेजी से विनाशित होने लगी। आनन्द गाधियों में गाड़ीय
नेतृत्व मरने के लिए गन १९१४ में उन्होंने 'विद्यार्थी मास्टर' नामित किया।
इसमें प्रति वर्षाएँ विभी न दिग्गी विद्यार्थी वा भाषण होता था। इसके बादों
गाड़ीय नामितार्थी नियारों के थे। 'विद्यार्थी मास्टर' में विनोदाजी के भाषण
गम्भीर, अदेश-मर्शित उपर उच्च फोटो के होते थे।

विनोदाजी पर उनके राष्ट्र भक्ति के नियार देश भक्ति ऐ ओर से ए रहे

ये तथा उनका दर्शन-अन्धों का अध्ययन वैराग्य की ओर। पर आध्यात्मिकता की ओर उनका चुकाव अधिक था। एक दिन जब वे इटर में पढ़ रहे थे उन्होंने अपने सभी सार्टिफिकेट घर के चूल्हे में लला दिये। मौं ने पूछा तो कहा कि जब नौकरी करना ही नहीं है तब इनकी क्या जस्ती? इसी वर्ष जब वे इटर की परीक्षा देने बम्बई जा रहे थे तब रास्ते में ही उत्तर पड़े तथा खूरत से बनारम चले गये। घर उन्होंने पिताजी को पत्र लिया कि मैं बम्बई परीक्षा देने न जाकर और कहा जा रहा हूँ। आपको यह तो विश्वास है ही कि मैं चाहे कहीं जाऊँ, मेरे हाथ से कोई अनैतिक बात नहीं होगी। यह १९१६ की बात है। बनारम से इस प्रकार विनोदाजी की साधना का जीवन प्रारम्भ हुआ। इन्हीं दिनों वे हिमालय-दर्शन के लिए भी गये। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ही थी तथा बस्त्र भी कम-से-कम रखे थे। जब विनोदाजी काशी में थे तब हिन्दू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। इसी समय उन्होंने महात्मा गांधी का ओजस्वी तथा प्रभाव-गाली भाषण सुना। इसका विनोदाजी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसी समय उन्होंने गांधीजी को एक पत्र लिया तथा कुछ शकाओं का समाधान करने की प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद इन्हे गांधीजी का पत्र मिला, जिसमें उन्हे आश्रम में आकर सन्तुष्टि करने की बात लिखी थी। विनोदाजी अहमदाबाद गांधीजी के आश्रम में आ गए। यहाँ आकर उनके जीवन की दिशा पूर्ण रीति से स्पष्ट हो गई।

आश्रम में वे एक साधक, तपस्वी वी भाँति रहते। उन्हे जो काम मिलता वरते। विनोदाजी ने बेचल कटोर परिथम ही नहीं किया बल्कि एक ब्रान्तिकारी विचार भी दिया। वह है, कोई काम छोटा नहीं है। पाराना उडाना भी पवित्र कार्य है। यह विचार विनोदाजी ने ही दिया।

आश्रम तथा छानाशाग में काम करते-करते उन्होंने अनुमति किया कि शिष्यकों को यह प्रतीति होनी चाहिए कि वे सभी देवताओं वी ही मेवा पर रहे हैं। उन्होंने शिष्यकों की डॉक्टर-फटकार वी प्रणाली वी भूल का अनुभर किया। वे चाहते थे कि शिष्यों वो अपने हाथ वे गन्दे शालरों के हाथ-पैर भी धोना चाहिए, पटे कपड़े री देना चाहिए तथा उनमे स्नेहूर्ण द्वयहार करना चाहिए। यह स्वरं मिळा द्वयहार करने लगे। शालरों के विकास पर हमका

अच्छा प्रभाव पड़ा। शिक्षा के सम्बन्ध में ये विचार उनके मन में गैंडरे रहे तथा आगे चलकर गाँधीजी की जब नई तालीम चली तो उन्होंने उसमें गाँधीजी की बड़ी सहायता की। आज तो विनोदाजी नई तालीम के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं। इस प्रणाली में उन्होंने एक बड़ी भागी प्राप्ति कर दी है। 'मर्यादय अर्थात् उभी का उदय' करना नई तालीम का घेय है। यह विचार विनोदाजी का ही दिया हुआ है।

बुनियादी शिक्षा या नई तालीम में रचनात्मक कार्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। विनोदाजी ने अपने रचनात्मक कार्यों के द्वारा तथा स्वयं अध्यापन कार्य करके बुनियादी शिक्षा को मूर्त रूप देने में बड़ी सहायता की है। स्वयं गाँधीजी ने इनके सम्बन्ध में किया है 'स्वभाव से ही विभक्त होने के कारण उन्होंने (विनोदाजी) श्रीमती आशादेवी को दमनकार्ये के द्वारा बुनियादी तालीम की योजना या विकास करने में बहुत योगदिया है।' विनोदाजी ने कतार्द वो बुनियादी दमनकार्य मानकर 'मूल उत्तोग बताइ' नामक मौद्रिक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, जिसमें सम्बन्ध में गाँधीजी ने किया है कि 'इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने हँसी उड़ाने वालों पो यह सिद्ध करके दिया दिया है कि कतार्द एक ऐसी दमनकार्ये है जिसमा उपयोग बुनियादी तालीम में वर्णियो दिया जा सकता है।' यात्रव में विनोदाजी ने बुनियादी शिक्षा के द्वारा यात्र्यों की शिक्षा को राही दिया दियाइ है।

जीवन ही शिक्षा

'जीवन और शिक्षा' तथा 'शिक्षण विचार' पुस्तकों में विनोदाजी के शिक्षणसम्बन्धी विचारों का संप्रद है। इनमें शिक्षा को जीवन ही माना है। वे जीवन और शिक्षा वा अश्व-अश्व नहीं मानते। जीवन और शिक्षा के अश्व-अश्व होने से ही शिक्षा के बाद यात्रक गहनी, पर और समाज की जिम्मेदारी टीक में नहीं निभा पाते हैं। विनोदाजी का यथन है कि विचारों पा जीवन से नाता दृट ज ने पर विचार निर्जीव हो जाते हैं और जीवन विचार-स्फूर्त हो जाता है। मनुष्य पर में जीता है और मदरों में विचार गोता है, इतनिप जीवन और विचार का मेल नहीं पेड़ता। इससा उत्तम सुझाव हुए उन्होंने पहा है कि एक और से पर में मदरों पा प्रदेश होना चाहिए और दूसरे आर गे मदरों में पर पुणा चाहिए। इस प्रकार योग्यमिक पाठ्याला मापित पो लगी चाहिए।

शाला के कौटुम्बिक जीवन के उन्होंने निम्न कार्य माने हैं :

ईश्वर-निद्रा सार बलु है अतः दोनों बन प्रार्थना, सात्त्विक आहार, स्वयं स्मोदे बनाकर स्नाना, द्वुआष्टू न मानना तथा पारसाना स्वर्य उठाना, अदृतों को भी शाला में प्रवेश देना, स्नानादि सुबह ठण्डे ही पानी से करना, ब्रह्मनर्य पालन करना, 'साय कर्म' करना, उद्योग वी गिरा का आधार मानना, नियमित व्यायाम करना, नियमित कठाइ करना, स्वादी पहिनना तथा स्वदेशी बलुओं का उपयोग करना, गुरु-जागरण बेदर मेचा के लिए ही बरना, रात्रि-भोजन का त्याग करना, आदि ।

शिक्षक

विनोदाजी गिरा को आचार्य मानते हैं। आचार्य का अर्थ होता है आचार-व्यान अर्थात् स्वयं आदर्श जीवन का आनंदरण करते हुए राष्ट्र में उसका आनंदरण करानेवाला ही आचार्य है। ऐसे आचारों के पुश्पर्य से ही राष्ट्र का निर्माण हुआ है। विनोदाजी का विचार है कि गिरकों में अग्नि में मानी जाने वाली दोनों शक्तियाँ 'स्वधा' तथा 'स्वाहा' होना चाहिए। 'स्वधा' का अर्थ होता है आत्म-धारण तथा 'स्वाहा' का अर्थ आत्म-आहुति या आत्माहुति या आत्मव्याग। विनोदाजी का विचार है कि विना 'स्वधा' के अर्थात् आत्मा की शक्ति के अन्य त्याग सम्बन्ध नहीं है। अतः गिरको पवित्र आदर्श जीवन व्यतीत करनेवाला स्वधा और स्वाहा वी शक्तियों से पूर्ण होना चाहिए। उभी वह गुन्या आचार्य बनवार राष्ट्र-कल्याण बर संडेगा।

शिक्षा का आधार

विनोदाजी जीवन तथा उत्थान को गिरा का आधार मानते हैं। उनका कथन है कि गुन्या गिरक शाला के चाहर ही होता है। गिरा जीवन-नर्यन्त अर्थात् जन्म से नेकर गृन्तु तक चलनेवाली प्रक्रिया है। वह उत्थान + गिरा के पश्च में नहीं है। यह तो उत्थान = गिरा दो उत्तरुक गमहने हैं। गुन्या गिरा में वह विनय, पैरं तथा ज्ञान की उत्तरोत्तर शुद्धि होने वी अपेक्षा करते हैं।

गिरण-पद्धति

गिरण के लिए वह गुमनामी पद्धति जो उत्थोगी दण प्रभावी मानते हैं। वह

उद्योग को शिक्षा का साधन ही नहीं बरन् अधिकार्य अंग मानते हैं। प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के सम्बन्ध में उनका विचार है कि इससे बालक के एक अंग—बुद्धि की ओर ही ध्यान दिया जाता है। यह उसका विकास न करके बिलास करना है। उनका मिट्टी का प्रसिद्ध उदाहरण तो अद्वितीय है। उनका कथन है कि :

‘घड़ा और मिट्टी एक है या दो ? अगर आप ‘दो’ कहेंगे तो हमारी मिट्टी इसे दे दीजिए और अपना घड़ा ले जाइए। घड़ा और मिट्टी ‘एक’ है, ऐसा अगर आप कहेंगे, तो वह मिट्टी का देर पड़ा है, भरिए यानी। मिट्टी और घड़े को समवाय कहते हैं। वर्धा-पद्धति को मैंने समवाय पद्धति नाम दिया है, वर्धोंकि इह पद्धति में उद्योग और शिक्षण का इस तरह का समवाय गृहीत है।

‘वर्धों के गुरे शिक्षण को रखना किसी एक मूल-उद्योग पर सही लीजाये। उद्योग से शिक्षण को गरमादृष्टि भिड़े और शिक्षण से उद्योग पर प्रकाश ढाला जाये। इसका नाम है ‘समवाय पद्धति’ !’

छुट्टियाँ, दण्ड आदि

निमोशाली शालाओं में आये दिन छुट्टियों के दिये जाने के विषय हैं। उनसा कहना है कि छुट्टियों की दैरातनी बाँटी जाती है। यह टीक नहीं। यह शिशों के लाभ के घटे भी टीक रखने के पश्च में है। यह जाहते हैं कि शिशक काम गेकम १८ घटे हस्तों में पढ़ाय तथा ४० या ५० हस्तों गे अधिक लगातार शिखन न किया जाये। वह छुट्टियों को स्थानीय आवश्यकताओं से परिस्थितियों के अनुगार रखने के प्रति मंद हैं।

यह यात्राओं को दण्ड देने के विलक्षण विषय हैं। यह उन्हें वहे रोहे में शिखा देना आवश्यक मानते हैं।

परीक्षा-पद्धति

वांगान परोक्षा-पद्धति को ये दूरी यत्त्वाते हैं तथा परीक्षा में निरीक्षाओं द्वी पठी देने-में एक दावाया गे यात्रियों को चोरें के गमान देनाना अनुग्रह गमान है। ये गुप्त विकास तथा मन पा गुप्तार घरके उत्तित मनोवृत्ति लाने के रा में हैं। ऐसा करने गे तिर देने-में रुपा निगरानी आवश्यक न होगी। ये लंगा-रखन के भी विलक्षण विषय हैं।

मूलोद्योग अभ्यास

‘उम्ब्रावायी पढति’ में उद्योग द्वारा ज्ञान दिया जाता है। अतः उद्योग का उचित अभ्यास, इतना कि जिससे शारीरिक विकास हो सके, आवश्यक है। कचरे का उचित उपयोग, सौन्दर्य भावना, सामृद्धिक भावना, साधर्म्य-नैधर्म्य प्रक्रिया, शारीर शुद्धि, परिश्रम, निष्ठा, सतत्य-योग का अभ्यास आदि की ओर भी उद्योग-शिक्षण में ज्ञान दिया जाना चाहिए। मूलोद्योग के चुनाव के समय में उनका विचार है कि वह पूर्णतः हमारी संस्कृति से मेल जाता हुआ अहिंसाधिकृत होना चाहिए।

बुनियादी शिक्षा का तत्त्व तथा आदर्श

विनोदाजी का कथन है कि ‘अगर कोई पूछे कि बच्चों की तालीम का तत्त्व क्या है, तो योड़े में मैं यही कहूँगा कि तालीम देनेवाले शिक्षकों को बच्चे बनना है और तालीम लेनेवाले बच्चों को बड़े बनना है। शिक्षक अगर बच्चा नहीं बन रहता, तो वह तालीम नहीं दें रहा है और बच्चा अगर बड़ा नहीं बनता तो वह तालीम नहीं पा रहा है, यही गमक्षणा चाहिए।’

विनोदाजी का कथन है कि नई तालीम इतनी व्यापक है कि उसमें भारतीयी भी गेवा हरएक प्रकार आ जाती है। वे इसे स्वाश्रयी मानते हैं। वह शिक्षा में फेवल योड़े हेर-फेर जो बुनियादी शिक्षा नहीं मानते। नई तालीम को यह ‘सबोंदर्यी समाज रचना करनेवाली, भूदान-यज्ञ-मूलक, ग्रामोद्योग-प्रधान अहिंसक प्रान्ति’ मानते हैं। इसके लिए वह जनन्यग्रन्थ के अवधारक गुमदाने हैं।

बुनियादी शाला

विनोदाजी का विचार है कि हमारे शालाएँ हमारे समाज तथा संस्कृति वा प्रतीक द्वारी नहीं चाहिए। आज की शालाओं की स्थिति ठीक नहीं है। हमारे रणोदरयों का हमारे प्रतीकशालाएँ बन जाना चाहिए। बुनियादी शालाओं में मन-मूल की गताई, उग्रता गमनित ज्ञान और उपरोग खिलाया जाना चाहिए। इन्हे आरोग्य-ज्ञान में पूर्ण, शाश्वत-विद्या का केन्द्र, सच्चो ज्ञान-दृष्टि देनेवाली, उपरोग में विशान, आमतात्परी की वस्तुओं को परमने की विज्ञान-ज्ञानी तथा अण्डान्म ज्ञान या आत्म-ज्ञान देनेवाली होना चाहिए। हमारी शाला में होने-

२९४ : : : भारतीय शिक्षा तथा भाषुभिक विचारधाराएँ

बाल हर काम हमारे जान का साधन बनना आवश्यक है। इसके लिए शाला को अच्छी तरह सजाना तथा उसमें अच्छे साधन सुटाना आवश्यक है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा से सम्बन्धित प्रायः प्रत्येक चात के सम्बन्ध में उन्होंने अपने निश्चित व्यावहारिक भूत दिये हैं। इन सुझावों के अनुसार ही हम अपनी बुनियादी शिक्षा को सर्वोदयी समाज की रचना करने योग्य बना सकते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आज यिनोंवा हमारे गामाजिफ, राष्ट्रीय, सास्कृतिक सभी प्रकार के जीवन की बहुत बड़ी शक्ति हैं। गोधी-जी के समान वह जिस ओर पैर बढ़ा देते हैं, उधर करोड़ों पैर उनके पीछे चलने के लिए उठ गए होते हैं। उनको जिग और दृष्टि पड़ती है, उपर करोड़ों आंखें देखने लगती हैं। उनकी ईश्वर पर अवल थदा, सामाजिक मान्यता के मूर्ख मानव मन में मान्यता करने को बन्दूजी आकाशा, शान और राम का अपार वैभव, निष्पत्ति, निष्पाम भाव में विचार करने की शक्ति अन्यत्र सोजने से भी नहीं मिल गती है। इसीलिए उन्हें सुगम्भूषण कहा जाता है। यास्तव में उन्होंने गोरीयादी धीर द्वारा हुई आवाज को और बुल्लम्ब बना दिया है। यिनोंवा हृदय-परिवर्तन चाहते हैं। वह सोन-मानसा ही बदलना चाहते हैं। वह गरीब और अमीर दोनों के हृदय-परिवर्तन द्वारा सर्वोदयी समाज लगाना चाहते हैं।

